केवल एक अल्लाह तआला से इख़्लास व निष्ठा के साथ दुआ

मांगने से संबंधित दुविधा में डालने वाली

आठ भ्रांतियां एवं उनके उत्तर

लेखक:

माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी

अनुवादः

साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

الترجمة الهندية لكتاب:

دليل الحيران لأجوبة الشبهات الثمان المتعلقة بإخلاص الدعاء للواحد الديان

لفضيلة الشيخ:

ماجد بن سليمان الرسي / حفظه الله

पुस्तक का विवरण

पुस्तक का नाम: केवल एक अल्लाह तआला से इख़्लास़ व निष्ठा के साथ दुआ मांगने से संबंधित दुविधा में डालने वाली आठ भ्रांतियां एवं उनके उत्तर

लेखक: माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी

अनुवादक: साबिर हुसैन मोहम्मद मोजीबुर रहमान

प्रकाशन वर्ष: १४४२ हिजरी – २०२१ ईस्वी

ईमेल: sabirhussainzamanwi@gmail.com

मोबोईल: ००९६६ – ५०६०३०५३३

الكتاب منشور في موقع صيد الفوائد و إسلام هاوس

/https://islamhouse.com/hi/main

http://www.saaid.net/book/list.php?cat=92

भूमिका

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

हर प्रकार की प्रशंसा एक अकेले अल्लाह के लिए है, और दरूद व सलाम उतरे उस नबी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर जिनके पश्चात कोई नबी आने वाला नहीं।

अल्लाह तआला ने इंसानों एवं जिन्नातों (मानवों एवं दानवों) को इसी लिए पैदा किया है कि वो केवल एक अकेले अल्लाह की उपासना करें, तथा उसके संग किसी अन्य को शरीक व साझी न बनाएं, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

(मैंने जिन्न तथा मनुष्य को केवल इसी लिए उत्पन्न किया है कि वो केवल मेरी ही इबादत व पूजा करें)। सूरहः अल-ज़ारियातः ५६ । और अरबी भाषा में इबादत हरेक उस चीज़ को कहा जाता है जिससे अल्लाह तआला स्नेह रखता और प्रसन्न होता है, चाहे उसका संबंध दृश्य कथन एवं कर्म से हो अथवा छिप्त।

“अतः नमाज़ पढ़ना, रोज़ा (उपवास) रखना, ह़ज्ज करना, सत्य का पालन करना, अमानत अदा करना, माता-पिता के संग अच्छा व्यवहार करना, रिश्ते नाते का ध्यान रखना, वादा पूरा करना, सदकर्म का आदेश देना तथा कुकर्म से रोकना, अधर्मियों के विरुद्ध जिहाद करना, पड़ोसी, अनाथ, निर्धन, यात्री, दास तथा ग़ुलाम एवं पशु-पक्षी के साथ सद्व्यवहार करना, इसके अतिरिक्त दुआ (प्रार्थना) करना, अल्लाह का ज़िक्र (स्मरण) करना तथा क़ुरआन का पाठ करना, ये सभी चीज़ें इबादत में शामिल हैं।

इसी प्रकार अल्लाह तआला एवं उसके रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से प्रेम करना, अल्लाह से डरना, उसकी ओर झुकना, दीन (धर्म) का पालन केवल उसी को प्रसन्न करने के लिए करना, उसके आदेशों का पालन करने में होने वाले कष्टों पर धैर्य रखना, उसकी

नेमतों (अनुग्रहों) पर शुक्र (धन्यवाद) अदा करना, उसके फ़ैसलों के समक्ष नतमस्तक हो जाना, उस पर तवक्कुल व भरोसा करना, उसकी कृपा की आस लगाए रखना, उसके अज़ाब व यातना से भयभीत रहना तथा इन जैसी अन्य चीज़ें, सभी अल्लाह की इबादत में शामिल हैं"[1]।

और केवल एक अकेले अल्लाह की उपासना के विपरीत चीज़ शिर्क करना तथा उसकी उपासना में किसी अन्य को उसका साझी बनाना है, अर्थात मानव किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को अल्लाह का साझी मानते हुए उसकी वैसी ही इबादत व पूजा करे जिस प्रकार से वह अल्लाह की इबादत व पूजा करता है, उससे वैसे ही भयभीत रहे जिस प्रकार से वह अल्लाह से भयभीत रहता है एवं इबादत तथा पूजा अर्चना के कुछेक प्रकार -जैसेः दुआ (प्रार्थना) अथवा नमाज़ अथवा ज़ब्ह़ (बलि) अथवा नज्र (मन्नत) इत्यादि- के द्वारा उसी प्रकार से उसका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करे जिस प्रकार इन इबादतों के द्वारा वह अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करता है।

दुआ अति महत्वपूर्ण व महान इबादत एवं पूजा है, जिसका उल्लेख विशेष रूप से अल्लाह तआला ने अनेक आयतों (श्लोकों) में किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी बहुतेरी सही (प्रमाणिक) ह़दीस़ों में इसकी महत्ता का गुणगान किया है, किंतु बेहद दुःख की बात है कि मानव जाति सर्वाधिक शिर्क दुआ से संबंधित मामलों में ही करती है, दूसरों को तो छोड़िए स्वयंभू मुसलमान भी दुआ जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण इबादत को अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देते हैं, अब चाहे वह नबियों एवं नेक लोगों (महापुरूषों) से दुआ करें, जैसाकि कुछ लोग दुआ करते हुए कहते हैं: "हे अल्लाह के नबी! मुझे धनवान बना दे" अथवा, "हे अब्दुल क़ादिर जीलानी! मेरे गुनाहों एवं पापों को क्षमा कर दे" अथवा, "हे बदवी! मेरी सहायता करें" या इसी प्रकार से निम्नांकित वाक्यों का प्रयोग करनाः

"मेरी रोज़ी (जीविका) कम है", "मेरा शत्रु मुझे परेशान करता है", "अमूक व्यक्ति ने मुझ पर अत्याचार किया है, और यह मामला मैं आपके हवाले करता हूँ", "मैं आप के पास आया हूँ", "मैं आप का अतिथि हूँ", "मैं आप का पड़ोसी हूँ", "जो आप से शरण माँगता है आप उसे शरण देते हैं", "आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनसे शरण माँगी जाए", "आप मुझे संतान सुख देने की कृपा करें", "कोई फिसलने वाला इस प्रकार से कहेः मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व

[1] इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह की सुप्रसिद्ध पुस्तक "मज्मूअ अल-फ़तावा" (१०/ १४९-१५०) से कुछ संशोधन के साथ नक़ल किया गया है।

सल्लम के पदवी की क़सम, याः हे छः अति महान लोग, याः हे मेरे अमुक शैख़", या इन जैसे अन्य वाक्य जिस के द्वारा अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य से माँगने एवं सवाल करने का बोध होता है, चंद लोग काग़ज़ पर कुछ लिख कर क़ब्र के पास रख देते हैं, या फिर कोई व्यक्ति यह लिखता है कि उसने अमुक व्यक्ति की शरण माँगी है फिर उस पत्र को ले कर किसी क़ब्र (समाधि) वाले के पास जाता है ताकि उससे सहायता माँगे, जब्कि इस बेचारे को यह मालूम ही नहीं है कि मृतकों से माँगने का कृत्य करने के कारण वह इस्लाम से निष्कासित व ख़ारिज हो चुका है, यद्यपि वह नमाज़ पढ़ता रहे, रोज़ा रखता रहे और स्वयं को मुस्लिम मानता रहे।

और जो लोग क़ब्रों के पास ऐसा करते हैं वो इस के लिए अपने पास कुछ दलीलें भी रखते हैं और यह गुमान करते हैं कि उनके पास जो दलीलें हैं वह शरीअत से प्रमाणित दलीलें हैं परंतु जब उसकी प्रमाणिकता की जाँच की जाती है तो ज्ञात होता है कि उस दलील की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वह ह़दीस़ या तो ज़ईफ़ (कमज़ोर) होती है या फिर मौज़ूअ (जाली, मनगढ़ंत), या स्वप्न एवं परियों की कहानी सरीखी बातें होती हैं या फिर सड़ी हुई मानसिक अटकलन, या फिर शरई नुस़ूस़ (श्लोक) को जिस प्रकार से सलफ़ (नेक पूर्वजों) ने समझा है उस के उलट समझना।

क़ब्र पूजने की ओर बुलाने वाले लोगों के पास यदि सदबुद्धि होती तो वो इस मामले में क़ुरआन व ह़दीस़ की पैरवी करते तथा उस से टकराने वाली अन्य चीज़ों को छोड़ देते, क्योंकि क़ुरआन व ह़दीस़ को निरस्त करने वाली कोई चीज़ नहीं है, और न ही उन दोनों की दलीलों को कमज़ोर करने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि क़ुरआन व ह़दीस़ अल्लाह की ओर से अवतरित हैं, और जो चीज़ भी इन दोनों के विरुद्ध होगी वह निःसंदेह बात़िल तथा निषिद्ध होगी।

इस पुस्तक में मैंने उन शुबुहात, भ्रमों एवं भ्रांतियों का उल्लेख किया है जो क़ब्र पूजा को जायज़ कहने वालों की ओर से पेश किया जाता है, ज्ञात हो कि इसके पूर्व, इस पुस्तक में उल्लेखित प्रारंभिक दो भ्रमों के रद्द में दो अलग-अलग पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ[1] क्योंकि इसमें बहुतेरे लोग संलिप्त हैं और इन दोनों का खण्डन भी काफ़ी लम्बा है, और इस पुस्तक में मैंने उन

[1] एक का नाम हैः "कश्फ़ुल ग़िता अन ऐनै मन जअला बैनहु व बैनल्लाह वासततुन फ़िद्दुआ" इसका प्रकाशन "दारुल फ़ुर्क़ान" अल्जीरिया ने किया है, तथा दूसरी पुस्तक का नाम हैः "अल-बिज़ाअः लि मुब्तग़ी अल-शिफ़ाअः", दोनों पुस्तकें www.saaid.net/kutob पर उपलब्ध हैं।

दोनों भ्रांतियों तथा उनके रद्द को ज्यों का त्यों नकल कर दिया है ताकि सभी भ्रांतियों का उत्तर एक ही पुस्तक में एकत्र हो जाए।

इस पुस्तक को मैंने दो परिशिष्टों के साथ समाप्त किया है, पहले परिशिष्ट में उन नियमों का उल्लेख किया है जिनकी आवश्यकता प्रत्येक मुस्लिम को है ताकि वह उन भ्रांतियों को भलि-भांति पहचान सके तथा उस से बचे।

दूसरे परिशिष्ट में तौह़ीद -ए- इबादत के विषय में फ़ैली भ्रांतियों के खंडन में उलेमा ने जो पुस्तकें लिखी हैं उन का उल्लेख किया है, इनमें से अधिकांश पुस्तकें बारहवीं शताब्दी एवं उसके पश्चात लिखी गई हैं।

मैं अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ कि वह मुझे तथा समस्त मुसलमानों को सभी कर्मों में इख़्लास़ की तौफ़ीक़ दे अर्थात हम जो भी कार्य करें केवल अल्लाह को ही प्रसन्न करने के लिए करें, तथा मुझे एवं सभी मुसलमानों को शिर्क (अनेकेश्वरवाद) तथा गुमराही व पथ भ्रष्टता से बचाए। आमीन।

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

और सर्वज्ञ केवल अल्लाह तआला है, एवं असंख्य दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे नबी मुह़म्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- पर तथा उनके परिवार वालों एवं सह़ाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर।

लेखकः माजिद पुत्र सुलैमान अल-रस्सी

२८ शाबान १४३३ हिज्री

www.saaid.net/book

majid.alrassi@gmail.com

फोन नम्बरः ००९६६५०५९०६७६१

सऊदी अरब

पुस्तक की आम विषय सूची

- मूल पुस्तक आरंभ करने के पूर्व बुनियादी ज्ञान एवं नियम।
- समस्त इबादतों (उपासनाओं) के मध्य दुआ (प्रार्थना) का महत्व।
- शफ़ाअत के मसले से संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं नियम।
- **अध्यायः** क़्यामत (महा प्रलय) के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश के प्रकार।

■ **पहलाः** हिसाब आरंभ करने के लिए आपका सिफ़ारिश करना।

■ **दूसराः** मोमिनों को जन्नत में प्रवेश कराने के लिए आपका सिफ़ारिश करना।

■ **तीसराः** जो बिना हिसाब के जन्नत में जाने वाले लोग होंगे उनके लिए आप का संस्तुति व सिफ़ारिश करना।

■ **चौथाः** अपने चाचा अबू तालिब के अज़ाब (यातना) में कमी के लिए आप का संस्तुति करना।

■ **पाँचवां:** गुनाह -ए- कबीरा के मुजरिम मोमिनों के जहन्न (नरक) में जाने तथा अपने गुनाह के समान यातना भोग लेने के पश्चात उनको जहन्नुम से निकालने के लिए आप का सिफ़ारिश करना।

■ **पहली भ्रांतिः** दुआ (प्रार्थना) में वास्ता तथा सिफारिशी बनाने की भ्रांति, और सोलह प्रकार से इस भ्रांति का खंडनः

1- अल्लाह तआला ने हमें यह आदेश दिया है कि किसी वास्ता के बिना हम केवल अल्लाह से ही माँगे।

2- ग़ैरुल्लाह (अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य) से चाहे किसी भी ढ़ंग से माँगा जाए वह शिर्क -ए- अकबर है, इस उम्मत के सभी उलेमा का यही मत है चाहे उनका संबंध किसी भी फ़िक़्ही मज़हब से हो।

* अह़नाफ़ उलेमा के कथन।
* शाफ़ई उलेमा के कथन।
* ह़म्बली उलेमा के कथन।

* मालिकी उलेमा के कथन।

* किसी विशेष मज़हब (पंथ) से संबंध न रखने वाले उलेमा के कथन।

3- बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाना वास्तव में मक्का के उन मुश्रिकीन का कृत्य था जिनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे।

4- बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाना यदि अल्लाह तआला को पसंद होता तो इसका उल्लेख क़ुरआन व ह़दीस़ में अनेक स्थान पर मौजूद होता।

5- बंदा तथा रब के मध्य यदि वास्ता बनाना जायज़ होता तो सह़ाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसा अवश्य करते।

6- बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाने वाले लोग घोर आपदा के समय अपने इस वास्ता को भूल जाते हैं तथा केवल सुख-शांति के समय ही ग़ैरुल्लाह को वास्ता बनाते हैं।

7- शब्दकोष एवं शरीअत के अनुसार शफ़ाअत (सिफ़ारिश) कहते हैं कि कोई अपनी किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से कहे कि वह अमूक व्यक्ति के समक्ष उसकी सिफ़ारिश कर दे, जब्कि क़ब्र को पूजने वाले लोग तो प्रत्यक्ष रूप से अपने उस वास्ता से ही माँगने लगते हैं।

8- मृतकों का नेक होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण उनको वास्ता बनाया जाए।

9- सांसारिक राजाओं के समान मानते हुए अल्लाह तआला के बारे में अटकल लगाना छः कारणों से बातिल व निरर्थक हैः इल्म (ज्ञान), तदबीर (उपाय), बेनियाज़ी (निःस्पृह, समृद्धि), बादशाहत (राज-पाट), रह़मत (दया) एवं क़ुदरत (सक्षमता, समर्थता)।

10- अल्लाह तआला ने हमें यह बताया है कि बंदा जब उससे कुछ माँगता है तो वह उसे प्रदान करता है चाहे वह बंदा गुनहगार

बल्कि काफ़िर ही क्यों न हो, तो अब वास्ता बनाने की आवश्यकता क्या है?!

11- किसी को वास्ता बनाने से बंदा तथा रब के मध्य का सीधा संबंध समाप्त हो जाता है, जो एक बंदा के लिए अत्यंत घाटे की बात है।

12- बंदा तथा अल्लाह बीच वास्ता बनाने वाला व्यक्ति स्वयं को अनेक भलाईयों से वंचित कर लेता है, जिनमें से एक अल्लाह की ओर मुतवज्जह (प्रवृत्त) होने के कारण अल्लाह का उससे प्रसन्न होना है।

13- जिनको ये लोग वास्ता बनाते हैं वो, उनके गुमान के विपरीत, उनके लिए दुआ व प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वो या तो मृत होते हैं या निर्जीव।

14- क़ुरआन ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि जिन को ये लोग सिफ़ारिशी समझते हैं वो क़्यामत के दिन उनकी सिफ़ारिश नहीं करेंगे।

15- वो नबी और नेक लोग जिन्हें इनलोगों ने वास्ता बना रखा है वो स्वयं जीवित लोगों की दुआ व इस्तिग़फ़ार के मोहताज हैं।

16- बंदा तथा उसके रब के मध्य वास्ता बनाने के लिए क़्यास (अटकल लगाने) को आधार बनाना दो कारणों से बातिल एवं तथ्यहीन है।

● **दूसरी भ्रांतिः** आख़िरत (परलोक) में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश करने से संबंधित भ्रांति, और इसका खंडन दस तरीकों से किया गया हैः

1- यह बात ठीक है कि आख़िरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के लिए सिफ़ारिश करेंगे किंतु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि आख़िरत में उस सिफ़ारिश को प्राप्त करने के लिए वह संसार में आप से दुआ करे।

2- वास्तविकता तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं सिफ़ारिश के स्वामी व मालिक नहीं हैं कि उनसे यह माँगा जाए।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा अन्य सिफ़ारिशकर्ता क़्यामत के दिन अपने मन से जिसके लिए चाहेंगे उसके लिए सिफ़ारिश नहीं करेंगे, बल्कि वो उन्हीं के लिए सिफ़ारिश करेंगे जिनके अंदर सिफ़ारिश किए जाने की शर्तें पाई जाएंगी।

● अध्यायः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश को पाने के लिए शरई माध्यमों का बयान।

4- सिफ़ारिश हासिल करने अथवा किसी और उद्देश्य को पाने के लिए ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है चाहे उसका ज़रिया व माध्यम जो भी हो, और शिर्क सभी शरीअतों (धर्मों) में ह़राम है।

5- क़ुरआन, सही ह़दीस़ अथवा इज्माअ (उलेमा का किसी मसले में एकमत होना) में एक भी ऐसी दलील नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मख़लूक़ (जीव) से सिफ़ारिश करना जायज़ है।

6- क़्यामत के दिन मोमिनों की सिफ़ारिश अकेले केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही नहीं करेंगे, बल्कि बहुत से दूसरे लोग भी मोमिनों की सिफ़ारिश करेंगे, तो वो लोग क्यों नहीं उन सभी लोगों को पुकारते हैं, तथा उन से सिफ़ारिश के लिए दुआ करते हैं?

7- मृत्यु के पश्चात मानव का सांसारिक जीवन से संबंध पूर्णरूपेण समाप्त हो जाता है, और किसी भी रूप में सांसारिक जीवन के नियम को उस पर लागू नहीं किया जा सकता है, अतः उससे प्रार्थना करना तथा उससे सिफ़ारिश की आशा रखना कैसे मान्य हो सकता है?

8- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह आदेश दिया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवित रहते हुए भी तथा मृत्यु पश्चात भी आप के लिए दुआ करें एवं आप पर दरूद भेजें, अतः अभी जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ब्र में हैं तो उनसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रार्थना करना कैसे सही हो सकता है?

9- जो लोग अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरुल्लाह की उपासना करते हैं चाहे वो नबी हों अथवा कोई और, वे सभी क़यामत के दिन अपनी उपासना करने वालों से अंजान बन जाएंगे।

10- अहले सुन्नत ने शफ़ाअत (सिफ़ारिश) के प्रकार में से इसको नहीं गिना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ब्र में चले जाने के पश्चात आप से सिफ़ारिश तलब की जाए।

- **चेतावनी**: मुहम्मद बिन साद अल-बूसीरी के क़सीदा "बुर्दा" में उल्लेखित शिर्क का बयान।

- **तीसरी भ्रांति**: तवस्सुल[1] से संबंधित भ्रांति, एवं तीन तरीके से उसका खंडन।

1- उद्देश्य प्राप्ति के लिए नेक लोगों को पुकारना तथा उनसे दुआ करना वास्तव में शरई वसीला है ही नहीं।

2- आयत से यह प्रमाणित नहीं होता है कि नेक लोगों को पुकारना प्रार्थना के स्वीकार्य होने का वसीला व साधन है।

3- यह आस्था रखना कि अल्लाह तआला ही ब्रह्माण्ड का निर्माणकर्ता, प्रभावित करने वाला तथा संयोजन करने वाला है, यह आस्था रखने से किसी के लिए यह जायज़ नहीं हो जाता कि वह ग़ैरुल्लाह से प्रार्थना करे या उसे पुकारे।

- अध्यायः चंद इल्मी (ज्ञान आधारित) रिपोर्ट का उल्लेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि एतबार, किसी वस्तु के मूल रूप का किया जाता है उसके नाम का नहीं।

- **चौथी भ्रांति**: यह दावा करना कि क़ब्र पूजने वाले काफ़िर नहीं हैं, क्योंकि वो "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही देते हैं, तथा तीन प्रकार से इसका खंडन।

1- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की शर्तों का पालन किए बिना इसका केवल उच्चारण भर कर लेने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

---

[1] वसीला, माध्यम, ज़रिया, वह साधन जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कार्य इत्यादि सिद्ध होता है।

2- अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के शासनकाल में जिन लोगों ने ज़कात देने से मना किया था वो भी शहादतैन "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" की गवाही देते थे, इसके बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने एक मत होकर उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने का फ़ैसला किया।

3- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं मक्का के मुश्रिकीन के मध्य मतभेद का सबसे बड़ा कारण, तथा जिसके कारण उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से युद्ध लड़ा वह यही मसला था कि अल्लाह के संग अन्य को उसकी उपासना में साझी नहीं बना सकते हैं।

- **पाँचवीं भ्रांतिः** यह दावा करना कि केवल मूर्ति पूजन को ही शिर्क माना जाएगा, तथा पाँच तरीकों से इसका जवाब।

1- शब्दकोष के अनुसार शिर्क कहते हैं किसी वस्तु में दो लोगों को शरीक व साझी बनाना।

2- अल्लाह तआला ने क़ुरआन में स्पष्ट रूप से फ़रमाया है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना तथा उससे प्रार्थना करना शिर्क, कुफ्र एवं पथभ्रष्टता है।

3- जो केवल एक अल्लाह को ही पुकारता है तथा उससे ही अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दुआ करता है, और जो ग़ैरुल्लाह से -चाहे वह जो भी हो- अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दुआ करता है, दोनों के मध्य अंतर बिल्कुल स्पष्ट है।

4- अरब लोग जाहिलीय्यत युग में जो करते थे एवं आज कल के क़ब्र पूजने वाले लोग जो कर रहे हैं दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं है, जो इस बात की दलील है कि ये भी उन्हीं के समान मुश्रिक हैं।

5- वो कुफ़्फ़ार जिनके मध्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अवतरित किए गए थे, उनमें सभी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे बल्कि कुछ लोग, नेक लोगों व महात्माओं की पूजा किया करते थे तो कुछ लोग इसके अलावा किसी और की।

- **छठी भ्रांतिः** तजुर्बा (अनुभव) की भ्रांति, तथा छः प्रकार से इसका खंडन।

- **सातवीं भ्रांतिः** उलेमा की तक़लीद (अंध अनुसरण) की भ्रांति, तथा पाँच तरीकों से इसका रद्द।

- **आठवीं भ्रांतिः** ज़ईफ़ एवं मौज़ूअ (कमज़ोर एवं निराधार) ह़दीस़ों की भ्रांति, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सात हैं।

- **अध्यायः शुबुहात (भ्रामक चीज़ों) से बचने हेतु सतर्क करना, इसके अंतर्गत कुल ग्यारह पाठ हैं।**

इस बुनियादी ज्ञान एवं नियम का उल्लेख कि दुआ (प्रार्थना) इबादत (पूजा) है।

समस्त इबादतों के मध्य दुआ का महत्वः

दुआ अत्यंत महत्वपूर्ण इबादत है, जिसका वर्णन विशेष रूप से अल्लाह तआला ने अनेक आयतों में किया है, एवं इसकी महत्ता का उल्लेख नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी बहुतेरी स़ह़ीह़ ह़दीस़ों में किया है, जिन में से एक सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की वह ह़दीस़ भी है जिसे वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमायाः "अल्लाह तआला अत्यंत लज्जाशील एवं दयावान है, जब कोई बंदा अपने दोनों हाथों को उठा कर उससे कुछ माँगता है तो उसे लज्जा आती है कि वह उस बंदे को ख़ाली हाथ लौटा दे"[1]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "क़ज़ा अर्थात अल्लाह के फ़ैसले को केवल दुआ ही टाल सकती है"[2]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है किः "अल्लाह के समीप दुआ से अधिक सम्मानित वस्तु कोई भी नहीं है"[3]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निम्न कथन में भी स्पष्ट रूप से दुआ की महत्ता को दर्शाया है किः "दुआ ही इबादत है, अर्थात दुआ अत्यंत महत्वपूर्ण इबादत है", तत्पश्चात आप ने इस आयत का पाठ कियाः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब का आदेश आ चुका कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा, निःसंदेह जो लोग अभिमान में आ

---

(1) इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (३५५६) ने रिवायत किया है तथा अलबानी ने स़ह़ीह़ कहा है।

(2) इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (२१३९) ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है तथा अलबानी ने इसे ह़सन कहा है। देखेः "अल-स़ह़ीह़ा" (१५४)।

(3) इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (३३७०) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे ह़सन कहा है।

कर मेरी इबादत नहीं करते, शीघ्र ही वह अपमानित हो कर जहन्नुम में पहूँच जाएंगे)[1]। सूरह ग़ाफ़िरः ६० ।"

दुआ ही इबादत है कहने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि दुआ में सभी प्रकार की इबादत समाहित है, बल्कि इससे आश्य दुआ की महत्ता एवं उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित करना है, कि यह इबादत का अभिन्न अंग, उसका मगज़, उसका सर्वश्रेष्ठ भाग एवं उसका का अति महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के समान है किः "अरफ़ा ही हज है"[2], और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान के समान किः "नसीहत व एक-दूजे का भला चाहना ही दीन है"[3]।

कुछ लोगों ने दुआ के इबादत होने में संदेह उत्पन्न करने का प्रयास किया है ताकि वो इसे अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य के लिए अंजाम दे सकें, उनका यह गुमान बिल्कुल निराधार एवं खंडन योग्य है, क्योंकि अल्लाह तआला ने क़ुरआन में अनेक स्थान पर दुआ को इबादत (पूजा, उपासना) कहा है, जैसा कि इस कथन में हैः ﴿قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلۡبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّي﴾ (आप कह दीजिए! कि मुझे उनकी इबादत (पूजा) से रोक दिया गया है, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूकारते हो, इस कारण से कि मेरे पास मेरे रब के प्रमाण आ चुके हैं)। सूरह ग़ाफ़िरः ६६ । तथा अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब का आदेश आ चुका कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा, निःसंदेह जो लोग अभिमान में आ कर मेरी इबादत नहीं करते, शीघ्र ही वह अपमानित हो कर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे)[4]। सूरह ग़ाफ़िरः ६० । इन दोनों आयतों (श्लोकों) में अल्लाह

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दाऊद (१४७९) एवं तिर्मिज़ी (२९६९) आदि ने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे सह़ीह़ कहा है।

[2] इस ह़दीस़ को नसई (३०१६) आदि ने अब्दुर्रह़मान बिन यअमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, एवं अलबानी ने इसे सह़ीह़ क़रार दिया है।

[3] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (५५) ने तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[4] इस ह़दीस़ को अबू दाऊद (१४७९) एवं तिर्मिज़ी (२९६९) आदि ने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे सह़ीह़ कहा है।

तआला ने दुआ को इबादत कह कर विशेषित किया है, जो इसकी महत्ता को प्रमाणित करता है।

इसी प्रकार से अल्लाह तआला ने दुआ को दीन (धर्म) कहा है, चुनाँचे अल्लाह का इर्शाद हैः ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ﴾ (जब यह लोग कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह तआला को ही पुकारते हैं उसके लिए दीन (इबादत) को शुद्ध करते हुए, फिर जब वह उन्हें बचा कर सूखे की ओर ले आता है तो उसी समय शिर्क करना आरंभ कर देते हैं)। सूरह अल-अनकबूतः ६५ ।

अल्लाह तआला ने यहाँ पर दुआ के समक्ष दीन का उल्लेख किया है, तथा दुआ शब्द पर अलिफ़ व लाम (ال) का होना अह्द को इंगित करता है अर्थात इसके पूर्व में जिस दुआ का उल्लेख हुआ है इसका तात्पर्य उसी से है, जिससे प्रमाणित हुआ कि दुआ, दीन है, और जो दीन होगा वह इबादत भी होगा।

इसके अतिरक्त यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अल्लाह तआला ने स्वयं से दुआ करने का आदेश दिया है, औ जिस चीज़ के करने का आदेश अल्लाह तआला दे वह इबादत होगी, अब चाहे वाजिब हो या मुस्तहब, किंतु वह इबादत ही होगी, जैसा कि पूर्वोल्लेखित आयत में हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (तुम्हारे रब का आदेश आ चुका कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा, निःसंदेह जो लोग अभिमान में आ कर मेरी इबादत नहीं करते, शीघ्र ही वह अपमानित हो कर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे)[1]। सूरह ग़ाफ़िरः ६० । इसी प्रकार से अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ (तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा के भी और चुपके-चुपके भी, निश्चय ही अल्लाह तआला उन लोगों को नापसंद करता है जो अपनी हद से बढ़ जाते हैं)। सूरह अल-आराफ़ः ५५।

इसी प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अल्लाह तआला से दुआ करने का आदेश दिया है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "रुकूअ में अपने

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दाऊद (१४७९) एवं तिर्मिज़ी (२९६९) आदि ने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे सह़ीह़ कहा है।

रब की महानता का बखान करो, तथा सज्दा में अधिकाधिक दुआ किया करो, क्योंकि सज्दा के समय की गई दुआ स्वीकार्य होने के अधिक योग्य है''[1]।

शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन[2] रहिमहुल्लाह कहते हैं: ''हरेक वह चीज़ जिसके करने का आदेश अल्लाह तआला ने दिया है चाहे वह आदेश वाजिबी व अपरिहार्य तौर पर दिया गया हो अथवा मुस्तहब (ग़ैर वाजिबी) तौर पर, समस्त उलेमा के समीप वह चीज़ इबादत मानी जाएगी, अतः जिसने यह कहा कि बंदा का अपने रब से दुआ करना इबादत नहीं है, तो वह गुमराह, पथभ्रष्ट एवं काफ़िर है''[3]।

---

[1] इसे मुस्लिम (४७९) ने रिवायत किया है।

[2] शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन। आपका जन्म सऊदी अरब के रौज़ा सुदैर नामक स्थान पर सन ११९४ हिज्री में हुआ, आपने शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह के चंद शिष्यों के पास शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने कज़ा (न्याय) एवं फ़त्वा का पदाभार संभाला, तथा आपकी गिनती नज्द के बड़े उलेमा में होने लगी, यहाँ तक कि आपको ''मुफ़्ती अद्दियार अन्नज्दिया, अर्थात नज्द इलाका के मुफ़्ती'' की पदवी दी गई, फ़िक़्ह में आप बड़े माहिर थे, अनेक मुल्कों में आपने पढ़ाया, आपके शिष्य असंख्य हैं, उन्हीं में से नूनीय्या इब्नुल क़ैय्यिम की व्याख्या करने वाले अहमद बिन इब्राहीम बिन ईसा (१३२९ हिज्री), एवं प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल्लाह बिन बिश्र (१२९० हिज्री) हैं। इस्लामी अक़ीदा की रक्षा में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से चंद ये हैं: ''अल-इंतेसार लि हरबिल्लाहिल मुवह्हिदीन व अल-रद्दु अललमुजादिल अनिलमुश्रिकीन'', ''अल-रद्दु अला अल-बुर्दा'', ''तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ि तलबीस दाऊद बिन जरजीस'', इसके अतिरिक्त आप की अनेक पुस्तिकें एवं विरोधियों के खंडन में लिखे गए आलेख हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख ''अल-दुरर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या'' तथा कुछ का उल्लेख ''मज्मूअतुर्रसाइल वल-मसाइल अल-नज्दीय्या'' में है। आपका देहांत शक़रा नामक स्थान पर सन १२८२ हिज्री में हुआ। रहिमहुल्लाह रहमतन वासिअः।

[3] तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ि तलबीस दाऊद बिन जरजीस (पृष्ठः १२७)।

अध्यायः केवल एक अल्लाह से दुआ करने का आदेश तथा ग़ैरुल्लाह से दुआ करने के वर्जित होने का बयान।

क़ुरआन व ह़दीस़ हमें केवल एक अल्लाह से दुआ करने का आदेश देते हैं, तथा ग़ैरुल्लाह से दुआ करने से रोकते हैं, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ﴾ (तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा के भी और चुपके-चुपके भी), तथा अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ﴾ (अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल व कृपा मांगो)। सूरह अल-निसाः ३२।

शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन मुह़म्मद बिन क़ासिम[1] रह़िमहुल्लाह कहते हैं:

केवल एक अल्लाह से दुआ करने का उल्लेख क़ुरआन में लगभग तीन सौ अलग-अलग स्थानों पर आया है।

कभी आदेश के रूप में, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ (मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा)। सूरह ग़ाफ़िरः ६०। ﴿وَٱدۡعُوهُ

---

[1] शैख़ अब्दुर्रह़मान नज्द के प्रसिद्ध उलेमा में से हैं, आप का जन्म १३१९ हिज्री में हुआ, आप ने नज्द के अनेक उलेमा से शिक्षा प्राप्त की, इल्मी विरासत की सेवा, तथा उसका अन्वेषण, शोध एवं प्रकाशण में आप की विशेष रुची थी, आपका सबसे अहम कारनामा फ़तावा इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह का अन्वेषण है जो पैंतीस जिल्दों में है, जिसे शाह सऊद बि अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुमुल्लाह के ख़र्च पर सन १३८१ हिज्री में छापा गया, इसी प्रकार से आप ने शैख़ मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब से लेकर अपने युग तक के नज्द के उलेमा के फ़त्वों के संग्रहण का भी कार्य किया, जो “अल-दुरर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या” के नाम से प्रसिद्ध है, जो सोलह जिल्दों में है, जिसे शाह अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के ख़र्चे पर १३५६ हिज्री में छापा गया, आपने सऊदी अरब के सुप्रसिद्ध व बड़े मुफ्ती शैख़ मुह़म्मद बिन इब्राहीम आले शैख़ रह़िमहुल्लाह के फ़तावा को भी तेरह जिल्दों में संग्रहित करने का सराहनीय कार्य किया, जिसे किंग फ़ैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ रह़िमहुल्लाह के आदेश पर सन १३९० हिज्री में छापा गया।
इसके अतिरिक्त भी अक़ीदा, उसूले तफ़सीर, फ़िक़्ह, ह़दीस़ तथा नह़्व में शैख़ रह़िमहुल्लाह की अनेक पुस्तकें तथा व्याख्यान हैं, अल्लाह तआला ने आपके द्वारा बहुतेरे मुस्लिमों को लाभ पहुँचाया, अल्लाह आप पर रह़म करे तथा आप को इसका भरपूर बदला दे।
शैख़ का देहांत सन १३९२ हिज्री में हुआ। रह़िमहुल्लाह रह़मतन वासिअः।

﴿ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ ﴾ (अल्लाह तआला की इबादत इस प्रकार करो कि, उस इबादत को विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए ही रखो)। सूरह आराफ़ः २९।

कभी नह्य एवं वर्जना के रूप में जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ﴾ (अल्लाह के संग किसी और को न पुकारो)। सूरह जिन्नः १८।

कभी धमकी भरे अंदाज़ में अल्लाह के संग किसी और को पुकारने से रोका गया है, जैसाकि अल्लाह तआला का यह इर्शाद हैः ﴿فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ ﴾ (तू अल्लाह के साथ किसी और पूज्य को न पुकार, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि तू भी दंड पाने वालों में से हो जाए)। सूरह शोअराः २१३।

और कभी यह प्रमाणित करते हुए कि उलूहियत तथा इबादत के योग्य केवल वही है, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ ﴾ (अल्लाह के सिवा किसी अन्य को न पुकारना, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई अन्य पूज्य नहीं)। सूरह अल-अनकबूतः ८८।

कभी सूचना देने के अंदाज़ में, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِۖ ﴾ (आप कह दीजिए! भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा उन्होंने बनाया है, अथवा आसमानों में उनका कौन सा हिस्सा है)। सूरह अल-अहक़ाफ़ः ४।

और कभी उस आदेश के द्वारा जो नह्य तथा इंकार आधारित है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ (आप कह दीजिए! कि अल्लाह के सिवा जिन-जिन का तुम्हें गुमान है -सब- को पुकार लो, उनमें से किसी को ज़मीन व आसमान में एक कण का भी अधिकार नहीं है)। सूरह सबाः २२।

और कभी यह बताते हुए कि दुआ ही इबादत है तथा उसे ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ ۝٦﴾ (और उस से बढ़ कर गुमराह कौन होगा?! जो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पुकारता है जो क़्यामत तक उसकी दुआ स्वीकार न कर सकें, बल्कि उनके पुकारने से पूर्णतः अनभिज्ञ हों। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये उनके शत्रु हो जाएंगे और उनकी पूजा का साफ इंकार कर देंगे। सूरह अल-अहक़ाफ़: ५-६ । और अल्लाह तआला का यह फ़रमान: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ۝٤٨ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ (मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह तआला के सिवाय पुकारते हो उन्हें भी, सभी को छोड़ रहा हूँ, केवल अपने रब (पालनहार) को पुकारता रहूँगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने रब से माँग कर वंचित न रहूँगा। जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) उन सभी को और अल्लाह के सिवाय उनके सभी पूज्यों को छोड़ चुके)। सूरह मरियम: ४८-४९ ।

और हदीस़ में आया है कि: "दुआ ही इबादत है"[1], इस हदीस़ को इमाम तिर्मिज़ी एवं अन्य लोगों ने सहीह़ कहा है, इसमें ज़मीर -ए- फ़स्ल (सर्वनाम) (هو, अर्थात वह) का प्रयोग हुआ है, तथा ख़बर पर अलिफ़ व लाम (ال) आया है जो उसके सीमित होने का अर्थ देता है, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि दुआ ही प्रमुख इबादत है, यह सभी इबादतों का सार[2] है, और इससे यह भी प्रमाणितु हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने साथ इस इबादत (दुआ) में किसी और को साझी बनाने से रोका है, यहाँ तक कि अपने नबी के विषय में कहा है: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٠﴾ (आप कह दीजिए ! कि मैं केवल अल्लाह को पुकारता हूँ, तथा उसके संग किसी और को साझीदार नहीं बनाता हूँ)। सूरह जिन्न: २० । और अल्लाह तआला

[1] इसकी तख़रीज पूर्व में गुज़र चुकी है।

[2] शैख़ रहिमहुल्लाह ने कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि कोई भी इबादत दुआ से ख़ाली नहीं है, चाहे नमाज़, हज, अज़कार और जिहाद हों, ये समस्त इबादतें ऐसी हैं जिनमें दुआ करना मशरूअ है, इस बात से इतर कि दुआ स्वयं अपने आप में एक अलग इबादत है।

ने यह सूचना दे रखी है कि वह शिर्क (बहुदेववादिता) को कभी क्षमा नहीं करेगा[1]। उनका कथन समाप्त हुआ।

मैं यह कहता हूँ केवल अल्लाह से ही दुआ करने को वाजिब क़रार देने वाले प्रमाणों में से एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वह ह़दीस़ भी है जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब माँगो तो केवल अल्लाह से ही माँगो, और जब सहायता चाहो तो केवल अल्लाह से ही सहायता चाहो"[2]।

यदि ग़ैरुल्लाह से माँगना तथा दुआ करना जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनको अवश्य ही ऐसा कहते किः "मुझ से माँगो" अथवा "मुझसे सहायता चाहो", और चूँकि आपने ऐसा नहीं कहा -जब्कि आप उस समय उन्हें शिक्षा दे रहे थे- अतः प्रमाणित हुआ कि ग़ैरुल्लाह से माँगना एवं दुआ करना जायज़ नहीं है।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "प्रत्येक रात्रि जब एक तिहाई रात बाकी रह जाती है तो अल्लाह तआला सांसारिक आसमान पर उतरता है, और कहता हैः कौन है मुझसे माँगने वाला कि मैं उसकी माँग पूरी कर दूँ, कौन है मुझसे माँगने वाला कि मैं उसे दूँ, कौन है मुझसे क्षमा चाहने वाला कि मैं उसे क्षमा कर दूँ"[3]।

इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ में स्पष्ट रूप से गैरुल्लाह से माँगने से रोका गया है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुआ कि वह अल्लाह के सिवाय अन्य निद्द[4] को पुकारता था वह जहन्नुम में दाख़िल होगा"[5]।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "क़्यामत के दिन जहन्नुम की गर्दन बाहर निकलेगी, जिसकी दो आँखें होंगी जिनसे

---

(1) अल-सैफ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल (१३१-१३२)।

(2) इसे तिर्मिज़ी (२५१६), एवं अह़मद (१/ ३०३) ने रिवायत किया है, तथा अलबानी ने सह़ीह़ क़रार दिया है।

(3) इस ह़दीस़ को बुख़ारी (११४५) तथा मुस्लिम (१७७२) आदि ने रिवायत किया है।

(4) निद्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता हैः समान, समकक्ष, समतुल्य इत्यादि।

(5) इस ह़दीस़ को इमाम बुख़ारी (४४९७) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

वह देखेगा, उसके दो कान होंगे जिनसे वह सुनेगा, उसकी एक ज़ुबान होगी जिससे वह बात करेगा, और कहेगाः मैं तीन प्रकार के लोगों के हवाले किया गया हूँ: हरेक अत्यंत अभिमानी व घमंडी, हरेक वह व्यक्ति जो अल्लाह के संग अन्य को भी पुकारता है, तथा चित्रकार"[1]।

शैख़ अब्दुर्रहमान साअदी[2] रहिमहुल्लाह अल्लाह तआला के इस फ़रमानः ﴿يَسۡـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ (सब आसमान व ज़मीन वाले उसी से माँगते हैं)। सूरह रहमानः २९। की तफ़्सीर करते हुए लिखते हैं किः

अर्थात वह समस्त जीव से बेनियाज़ (निःस्पृह) है, वह अत्यंत दयावान तथा कृपालु है, अतः समस्त जीव को उसके सहायता की आवश्यकता है, सभी जीव-जंतु अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए उसी का रुख करते हैं, ये सभी अल्लाह से एक पल के लिए भी बेनियाज़ नहीं हो सकते, जब्कि अल्लाह तआला ﴿كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ﴾ (वह हर दिन एक शान में है)। सूरह रहमानः २९। वह निर्धन को धनवान तथा टूटे हुए को जोड़ता है, एक समुदाय को देता है तो दूसरे को नहीं देता, वह जीवित करता तथा मृत्यु देता है, वही उठाता तथा झुकाता है, उसकी एक स्थिति दूसरी स्थिति से उसको व्यस्त नहीं करती है, जितने भी मसले हों वह गलती नहीं करता है, न तो बारंबार दुआ करने वालों की दुआ और न ही मांगने वालों की लंबी लिस्ट उसे थकाती है, वह पाक परवरदिगार, दयावान एवं दाता है जिसकी दया से समस्त संसार चल रहा है, जिसकी कृपा सभी जीव-जंतु को हर समय अपनी आग़ोश में लिए हुई है, वह बड़ा उच्च व महान है, जिसको न तो अवहेलना करने वाले की अवहेलना कृपा करने से

---

[1] इस हदीस़ को इमाम तिर्मिज़ी (२५७४) ने रिवायत किया है।

[2] आपः शैख़ अल्लामा मुफ़स्सिर अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी हैं, आप नज्द के प्रकांड विद्वानों में से हैं, क़सीम के एक नगर उनैज़ा को आपने अपना निवास स्थान बनाया, सन १३०७ हिजरी में आपका जन्म तथा १३७६ हिजरी में देहांत हुआ, आप से असंख्य लोगों ने शिक्षा ली जिनमें से कुछ आगे चल कर इस्लाम के बड़े विद्वानों में गिने गए, जैसे शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अक़ील, शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल-बस्साम तथा शैख़ मुहम्मद बिन स़ालेह बिन-उसैमीन आदि, उनमें से मृत्यु को प्राप्त हो चुके उलेमा पर अल्लाह अपनी असीम कृपा करे तथा जीवित की रक्षा करे।
उनकी जीवनी पढ़ने के लिए शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल-बस्साम द्वारा रचित पुस्तक "उलेमा -ए- नज्द ख़िलाल स़मानियता क़ूरून" देखें।

रोकती है तथा न ही अनभिज्ञ व जाहिल मोहताज की बेनियाज़ी से उसकी दया में कोई कमी आती है[1]।

[1] तैसीरुल करीमिर्रहमान फ़ी तफ़्सीर -ए- कलामिल मन्नान।

शफ़ाअत (सिफ़ारिश) से संबंधित नियम

शफ़ाअत क़ुरआन व ह़दीस़ तथा मुसलमानों के इज्मा (सामूहिक राय, एकमत) से प्रमाणित है, शफ़ाअत मूल रूप से अरबी शब्द (शफ़अ) से निकला है, जिसका अर्थ जोड़ा (सम) होता है, जो कि वित्र (विषम) का विलोम है, निष्कर्ष यह निकला कि एक में एक को जोड़ देने पर जो जोड़ा बनता है उसे "शफ़्अ" कहते हैं।

"शफ़्अ" को कई रूप में परिभाषित किया गया है, उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति का किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा कर अपने भाई के लिए सिफ़ारिश करना कि वह उसे क्षमा कर दे, शफ़ाअत कहलाता है, और इसको शफ़ाअत (जोड़ा) इस लिए कहते हैं कि इसके पूर्व वह व्यक्ति जो सिफ़ारिश चाह रहा था अकेला था, लेकिन यह जब उस के संग मिल गया तो वह जोड़ा (शफ़्अ) हो गया, शफ़ाअत (सिफ़ारिश) को दूसरे शब्दों में वास्ता भी कहा जाता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम शाफ़ेअ (सिफ़ारिश करने वाला) इसलिए है क्योंकि आप क़्यामत के दिन अल्लाह के निकट, लोगों की कई प्रकार से शफ़ाअत करेंगे, ध्यान रहे कि शफ़ाअत के अनेक प्रकार हैं, जैसे, समस्त नबी शफ़ाअत करेंगे, मोमिन शफ़ाअत करेंगे, फ़रिश्ते शफ़ाअत करेंगे, बच्चे शफ़ाअत करेंगे, क़ुरआन अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत करेगा, रोज़ा शफ़ाअत करेगा। अल्लाह तआला से प्रार्थनारत हूँ कि, हे अल्लाह! तू हमें उन लोगों में से बना जिन्हें क़्यामत के दिन शफ़ाअत करने वालों की शफ़ाअत नसीब होगी।

शफ़ाअत का उद्देश्य वास्तव में शफ़ाअत करने वाले की प्रधानता साबित करना है, क़्यामत के दिन सबसे बड़े शफ़ाअत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम होंगे, क़्यामत के दिन आप पाँच प्रकार से शफ़ाअत करेंगे, जिनमें से चार केवल आप के लिए विशेष रूप से आरक्षित है, जब्कि एक प्रकार की शफ़ाअत में और लोग भी आप के साथ शामिल होंगे।

अध्यायः क़्यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत के प्रकार।

पहली शफ़ाअतः हिसाब आरंभ करने के लिए आपका शफ़ाअत करनाः यह सर्वप्रथम शफ़ाअत होगी, इसे शफ़ाअत -ए- उज़्मा (महानतम सिफ़ारिश) भी कहा जाता है, क़्यामत के दिन लोग काफी समय से अपने हिसाब की प्रतीक्षा में खड़े होंगे, मोमिन काफिर सभी व्याकुल होंगे, सूर्य उस दिन एक मील की दूरी पर होगा, तो वो लोग शफ़ाअत के लिए नबियों के पास जाएंगे ताकि वो अपने रब के सामने हिसाब जल्दी प्रारंभ करने के लिए शफ़ाअत करें, और हर कोई जन्नत अथवा जहन्नुम का अपना ठिकाना देख ले, किंतु पाँच नबीः आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा एवं ईसा अलैहिमुस्सलाम उनसे माज़रत कर लेंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर भेजेंगे, अतः लोग आपके पास आएंगे, तो आप कहेंगे किः (हाँ, मैं इस योग्य हूँ), तत्पश्चात आप अल्लाह के अर्श (सिंहासन) के नीचे जितना अल्लाह चाहेगा उतना लम्बा सज्दा करेंगे, फिर अल्लाह तआला आपके दिल में अल्लाह की प्रशंसा से संबंधित ऐसे वाक्य डाल देगा जो इसके पूर्व किसी के मन-मस्तिष्क में भी नहीं आया होगा, इसके पश्चात आप से कहा जायेगाः "हे मुहम्मद! सिर उठाइये, आप बात कीजिये आप की बात सुनी जायेगी, आप शफ़ाअत कीजिए आपकी शफ़ाअत स्वीकार की जाएगी, आप माँगिये आपकी माँग पूरी की जाएगी", तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन लोगों का हिसाब आरंभ करने के लिए शफ़ाअत करेंगे जो अपने हिसाब के लिए मैदान में खड़े होंगे, और अल्लाह तआला आपकी शफ़ाअत को स्वीकार कर लेगा, चुनाँचे हिसाब शुरू हो जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़्यामत तक पैदा होने वाले समस्त बंदों का निर्णय सुना दिया जायेगा, चाहे वो मोमिन हो अथवा काफ़िर[1]।

यह शफ़ाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ख़ास है, चुनाँचे जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मुझे ऐसी पाँच चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पूर्व किसी को नहीं दी गईः एक महीने की दूरी पर होने के बावजूद

---

[1] शफ़ाअत से संबंधित ह़दीस़ मुतवातिर है, अर्थात इसे अनेक सहाबा ने रिवायत किया है, जो सहीहैन इत्यादि में मौजूद है। देखें: "सह़ीह़ बुख़ारी" (४४७६, ४७१२, ६५६५, ७४१०, ७४३९, ७४४०, ७५१०), "सह़ीह़ मुस्लिम" (१९३-१९५), ये ह़दीसें अनस, अबू हुरैरा, अबू सईद ख़ुदरी एवं हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम आदि से वर्णित है।

मेरे शत्रुओं के दिल में मेरी धाक बैठा दी गई है, समस्त धरती मेरे लिए पवित्र एवं पवित्र करने वाली बनाई गई है, अतः मेरी उम्मत में से किसी व्यक्ति के लिए जहाँ पर नमाज़ का समय हो जाए वह वहीं पर नमाज़ अदा कर ले, मेरे लिए ग़नीमत का माल ह़लाल कर दिया गया है जब्कि मुझसे पहले यह किसी के लिए ह़लाल नहीं था, मुझे शफ़ाअत का हक (अधिकार) दिया गया है, मुझसे पूर्व के नबी विशेष रूप से केवल अपनी समुदाय के लिए भेजे जाते थे जब्कि मैं सभी लोगों की ओर रसूल बना कर भेजा गया हूँ"[1]।

अल्लाह तआला के इस फ़रमानः ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ (शीघ्र ही आपका रब आपको मक़ाम -ए- मह़मूद में खड़ा करेगा)। सूरह बनी इस्राईलः ७९ , में मक़ाम -ए- मह़मूद का तात्पर्य यही शफ़ाअत है, यही वह मक़ाम (स्थान) है जहाँ पूर्वज एवं अग्रज सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, और आप पर रश्क करेंगे, क्योंकि सभी जीव चाहे वह हिंदु हो अथवा मुसलमान, मानव हो अथवा दानव, सब पर आपका यह बड़ा एह़सान होगा कि आप उनका हिसाब आरंभ करने के लिए सिफ़ारिश करेंगे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि आपको यह मक़ाम -ए- मह़मूद मिल जाए इसके लिए हम दुआ करते रहें, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो व्यक्ति अज़ान सुनने के पश्चात यह दुआ करता हैः اللَّهمَّ ربَّ هذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ ، والصَّلاةِ القائمةِ ، آتِ سيِّدَنا مُحمَّدًا الوسيلةَ والفَضيلةَ ، وابعثهُ مقامًا مَحمودًا الَّذي وعدتَهُ، (अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहिद्दावति वस्सलातिल क़ाइमति, आति मुह़म्मद निल वसीलता वलफ़ज़ीलता, वबअ़सहु मक़ामम्महमूदा, निल्लज़ी व अत्तहु, अर्थात, हे इस पूर्ण दावत के रब तथा खड़ी होने वाली नमाज़ के रब! मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को वसीला एवं फ़ज़ीलत अता फ़रमा, और उन्हें मक़ाम -ए- मह़मूद पर खड़ा कर, जिसका तूने उनसे वादा किया है) क्यामत के दिन उसकी शफ़ाअत मेरे लिए ह़लाल हो गई"[2]।

इस शफ़ाअत की महत्ता का भान करते हुए उलेमा ने इसका नाम शफ़ाअत -ए- उज़्मा (महानतम सिफ़ारिश) रखा है, क़्यामत के दिन की जाने वाली यह सर्वप्रथम सिफ़ारिश होगी।

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (३३५) एवं मुस्लिम (५२१) ने रिवायत किया है, तथा उक्त शब्द बुख़ारी के हैं।
[2] इसे बुख़ारी (६१४) ने रिवायत किया है।

दूसरी शफ़ाअतः मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना, क्योंकि मोमिन लोग जब जन्नत के पास आयेंगे तो उसका द्वार उन्हें बंद मिलेगा, तो उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जन्नत का द्वार खटखटायेंगे, जन्नत का ख़ाज़िन[1] (दरबान) पूछेगाः आप कौन?

तो आप जवाब देंगेः मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)।

यह सुन कर जन्नत का ख़ाज़िन बोलेंगेः मुझे यही आदेश मिला था कि आपके सिवाय अन्य के लिए इसे न खोलूँ[2]।

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जन्नत (के विषय) में सिफ़ारिश करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति मैं ही रहूँगा, और समस्त नबियों से अधिक अनुयायि मेरे ही होंगे"[3]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्वप्रथम व्यक्ति होंगे जो जन्नत में प्रवेश करेंगे, आपके पूर्व कोई भी व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं पायेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रधानता एवं सम्मान को दर्शाता है, क्योंकि महान सिफ़ारिश के स्वामी आप ही वह व्यक्ति होंगे जो लोगों को महशर की परेशानी एवं व्याकुलता से मुक्ति दिलवायेंगे, लोगों को जन्नत में प्रवेश दिलाकर उन्हें प्रसन्न होने का अवसर प्रदान करनी वाली दूसरी सिफ़ारिश के स्वामी भी आप ही होंगे।

तीसरी सिफ़ारिशः ऐसे लोगों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए सिफ़ारिश करना जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा, इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वह

---

[1] ख़ाज़िन, किसी वस्तु की रक्षा करने वाले को कहते हैं, लोगों के बीच यह प्रचलित हो गया है कि उनका नाम "रिज़वान" है, जब्कि इसका कोई सही साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः उचित यही है कि उसे "ख़ाज़िनुलजन्नत" के नाम से ही याद किया जाए, जैसाकि हदीस़ में वर्णित हुआ है। मुझे यह ज्ञान शैख़ आदम अस़यूबी रहिमहुल्लाह से प्राप्त हुआ है।

[2] इसे मुस्लिम (१९७) ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[3] इस हदीस़ को मुस्लिम (१९६) ने रिवायत किया है, तथा यह शब्द उन्हीं के हैं, उनके अतिरिक्त इमाम अहमद (३/ १४०) ने, एवं दारमी ने भी अपनी पुस्तक के प्रस्तावनाः (बाबु मा ऊतिया अन्नबीय्यु मिनल फ़ज़्ल) में इसे रिवायत किया है।

लम्बी ह़दीस़ है जिसमें वर्णित हैः “हे मुह़म्मद! अपनी उम्मत के उन लोगों को जन्नत के दाहिने[1] द्वार से प्रवेश करवाईये जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा”[2]।

चौथी सिफ़ारिशः अपने चाचा अबू त़ालिब की यातना में कमी के लिए आपका सिफ़ारिश करना, क्योंकि वह आपका बचाव करते थे तथा मुश्रिकों को ओर से मिलने वाली यातनाओं के विरुद्ध ढ़ाल बन कर खड़े रहते थे, चुनाँचे अब्बास बिन अब्दुल मुत़्त़लिब रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहाः आपने अपने चाचा को क्या लाभ पहूँचाया जब्कि अल्लाह की क़सम वह आप का बचाव करते थे, और आपके कारण लोगों पर क्रुद्ध हुआ करते थे।

तो आपने फ़रमायाः “उनको आग का जूता पहनाया जायेगा, और यदि मैं न होता तो वह जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होते”[3]।

पाँचवीं सिफ़ारिशः गुनाह -ए- कबीरा के अपराधी मोमिनों को अपने गुनाहों के समान यातना भोग लेने के पश्चात उन्हें जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना, जिसकी दलील अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वह लम्बी ह़दीस़ है जिसमें है किः क़्यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन मोमिनों की सिफ़ारिश करेंगे जो गुनाह -ए- कबीरा का अपराधी होने के कारण जहन्नुम की यातना भोग रहे होंगे, कि उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल कर दिया जाए, चुनाँचे अल्लाह तआला आपकी यह सिफ़ारिश स्वीकार कर लेगा, और आपके लिए एक सीमा तय कर देगा कि इतने लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में प्रवेश करा दें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब की ओर पलट कर आयेंगे और सज्दा में गिर जायेंगे, और अल्लाह जितना चाहेगा उतना आप अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह तआला आपसे फ़रमायेगाः “हे मुह़म्मद! सिर उठाइये, आप बात कीजिये आप की बात सुनी जायेगी, आप शफ़ाअत कीजिए

---

[1] इससे उन लोगों की श्रेष्ठता का पता चलता है, क्योंकि जन्नत के सात द्वार हैं जैसाकि अल्लाह तआला का यह फ़रमान इस को प्रमाणित करता हैः ﴿لَهَا سَبۡعَةُ أَبۡوَٰبٖ﴾ (उसके सात द्वार हैं)। सूरह ह़िज्रः ४४। तथा उन लोगों का दाहिने द्वार से प्रवेश करना उनकी प्रधानता को दर्शाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में दाहिना की फ़ज़ीलत व उत्तमता जगजाहिर है।

[2] इसे बुख़ारी (४७१२) ने रिवायत किया है।

[3] इसे बुख़ारी (३८८३), मुस्लिम (२०९) एवं अह़मद (१/ २०६) ने रिवायत किया है।

आपकी शफ़ाअत स्वीकार की जाएगी, आप माँगिये आपकी माँग पूरी की जाएगी", तत्पश्चात अपने रब के द्वारा सिखलाये गए प्रशंसा एवं रब की महिमा गान आधारित वाक्य द्वारा आप अपने रब की प्रशंसा करेंगे, आप फ़रमाते हैं: "फ़िर मैं सिफ़ारिश करूँगा और मेरे लिए एक सीमा तय कर दी जायेगी", और आप लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में प्रवेश करायेंगे, फिर आप पलट कर आयेंगे और तीसरी तथा चौथी बार भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने दूसरी बार किया था, इस प्रकार से आप गुनहगार मोमिनों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल करने के लिए चार बार सिफ़ारिश करेंगे, फिर आपने फ़रमाया किः "अब जहन्नुम में केवल वही लोग रह जायेंगे जिन्हें क़ुरआन ने रोक रखा होगा"[1], अर्थात कुफ्र की हालत में मरने के कारण सदैव जहन्नुम में रहना जिनके भाग्य में लिख दिया गया होगा, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ﴾

(निश्चय ही अहल -ए- किताब में से जो लोग काफ़िर हो गए और मुश्रिकीन, सभी जहन्नुम की आग में (जायेंगे) जहाँ वो सदैव रहेंगे, ये लोग अत्यंत बुरे व दुष्टतम जीव हैं)। सूरह अल-बैय्यिनहः ६ ।

तीन चेतावनियां:

प्रथमः वो मोमिन लोग जो गुनाह -ए- कबीरा का अपराधी होने के कारण जहन्नुम की यातना भोग रहे होंगे, उनको जहन्नुम से निकालने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो सिफ़ारिश करेंगे वह शफ़ाअत -ए- उज़्मा (महानतम सिफ़ारिश) के पश्चात दूसरी सबसे महान सिफ़ारिश होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमानः "मेरी उम्मत में से गुनाह -ए- कबीरा के अपराधियों को मेरी सिफ़ारिश प्राप्त होगी"[2] का आशय यही सिफ़ारिश है।

इसके प्रमाणों में से एक वह ह़दीस़ भी है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "प्रत्येक नबी को एक ऐसी दुआ

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (६५६५) एवं मुस्लिम (१९३) ने रिवायत किया है, इसके अतिरिक्त निम्नांकित ह़दीस़ संख्या भी देखें: (४४७६), (७४१०), (७४४०), (७५१०)।

[2] इसे तिर्मिज़ी (२४३५), अबू दाऊद (४७३९) एवं अह़मद (३/ २१३) ने रिवायत किया है, तथा अलबानी ने "मिश्कातुल मस़ाबीह" (५५९८-५५९९) में इसे सह़ीह़ कहा है।

दी गई जो हर हाल में अल्लाह के समीप स्वीकार्य है, और मैंने अपनी दुआ को अपनी उम्मत की ख़ातिर आख़िरत में प्रयोग करने के लिए बचा कर रखा है"[1]।

मुस्लिम की एक रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं: "प्रत्येक नबी को एक ऐसी दुआ दी गई जो अल्लाह के समीप हर हाल में स्वीकार्य है, तथा मैंने अपनी दुआ को अपनी उम्मत की ख़ातिर आख़िरत में प्रयोग करने के लिए बचा कर रखा है, एवं यदि अल्लाह ने चाहा तो यह दुआ मेरी उम्मत के हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए न मरा हो"[2]।

द्वितीयः इब्नुल क़ैयिम[3] रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं किः अधिकांश सही हदीसें जिस बात की पुष्टि करती हैं वह यह कि तौहीद परस्त में से गुनाह -ए- कबीरा के अपराधियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह सिफ़ारिश उसी समय मिलेगी जब वो जहन्नुम में जा

---

(1) इसे बुख़ारी (६३०४), मुस्लिम (१९८), इब्ने माजह (४३०७) तथा अहमद (२/ २७५) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। उपरोक्त शब्द बुख़ारी के हैं।

(2) हदीस संख्या (१९९)।

(3) आप का नाम हैः मुहम्मद पुत्र अबू बक्र पुत्र साद अल-ज़रई अल-दिमश्की, आप इब्ने क़ैय्यिम अल-जौज़ीय्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप आठवीं शताब्दी के उलेमा में से हैं। आप अपने गुरू इब्ने तैमीय्या के सानिध्य में रहे यहाँ तक कि सन ७२८ हिजरी में उनका देहांत हो गया, आप उनके अति विशिष्ट शिष्य रहे हैं, और उनके देहांत के बाद आपने दावत एवं इल्मी जिहाद का बीड़ा उठाया यहाँ तक कि सन ७५१ हिजरी में आपकी मृत्यु हो गई, आप प्रकांड विद्वान तथा अकाट्य दलील पेश करने वाले एवं प्रमाणों से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम मसला समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व के धनी एवं बहुतेरे पुस्तकों के लेखक हैं, आपकी पुस्तकों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आपकी पुस्तकों को ऐसी स्वीकार्यता प्राप्त हुई कि आपके बाद आने वाले लोग मानो आपकी ही पुस्तकों पर आश्रित हैं, उन्होंने इस्लामी अक़ीदा को बड़े ज़ोरदार ढ़ंग से लोगों के समक्ष रखा व उसे फैलाया, और बिदअतियों (नवाचारियों) पर गद्य एवं पद्य दोनों रूप में प्रहार किया, विशेष रूप से दार्शनिकों (फलसफियों), क़ब्र पूजकों, तावील (शरई नुसूस व श्लोकों की मनमानी व्याख्या) करने वालों एवं सूफ़ियों पर कुठराघात किया, अल्लाह तआला की आप पर असीम कृपा हो, आपने तथा आपके गुरू ने अल्लाह के दीन को पूनर्जीवित करने का कार्य किया, संक्षेप में कहा जाए तो आप इस्लामी समुदाय में एक बड़े बदलाव का घोतक थे। आपकी जीवनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: इब्न अल-इमाद की "शज़रात अल-ज़हब" तथा इब्ने रजब की "ज़ैल तबक़ात अल-हनाबिलह", और आप की सबसे व्यापक एवं विस्तृत जीवनी लिखी है शैख़ बक्र बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह ने एवं उनकी पुस्तक का नाम है "इब्ने क़ैय्यिम अल-जौज़ीय्या हयातुहू व आसारूहू"।

चुके होंगे, रही बात यह कि जहन्नुम में जाने के पूर्व ही उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश मिलेगी अथवा नहीं इस संबंध में मुझे कोई नस़्स़ (क़ुरआन व ह़दीस़ से प्रमाण) नहीं मिल सकी[1]।

तृतीयः यह पाँचवीं सिफ़ारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग दूसरे अन्य लोगों को भी प्राप्त होगी, क्योंकि यह प्रमाणित है किः नबी, मोमिन, फरिश्ते ये सभी लोग उन मोमिनों के हक में सिफ़ारिश करेंगे जो अपने गुनाह के समान नरक भोग चुके होंगे कि उन्हें जहन्नुम से मुक्ति दी जाए, और अल्लाह तआला उन लोगों की सिफ़ारिश को स्वीकार करेगा, अतः जितना अल्लाह चाहेगा उतने लोग जहन्नुम से मुक्त किए जायेंगे, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषता यह है कि आप चार बार अपनी उम्मत के गुनाह -ए- कबीरा के अपराधियों के लिये सिफ़ारिश करेंगे[2]।

सभी सिफ़ारशियों की सिफ़ारिश के पश्चात अल्लाह तआला स्वयं जहन्नुम के कुछ लोगों को बिना किसी सिफ़ारिश के जन्नत में दाखिल करेगा, इसके बाद जहन्नुम से लोगों की मुक्ति का सिलसिला समाप्त हो जायेगा तथा काफ़िर लोग सदैव उसी में रहेंगे -अल्लाह हमारी और आपकी इस से रक्षा करे- क्योंकि काफ़िरों के विषय में अल्लाह तआला ने यह निर्णय सुना दिया है कि वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई सिफ़ारिश करे या न करे, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾﴾ (अल्लाह तआला ने काफ़िरों पर लानत की है एवं उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जिसमें वह सदा रहेंगे, वो कोई सहायक व मददगार नहीं पायेंगे)। सूरह अल-अह़ज़ाबः ६४-६५।

एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ﴾ (जो लोग काफ़िर हैं

---

[1] तह़ज़ीबुस्सुनन, किताबुस्सुन्ना, बाबुन फ़िश्शफाअह (५/ २२६९-२२७०)। प्रकाशकः मकतबा अल-मआरिफ़- रियाज़।

[2] पूर्वोल्लेखित संदर्भों में इन पाँचों सिफ़ारिशों के संबंध में विस्तार से बात हो चुकी है, अतः अधिक जानकारी के लिए उन्हें देखें।

उनके लिए जहन्नुम की आग है न तो उनको मौत ही आयेगी कि मर जायें और न जहन्नुम का अज़ाब उनसे हलका किया जायेगा, हम काफ़िर को ऐसा ही दंड देते हैं)। सूरहः फ़ातिरः ३६ ।

एक दुविधा एवं उसका समाधानः

यदि यह कहा जाये किः कुफ्र की दशा में मरने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचा अबू तालिब को आपकी सिफ़ारिश मिलेगी, जब्कि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ (किसी सिफ़ारिश करने वाले की सिफ़ारिश उनको लाभ नहीं पहूँचायेगी)। सूरह अल-मुद्दस्सिरः ४८ ।

इसका उत्तर यह है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह सिफ़ारिश अपने चाचा को जहन्नुम से मुक्ति के लिए नहीं होगी, जिस प्रकार से वह मोमिनों को जहन्नुम से मुक्ति दिलाने के लिए सिफ़ारिश करेंगे, बल्कि उनकी यह सिफ़ारिश केवल यातना में छूट देने के लिए होगी, उस बदला के तौर पर जो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बचाव में किया करते थे।

शैख़ हाफ़िज़ अहमद हकमी[1] ने पद्य के रूप में सिफ़ारिश की किस्मों का वर्णन किया है जिसका नाम है "सुल्लमुल वुसूल इला इल्मिल उसूल", यहँ उसका उल्लेख करना उचित मालूम होता है, अतः निम्न में हम उनकी कविता का उल्लेख कर रहे हैं:

---

[1] अल्लामा शैख़ हाफ़िज़ बिन अहमद बिन अली हकमी, सऊदी अरब के बड़े विद्वानों में से एवं दक्षिणी इलाका की एक अजीम शख्सीयत थे, शैख़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद क़रआवी से शिक्षा ली। अक़ीदा, फ़िक़्ह, मुसतलह, सीरत, फ़रायज़ एवं आदाब में अपनी कविताओं के द्वारा अपना विचार लोगों के समक्ष रखा। दिवंगत शाह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद रहिमहुल्लाह ने उनकी समस्त रचनाओं के प्रकाशन का प्रबंध किया। "मआरिजुल क़बूल बि शर्ह सुल्लमुल वुसूल इला इल्मिल उसूल फ़ित्तौहीद" उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है। दावत व तबलीग़ तथा इसलाम के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विभिन्न इलाकों का दौरा किया। छात्रों की एक बड़ी संख्या आपसे लाभांवित हुई जो आगे चल कर, बड़े विद्वान, प्रचारक तथा न्यायाधीश बने। शैख़ का देहांत मात्र ३५ वर्ष की आयु में सन १३७७ हिजरी में मक्का में उस समय हुआ जब हज करते समय उन्हें "लू" लग गया था। अल्लाह तआला उन पर असीम कृपा बरसाए तथा अपनी कुशादा जन्नत में उन्हें उच्च स्थान दे।
शैख़ रहिमहुल्लाह के पुत्र अहमद बिन हाफ़िज़ हकमी ने उनकी रचित पुस्तक मआरिजुल क़बूल बि शर्ह सुल्लमुल वुसूल इला इल्मिल उसूल फ़ित्तौहीद" के प्रस्तावना में उनकी जीवनी लिखी है, जिससे मैंने संक्षिप्त

كَذَا لَهُ الشَّفَاعَةُ العُظْمَى كَمَا   قَدْ خَصَّهُ اللهُ بِهَا تَكَرُّمَا

مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللهِ لَا كَمَا يَرَى   كُلُّ قُبُورِيٍّ عَلَى اللهِ افْتَرَى

يَشْفَعُ أَوَّلًا إِلَى الرَّحْمَنِ فِي   فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ

مِنْ بَعْدِ أَنْ يَطْلُبَهَا النَّاسُ إِلَى   كُلِّ أُولِي الْعَزْمِ الْهُدَاةِ الفُضَلَا

وَثَانِيًا يَشْفَعُ فِي اسْتِفْتَاحِ   دَارِ النَّعِيمِ لِأُولِي الْفَلَاحِ

هَذَا وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانْ   قَدْ خُصَّتَا بِهِ بِلَا نُكْرَانْ

وَثَالِثًا يَشْفَعُ فِي أَقْوَامِ   مَاتُوا عَلَى دِينِ الْهُدَى الْإِسْلَامِ

وَأَوْبَقَتْهُمْ كَثْرَةُ الْآثَامِ   فَأُدْخِلُوا النَّارَ بِذَا الْإِجْرَامِ

أَنْ يُخْرَجُوا مِنْهَا إِلَى الْجِنَانِ   بِفَضْلِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْإِحْسَانِ

وَبَعْدَهُ يَشْفَعُ كُلُّ مُرْسَلِ   وَكُلُّ عَبْدٍ ذِي صَلَاحٍ وَوَلِي

وَيُخْرِجُ اللهُ مِنَ النِّيرَانِ   جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ

فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ يُطْرَحُونَا   فَحْمًا فَيَحْيَوْنَ وَيَنْبُتُونَا

भावार्थ:

(आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को महानतम सिफ़ारिश का सम्मान प्राप्त है, अल्लाह तआला ने आपको सम्मान देने के लए इसे केवल आपके लिए ही आरक्षित कर दिया है।

यह महानतम सिफ़ारिश भी आपको अल्लाह तआला की अनुमति के बाद ही हासिल होगी, न कि उस तरह से जिस तरह क़ब्र पूजकों का अक़ीदा है, यह अल्लाह तआला पर इन क़ब्र पूजकों ने झूठ बाँधा है।

रूप में यहाँ नकल किया है। उनके शिष्य शैख़ ज़ैद बिन मुहम्मद मदख़ली ने भी अपनी पुस्तक "अल-अफ़नान अल-नदीय्या शर्ह अल-सुबुल अल-सवीय्या" के प्राक्कथन में उनकी जीवनी का वर्णन किया है।

सर्वप्रथम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, रह़मान (अल्लाह) के समक्ष मैदान -ए- ह़श्र में खड़े लोगों का हिसाब किताब आरंभ करने के लए सिफ़ारिश करेंगे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह सिफ़ारिश उस समय होगी जब लोग इसके लिए सभी उलुल अज़्म (ढृढ़ निश्चय वाले), मार्गदर्शक एवं सम्माननीय नबियों से निवेदन कर चुके होंगे।

दूसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश, क़्यामत के दिन हिसाब किताब में सफल लोगों के लिए दारुन्नईम (जन्नत, स्वर्ग) को खुलावने के लिए होगी।

ये दोनो सिफ़ारिशें केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आरक्षित हैं, इस वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता है।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तीसरी सिफ़ारिश उन लोगों के लिए होगी जिन की मृत्यु दीन -ए- हिदायत अर्थात इस्लाम पर तो हुई।

किंतु पापों की अधिकता ने उन्हें विनाश के गड्ढ़े में ढ़केल दिया और अपने गुनाहों की बाहुल्यता के कारण वो जहन्नुम में चले गए।

अर्श (सिंहासन) के रब की कृपा से, उन गुनाहगारों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिये, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश होगी।

उसके बाद प्रत्येक रसूल, तथा हर वह बंदा जो सालेह़ अर्थात नेक एवं अल्लाह का वली (निकटवर्ति) होगा, वो सभी पापियों के लिए सिफ़ारिश करेंगे।

अल्लाह तआला अपने उन समस्त बंदों को नरक की धधकती हुई अग्नि से बाहर निकालेगा जिनकी मृत्यु ईमान की हालत में हुई होगी।

उन्हें जहन्नम से निकाल कर नहर -ए- ह़यात (जीवनदायक कुंड) में डाला जायेगा जब्कि वो जल कर भस्म हो चुके होंगे, वहाँ वो पुनः जीवित हो जायेंगे तथा उनके शरीर दोबारा उग आयेंगे)।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः

इब्नुल क़ैयिम रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: अब इसके बाद दो प्रकार की सिफ़ारिशें बचती हैं, जिनका उल्लेख बहुतेरे लोग करते हैं:

प्रथमः ऐसे लोगों के विषय में सिफ़ारिश करना जिन पर जहन्नुम वाजिब हो गई होगी, कि उन्हें जहन्नुम में दाख़िल न किया जाये, किंतु इस बात को साबित करने वाली कोई ह़दीस़ मुझे नहीं मिली, अधकांश ह़दीस़ों से जिस बात की पुष्टि होती है वह यह कि, मुवह्हिदों (एकेश्वरवादियों) के विषय में सिफ़ारिश उसी समय की जायेगी जब वो जहन्नुम में जा चुके होंगे, लेकिन जहाँ तक यह बात कि जहन्नुम में जाने के पूर्व ही उनके लिए सिफ़ारिश की जायेगी, इस संबंध में मुझे कोई नस़्स़ (क़ुरआन व ह़दीस़ से दलील) नहीं मिल सकी।

द्वितीयः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुछ मोमिनों के स्थान में बढ़ोतरी तथा पुण्य में अधिकता के लिए सिफ़ारिश करेंगे, इसके प्रमाण के तौर लोग उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस दुआ को पेश करते हैं: "हे अल्लाह! अबू सलमा को क्षमा कर दे, तथा उनका स्थान हिदायत पाने वाले लोगों के संग कर दे"[1]।

तथा अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित ह़दीस़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन सेः "हे अल्लाह! उबैद अबू आमिर को माफ़ कर दे, हे अल्लाह! क़्यामत के दिन उन्हें अपने बहुत से बंदों से उच्च स्थान देना"[2]। उनका कथन समाप्त हुआ[3]।

---

(1) इसे मुस्लिम (९१८) ने रिवायत किया है।

(2) इसे बुख़ारी (४३२३) एवं मुस्लिम (२४८९) ने रिवायत किया है।

(3) तहज़ीबुस्सुनन, किताबुस्सुन्ना, बाबुन फ़िश्शफाअह (५/ २२६९-२२७१)। प्रकाशकः मकतबा अल-मआरिफ़- रियाज़।

पहली भ्रांति तथा उसका उत्तर

इस संसार में मध्यस्थता और सिफ़ारिश के तरीके से तुलना करते हुए अल्लाह से की जाने वाली सिफ़ारिश का अनुमान लगाना।

कुछ लोग कहते हैं किः हम लोग गुनहगार तथा पापी हैं, एवं अल्लाह से दूर रहते हैं, अतः हम इस योग्य नहीं हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि यदि हम स्वयं अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी प्रार्थना अस्वीकार हो जायेगी, इसी कारण हम महात्मा एवं नेक लोगों के पास जाते हैं जो हमारी तुलना में अल्लाह के अधिक निकट होते हैं, तथा उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिये अल्लाह से दुआ कर दें कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, और जब वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को स्वीकार कर लेता है, और वो जब सिफ़ारिश करते हैं तो अल्लाह तआला उनका सम्मान करते हुये उनकी सिफ़ारिश स्वीकार कर लेता है, इसीलिए जब हमें पुत्र, अथवा जीविका में बढ़ोतरी या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है, इन महात्माओं के पास जाकर हम उनसे दुआ के लिए कहते हैं और वो हमारे लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, तो इस प्रकार की दुआ करवाने से आप लोग हमें क्यों रोकते हैं? जब्कि मानव जाति भी सिफ़ारिश करवाने के लिए एक-दूजे के पास जाती है, उदाहरणस्वरूप यदि किसी को किसी राजा से कोई आवश्यकता होती है तो वह उसके दरबान, वज़ीर अथवा उसके निकट रहने वाले लोगों के पास जाकर सिफ़ारिश करवाता है, अब आप हमें ज़रा बतायें कि इस प्रकार की सिफ़ारिश का प्रयोग हम अल्लाह के लिये क्यों न करें?

इस भ्रम का खंडन हम सोलह प्रकार से करेंगेः

पहलाः अल्लाह तआला ने हमें यह आदेश दिया है कि हम बिना किसी वास्ता के प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से दुआ करें[1], अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ (ये मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए आरक्षित हैं, अतः अल्लाह के संग किसी और को न पुकारो)। सूरह जिन्नः १८।

---

[1] दुआ के आदाब तथा उसे स्वीकार योग्य बनाने वाले कारणों का उल्लेख मैंने अपनी एक दूसरी पुस्तक में किया है, जिसका नाम हैः "क़ब्रों के पास जाकर अल्लाह तआला से दुआ करना निंदनीय बिदअत है", यह पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध है, अल्लाह तआला इसके प्रकाशन की राह आसान करे।

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ (जिन लोगों ने अल्लाह के सिवाय औलिया -दोस्त- बना रखे हैं -और कहते हैं- कि हम उनकी पूजा केवल इस लिए करते हैं कि ये -महात्मा- अल्लाह के निकटवर्ति दर्जा तक हमारी पहूँच करवा दें)। सूरहः ज़ुमरः ३ । अल्लाह तआला ने हमें यह सूचना दी है कि अल्लाह को छोड़ कर अन्य से दुआ करना उन मुश्रिकों का कृत्य था जिनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ (ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की उपासना करते हैं जो उनको न तो हानि पहूँचा सकते हैं और न ही उन्हें लाभ पहूँचा सकते हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के निकट हमारे सिफ़ारिशी हैं, आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की सूचना देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, वह पवित्र एवं उच्च है उन लोगों के शिर्क से)। सूरह यूनुसः १८ ।

दूसराः ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है चाहे वह जिस ज़रिये व माध्यम से भी दुआ करे, चाहे किसी को वास्ता बनाये अथवा किसी और माध्यम से, और यह बात सभी को पता है कि चाहे हमारी शरीअत हो अथवा हमसे पूर्व की शरीअतें सभी में शिर्क ह़राम एवं वर्जित था, ऐसा करने वाला पूर्णरूपेन इस्लाम से निष्कासित हो जाता है, अल्लाह तआला ने अपनी नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- से कहाः ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٦﴾ (निःसंदेह आपकी ओर तथा आपसे पूर्व -समस्त नबियों- की ओर यह वह़्य -प्रकाशना- कर दी गई है कि यदि आपने शिर्क किया तो निश्चय ही आपके समस्त सदकर्म अकारत चले जायेंगे और वस्तुतः आप घाटा उठाने वालों में से हो जायेंगे। बल्कि आप अल्लाह की ही उपासना करें और उसका शुक्र (धन्यवाद) अदा करने वालों में हो जायें)। सूरह ज़ुमरः ६५-६६ ।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या[1] रहि़महुल्लाह उन लोगों का खंडन करते हुये लिखते हैं जो अपने तथा अल्लाह के मध्य कोई वास्ता बनाते हैं: "यह दीन -ए- ह़नीफ़ से अज्ञानता का घोतक है, क्योंकि दीन -ए- ह़नीफ़ (इस्लाम) को मानने वाले अपने तथा अल्लाह के मध्य इबादत, दुआ एवं इस्तेआनत (सहायता माँगने) के लिए किसी को माध्यम नहीं बनाते हैं, अपितु वो अल्लाह के से चुपके-चुपके माँगते हैं, उससे दुआ करते हैं तथा बिना किसी माध्यम एवं वास्ता के अल्लाह की इबादत करते हैं, प्रत्येक नमाज़ पढ़ने वाला बिना किसी माध्यम के प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह की इबादत करता है"[2]।

चारों मज़हब (पंथ) के उलेमा इस मसला पर एकमत हैं कि ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है, जो मिल्लत -ए- इस्लाम से ख़ारिज कर देता है, एवं मुसलमानों का किसी मसले

---

[1] आप हैं: इमाम, अल्लामा, प्रकांड विद्वान, फ़क़ीह (धर्मशास्त्री), सही मायनों में शैख़ुल इस्लाम जैसी उपाधि से सुशोभित होने के योग्य, अबुल अब्बास, तक़ीयुद्दीन, अह़मद पुत्र अब्दुल ह़लीम पुत्र अब्दुस्सलाम, अल-ह़र्रानी तत्पश्चात दिमश्क़ी, जिनकी उपाधि इब्ने तैमीय्या है, आपने दीन -ए- इस्लाम को लोगों के बीच अपरिचित हो जाने के पश्चात पूनर्जीवित किया, और जब अहल -ए- कलाम की बिदअतों, सूफ़ियों की ख़ुराफ़ातों (असंगत कर्मो), क़ुबूरियों की शिर्कीय्यात तथा फ़लसफ़ियों (दार्शनिकों) एवं राफ़ज़ीय्यों के इलह़ाद (नास्तिकता) ने समस्त संसार को अंधकारमय बना रखा था, ऐसे समय में आपने क़ुरआन व ह़दीस़ के अनुसार दीन -ए- इस्लाम की साफ़-सुथरी दावत का दिया जलाया और इसे पूनर्जीवित करने का काम किया, डंके की चोट पर ह़क़ (सत्य) का एलान किया, मिथ्यावादियों (अहले बातिल) से मुनाज़िरह (वाद-विवाद) किया, और इस कारण आपको जेल का कष्ट भी भोगना पड़ा, अंततः अल्लाह तआला ने आपके ज्ञान की धाक लोगों के दिलों में बैठा दी, तथा आपकी पुस्तकें चहुँ ओर फैल गईं, और स्थिति यह हो गई कि आपके बाद आने वाले उलेमा आपका अनुसरण करने को विवश हो गए, जहाँ तक बात है आपके शिष्यों की तो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस्लाम के प्रकांड विद्वान माने गए, जैसे इब्ने क़ैय्यिम, इब्ने कस़ीर, ज़ह्बी, इब्ने अब्दुल हादी आदि, आप रहि़महुल्लाह का देहांत सन ७२८ हिजरी में हुआ, कुछेक शोधकर्ताओं ने उन सभी वक्तव्यों को जो आपकी शान में लोगों ने कहे हैं उनको एक व्यापक एवं अति उत्तम पुस्तक में संकलित किया है तथा उसका नाम रखा है (अल-जामे लि सीरत -ए- शैख़िल इस्लाम इब्ने तैमीय्या ख़िलाल सबअता क़ुरून (सात शताब्दियों में शैख़ुल
इस्लाम इब्ने तैमीय्या के बारे में लिखी गई लेखनी को एकत्रित करती जीवनी संग्रह), जिसका पर्यवेक्षण शैख़ बक्र अबू ज़ैद रहि़महुल्लाह ने किया है, और प्रकाशन किया है दार आलम अल-फ़वायद, मक्का ने, अतः जिसे आपके विषय में और अधिक जानने की लालसा हो वह इस पुस्तक का अध्यन अवश्य करे।

[2] अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (२/ ४७७-४७८)। थोड़े संशोधन के साथ।

पर एकमत हो जाना भी शरई प्रमाणों में गिना जाता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत के सभी लोग किसी गुमराही एवं पथभ्रष्टता पर इकट्ठा नहीं होंगे, और समूह में रहने वालों पर अल्लाह का हाथ होता है"[1]।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है, इस मसला पर अनेक उलेमा ने मुसलमानों का एकमत होना बयान किया है, उन्हीं में से शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह भी हैं, चुनाँचे वह लिखते हैं:

"मृतक तथा अनुपस्थित लोगों से -चाहे वो नबी हों अथवा कोई अन्य- दुआ करने को सभी मुसलमानों ने एकमत हो कर सामूहिक रूप से ह़राम करार दिया है, और ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने का आदेश न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दिया है, और न ही ऐसा कृत्य किसी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया है एवं न ही किसी ताबेईन ने, और न ही किसी आलिम ने इसे अच्छा समझा है, ये ऐसी चीज़ है जिसका ज्ञान अनिवार्य रूप से एक मुस्लिम को हो जाता है"[2]।

एक स्थान पर आप लिखते हैं किः "किसी भी मुस्लिम आलिम ने यह नहीं कहा है कि जिन चीज़ों में अल्लाह से इस्तेग़ासा -शरण- माँगी जाती है उन में ग़ैरुल्लाह से इस्ताग़ासा माँगना जायज़ है, न तो किसी नबी से, और न ही किसी नेक लोग व महात्मा से और न ही किसी अन्य से, बल्कि दीन -ए- इस्लाम में अपरिहार्य रूप से यह ज्ञात है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है"[3]।

एक अन्य स्थान पर उनका कथन है किः "जिसने नबियों एवं फ़रिश्तों को वास्ता (माध्यम) बनाया, जिससे वह दुआ करता है, उस पर भरोसा करता है, उससे लाभ पहूँचाने तथा हानि दूर करने की प्रार्थना करता है, जैसे पाप को क्षमा करना, दिलों को हिदायत देना, परेशानियों को दूर

---

(1) इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (२१६७) ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे सह़ीह़ कहा है, इसी प्रकार से ह़ाकिम ने भी इसे "मुस्तदरक" (१/ ११५-११६) में रिवायत किया है, उन्होंने इस ह़दीस़ का वर्णन करने के पश्चात इस क़ायदा एवं नियम के ऊपर अहले सुन्नत का एक एकमत होना बयान किया है, कि यह इस्लाम के महत्वपूर्ण नियमों में से है।

(2) अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (पृष्ठः २३१)।

(3) मजमूअ अल-फ़तावा (१/ १०३)।

करना, भूखमरी को दूर करना इत्यादि, तो समस्त मुसलमानों के निकट ऐसा व्यक्ति काफ़िर है"[1]।

शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब[2] ने अपनी पुस्तक "तैसीरुल अज़ीज़ अल-ह़मीद" में इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह का यह कथन नकल करने के पश्चात लिखा है किः "शैख़ुल इस्लाम के इस मत का एतराफ़ करते हुए उनका यह कथन किः ग़ैरुल्लाह से दुआ करने वाला समस्त मुसलमानों के निकट काफ़िर है, अनेक ह़म्बली उलेमा ने नकल किया है, जिनमें इब्ने मुफ़लिह़ ने "अल-फ़ुरूअ[3]", मर्दावी ने "अल-इंस़ाफ़[4]", एवं "अल-ग़ायह[5]" के लेखक तथा "अल-इक़्नाअ[6]" के लेखक एवं इसके व्याख्याता[7] आदि,

---

(1) मज्मूअ अल-फ़तावा (१/ १२४)।

(2) आप अल्लामा, मुह़द्दिस़, उस़ूली एवं शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह के पोत्र हैं, आपका जन्म १२०० हिज्री में हुआ, आपका लालन पालन दिईय्या में उलेमा के बीच हुआ, आपकी अनेक पुस्तकें हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध "तैसीरुल अज़ीज़ अल-ह़मीद" है, यह उनके दादा मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब की सुप्रसिद्ध पुस्तक "किताबुत्तौह़ीद" की अति महत्वपूर्ण व्याख्या है, तीन शताब्दी से उलेमा तथा छात्र इस पुस्तक से लाभांवित हो रहे हैं, तौह़ीद -ए- इबादत के उल्लेख में यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तथा आपके बाद आने वाले लोग इस पुस्तक से खूब-खूब लाभांवित हो रहे हैं, इसी प्रकार से "अल-मुक़्निअ" के ऊपर उन्होंने एक ह़ाशिया लिखा है जो तीन बड़े जिल्दों में है, इसके अतिरिक्त भी उनकी अनेक पुस्तकें हैं, आपका देहांत १२३४ हिज्री में हुआ, जब उनकी आयु मात्र ३३ वर्ष थी।
उनकी जीवनी पढ़ने के लिए देखें: शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन अब्दुल लत़ीफ़ बिन अब्दुल्लाह आल -ए- शैख़ की पुस्तक "मशाहीरु उलेमा -ए- नज्द", इसी प्रकार से उनकी पुस्तक "तैसीरुल अज़ीज़ अल-ह़मीद फ़ी शर्ह़ किताबित तौह़ीद" के प्रस्तावना में उसामा बिन अत़ाया अल-उतैबी ने भी उनकी जीवनी का उल्लेख किया है।

(3) (६/ १५८)।

(4) (१०/ ३२७)।

(5) पुस्तक का पूरा नाम हैः "ग़ायतुल मुंतहा फ़ी अल-जमअ बैन अल- इक़्नाअ व अल-मुंतहा" लेखकः मरई अल-करमी (२/ ४९८)।

(6) (४/ २८५)।

(7) अर्थातः शैख़ मंसूर बिन यूनुस अल-बहूती ने अपनी पुस्तक "कश्शाफ़ुलक़्निाअ फ़ी शर्ह़िल इक़्नाअ" (६/ १६८) में।

तथा “अल-क़वाते़अ[1]” के लेखक ने उनका यह कथन “अल-फ़ुरूअ” के लेखक के हवाले से नकल किया है”।

शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह कहते हैं: मेरा कहना है किः “यह इज्माअ बिल्कुल सही है जो अनिवार्य रूप से सभी का मालूम है, तथा चारों मज़हब को मानने वाले उलेमा आदि ने मुर्तद के बाब (अध्याय) में इसका उल्लेख किया है कि जो अल्लाह के संग किसी और को साझी बनाए वह काफ़िर है, अर्थात जो अल्लाह के संग-संग ग़ैरुल्लाह के लिए इबादतों में से किसी भी प्रकार की इबादत अंजाम दे वह काफ़िरा है, और क़ुरआन व ह़दीस़ से यह बात प्रमाणित है कि अल्लाह से दुआ करना इबादत है, अतः इसे ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क है”। शैख़ सुलैमान रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ[2]।

जिन लोगों ने इस बात पर मुसलमानों का एकमत होना बयान किया है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ करना ऐसा शिर्क है जो मिल्लत -ए- इस्लाम से ख़ारिज कर देता है, उनमें शैख़ अब्दुल्लत़ीफ़ बि अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन[3] भी हैं, वह लिखते हैं कि सभी मुसलमान इस बात

---

[1] अर्थातः अह़मद बिन मुह़म्मद बिन अली बिन ह़जर अल-हैस़मी अल-शाफ़ई ने अपनी पुस्तक “अल-ऐलाम बि क़वाति़इल इस्लाम” में। शीघ्र ही इस पुस्तक का वर्णन आने वाला है।

[2] “तैसीरुल अज़ीज़ अल-ह़मीद” बाब मिनश्शिर्कि अँयसतग़ीस़ा बिग़ैरिल्लाहि औ यदऊ ग़ैरुहू (पृष्ठः ४२७)।

[3] आपः शैख़ अब्दुल्लत़ीफ़ बिन शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन बिन शैख़ मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह हैं, आपका जन्म १२२५ हिज्री में शिक्षा एवं शिक्षिविदों की भूमि दिरईया में हुआ, अनेक प्रसिद्ध उलेमा से उन्होंने ने शिक्षा प्राप्त की, जिनमें उनके पिता शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन, उनके चाचा शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन अब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब, और शैख़ मुह़म्मद बिन मह़मूद अल-जज़ायरी जो अपने समय के अलजीरिया के मुफ़्ती थे, आदि प्रमुख हैं।
आपके शिष्यों की भी एक बड़ी संख्या है, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रख्यात साहित्यकार सुलैमान बिन सह़मान रह़िमहुल्लाह हैं जिन्होंने अपने गद्य एवं पद्य के द्वारा दीन -ए- इस्लाम के शत्रुओं व विरोधियों का मुँहतोड़ जवाब दिया।
आपने कई पुस्तकें एवं पुस्तिकाएं लिखीं, आपकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से “मिस़बाहुज़्ज़लाम फ़िर्रद्दे अला मन कज़बा अला शैख़िल इस्लाम” एवं “मिन्हाजुत्तासीस फ़ी कश्फ़ि शुबुहात दाऊद बिन जरजीस” हैं।
उनकी पुस्तिकाओं का उल्लेख उनके शिष्य शैख़ सुलैमान ने “मज्मूअतुर्रसाइल वल-मसाइल अल-न्जदीय्या” की तीसरी जिल्द में किया है, आपके लेख अनेक पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं, इसी प्रकार से

पर एकमत हैं कि शिर्क -ए- अकबर करने वाला काफ़िर है, ऐसे व्यक्ति ने अल्लाह एवं उसके रसूल की आयतों का इंकार किया, अथवा कुछ आयतों का इंकार किया, यदि उसके समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया हो तथा इसे स्पष्ट कर दिया गया हो, जैसे कोई महात्मा एवं साधु-संतों की पूजा करता हो, अल्लाह के साथ-साथ उससे भी दुआ करता हो, तथा इबादत एवं उलूहियत में उसे अल्लाह तआला के समकक्ष समझता हो, उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि इस मसला पर सभी मुसलमान एवं धर्मगुरु एकमत हैं, सभी मज़हब (पंथ) के मानने वाले अलग से पाठ का उल्लेख कर के इसका हुक्म बयान करते हैं और मुर्तद्द होने की सज़ा बयान करते हैं, स्पष्ट रूप से उन लोगों ने लिखा है कि ऐसा करना शिर्क है, इब्ने ह़जर[1] ने इस मसला में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है "अल-ऐलाम बि क़वात़िइल इस्लाम"[2][3]।

शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "ग़ैरुल्लाह से दुआ करने के विषय में जितनी नुस़ूस आई हैं, मुझे नहीं पता कि उससे अधिक नुस़ूस़ किसी अन्य कुफ्र एवं रिद्दत के विषय में आई हों, जिसमें ऐसा करने से रोका गया हो, ऐसा करने वाले को काफ़िर कहा गया हो तथा यह धमकी दी गई हो कि ऐसा करने वाला सदा नरक भोगेगा, अतः क़ुरआन, ह़दीस़ एवं उम्मत के इज्माअ को लागू करने में क्या रुकावट है, इस मसला को लक्षित कर के पुस्तकें लिखी गई हैं, और अनेक उलेमा ने इस पर इज्मा नकल किया है, तथा यह लिखा है कि यह ऐसा मसला है जो अपरिहार्य रूप से यह सभी को ज्ञात होना चाहिये"[4]।

आपके कुछ लेखों का उल्लेख "अल-दुरर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या" में भी किया गया है।

आप रह़िमहुल्लाह का देहांत १२९३ हिज्री में हुआ।

आपकी पुस्तक "मिस़बाहुज़्ज़लाम" में उल्लेखित प्रस्तावना तथा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अल-ज़ैर ह़फ़ज़हुल्लाह द्वारा लिखित आपकी जीवनी से संक्षेप में नकल किया गया है।

[1] अर्थातः अह़मद बिन मुह़म्मद बिन अली बिन ह़जर अल-हैस़मी अल-शाफ़ई।

[2] यह पुस्तक एक बार अलग से छप चुकी है, तथा दूसरी बार डॉक्टर मुह़म्मद अल-ख़मीस के अन्वेषण से दार -ए- ईलाफ़, कुवैत ने छापा है।

[3] अद्दुरर अस्सनीय्या (१/ ४६७-४६८)।

[4] अल-सैफ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल (२४)।

अध्यायः

निम्न में हम चारों मज़हब के कुछ उलेमा के कथनों का उल्लेख कर रहे हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है।

ह़नफ़ी उलेमा के कथनः

शैख़ मुह़म्मद आबिद सिंधी ह़नफ़ी[1] अपनी पुस्तक "त़वालिउल अनवार शर्ह़ तनवीरुल अबस़ार मअ अद्दुर्रुलमुख़्तार" में लिखते हैं किः "यह नहीं कहा जायेगाः (हे क़ब्र वाले, हे अमूक, मेरी ज़रुरत पूरी कर दे), अथवा (अल्लाह से मेरे लिये अमूक वस्तु माँग दीजिये), अथवा (अल्लाह के निकट मेरे लिये सिफ़ारिशी बन जाईये), बल्कि इस प्रकार से कहेः (हे -अल्लाह- जिसके निर्णय में कोई साझी नहीं, मेरी इस आवश्यकता की पूर्ति कर दे)"।

शैख़ स़नउल्लाह बिन स़नउल्लाह ह़लबी ह़नफ़ी[2] लिखते हैं:

"आजकल हमारे बीच कुछ ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जिनका दावा है कि औलिया (महात्मा) अपने जीवन में भी तथा मरणोपरांत भी इस संसार में फेर-बदल करने में सक्षम हैं, तथा परेशानी एवं आपदा के समय उनसे सहायता माँगी जायेगी, कठिन समय दूर करने के लिये उनसे प्रार्थना की जायेगी, अतः वो ऐसे महात्मा की क़ब्रों (समाधियों) के पास आते हैं तथा

---

[1] आपः शैख़ मुहम्मद आबिद बिन अली सिंधी अल-अंसारी है, आपका जन्म सिंध में हुआ, जहाँ से अपने दादा के संग पलायन करके यमन आये तत्पश्चात मदीना आ गये, तथा अपनी मृत्यु तक यहीं रहे, अल्लामा शौकानी उनके संबंध में लिखते हैं: "चिकित्सा विज्ञान में आप दक्ष थे, नह़्व, स़र्फ़, ह़नफ़ी फ़िक्ह एवं उसके उसूल के बड़े ज्ञाता तथा सभी इल्म में माहिर थे"। ज़िरिक्ली लिखते हैं: "ह़नफ़ी मज़हब के फ़क़ीह तथा ह़दीस़ के ज्ञाता थे", फ़िक़्ह तथा ह़दीस़ से संबंधित उनकी अनेक पुस्तकें हैं, सन १२५७ हिज्री में उनका देहांत हुआ। उनकी जीवनी पढ़ने के लिए देखें: अल्लामा शौकानी की"अल-बद्र अल-त़ालेअ" तथा इस्माईल बिन मुहम्मद अमीन अल-बाबानी अल-बग़दादी की "हदीय्यतुल आरिफ़ीन, अस्माउल मुअल्लिफ़ीन व आस़ारिल मुस़न्निफ़ीन " (२/ ३७०)।

[2] आप हैं: शैख़ स़नउल्लाह बिन स़नउल्लाह अल-ह़लबी अल-मक्की अल-ह़नफ़ी, प्रख्यात वाइज़ (वक्ता), फ़क़ीह, मुहद्दिस़ तथा साहत्यकार, ह़दीस़ से संबंधित उनकी एक काव्य रचना है, इसी प्रकार "सैफ़ुल्लाह अला मन कज़बा अला औलिइल्लाह" के नाम से भी उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उन लोगों का खंडन किया है जो महात्माओं के संबंध में अतिश्योक्ति (ग़ुलू) करते हैं। आपका देहांत सन ११२० हिज्री में हुआ। देखें: "मोअजम अल-मुअल्लिफ़ीन" (१/ ४८३) तथा "हदीय्यतुल आरिफ़ीन" (१/ ४२८)।

उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि यह उनकी करामात हैं!

इस प्रकार की बात में अति एवं न्यून (इफ़रात़ व तफ़रीत़) दोनों पाया जाता है, बल्कि यह सदैव की यातना तथा विनाश का कारण है, क्योंकि ऐसा करना शिर्क, क़ुरआन के विरुद्ध, उम्मत की आस्था के विपरीत तथा मुसलमानों के इज्मा (किसी मसला पर सभी मुसलमानों का एकमत होना) के ख़िलाफ़ है, अल्लाह तआला फ़रमाता है : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ (जो हिदायत की राह स्पष्ट हो जाने के बावजूद रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का विरोध करे तथा समस्त मोमिनों की राह छोड़ कर चले, हम उसे उधर ही मोड़ देंगे जिधर वह स्वयं मुड़ा हुआ हो, तथा जहन्नुम में डाल देंगे, पहूँचने का वह अत्यंत बुरा स्थान है। सूरह अल-निसाः ११५ ।"[1]।

---

[1] सैफ़ुल्लाह अला मन कज़बा अला औलिइल्लाह (१५-१६)। थोड़े संशोधन के साथ।

यही बात अनेक अग्रज ह़नफ़ी उलेमा ने कही है, जिनमें अह़मद सरहिंदी[1], अह़मद रूमी[2], सुब्ह़ान बख़्श हिंदी, मुह़म्मद बिन अली थानवी[3], मुह़म्मद इस्माईल देहलवी[4], मह़मूद बिन अब्दुल्लाह आलूसी[5] रह़िमहुमुल्लाह आदि उलेमा प्रमुख हैं[6]।

---

[1] उनकी जीवनी पढ़ने के लिए अब्दुल ह़ैई बिन फ़ख़रुद्दीन हुसैनी द्वारा लिखित "नुज़्हतुल ख़वात़िर व बहजतुल मसामेअ वन्नवाज़िर" (५/ ४३-५५) देखें।

[2] अह़मद बिन मुह़म्मद अक़्ह़सारी ह़नफ़ी, रूमी के नाम से प्रख्यात हैं, उस़मानी ख़िलाफ़त के दौर में आप पैदा हुये थे, आप पठन-पाठन में लगे रहे, यहाँ तक कि सन १०४३ हिज्री में आपका देहांत हो गया, आपकी पुस्तकों में से कुछ यह हैं "ह़ाशिया अला तफ़्सीर अबिस्सऊद" तथा "मजालिसुल अबरार व मसालिकुल अख़्यार फ़ी शर्ह़ मेअते ह़दीस़ मिन अल-मस़ाबीह़" इत्यादि। उनकी विस्तारित जीवनी पढ़ने के लिये देखें: "मोअजम अल-मुअल्लिफ़ीन" (२/ २५२) तथा "हदीय्यतुल आरिफ़ीन" (१/ १५७)।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करने से रोकने से संबंधित उनका कथन उनकी रचित पुस्तक "मजालिसुल अबरार व मसालिकुल अख़्यार फ़ी शर्ह़ मेअते ह़दीस़ मिन अल-मस़ाबीह़" की सत्रहवें तथा सत्तावनवें मजलिस में मौजूद है।

[3] भारतीय अन्वेषी हैं, आपकी पुस्तक का नाम हैः "कश्शाफु इस़्तेलाहात अल-फ़ुनून"। उनकी जीवने पढ़ने के लिये देखें: "नुज़्हतुल ख़वात़िर व बहजतुल मसामेअ वन्नवाज़िर" (६/ २७८), "हदीय्यतुल आरिफ़ीन" (२/ ३२६) तथा ज़िरिक्ली की "अल-आलाम" (६/ २९५)। ग़ैरुल्लाह से दुआ करने से रोकने से संबंधित उनका कथन उनकी रचित पुस्तक "कश्शाफु इस़्तेलाहात अल-फ़ुनून" (४/ १४६-१५३) में मौजूद है।

[4] आप हैं: मुह़म्मद बिन इस्माईल बिन अब्दुल ग़नी देहलवी, मुह़द्दिस़ हैं, "इंजाहुल ह़ाजह फ़ी शर्ह़ सुनन इब्ने माजह" आपकी ही रचना है। उनकी जीवने पढ़ने के लिये देखें: "नुज़्हतुल ख़वात़िर व बहजतुल मसामेअ वन्नवाज़िर" तथा "मोअजम अल-मुअल्लिफ़ीन" (३/ १३३), । ग़ैरुल्लाह से दुआ करने का खंडन आपकी पुस्तक "तक़्वियतुल ईमान" में मौजूद है।

[5] मह़मूद शुक्री बिन अब्दुल्लाह बिन शिहाबुद्दीन आलूसी हुसैनी, अबुलमआली, इतिहासकार व साहित्यकार, ईराक़ के प्रख्यात दाई, बिदअतियों के खंडन में आपने कई लेख लिखे जिनके कारण वो आपके शत्रु हो गए, आपकी पुस्तकों की संख्या ५२ है, सन १३४२ हिज्री में बगदाद के अंदर आपका देहांत हुआ।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करने से रोकने से संबंधित उनका कथन "रूहुलमआनी फ़ी तफ़्सीरिल कुरआनिल अज़ीम वस्सबअ अल-मस़ानी" नामक उनकी पुस्तक में सूरह हज, आयत संख्याः ७३ में मौजूद है।

[6] उनके कथनों को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें: "अल-मज्मूअ अल-मुफ़ीद फ़ी नक़्ज़िल क़ुबूरिय्या व नुस़रतुत्तौह़ीद", संकलनः डॉक्टर मुह़म्मद अल-ख़मीस (पृष्ठः ४१२-४१८), प्रकाशकः दार उत़लुस – रियाज़।

डॉक्टर शैख़ शमसुद्दीन अफ़ग़ानी रहिमहुल्लाह ने इस विषय में एक अति महत्वपूर्ण थीसिस लिखा है जिसमें उन ह़नफ़ी उलेमा के कथनों का उल्लेख किया है जिन्होंने क़ब्र पूजन आधारित आस्थाओं का खंडन किया है। यह बात सर्वविदित है कि क़ब्र पर जाने वाले लोग वहाँ जाकर जो काम सबसे ज़्यादा करते हैं वह इन क़ब्र वालों से दुआ करना है, उनकी थीसिस का नाम है "जुहूद उलेमा -ए- ह़नफ़ीय्या फ़ी इब्ताल -ए- अक़ायदिल क़ुबूरीय्या" जो तीन जिल्दों में है, वास्तव में यह पुस्तक उनके पी.एच.डी. का थीसिस है, इस पुस्तक में ह़नफ़ी उलेमा के उन प्रयासों को सराहा गया है जिनमें उन लोगों ने यह प्रमाणित किया है कि क़ब्र पूजने वाले लोग मुश्रिक हैं[1]।

इसके बाद लेखक महोदय ने ह़नफ़ी विद्वानों के उन लेखों का उल्लेख किया है जिनमें उन्होंने शिर्क करने से डराया है एवं उन तीस माध्यमों का खंडन किया है जिन्हें क़ब्र पर जाने वाले लोग दलील बनाते हैं[2]।

फिर उन्होंने क़ब्र पर जाने वाले लोगों के ग़ुलू (अतिश्योक्ति) के कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है, और उनके खंडन में ह़नफ़ी उलेमा के प्रयासों का जिक्र किया है, जिसका आरंभ उन लोगों के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विषय में ग़ुलू से किया है, उनका यह दावा करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैब जानते हैं, आप ब्रह्माण्ड में हेर-फेर करने का अधिकार रखते हैं, आप सहायता माँगने वालों की बातें सुनते हैं, इन सब का उल्लेख करने के पश्चात उन्होंने सभी खंडन किया है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा दूसरे महात्माओं जैसे अब्दुल क़ादिर जीलानी, रिफ़ाई, बदवी आदि के विषय में वो लोग जिस प्रकार से ग़ुलू करते हैं उसका उल्लेख किया है[3]।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को ह़राम प्रमाणित करने वाले शाफेई उलेमा के कथन:

---

[1] देखें: (पृष्ठ: ३५३-५६१)।

[2] देखें: (पृष्ठ: ५६३-६८२)।

[3] देखें: (पृष्ठ: ६८३-८९७)।

इब्ने हजर शाफेई[1] "शर्हुल अरबईन नौवीय्या" में लिखते हैं जिसका भावार्थ यह है कि जो ग़ैरुल्लाह से दुआ करे वह काफ़िर है[2]।

शैख़ अहमद बिन अली मिक़रीज़ी मिस्री शाफेई रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं:

"शिर्क के दो प्रकार हैं: उलूहिय्यत में शिर्क तथा रुबूबिय्यत में शिर्क, और शिर्क करने वाले लोग अधिकतर उलूहिय्यत व इबादत में ही शिर्क अंजाम देते हैं, शिर्क की इसी किस्म में से वह शिर्क है जिसे मूर्ति पूजक, फरिश्ता पूजक, जिन्न पूजक तथा जीवित एवं मृत मशायख़ एवं सालेहीन को पूजने वाले लोग अंजाम देते हैं, जिनके विषय में वो कहते हैं किः

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ (हम उनकी पूजा केवल इस लिए करते हैं कि ये - महात्मा- अल्लाह के निकटवर्ति दर्जा तक हमारी पहूँच करवा दें)। सूरहः ज़ुमरः ३ । अल्लाह के समीप हमारी सिफ़ारिश करेंगे, तथा उन लोगों का अल्लाह के निकटवर्ति व करीबी होने के कारण हम भी अल्लाह के करीबी हो जायेंगे, जिस प्रकार से सांसारिक राजाओं के निकटवर्तियों जैसे उसके सगे-संबंधी, वजीर अथवा उसके नोकर चाकर के द्वारा लोग राजा का सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

समस्त आसमानी किताबें इस प्रकार के मत एवं आस्था का खंडन करती हैं तथा ऐसा करने वालों को बुरा समझती हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से यह बताती हैं कि ऐसा करने वाले लोग वास्तव में अल्लाह के शत्रु हैं और सभी रसूल अलैहिमुस्सलाम इस बात पर एकमत हैं, एवं अल्लाह तआला ने इसी शिर्क के कारण पिछली उम्मतों को विनाश के घाट उतारा था"[3]।

---

(1) अहमद बिन मुहम्मद बिन अली बिन हजर हैसमी शाफेई, फ़क़ीह -ए- मिस्र, आप दस्वीं शताब्दी हिज्री के उलेमा में से हैं, आप ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी जीवनी पढ़ने के लिए देखें: ज़िरिक्ली की "अल-आलाम" (१/ २३४)।

(2) उनका यह कथन शौकानी ने "अद्दुर्रुन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमुत्तौहीद" (पृष्ठः १२१) (प्रकाशकः दार इब्ने ख़ुज़ैमा – रियाज़), एवं शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब ने अपनी पुस्तक "मुफ़ीदुलमुस्तफीद फ़ी कुफ्रि तारिकित्तौहीद" (पृष्ठः ३०५) (प्रकाशकः जामेउतुल इमाम मुहम्मद बिन सऊद अल-इस्लामीय्या – रियाज़) में नकल किया है।

(3) तजरीदुत्तौहीद अल-मुफ़ीद (५२-५३), अन्वेषणः अली बिन मुहम्मद अल-इमरान, प्रकाशकः दार आलम अल-फ़वायद – मक्का।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को ह़राम साबित करने वाले ह़म्बली उलेमा के कथनः

पूर्व में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह के कथन का उल्लेख किया जा चुका है कि समस्त उलेमा इस बात पर एकमत हैं कि ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है, निम्न में हम उनके कथन का उल्लेख विस्तारित रूप में कर रहे हैं:

"हरेक वह व्यक्ति जो किसी जीवित अथवा सालेह व नेक आदमी के विषय में अतिश्योक्ति करे, तथा उसमें ईश्वरीय गुण माने, जैसे यह कहेः (मुझे जो भी जीविका मिलती है वह अमूक पीर साहब के कारण मिलती है), अथवा बकरी ज़ब्ह करते समय कहेः (अमूक पीर के नाम पर मैं इसे ज़ब्ह करता हूँ), या उसे, या उसके सिवा किसी और को सज्दा करे तथा उसके सामने शीष नवाए, अथवा अल्लाह को छोड़ कर उस पीर से दुआ करे, उदाहरणस्वरूप यों कहेः (हे अमूक पीर, मुझे क्षमा कर दे, मेरे ऊपर दया कर, मेरी सहायता कर, मुझे जीविका दे, मुझे धन-सम्पदा दे, मुझे शरण दे, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे लिये तू काफ़ी है या यों कहे कि मैं आपकी ज़मानत में हूँ) अथवा इसी प्रकार का कोई कथन या कृत्य करे जो वास्तव में केवल अल्लाह की रुबूबिय्यत के लिए ही आरक्षित है, इस प्रकार का कोई भी कृत्य करना शिर्क तथा गुमराही है, ऐसा करने वाले को तौबा करने के लिये कहा जायेगा, यदि तौबा करे तो ठीक अन्यथा उसे क़त्ल कर दिया जायेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने रसूलों को इसीलिए भेजा तथा किताबें इसी लिये अवतरित की हैं कि हम केवल एक अल्लाह की इबादत व उपासना करें तथा उसके संग किसी अन्य को साझी न बनायें"[1]।

एक अन्य स्थान पर वह लिखते हैं: "जो यह कहे कि कोई मुर्दा -अब वह चाहे जो भी हो- भयभीत को शरण देता है, कैदी को रिहाई दिलाता है, तथा आवश्यकताएं पूरी करता है, तो वह मुश्रिक एवं पथभ्रष्ट है, क्योंकि केवल अल्लाह तआला ही वास्तविक शरण देने वाला है, उसके विरुद्ध कोई किसी को शरण नहीं दे सकता, और आवश्यकता पूर्ति का तरीका यह है कि अल्लाह तआला से इख़्लास एवं निष्ठा के साथ दुआ किया जाये, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (मेरे

[1] अर्रिसाला अस्सनीय्या (३९५), इसका दूसरा नाम अल-वसीय्यतुल कुब्रा भी है, उनका यह कथन मज्मूअ अल-फ़तावा (३/ ३६३-४३०) में भी देखा जा सकता है।

बंदे जब आपसे मेरे संबंध में प्रश्न करें तो आप कह दें कि मैं अत्यंत निकट हूँ हर पुकारने वाले जब कभी वह मुझे पुकारे)। सूरह अल-बक़रहः १८६"[1]।

शिर्क के प्रकार का उल्लेख करते समय इब्नुल क़ैयिम[2] रह़िमहुल्लाह "मदारिजुस्सालिकीन" में लिखते हैं: "शिर्क की किस्मों में से यह भी हैः मुर्दों से अपनी ज़रुरत पूरी करने की दुआ करना तथा उनसे शरण चाहना और उनसे लौ व उम्मीद लगाना, संसार में पाये जाने वाले शिर्क का मूल इसी में निहित है, क्योंकि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति के पास कर्म करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अब वह स्वयं के लाभ हानि का भी मालिक नहीं है, तो कैसे वह किसी और की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, या उस मृतक से कोई सिफ़ारिश करने की प्रार्थना करे, और ऐसा करना सिफ़ारिश करने वाले तथा सिफ़ारिश स्वीकार करने वाले से, उस व्यक्ति की अज्ञानता को दर्शाता है, क्योंकि अल्लाह के निकट वही सिफ़ारिश कर सकता है जिसे अल्लाह तआला अनुमति देगा, और अल्लाह तआला ने उन मृतकों से शरण माँगने तथा उनसे प्रार्थना करने को अपनी अनुमति देने का कारण नहीं बनाया है, अल्लाह

---

(1) मज्मूअ अल-फ़तावा (२७/ ४९०)।

(2) आप का नाम हैः मुहम्मद पुत्र अबू बक्र पुत्र साद अल-ज़रई अल-दिमश्की, आप इब्ने क़ैय्यिम अल-जौज़ीय्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप आठवीं शताब्दी के उलेमा में से हैं। आप अपने गुरू इब्ने तैमीय्या के सानिध्य में रहे यहाँ तक कि सन ७२८ हिजरी में उनका देहांत हो गया, आप उनके अति विशिष्ट शिष्य रहे हैं, और उनके देहांत के बाद आपने दावत एवं इल्मी जिहाद का बीड़ा उठाया यहाँ तक कि सन ७५१ हिजरी में आपकी मृत्यु हो गई, आप प्रकांड विद्वान हैं तथा अकाट्य दलील पेश करने वाले एवं प्रमाणों से सुक्षम से सुक्षमतम मसला समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व के धनी एवं बहुतेरे पुस्तकों के लेखक हैं, आपकी पुस्तकों को लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आपकी पुस्तकों को ऐसी स्वीकार्यता प्राप्त हुई कि आपके बाद आने वाले लोग मानो आपकी ही पुस्तकों पर आश्रित हैं, उन्होंने इस्लामी अक़ीदा को बड़े ज़ोरदार ढ़ंग से लोगों के समक्ष रखा व उसे फैलाया, और बिदअतियों (नवाचारियों) पर गद्य एवं पद्य दोनों रूप में प्रहार किया विशेष रूप से दार्शनिकों (फलसफियों), क़बूरीयों, तावील (शरई नुसूस व श्लोकों की मनमानी व्याख्या) करने वालों एवं सूफ़ियों पर कुठराघात किया, अल्लाह तआला की आप पर असीम कृपा हो, आपने तथा आपके गुरू ने अल्लाह के दीन को पूनर्जीवित करने का कार्य किया, संक्षेप में कहा जाए तो आप इस्लामी समुदाय में एक बड़े बदलाव का घोतक थे। आपकी जीवनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: इब्न अल-इमाद की "शज़रात अल-ज़हब" तथा इब्ने रजब की "ज़ैल त़बक़ात अल-ह़नाबिलह", और आप की सबसे व्यापक एवं विस्तृत जीवनी लिखी है शैख़ बक्र बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रह़िमहुल्लाह ने एवं उनकी पुस्तक का नाम है "इब्ने क़ैय्यिम अल-जौज़ीय्या ह़यातुहू व आसारूहू"।

की अनुमति पाने का माध्यम यह है कि बंदा तौ़हीद को पूर्णरूपेण उसके वास्तविक रूप में अपनाये, जब्कि इसके विपरित इस मुश्रिक ने उस चीज़ को माध्यम बनाना चाहा जो वास्तव में अवरोध का कारण है, यह ठीक ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति अपनी जरूरत पूरी करने के लिये ऐसी चीज़ को माध्यम बनाये जो वास्तव में उसकी जरूरत पूरी करने के स्थान पर रुकावट का कारण बन जाये, और यही स्थिति हरेक मुश्रिक की होती है।

मृतक इस बात को मोहताज होता है कि कोई उस के लिये दुआ करे, उस के लिये मग़फ़िरत तथा दया की प्रार्थना करे, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें क़ब्रिस्तानों की ज़ियारत करते समय उन के लिये रह़मत की दुआ करने की ओर मार्गदर्शन किया है, हम उनके लिये आफ़ियत तथा मग़फ़िरत की दुआ करें, लेकिन मुश्रिकीन ठीक इसके उलट काम करते हैं क्योंकि वो लोग क़ब्रिस्तान, क़ब्र वालों की इबादत करने, उनसे अपनी ज़रुरत पूरी करवाने तथा उनसे सहायता माँगने जाते हैं, और उनकी क़ब्र को एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहाँ उत्सव मनाया जाता है, इससे दो कदम आगे बढ़ कर क़ब्र और मज़ार पर जाने को ये लोग हज का नाम देते हैं, वहाँ जाकर कुछ दिन ठहरते हैं और अपना सिर मुंडाते हैं, इस प्रकार से उन लोगों ने क़ब्र वालों को अल्लाह का साझी बना डाला, अपना धर्म बदल डाला, मुवह्हिदीन से शत्रुता की, और अल्लाह का साझी करार दे कर अल्लाह की शान में गुस्ताख़ी की, अल्लाह के वली वो लोग हैं जो उनकी तौ़हीद का पालन करते हैं और किसी को उसका साझी नहीं मानते हैं, जब्कि इस उलट जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं वो रसूलों और एकेश्वरवादियों के शत्रु हैं, अल्लाह तआला के ख़लील (मित्र) इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं: ﴿وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۝٣٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ (हे अल्लाह! मुझे तथा मेरी संतान को मूर्ति पूजन से बचा, हे मेरे रब इसने बहुतेरे लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया है)। सूरह इब्राहीमः ३५-३६। शिर्क के चंगुल से वही बच सकता है जिसने तौ़हीद को अल्लाह के लिए ख़ालिस व निश्छल कर लिया, और अल्लाह की खातिर मुश्रिकों को बुरा समझा, यद्यपि अल्लाह का सामीप्य करने की खातिर ये लोग उनसे क्रुद्ध ही क्यों न हो जायें, और उसने केवल अल्लाह को ही अपना वली, माबूद तथा उपास्य समझा, अर्थात उसने अपना प्रेम, भय, आशा, झुकाव, भरोसा, शरण की चाह, लौ लगाना, मदद माँगना और अपना ध्येय सब कुछ अल्लाह को ही मान लिया, उसके आदेशों का पालन करके तथा ऐसा कार्य अंजाम दे कर के जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, जब वह माँगता है तो केवल अल्लाह से माँगता है, जब मदद की आवश्यकात होती है तो अल्लाह से ही मदद चाहता है, जब कोई कार्य करता है

तो अल्लाह के लिए करता है, इस प्रकार से वह अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ तथा अल्लाह का हो जाता है"[1]।

आप रहिमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "इग़ास़ा अल-लह्फ़ान मिन मस़ायिद अल-शैतान" में उन लोगों के खंडन में बड़ा लम्बा लेख लिखा है जो क़ब्रों एवं मज़ारों के सम्मान में अति व ग़ुलू करते हैं, इस लेख में उन्होंने क़ब्रों के सम्मान में अति करने के इतिहास की छान-बीन की है कि इसका आरंभ कहाँ से तथा कैसे हुआ, इसमें आप ने इससे बचने का उपाय भी बताया है, अल्लाह आप पर अपनी असीम कृपा करे।[2]

इमाम अबुल वफ़ा अली बिन अक़ील हम्बली रहिमहुल्लाह कहते हैं: "जो लोग क़ब्रों के सम्मान में अतिश्योक्ति से काम लेते हैं तथा मृतकों से अपनी ज़रूरत पूरी करने का सवाल करते हैं, और इस प्रकार की बात कहते हैं: (हे अब्दुल क़ादिर जीलानी, मेरे अमूक काम पूरा करवा दे) वो लोग ऐसे कृत्यों के कारण काफ़िर हैं, जिसने भी मुर्दों को पुकारा तथा उससे अपनी आवश्यकता पूर्ति का प्रश्न किया वह काफ़िर है"[3]।

एक स्थान पर वह कहते हैं: "अज्ञानी तथा घटिया लोगों पर जब कोई विपदा आती है तो वह शरीअत की शिक्षाओं को छोड़ कर उन साधनों को अपनाने लगते हैं जो उन्होंने स्वयं बनाये होते हैं, ऐसा करने वाले लोग मेरे निकट काफ़िर हैं, जैसे कब्रों एवं मज़ारों के सम्मान में अतिश्योक्ति से काम लेना, मुर्दों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिये पुकारना, अथवा काग़ज़ पर (हे मेरे मौला, मेरा अमूक काम कर दे) लिख कर वहाँ छोड़ आना, अथवा जो लोग "लात" एवं "उज़्ज़ा" बुतों की पूजा करते हैं उनका अनुसरण करते हुये वृक्ष पर चीथड़ा लटकाना"[4]।

---

[1] मदारिजुस्सालिकीन (६०५)।

[2] इस पुस्तक के लेखक ने "तलाउबुश्शैतान बि उक़ूलिल क़ुबूरीय्यीन" के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह के उपरोक्त पुस्तक में से इस मसला में उनके कथनों को क्रमबद्ध रुप में संग्रहित किया है, जो इंटरनेट पर (www.saaid.net/kutob) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[3] उनका यह कथन मुहम्मद बिन सुलतान मासूमी ह़नफ़ी ने अपनी पुस्तक "हुक्मुल्लाहिल वाहिदिस़्स़मद" (४४) में किया है। प्रकाशकः दारुल आस़िमा – रियाज़।

[4] उनका यह कथन इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "इग़ास़ा अल-लह्फ़ान मिन मस़ायिद अल-शैतान" (३६४-३६५) में नकल किया है। प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

शैख़ अब्दुल्लाह अबाबुतैन रह़िमहुल्लाह फ़रमाते हैं: “क़ाज़ी अबू याला[1] के कई फ़तावा मैंने देखे हैं, जिनमें से एक यह हैः उनसे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा गया जो यह कहता हैः (हे मुह़म्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम-, हे अली -रज़ियल्लाहु अन्हु-), तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा कहना जायज़ नहीं है क्योंकि दोनों मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं”[2]।

ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को ह़राम साबित करने वाले मालिकी उलेमा के कथनः

इमाम मुह़म्मद बिन अह़मद क़ुर्तबी मालिकी रह़िमहुल्लाह अपनी तफ़्सीर “अल-जामेअ लि अह़ाकमिल क़ुरआन” में इस आयतः ﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ﴾ (यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (संभवतः मान भी लिया जाये कि वह तुम्हारी पुकार) सुन भी लें तो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इंकार कर देंगे, तुमको कोई भी अल्लाह सर्वज्ञानी जैसी सूचना कोई अन्य नहीं देगा)। सूरह फ़ातिरः १४। की तफ़्सीर में लिखते हैं किः अल्लाह तआला के इस फ़रमानः

﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ﴾ का अर्थ यह है किः विपदा के समय यदि तुम उन्हें पुकारोगे तो वह तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह निर्जीव हैं जो न तो देखते हैं न सुनते हैं, क्योंकि हर सुनने वाली चीज बोलने वाली नहीं होती है।

और उनका यह कथन शैख़ मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब ने भी अपनी पुस्तक “मुफ़ीदुल मुस्तफ़ीद फ़ी हुक्मे तारिकित्तौह़ीद” (३०१-३०२) में नकल किया है। प्रकाशकः जामेअतुल इमाम मुह़म्मद बिन सऊद अल-इस्लामिया – रियाज़।

[1] आप हैं: शैख़ुल ह़नाबला, मुफ़्ती क़ाज़ी, मुह़म्मद बिन हुसैन बिन मुह़म्मद बग़दादी ह़म्बली, इब्नुल फ़र्रा, अपने युग में इराक के प्रकांड विद्वान थे, आपके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं: “इब्तालुत्तावीलात फ़ी अख़बारिस्सिफात” तथा “अर्रद्दु अलल जहमीय्या” इत्यादि। आपका देहांत सन ४५८ हिजरी में हुआ। रह़िमहुल्लाह रह़मतन वासिअः।

उनकी जीवनी पढ़ने के लिये देखें: “सियरु आलामिन्नुबला” (१८/ ८९), तथा “तारीख़ुलइस्लाम” एवं “त़बक़ातुल ह़नाबिलह”।

[2] तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ि तलबीस दाऊद बिन जरजीस (पृष्ठः १४७)।

और क़तादा कहते हैं: इसका अर्थ यह है कि यदि वो सुन भी लें तो तुम्हें लाभ नहीं पहूँचा सकते।

इसका एक अर्थ यह भी बयान किया गया है किः यदि हम उसकी बुद्धि तथा जीवन उसे लौटा दें जिससे वो तुम्हारी दुआ सुनने लगें तो ऐसी दशा में वो लोग तुमसे अधिक अल्लाह का अनुपालन करने वाले होंगे, और तुम्हारे कुफ्र की ओर वो कोई ध्यान नहीं देंगे।

﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ अर्थातः वो इस बात का इंकार कर देंगे कि तुम लोग उनकी उपासना किया करते थे, तथा तुमसे स्वयं को अलग कर लेंगे।

यह भी संभव है कि इससे अभिप्रेत वह चीज़ हो जिसके पास बुद्धि है जैसे फ़रिश्ते, जिन्न, नबी तथा शैतान, अर्थात ये लोग इस बात का इंकार कर देंगे कि तुम लोगों ने जो किया वह उचित था, और ये कि उन लोगों ने तुम्हें अपनी उपासना का आदेश दिया था, जैसाकि ईसा अलैहिस्सलाम के विषय में अल्लाह तआला ने सूचना दी हैः ﴿مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ (मेरे लिये किसी भी प्रकार से उचित नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं था)। सूरह अल-माइदहः ११६ । यह भी संभव है कि इसमें मूर्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये वह इस तरह कि अल्लाह तआला उनको जीवित करेगा ताकि वे यह कहें कि वो लोग पूजे जाने योग्य नहीं थे।

﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ वह अल्लाह तआला ही है, अर्थात अल्लाह से अधिक सूचना रखने वाला कोई और नहीं है, अतः उससे सटीक बात कोई और कह ही नहीं सकता है। उनका कथन समाप्त हुआ।

अल्लामा अब्दुल ह़मीद बिन बादीस जज़ाइरी[1] रह़िमहुल्लाह अल्लाह तआला के इस फ़रमानः ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ﴾ (और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं) की तफ़्सीर में लिखते हैं:

---

[1] आप हैं: अब्दुल ह़मीद बिन मुस्तफा बिन मक्की बिन बादीस, अलजीरिया में चोदहवीं शताब्दी के प्रख्यात दाई व प्रचारकों में से हैं, अलजीरिया तथा ट्यूनीसिया के अनेक उलेमा के पास रह कर शिक्षा ली, इसके बाद शिक्षण एवं दावत का कार्य करने के साथ-साथ बिद्अतियों व नवाचारियों के विरुद्ध अभियान

(अल्लाह तआला की तौह़ीद का कुछ और बयान

जिसने अल्लाह के सिवाय किसी और को पुकारा तो उसने उसकी उपासना की।

अल्लाह तआला ने अनेक स्थान पर दुआ को इबादत के नाम से जिक्र किया है, क्योंकि दुआ इबादतों का मग़ज़ और उसकी असल है, क्योंकि उपासक इसके द्वारा अपने बलशाली उपास्य के समक्ष अपनी हीनता को दर्शाता है, उस धनवान के समक्ष अपनी दीनता प्रकट करता है, उसकी क़ुदरत के सामने अपनी अयोग्यता को रखता है, इसी कारणवश सुन्नत में इसकी ओर विशेष ध्यानाकर्षण कराया गया है, चुनाँचे नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "दुआ ही इबादत है" तत्पश्चात आप ने इस आयत का पाठ कियाः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ (तुम्हारे रब का आदेश आ चुका कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा, निःसंदेह जो लोग अभिमान में आ कर मेरी इबादत नहीं करते, शीघ्र ही वह अपमानित हो कर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे)। इस ह़दीस़ को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजह तथा अह़मद आदि ने रिवायत किया है।

छेड़ दिया विशेष रूप से सूफ़ियों के विरुद्ध, जिससे तंग आकर सूफ़ियों ने आपको अगवा करने का प्लान बनाया लेकिन अल्लाह तआला ने आपकी रक्षा की। आपने इस छेत्र में काफी काम किया, और आपकी छत्र छाया में रह कर अनेक उलेमा ने शिक्षा प्राप्त की जिनमें प्रमुख हैं: मुबारक मीली, फ़ुज़ैल वर्तिकालानी, मुह़म्मद सईद ज़ाहिरी, अह़मद ह़िम्मानी, मुह़म्मद स़ालेह बिन अतीक़ तथा मुह़म्मद स़ालेह रमज़ान।
आपके आलेखों का बाद में संकलन किया गया जिनमें "मबादिउल उसूल", "अल-अक़ाइद अल-इस्लमिया", "अल-तफ़्सीर अथवा माजलिसुत्तज़कीर", "रिजालुस्सलफ व निसाउहू" तथा "जवाबु सवाल अन सूई मक़ाल" जो वास्तव में यह इब्ने उलैवा तुरुक़ी पर रद्द है, प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त आपके आलेखों को छः जिल्दों में संग्रहित किया गया है, जिसे अलजीरियाई धार्मिक मंत्रालय ने छापा है।
इब्ने बादीस रह़िमहुल्लाह ने अलजीरिया को फ्रांस से मुक्ति दिलाने के लिये अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, अपना सारा जीवन उन्होंने शिक्षा तथा दावत के मैदान में खपा दिया, ११ रबीउस्सनी १३५८ हिज्री को आपका देहांत हुआ। रह़िमहुल्लाह रह़मतन वासिअः।

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "दुआ इबादत का मूल व मग़्ज़ है"[1] इस हदीस़ को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

इस प्रकार ह़दीस़ तथा बौद्धिक (अक़्ल, बुद्धि) दोनों रूप से प्रमाणित हुआ कि दुआ इबादत है, अतः जिसने अल्लाह के सिवाय किसी अन्य से दुआ किया मानो उसने उसकी इबादत की, यद्यपि वह ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को इबादत का नाम न दे किंतु इससे वास्तविकता नहीं बदल जायेगी कि वह इबादत है, क्योंकि शरीअत ने जो नाम रखा है उसी का एतबार किया जायेगा।

एक महत्वपूर्ण चेतावनीः

आप अनेक लोगों को इस प्रकार से दुआ करते हुये सुनते होंगेः (हे रब व शैख़), (हे मेरे रब तथा मेरे मालिक के रब), ध्यान रहे कि यह भी ग़ैरुल्लाह से ही दुआ करना है, अतः हे मेरे मुस्लिम बंधु इससे बचें, और केवल एक अकेले अपने रब व सृष्टि कर्ता की ही इबादत करें।[2]) अब्दुल ह़मीद रह़िमहुल्लाह कथन समाप्त हुआ।

अल्लामा मुबारक मीली जज़ाइरी[3] रह़िमहुल्लाह अपनी पुस्तक "रिसालतुश्शिर्क व मज़ाहिरिहि" में लिखते हैं:

---

[1] यह ह़दीस़ ज़ईफ़ (कमज़ोर) है। देखें: "मिश्कातुल मस़ाबीह़" (२२३१) तथा "ज़ईफ़ुल जामेअ अल-स़ग़ीर व ज़्यादतिही" (३००३), किंतु इसका अर्थ सही है, और दूसरी सही ह़दीस़ में आया है किः "दुआ ही इबादत है"।

[2] "माजलिसुत्तज़कीर मिन कलाम -ए- अल-ह़कीम अल-ख़बीर" (२९९-३००)।

[3] आप मुबारक बिन मुहम्मद इब्राहीमी मीली हैं, बालपन से ही अनेक उलेमा के यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिये जाने लगे, जिनमें प्रमुख हैं: शैख़ अब्दुल ह़मीद बिन बादीस रह़िमहुल्लाह। तत्पश्चात आपकी गिनती अलजीरिया के प्रकांड विद्वानों में होने लगी, पत्रकारिता के मैदान में आपने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया, और फ्रांस से स्वतंत्रता की लड़ाई की परेशानियों के बीच भी आपने दावत के मैदान में अदभुत कार्य किया, आपकी कई पुस्तकें जिनमें से एक हैः "रिसालतुश्शिर्क व मज़ाहिरिहि", आपका देहांत सन १९४५ ईस्वी में हुआ।

आपकी जीवनी पढ़ने के लिये देखें: "रिसालतुश्शिर्क व मज़ाहिरिहि" का प्रस्तावना, अन्वेषकः शैख़ अबू अब्दुर्रह़मान महमूद जज़ाईरी, प्रकाशकः दार अल-राया – रियाज़।

(ग़ैरुल्लाह से दुआ करने का हुक्म

ग़ैरुल्लाह से दुआ करना... स्पष्ट कुफ़्र तथा अत्यंत बुरा शिर्क है, और इसके दो प्रकार हैं:

पहला: अल्लाह के साथ-साथ दूसरों से दुआ करना, जैसे कोई कहेः (हे मेरे रब तथा मेरे शैख़, हे मेरे रब एवं मेरे दादा, हे मेरे रब और उसकी रचना, हे अल्लाह और हे अब्दुल क़ादिर जीलानी), अनेक लोगों से मैंने सुना है जिनका कहना है कि उन्होंने कई लोगों को इस प्रकार से दुआ करते हुए सुनाः (हे रब तथा मेरे मालिक यूसुफ़ मुझे माफ़ कर दे ...)।

इस प्रकार के कृत्य के शिर्क होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि दुआ करने वाले ने दुआ में अल्लाह के साथ अन्य को भी शामिल कर लिया, जो यह दर्शाता है कि उन के निकट दोनों एक समान हैं।

दूसरा: अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरुल्लाह से दुआ करना, जैसे कोई कहेः (हे अमूक नेक पुरूष)[1]। शैख़ मुबारक मीली रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

एक स्थान पर वह लिखते हैं:

क़ुरआन तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा कठोरता से रोकने के बावजूद मुसलमानों के बीच ग़ैरुल्लाह से दुआ करने की बीमारी वृहद रूप से फ़ैल गई है, स्थिति यह हो गई है कि कुछ अज्ञानी लोग अल्लाह से दुआ करने के स्थान पर ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को प्राथमिकता देते हैं, और इसके दलील के तौर पर ख़ुराफ़ात पेश करते हैं जिनका उल्लेख सिवाय समय बर्बाद करने के और कुछ नहीं[2]।

अल्लामा तक़ीयुद्दीन हिलाली मालिकी[3] रह़िमहुल्लाह अपनी किताब "अल-हदीय्यतुलहादिया इला अत्ताइफ़ा अत्तीजानीय्या" में लिखते हैं:

---

(1) "रिसालतुश्शिर्क व मज़ाहिरिहि" का प्रस्तावना (२८१-२८२), अन्वेषकः शैख़ अबू अब्दुर्रह़मान मह़मूद जज़ाईरी, प्रकाशकः दार अल-राया – रियाज़। इस का पुनरावलोकन शैख़ बक्र बिन अबू ज़ैद रह़िमहुल्लाह ने किया है।

(2) "रिसालतुश्शिर्क व मज़ाहिरिहि" का प्रस्तावना (२८६)।

(3) अल्लामा, मुह़द्दिस़, सुप्रसिद्ध भाषाविद, प्रख्यात कवि, तथा देशाटन के लिये मशहूर, सलफ़ी शैख़, डॉक्टर मुह़म्मद त़की जो मुह़म्मद तक़ीयुद्दीन हिलाली के नाम से प्रसिद्ध हैं, अनेक उलेमा से शिक्षा ग्रहण

(प्रिय पाठकगण! आपके समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि इस्तेग़ास़ा (शरण चाहना) दुआ है, और दुआ इबादतों का मूल तथा मग़ज़ है, तो जिसने भी ग़ैरुल्लाह से इस्तेग़ास़ा चाहा उसने शिर्क किया तथा अल्लाह के संग अन्य की इबादत की, जिसने यह गुमान रखा कि कोई जीव इस बात में सक्षम है कि वह शरण चाहने वालों को शरण दे सके, विपदा में घिरे हुये की विपदा दूर कर दे, परेशानियों से निजात दे तथा वह धरती पर अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो क़ुरआन व ह़दीस़ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस व्यक्ति ने अल्लाह के साथ-साथ किसी अन्य को भी माबूद व पूज्य बना लिया, सूरह नम्ल में अल्लाह तआला के इस फ़रमान में सोच-विचार करने की आवश्यकता हैः ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

किया, जिनमें मिस्र के शैख़ अब्दुज़्ज़ाहिर अबुस्सम्ह तथा शेख़ रशीद रज़ा प्रमुख हैं, फिर वहीं रह कर शिर्क व इल्हाद (नास्तिकता) का विरोध करते हुए लोगों को सलफ़ के अक़ीदा की दावत देने लगे, तत्पश्चात हिंदुस्तान की यात्रा की और वहां रह कर "तुह़फ़तुल अह़वज़ी बि शर्ह़ जामे अत्तिर्मिज़ी" के लेखक शैख़ मुह़द्दिस़ अब्दुर्रह़मान मुबारकपूरी से ह़दीस़ की शिक्षा ली, ईराक़ के उलेमा से भी उन्होंने शिक्षा लिया, इसके बाद दावती कार्य में लग गये यहाँ तक कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में शिक्षक का पदाभार संभाला, और वहाँ सन १९७४ ईस्वी तक पढ़ाते रहे, इसके बाद अपने देश मग़रिब (मोरोक्को) लौट गये, और वहीं तौह़ीद व सुन्नत की ओर लोगों को दावत देते रहे यहाँ तक कि सोमवार के दिन २५ शव्वाल १४०७ हिज्री को आपका देहांत हो गया।

फ़िक़्ह तथा अक़ीदा में उन्होंने बीस से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं: "अल-क़ाज़ी अल-अद्ल फ़ी हुक्मिल बिनाए अला अल-क़ुबूर" तथा "अल-इल्मुल मास़ूर वल इल्मुल मश्हूर वल लिवाउल मंशूर फ़ी बिद्इल क़बूर"। रहिमहुल्लाह रह़मतन वासिअः।

رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٣ أَمَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم
مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٦٤﴾ (और हमने उन पर बहुत अधिक वर्षा कर दी, तो बुरी हो गई सावधान किये हुये लोगों की वर्षा। आप कह दें : सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, और सलाम है उसके उन बंदों व भक्तों पर जिन को उसने चुन लिया, क्या अल्लाह उत्तम है या जिसे वह साझी बनाते हैं? यह वह है जिसने उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की और उतारा है तुम्हारे लिये आकाश से जल, फिर हमने उगा दिया उसके द्वारा भव्य बाग़, तुम्हारे बस में न था कि उगा देते उसके वृक्ष, तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि यही लोग (सत्य से) कतरा रहे हैं। या वह है जिसने धरती को रहने योग्य बनाया तथा उसके बीच नहरें बनायीं, और उसके लिये पर्वत बनाये, और बना दी दो सागरों के बीच एक रोक, तो क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? बल्कि उन में से अधिकतर ज्ञान नहीं रखते हैं। यह वह है जो व्याकुल की प्रार्थना सुनता है जब उसे पुकारे और दूर करता है दुःख को, तथा तुम्हें बनाता है धरती का उत्तराधिकारी, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। या वह है जो तुम्हें राह दिखाता है सूखे तथा सागर के अंधेरों में, तथा भेजता है वायुओं को शुभ सूचना देने के लिये अपनी दया (वर्षा) के पूर्व, क्या कोई और पूज्य है अल्लाह के साथ? उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं। या वह है जो आरंभ करता है उत्पत्ति को, फिर उसे दोहरायेगा तथा जो तुम्हें जीविका देता है आकाश तथा धरती से, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? आप कह दीजिये कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम सच्चे हो)। सूरह अल-नम्लः ५८-६४।

अल्लाह तआला ने इन आयतों में कुछ विशेष चीज़ों का उल्लेख किया है जिन पर अल्लाह के सिवाय कोई अन्य सक्षम नहीं है, जिनमें से कुछ ये हैं: परेशान लोगों की परेशानी को दूर करना, विपदा को दूर करना, पदों पर आसीन करना, सूखे तथा समुंदर में लोगों को राह दिखलाना तथा हवा भेजना, अब जो इन मामलों में से किसी मामले को किसी जीव से बिना किसी कारण के संबंध जोड़ देता है तो वह अल्लाह के साथ शिर्क करता है तथा अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद व उपास्य बना लेता है।

ज्ञात हो कि प्रत्येक मुस्लिम के ऊपर वाजिब है कि वह अल्लाह को उसकी रूबूबियत, इबादत (अर्थात उलूहियत) तथा अस्मा व सिफ़ात में अकेला समझे, यह तौहीद के तीन प्रकार हैं, जिसने इनमें से किसी में कमी की या किसी को छोड़ दिया तो वह काफ़िर है[1]।

अल्लामा, शैख़, मुफ़स्सिर मुहम्मद अमीन बिन मुहम्मद मुख़्तार शंक़ीती[2] रहिमहुल्लाह अल्लाह तआला के इस आयतः ﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ ((जो व्यक्ति अल्लाह के साथ अन्य पूज्य को पुकारे जिसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं है, उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर ही है, निःसंदेह काफिर लोग निजात (मोक्ष) से वंचित हैं)। की तफ़्सीर में लिखते हैं: सबसे बड़ा काफ़िर वह है जो अल्लाह के संग किसी और को पूज्य मान कर पुकारता है जिसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं है, और यह कहना कि ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता इस बात को दर्शाता है कि उसका सर्वनाश होने वाला है तथा उसका ठिकाना जहन्नुम है, अल्लाह तआला ने बहुतेरी आयतों में अपने साथ किसी और को पुकारने से रोका है, जैसे अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۖ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِينٞ ٥١﴾ (और अल्लाह के संग किसी और को पूज्य न बनाओ, निःसंदेह मैं तुम्हें उसकी ओर खुला डराने वाला हूँ)। सूरह अल-ज़ारीय्यातः ५१। और यह फ़रमानः ﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٨﴾ (अल्लाह के साथ किसी और माबूद (पूज्य) को न पुकारना, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य पूज्य नहीं, अल्लाह के मुख के सिवा हरेक चीज़ हलाक हो जाने वाली है, उसी का शासन है और तुम उसी की ओर फेरे जाओगे)। सूरह अल-क़सस़ः ८८। अल्लाह तआला का इर्शाद हैः ﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ٢٢﴾ ((हे

---

[1] "अल-हदीय्यतुलहादिया इला अत्ताइफ़ा अत्तिजानीय्या" (६१)।

[2] आप हैं: अल्लामा, शैख़, मुफ़स्सिर मुहम्मद अमीन बिन मुहम्मद मुख़्तार शंक़ीती, चौदहवीं शताब्दी के उलेमा में से हैं, आप प्रकांड विद्वान एवं तीक्षण बुद्धि तथा मजबूत स्मरण शक्ति के स्वामी थे, आपने लगभग बीस किताबें लिखी हैं, इनमें से अधिकतर तफ़्सीर, फ़िक़्ह तथा अक़ीदा से संबंधित हैं, जिनमें प्रमुख हैं: "अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाहिल क़ुरआन बिल क़ुरआन" तथा "मुज़क्करतु उस़ूलिल फ़िक़्ह अला रौज़तिन नाज़िर", आपके सभी आलेखों को "आस़ारुश्शैख़ मुहम्मद अमीन शंक़ीती" के नाम से संग्रहित किया गया है। आप का देहांत सन १३९३ हिज्री में हुआ।

मानव!) अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, अन्यथा बुरा और असहाय हो कर रह जायेगा)। सूरह बनी इस्राईलः २२। इस प्रकार की अनेक आयतें हैं। शैख़ मुहम्मद अमीन बिन मुहम्मद मुख़्तार शंक़ीती का कथन समाप्त हुआ।

सूरह हुजुरात की दूसरी आयत की तफ़्सीर में लिखते हैं:

"ज्ञात हो कि विशेषतः अल्लाह से संबंधित जो अधिकार हैं जो उसकी रुबूबियत के साथ खास हैं, वो यह हैं कि बंदे को जब कोई विपदा का सामना हो जिसके दूर करने में केवल अल्लाह सक्षम हो, ऐसी दशा में उस व्यक्ति के लिये जायज़ नहीं है कि वह अल्लाह को छोड़ कर किसी और के पास जाये, क्योंकि यह अल्लाह के रुबूबियत की विशेषता में से है, अतः अल्लाह के इस विशेष अधिकार का प्रयोग अल्लाह के लिये ही करना तो अल्लाह तथा उसके रसूल के आज्ञापालन का मतलब है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सच्चा सम्मान है, क्योंकि आप के सम्मान का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपका अनुसरण किया जाये और निश्छल तौहीद एवं केवल एक अल्लाह की उपासना करने में आपकी पैरवी की जाये।

अल्लाह तआला ने अनेक आयतों में इस बात को स्पष्ट किया है कि आपदा के समय परेशान मानव जाति का, उस आपदा को दूर करने के लिए केवल अल्लाह के पास आना, अल्लाह की रुबूबियत की विशेषता में से है"[1]। उनका कथन समाप्त हुआ।

इसी के साथ इस संबंध में चारों मज़हब के उलेमा का कथन समाप्त होता है।

अब हम उन उलेमा के कथनों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने स्वयं को किसी मज़हब अर्थात मत में सीमित नहीं किया है, तथा ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को स्पष्ट रूप से ह़राम करार दिया है, चुनाँचे अल्लामा शौकानी[2] रह़िमहुल्लाह अपनी पुस्तक

---

[1] देखें: "अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाह़िल क़ुरआन बिल क़ुरआन"।

[2] शैख़, फ़क़ीह, उसूली, मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद शौकानी यमनी। आपने अनेक शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण किया, उनकी अनेक पुस्तकें हैं, जिनमें से एक "इर्शादुल फ़ुहूल इला तह़क़ीक़िल ह़क़्क़ मिन इल्मिल उसूल" है, "अल-फ़त्ह अल-रब्बानी फ़ी फ़तावा अश्शौकानी" के नाम से उनका फ़तावा संग्रह भी छप चुका है। तफ़्सीर के विषय में लिखी गई उनकी पुस्तक का नाम "फ़त्हुल क़दीर" है। उन्होंने अपनी पुस्तक "अस्सवारिमुल ह़द्दाद अल-क़ातिआ लिअलाइक़ मक़ालात अरबाबिल इत्तेहाद" में ख़ालिक़ तथा मख़लूक़ के एकता (वह़दतुल वजूद का अक़ीदा अर्थात अस्तित्व में एकता) के पक्षधरों का खंडन किया है। इनके अतिरिक्त भी उनकी अनेक पुस्तकें तथा पुस्तिकाएं हैं जिनकी संख्या लगभग ११४ तक है। उनका देहांत

"अद्दुरुन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमतित तौहीद" में लिखते हैं: "ज्ञात हो कि सबसे बड़ी विपदा तथा मुसीबत उसके अतिरिक्त है जिसका पूर्व में मैंने वसीला तथा शफ़ाअत के संबंध में उल्लेख किया है, और जो सबसे बड़ी मुसीबत है वह यह कि बहुतेरे आम लोग तथा कुछ खास लोग भी क़ब्रों में दफ़न मुर्दों तथा महात्माओं के विषय में यह आस्था रखते हैं कि वह ऐसी चीजें करने में समर्थ हैं जिन के करने में केवल अल्लाह ही सक्षम है, ये मृतक तथा नेक लोग वह कार्य अंजाम देते हैं जिनके करने में केवल अल्लाह ही समर्थ है, चुनाँचे जो उनके हृदय में था वह उनकी ज़ुबान पर आ गया, इसीलिए ये लोग कभी तो अल्लाह के साथ-साथ इन मुर्दों को सहायता के लिए पुकारते हैं, और कभी केवल इन मुर्दो से ही सहायता की गुहार लगाते हैं, उनके नामों को ज़ोर-ज़ोर से पुकारते हैं, उनका इस प्रकार से सम्मान करते हैं मानो वो लाभ-हानि के मालिक हों, उनके समक्ष इस तरह भय खाते हुए झुकते हैं कि उस प्रकार से तो वो अल्लाह के समक्ष नमाज़ तथा दुआ करते समय भी नहीं झुकते, ऐसे कृत्यों को यदि शिर्क नहीं कहा जायेगा तो फिर मैं नहीं जानता की शिर्क की क्या परिभाषा है! और यदि ऐसा करना कुफ्र नहीं है तो फिर इस संसार में कुफ्र का अस्तित्व ही नहीं है"[1]।

मैं इस अध्याय को इमाम शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़[2] रहिमहुल्लाह के एक अनमोल तथा संतुलित कथन के द्वारा समाप्त करना चाहता हूँ, आप कहते हैं: "इसमें

१२५० हिज्री में हुआ। उनकी स्वरचित आत्मकथा पढ़ने के लिये देखें: "अल-बद्र अल-त़ालेअ", तथा उनकी जीवनी पढ़ने के लिये ज़िरिक्ली की "अल-आलाम" (६/ २९८) भी देखें।

[1] अद्दुर अन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमतित्तौह़ीद (२२-२३), अन्वेषकः मुहम्मद अलही ह़लबी, दारुल फ़त्ह़, शारजा।

[2] शैख़, इमाम, इब्ने बाज़ रह़िमहुल्लाह अपने समय के शैख़ुल इस्लाम थे, उन्होंने अपने ज्ञान तथा फिक़्ह से पूरे संसार को लाभांवित किया, उनके द्वारा समस्त संसार में हजारों की संख्या में मस्जिदें बनाई गईं एवं सैकड़ों शैक्षिक परियोजनाएं पूर्ण हुईं, आपके शिष्यों की तादाद असंख्य है, उनके देहांत के पश्चात सऊदी अरब में जो उलेमा, क़ाज़ी तथा छात्र शेष रह गए हैं उनमें से अधिकतर ने उनसे शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई तो आप उसके सर्वप्रथम वाइस चांसलर (उपकुलपति) नियुक्त हुए। फिर एक वर्ष के बाद आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किये गए। यह भव्य विश्वविद्यालय अपने आरंभ से ले कर अब तक दीन -ए- इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करने का एक वट वृक्ष साबित हुआ है जहाँ दुनियाँ भर से हज़ारों छात्र शिक्षा लेने पहूँचते हैं, उन छात्रों में से अनेक अपने देश के बड़े उलेमा में गिने जाते हैं। शैख़ इब्ने बाज़ रह़िमहुल्लाह के फ़तावा का संग्रह तीस जिल्दों में छप चुका है। उनकी अनेक पुस्तकें तथा पुस्तिकाएं भी हैं। वह लोगों की सहायता करने, उनकी सिफ़ारिश करने तथा

कोई संदेह नहीं कि दुआ इबादत (पूजा) के महत्वपूर्ण किस्मों में से है, दुआ में इबादत का अर्थ गहरी पैठ रखता है, अतः दुआ को केवल अल्लाह तआला के लिए अंजाम देना वाजिब व अपिरहार्य है, अल्लाह तआला ने अपनी अंतिम पुस्तक क़ुरआन में अनेक स्थान पर इसका आदेश दिया है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ (तुम अल्लाह को पुकारते रहो, उसके लिये दीन (धर्म) को ख़ालिस व निश्छल कर के, यद्यपि काफ़िर बुरा मानें)। सूरह ग़ाफ़िरः १४। दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ (ये मस्जिदें केवल अल्लाह के लिये आरक्षित हैं, अतः अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो)। सूरह अल-जिन्नः १८। यहाँ अरबी भाषा के शब्द ﴿أَحَدًا﴾ (अह़दन (अर्थात अकेला) में नबी तथा अन्य सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि अह़दन (अकेला) नकरा (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) नह्य (वर्जना) के पश्चात प्रयोग किया गया है, जो व्यापक अर्थ देता है, अतः यह अल्लाह तआला के सिवा सभी को सम्मिलित है, एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ (अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ की उपासना मत करो जो तुमको न

उनकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिये प्रख्यात थे। वह प्रत्येक मुसलमान को नसीहत तथा सदुपदेश देने के लिये भी जाने जाते हैं चाहे वह व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ देशों के ग़ैर मुस्लिम हुक्मरानों एवं शासनाध्यक्षों को भी नसीहत करने का पुनीत कार्य अंजाम दिया। उनकी शैक्षिक, दावती तथा तरबियत संबंधी सेवाओं का बखान कुछ पंक्तियों में कर पाना असंभव है। उनकी जीवनी के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें से उनके सलाहकार डॉक्टर मुहम्मद बिन साद अल-शोवैइर द्वारा लिखी गई "अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ आलिमुन फ़क़दत्हुल उम्मत" तथा उनके कार्यालय के निदेशक शैख़ मुहम्मद बिन मूसा अल-मूसा की "जवानिब मिन सीरतिल इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह" उल्लेखनीय हैं। शैख़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह का देहांत सन १४२० हिज्री के प्रारंभ में हुआ और उस समय उनकी आयु ९० वर्ष थी। उनकी मृत्यु की सूचना सुनकर संसार भर में कोहराम मच गया, विशेषतः मुस्लिम घरानों में उनकी मृत्यु का समाचार बिजली बन कर गिरा। बड़ी संख्या में वज़ीर, युवराज, उलेमा, क़ाज़ी, शिक्षाविद् तथा आम लोग उनके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिये जुटे, मस्जिद -ए- ह़राम में उनके जनाज़ा की नमाज़ अदा की गई, दस लाख से अधिक की संख्या में लोग उनके जनाज़ा में सम्मिलित हुये, लम्बे समय तक समाचारपत्रों में आपकी मृत्यु से संबंधित आलेख छपते रहे, आपकी मृत्यु के पश्चात बड़ी संख्या में आपसे संबंधित गद्य एवं पद्य में आपका मर्सिया (शोक-काव्य) लिखा गया।

कोई लाभ पहूँचा सकते हैं और न कोई हानि)। सूरह यूनुसः १०६ । यहाँ पर संबोधन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है, और यह बात विदित है कि अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को शिर्क से सुरक्षित रखा है, अतः इसके द्वारा यहाँ आपकी उम्मतो को चेताया गया है, इसके बाद अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ (फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो ज़ालिमों में से हो जायेंगे)। सूरह यूनुसः १०६ । जब आदम की संतान के सरदार ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने के कारण ज़ालिम ठहराये जाएं तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा?! इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ज़ुल्म का प्रयोग जब मुतलक (व्यापक) तौर पर हो तो इससे तात्पर्य शिर्क -ए- अकबर होता है, जैसाकि अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (और काफ़िर ही ज़ालिम हैं)। सूरह अल-बक़राः २५४ । एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (निःसंदेह शिर्क अत्यंत संगीन ज़ुल्म है)। सूरह लुक़मानः १३ ।

इन आयात (श्लोकों) से ज्ञात हुआ कि मुर्दों, वृक्षों, पत्थरों तथा मूर्तियों आदि को मदद के लिये पुकारना और उनसे दुआ करना अल्लाह के साथ शिर्क है, यह उस इबादत व पूजा के विपरीत है जिसके लिए अल्लाह तआला ने इंसानों एवं जिन्नातों (मानवों एवं दानवों) की रचना की है, जिसकी ओर दावत देने के लिये रसूलों को भेजा गया तथा जिसकी व्याख्या के लिये किताबें अवतरित की गईं, और कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का यही अर्थ है, इस कलेमा -ए- तौहीद का मतलब ही यही है कि अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं है, यह कलेमा ग़ैरुल्लाह की पूजा का इंकार करता है और एक अल्लाह की पूजा को साबित करता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ﴾ (यह सब इसलिये कि अल्लाह ही हक़ (सत्य) है और उसके सिवा जिसे भी यह पुकारते हैं वह बातिल है)। सूरह अल-हजः ६२ । यही इस्लाम धर्म का मूल है, इबादत व पूजा उसी समय सही होगी जब यह मूल दुरुस्त होगा, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ (निःसंदेह आपकी ओर तथा आपसे पूर्व -समस्त नबियों- की ओर यह वह्य -प्रकाशना- कर दी गई है कि यदि आपने शिर्क किया तो निश्चय ही आपके समस्त सदकर्म

अकारत चले जायेंगे और निःसंदेह आप घाटा उठाने वालों में से हो जायेंगे)। सूरह ज़ुमरः ६५।
एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ (यदि ये सम्मानित नबी भी शिर्क करते तो उनके समस्त सदकर्म अकारत हो जाते)। सूरह अल-अनआमः ८८।

दीन -ए- इस्लाम का आधार दो अति महत्वपूर्ण नियमों पर खड़ा है, एक यह कि केवल एक अल्लाह की इबादत व उपासना की जाए, दूसरा यह कि अल्लाह की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताये हुए ढंग पर की जाये, कलेमा -ए- शहादत "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" का यही अर्थ है। अतः जिसने मुर्दों में से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आदि को पुकारा अथवा उनसे दुआ माँगी, जीव अथवा निर्जीव वस्तुओं जैसे बुतों, वृक्षों तथा पत्थरों इत्यादि को पुकारा या उनसे दुआ की, उनसे फरयाद की, पशु की बलि दे कर तथा मन्नत मान कर उनका सामीप्य प्राप्त करने की चेष्ठा की, या उनके लिये नमाज़ पढ़ी या सज्दा किया तो ऐसे व्यक्ति ने अल्लाह को छोड़ कर मानो उन्हें अपना रब व पालनहार बना लिया और उन्हें अल्लाह तआला के समक्ष करार दिया, और ऐसा करना दीन -ए- इस्लाम के पहले मूल नियम के विरुद्ध है एवं कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" के विपरीत है। इसी प्रकार से जिसने दीन में बिद्अत ईजाद की, जिसकी अनुमति अल्लाह तआला ने नहीं दी है तो उसने कलेमा -ए- तौहीद के दूसरे मूल नियम "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" के आश्य को पूरा नहीं किया, अल्लाह तआला का इर्शाद हैः ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ (उन्होंने जो जो कर्म किये थे हम उनकी ओर बढ़ कर उन्हें धूल के समान उड़ा देंगे)। सूरह अल-फ़ुर्क़ानः २३। यहाँ उन लोगों के कर्मों की बात की गई है जिनकी मृत्यु अल्लाह के साथ शिर्क करते हुई। यही अंजाम बिद्अत करने वालों के कर्मों का भी होना है, क्योंकि अल्लाह तआला ने दीन में बिद्अत ईजाद करने की अनुमति नहीं दी है, अतः उनके कर्म भी क़्यामत के दिन रेत के कण के समान बिखर कर बर्बाद हो जायेंगे, क्योंकि उनके कर्म बिद्अत आधारित होने के कारण शरीअत के विरुद्ध थे, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद हैः "जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी बात ईजाद की जो उसमें नहीं थी तो वह मरदूद व खंडनीय है"[1]।

[1] इस हदीस़ को बुख़ारी (२६९७) तथा मुस्लिम (१७१८) ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है।

इसके पश्चात शैख़ इब्ने बाज़ रहि़महुल्लाह कहते हैं: अल्लाह तआला ने अपने बंदों को आदेश दिया है कि मदद के लिये वह उसे ही पुकारें, उससी से दुआ माँगे, अल्लाह तआला ने अपने बंदों से यह वादा भी किया है कि जो दुआ के लिए उसके सामने हाथ फैलायेगा, वह उसकी दुआ को स्वीकार करेगा तथा जो तकब्बुर व अभिमान करते हुए उससे दुआ नहीं माँगेगा उसके लिये जहन्नुम में प्रवेश कराने की धमकी है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ (तुम्हारे रब का आदेश आ चुका कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा, निःसंदेह जो लोग अभिमान में आ कर मेरी इबादत नहीं करते, शीघ्र ही वह अपमानित हो कर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे)। सूरह ग़ाफ़िरः ६० । इस आयत से ज्ञात हुआ कि दुआ इबादत है और जिसने अभिमान करते हुए इस इबादत से मुँह मोड़ा उसका ठिकाना जहन्नुमह है, जब अल्लाह तआला से माँगने में घमंड करने वालों का यह अंजाम है तो फिर उसका क्या अंजाम होगा जो ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगता है और अल्लाह तआला से विमुखता प्रकट करता है?!

अल्लाह तआला अपने बंदों के अत्यंत निकट है, उनकी दुआ का स्वीकार करने वाला एवं हरेक वस्तु का स्वामी तथा समस्त चीज़ों को अंजाम देने में समर्थ है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ﴾ (जब मेरे बंदे मेरे विषय में आप से सवाल करें तो आप कह दें कि मैं अति निकट हूँ, हरेक पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वह मुझे पुकारे, स्वीकार करता हूँ, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का कारण है)। सूरह अल-बक़रहः १८६ ।

इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सह़ीह़ ह़दीस़ में यह सूचना दी है कि दुआ ही इबादत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मौका पर अपने चचेरे भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फ़रमायाः “तुम अल्लाह की हि़फ़ाज़त करो वह तुम्हारी हि़फ़ाज़त करेगा, तुम अल्लाह की हि़फ़ाज़त करो तुम उसे अपने

सामने पाओगे, जब भी माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो, जब भी सहायता माँगो तो अल्लाह से ही सहायता माँगो"। इस ह़दीस़ को इमाम तिर्मिज़ी आदि ने रिवायत किया है[1]।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः "जिस किसी की भी मृत्यु ऐसी दशा में हुई कि वह अल्लाह को छोड़ कर किसी और को उसके समतुल्य मान कर उसे मदद के लिये पुकारता था तो वह नरक में जायेगा"[2]।

सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गयाः अल्लाह तआला के निकट सबसे बड़ा गुनाह (महा पाप) किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम किसी को अल्लाह के समान समझ लो जब्कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है"[3]। ह़दीस़ में अरबी भाषा का शब्द "अल-निद्द (الند)" का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता हैः समतुल्य, समान, समकक्ष, बराबर इत्यादि।

चुनाँचे जिसने भी ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगी, उससे फ़रियाद किया, उसके लिये नज़्र मानी, उसके लिये पशु की बलि चढ़ाई या किसी अन्य प्रकार की इबादत व पूजा को अंजाम दिया तो उसने उसे अल्लाह के समान करार दे दिया, अब चाहे जिसे समतुल्य बनाया गया है वह कोई नबी हो, वली हो, फ़रिश्ता हो, जिन्नात हो, मूर्ति हो अथवा कोई भी जीव हो।

अब रहा यह प्रश्न कि जीवित आदमी से किसी ऐसे कार्य में सहायता माँगना जिसे करने में वह सक्षम हो, तथा सदृश्य व इंद्रीय कार्यो में उससे मदद तलब करना जिसका करना उसके वश में हो, तो यह शिर्क नहीं है, बल्कि इसका संबंध रोजमर्रा तथा नित्य प्रतिदिन होने वाले कार्यों से है जिनमें एक-दूजे की मदद लेना तथा एक-दूसरे की मदद करना जायज़ है, जैसाकि मूसा अलैहिस्सलाम के वृत्तांत में अल्लाह तआला का इर्शाद हैः ﴿فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ﴾ (उसके समुदाय वाले ने उसके विरुद्ध जो उसके शत्रुओं में से था उससे फ़रियाद की)। सूरह अल-क़स़स़ः १५ । मूसा अलैहिस्सलाम के ही किस्सा में एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ (वह -मूसा अलैहिस्सलाम- वहाँ से

---

[1] इसकी तख़रीज पूर्व में गुज़र चुकी है।

[2] बुख़ारी (४४९७) ने इसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[3] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (४७६१) तथा मुस्लिम (८६) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

भयभीत हो कर देखते-भालते निकल खड़े हुए)। सूरह अल-क़ससः २१ । यह ठीके ऐसे ही है जैसे युद्ध के समय कोई अपने साथी से मदद तलब करता है, ये वो सांसारिक आवश्यकताएं हैं जो एक मानव जीवन में पेश आते रहते हैं, लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है तथा लोग एक दूसरे से सहायता माँगते भी हैं।

अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह आदेश दिया था कि लोगों तक यह बात पहूँचा दें कि आप किसी लाभ-हानि के स्वामी नहीं हैं, सूरह जिन्न में अल्लाह तआला का इर्शाद हैः ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٠ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢١﴾ (आप कह दीजिए में केवल अपने रब को ही पुकारता हूँ, और उसके साथ किसी को साझी नहीं बनाता, कह दीजिए कि मैं तुम्हारे किसी लाभ-हानि का अधिकार नहीं रखता)। सूरह अल-जिन्नः २०-२१ । इसी बात को सूरह आराफ़ में अल्लाह तआला ने यों बयान किया हैः ﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने आपको किसी प्रकार का लाभ अथवा हानि नहीं पहूँचा सकता, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं ग़ैब (भविष्य) की बातें जानता तो बहुत सा लाभ अर्जित कर लेता और किसी प्रकार की हानि मुझको नहीं पहूँचती, मैं तो मात्र डराने वाला तथा शुभ-संदेश देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं)। सूरह अल-आराफ़ः १८८ ।

इस आश्य की बहुतेरी आयतें क़ुरआन में मौजूद हैं।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम केवल अपने रब से फ़रियाद व विनती किया करते थे, आप बद्र के दिन अल्लाह तआला से विनती कर रहे थे, अपने शत्रुओं के विरुद्ध उससे सहायता माँग रहे थे, और गिड़गिड़ाते हुए अपने रब से दुआ कर रहे थे, और यह वाक्य दोहरा रहे थेः "हे मेरे रब, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा कर दे", यहाँ तक कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको तसल्ली देते हुए कहाः "हे अल्लाह के रसूल, अब बस कीजिए, अल्लाह तआला आपसे किए गए वादे को अवश्य पूरा करेगा"[1]। अल्लाह तआला ने इसी

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (२९१५) तथा मुस्लिम (१७६३) ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

संबंध में यह आयत नाज़िल फ़रमाई है: ﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ ۝٩ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ وَلِتَطۡمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمۡۚ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠﴾ (उस समय को याद करो जब तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको एक हजार फरिश्तों के द्वारा मदद दूँगा जो लगातार चले आएंगे, और अल्लाह तआला ने यह मदद केवल इस लिये की कि शुभ-संदेश हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार आ जाए, और मदद केवल अल्लाह की ही ओर से है जो जबरदस्त हिकमत वाला है)। सूरह अल-अन्फ़ालः ९-१० । अल्लाह तआला ने इन आयतों में मुसलमानों को यह याद दिलाया है कि ग़ज़्वा -ए- बद्र के संगीन मौका पर मुसलमानों ने केवल अल्लाह तआला से फ़रियाद किया, तथा अल्लाह तआला ने यह सूचना भी दी है कि उसने ऐसे संकट के समय में मुसलमानों की दुआ को स्वीकार किया एवं फ़रिश्तों के द्वारा उनकी सहायता की, तत्पश्चात अल्लाह तआला ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मदद फ़रिश्तों की तरफ से नहीं थी बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से थी, अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को मदद करने के लिए साधन बनाया था ताकि मुसलमानों को छिप्र रूप से सहायता का शुभ-संदेश तथा इत्मीनान एवं संतुष्टि हासलि हो। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मदद तो केवल अल्लाह की ओर से ही होती है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ (अन्यथा मदद तो अल्लाह की तरफ से ही है)। सूरह आले इमरानः १२६ । एक स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ (बद्र में अल्लाह ने ठीक उस समय तुम्हारी सहायता की थी जब तुम अत्यंत गिरी हुई स्थिति में थे, इसलिए अल्लाह से ही डरो -किसी और से नहीं- ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ व अनुग्रह प्राप्त हो)। सूरह आले इमरानः १२३ । अल्लाह तआला ने इस आयत में स्पष्ट कर दिया है कि बद्र युद्ध में अल्लाह ने ही मुसलमानों की सहायता की थी। इससे यह ज्ञात हुआ कि अल्लाह तआला ने बद्र युद्ध के मौका पर मुसलमानों को जो हथियार और शक्ति दी थी तथा फ़रिश्तों के द्वारा उनकी जो मदद की थी, ये सब मदद के माध्यम थे, ये शुभ-संदेश के रूप में थे, तथा इनके द्वारा मुसलानों को बेहद घबराहट की स्थिति में

इत्मीनान प्रदान किया गया। ये समस्त चीज़े स्वयं अपने आप मदद नहीं थीं, बल्कि मदद केवल एक अल्लाह तआला की थी[1]"। शैख़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

इन बातों को नकल करने वाले (अर्थात लेखक महोदय, अल्लाह उनको क्षमा करे) का कहना है किः अल्लाह तआला इन इख़्लास़ व निश्छल भाव रखने वाले उलेमा -ए- किराम को इसका बेहतरीन बदला दे, क्योंकि इन्होंने लोगों के समक्ष असल व मूल दीन को स्पष्ट रूप से बयान कर दिया है जोकि तौहीद -ए- इबादत अर्थात केवल एक अकेले अल्लाह की इबादत करना है। इन उलेमा -ए- किराम ने दीन -ए- इस्लाम की अति उत्तम सेवा की है। शैख़ अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम अपनी पुस्तक "अल-दुरर अल-सनीय्या मिन अल-फ़तावा अल-नज्दीय्या" के प्रस्तावना में लिखते हैं: उलेमा ने हरेक युग तथा हरेक इलाका में दीन के उसूल (मूल) तथा फ़ुरूअ (शाखाएं) को बयान करते हुए असंख्य पुस्तकें लिखी हैं। ये समस्त सेवाएं केवल दीन -ए- इस्लाम व शरीअत को सुरक्षित रखने के लिए अंजाम दी गई हैं। मैंने उलेमा इसलिए कहा है ताकि इस उम्मत के अंत में आने वाले लोग भी ज्ञान व कर्म, शरीअत के आदेशों की पाबंदी करने, तथा लोगों को इसका पाबंद बनाने में, उम्मत के आरंभिक युग के इल्म व फ़ज़्ल वाले उलेमा के समान बनें, इसलिए कि आज भी लोगों की इससे बढ़ कर कोई और जरूरत नहीं हो सकती है। हमारे उलेमा यदि यह सेवा अंजाम न दें तो हमारे दीन की स्थिति भी वैसी ही हो जायेगी जैसी हमसे पूर्व के लोगों के धर्म की हुई थी। क्योंकि कोई भी युग ऐसा नहीं बीता है जिसमें बिना समझ व कर्म तथा बिना ठोस दलील के अपनी बात कहने वाले, एवं सटीक राय रखने वाले उलेमा न रहे हों[2]।

तीसरा कारण[3]**:** यह है कि बंदा का अपने रब तथा ख़ुद के दरम्यान किसी को वास्ता बनाना, बिल्कुल मक्का के मुश्रिकीन जैसा कृत्य है जिनके साथ-साथ सारे संसार की हिदायत व पथप्रदर्शन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया था, अल्लाह

---

[1] मज्मूअ फ़तावा व मक़ालात मुतनव्विआ (२/ १०८)। प्रकाशकः दारुलक़ासिम – रियाज।

[2] "अल-दुरर अल-सनीय्या मिन अल-फ़तावा अल-नज्दीय्या" (१/ २१)।

[3] इसके पहले जो विवरण गुज़रा है वह बंदा तथा रब के मध्य के वास्ता व माध्यम के बातिल व मिथ्या होने के दूसरे कारण से संबंधित था। इस दूसरे कारण को बयान करते हुए बात थोड़ी लम्बी हो गई। अब यहाँ से बंदा तथा रब के मध्य दुआ में वास्ता व माध्यम बनाने के बातिल व मिथ्या होने के तीसरे कारण का आरंभ हो रहा है।

तआला ने मक्का के उन मुश्रिकीन के विषय में फ़रमाया हैः ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ (जिन लोगों ने अल्लाह के सिवाय औलिया -दोस्त- बना रखे हैं -और कहते हैं- कि हम उनकी पूजा केवल इस लिए करते हैं कि ये -महात्मा- अल्लाह के निकटवर्ति दर्जा तक हमारी पहूँच करवा दें)। सूरहः ज़ुमरः ३ । अर्थात इन मुश्रिकीन ने अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें अपना वली व दोस्त बना लिया है, जिन्हें वो पुकारते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं, इस कृत्य के लिए उनकी दलील, केवल उनका यह दावा करना है कि ये औलिया उन्हें अल्लाह के करीब करते हैं। क़तादा ने इस आयत की यही तफ़्सीर बयान की है, जैसाकि इब्ने जरीर और इब्ने अबू ह़ातिम रहिमहुमल्लाह ने उनके हवाला से इस आयत की तफ़्सीर में नकल किया है।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ (और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी वस्तुओं की इबादत करते हैं जो न उनको लाभ पहूँचा सकती हैं और न उन्हें हानि पहूँचा सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के निकट हमारे सिफ़ारिशी हैं)। सूरह यूनुसः १८ ।

इब्ने कसीर[1] रह़िमहुल्लाह इस आयत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं: इस आयत में अल्लाह तआला उन मुश्रिकीन का खंडन कर रहा है जिन्होंने अल्लाह के साथ ग़ैरुल्लाह की पूजा यह सोच कर की कि अल्लाह के निकट उनके लिए उन पूज्यों की सिफ़ारिश लाभदायक सिद्ध होगी। अल्लाह तआला ने ऐसे गुमराह व पथभ्रष्ट मुश्रिकों को यह सूचना दी है कि यह बातिल व मिथ पूज्य, लाभ-हानि के स्वामी नहीं हैं और न ही उन्हें किसी और चीज़ का अधिकार है। इन बातिल माबूदों के विषय में मुश्रिकीन जो गुमान रखते हैं वह कभी भी हकीकत

[1] इमादुद्दीन, इस्माईल बिन उमर बिन कसीर, बुसरवी मूल, दिमश्क़ी शाफ़ई, आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में आपका जन्म हुआ, इन्होंने शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह से शिक्षा अर्जित की, तथा फ़िक़्ह, तफ़्सीर, नह्व (व्याकरण) एवं तारीख़ (इतिहास) में महारत हासिल की, उनकी बहुतेरी लाभदायक पुस्तकें हैं, सबसे प्रसिद्ध "तफ़्सीरुल क़ुरआन अल-अज़ीम" तथा इतिहास में "अल-बिदाया वल-निहाया" हैं, आपका देहांत सन ७७४ हिजरी में हुआ।
उनकी जीवनी पढ़ने के लिए देखें: इब्ने ह़जर की "अल-दुरर अल-कामिनह", इब्नुल इमाद की "शज़रात अल-ज़हब" एवं शौकानी रह़िमहुमुल्लाह की "अल-बद्र अल-त़ालेअ"।

का रूप नहीं धार सकती, ऐसा कदापि नहीं होगा, इसीलिए अल्लाह तआला ने आगे इर्शाद फ़रमायाः ﴿ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ (आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की सूचना देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में)। सूरह यूनुसः १८।

चौथा कारणः दुआ में बंदा तथा रब के मध्य वास्ता के बातिल व मिथ्या होने का चौथा कारण यह है किः यदि अल्लाह तआला को अपने तथा बंदों के बीच वास्ता व माध्यम बनाना पसंद होता तो इसका विस्तारित आदेश क़ुरआन व ह़दीस़ में तफ्सील के साथ मौजूद होता, क्योंकि सभी इबादतों के बीच दुआ की महत्ता जगजाहिर है। इसके साथ-साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ को स्वीकार योग्य बनाने वाले शरई माध्यमों को स्पष्ट कर दिया है, चाहे उसका संबंध फ़ज़ीलत वाले युग से हो अथवा फ़ज़ीलत वाले स्थान से, या फिर फ़ज़ीलत वाली स्थिति व हालत से हो।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान एवं उपदेश में कहीं भी नेक लोगों को वास्ता बनाने का उल्लेख नहीं हुआ है। हमें यह बात भलि-भांति मालूम है कि क़ुरआन में प्रत्येक चीज़ को खोल-खोल कर बयान कर दिया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी उम्मत को हरेक चीज़ की शिक्षा दी है,यहाँ तक कि आपने मल-मुत्र त्याग करने के आदाब भी सिखाए हैं, फिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी दीन पूरी तन्यमयता एवं तल्लीनता के साथ सीखा। अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमसे ऐसी हालत में जुदा हुए कि कोई पक्षी भी यदि आकाश में अपने पंख फड़फड़ाता तो हमें उसका ज्ञान होता[1]। मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की इबादत व उपासना के ढंगों को, जिनका ढंग हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, अह़ादीस़ व आस़ार के रूप में सुरक्षित रखा, उन अह़ादीस़ व आस़ार में कहीं पर भी दुआ में नेक लोगों को वास्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि इसके विपरीत ह़दीस़ों एवं आस़ार में जो कुछ आया है वह इन लोगों के तरीका के विरुद्ध ही है।

---

[1] मुस्नद अह़मद (१५३, १६२), मुस्नद अत़तयालिसी (४८१)। मुस्नद अह़मद के अन्वेषकों ने इसे ह़सन करार दिया है।

क़ुरआन व ह़दीस़ में बड़ी ताकीद व कठोरता के साथ ग़ैरुल्लाह से दुआ मांगने से रोका गया है, चाहे उसके लिए कोई भी माध्यम अपनाया जाए। क़ुरआन व ह़दीस़ में ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने वाले के इस कृत्य को कुफ़्र कहा गया है। हम इस कुकृत्य से अल्लाह की शरण चाहते हैं। इस विषय से संबंधित दलीलें, पुस्तक के प्रारंभ में बयान किए जा चुके हैं[1]।

पाँचवां कारणः अल्लाह तआला तथा उसके बंदों के मध्य यदि वास्ता व माध्यम बनाना जायज़ होता तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा अवश्य किया होता, क्योंकि भलाई को वो हमसे अधिक चाहने वाले थे, इसके अतिरिक्त ताबेईन व तबा ताबेईन ने भी ऐसा किया होता, जो फ़ज़ीलत व प्रधानता वाले प्रारंभिक तीन शताब्दी से संबंध रखते थे, जिनके ख़ैर व भलाई पर होने की गवाही स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सर्वोत्तम लोग मेरे युग के लोग हैं, फिर वो जो उनके बाद आएंगे, तत्पश्चात वो जो उनके बाद आएंगे"[2]। हमें उनके जीवन दर्शन से जो बात पता चलती है वह यह कि वास्ता बनाना शरीअत के मन्तव्य के विरुद्ध है। सहाबा -ए- किराम एवं ताबेईन के जीवन में भी अनेक विपदाएं, एवं आपदाएं आईं, कई बार वो भूखमरी के शिकार हुए, किंतु फिर भी कहीं से भी यह सुराग़ नहीं मिलता है कि उन्होंने वास्ता बना कर अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास किया हो, ताकि वह वास्ता अल्लाह तआला के समक्ष उनकी विपदा दूर करने के लिए सिफ़ारिश कर दे, न तो उन लोगों ने इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वास्ता बनाया और न ही आपके अतिरिक्त अन्य सम्मानित सहाबा को। और यह बात सर्वविदित है कि प्रारंभिक तीन शताब्दियों में जो चीज़ दीन नहीं समझी गई वह उनके बाद भी दीन नहीं हो सकती है।

छठा कारणः बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाने के बातिल व मिथ होने की एक दलील यह भी है कि ये लोग जिसे वास्ता बनाते हैं उससे केवल समृद्धि की स्थिति में ही दुआ करते तथा उसे पुकारते हैं, और जब किसी विपदा एवं संकट में फंसते हैं तो इन वास्तों एवं माध्यमों को भूल जाते हैं, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन वास्तों की कोई हैसियत व वास्तविकता

---

[1] इस पुस्तक के आरंभ में उल्लेखित अध्यायः केवल एक अल्लाह से दुआ करने का आदेश तथा ग़ैरुल्लाह से दुआ करने के वर्जित होने का बयान, को देखें।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (२६५२) तथा मुस्लिम (२५३३) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

नहीं है, जिससे इन वास्तों का निराधार होना स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये वास्ते यदि वास्तव में लाभदायक होते तो ये लोग समृद्धि एवं संकट दोनों स्थितियों में उन्हें दुआ का वास्ता व माध्यम बनाते। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ (जब यह लोग कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह तआला को ही पुकारते हैं उसके लिए दीन (इबादत) को शुद्ध करते हुए, फिर जब वो उन्हें बचा कर सूखे की ओर ले आता है तो उसी समय शिर्क करना आरंभ कर देते हैं)। सूरह अल-अनकबूतः ६५ । दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमायाः ﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾﴾ (आप कहिए कि अपना हाल तो बताओ कि यदि तुम पर अल्लाह का कोई अज़ाब आ जाए, अथवा तुम पर प्रलय आ जाए तो क्या अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को पुकारोगे, यदि तुम सच्चे हो, बल्कि विशेष रूप से उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे यदि वह चाहे तो उसको हटा भी दे, और जिनको तुम साझी बनाते हो उन सब को भूल जाओगे)। सूरह अल-अनआमः ४०-४१ ।

इससी वास्तविकता को इकरिमा बिन अबू जह्ल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी पा लिया था जो उनके इस्लाम में प्रवेश का कारण बना। इब्ने सअद ने "अल-तबक़ात अल-कुब्रा" में इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के जीवनी में इब्ने अबू मुलैका के हवाले से लिखा है कि मक्का विजय के मौका पर इकरिमा बिन अबू जह्ल ने भागते हुए समुद्री मार्ग चुना, यात्रा के बीच में समुद्री तूफान आ गया, तो नाव चलाने वाले मल्लाह अल्लाह से दुआ माँगने लगे और उसकी वहदानियत (एकेश्वरवाद) की दुहाई देने लगे, इकरिमा ने प्रश्न कियाः यह क्या मामला है? नाविकों ने कहा किः यह ऐसी स्थिति तथा ऐसा स्थान है जहाँ केवल अल्लाह से ही लाभ की उम्मीद रखी जा सकती है, यह सुन कर इकरमा ने कहाः यह तो वही मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का माबूद (पूज्य) है जिसकी ओर वह हमें दावत देते हैं, तुम लोग हमें वापस ले चलो, अतः वापस आकर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया।

मेरा कहना हैः जाहिलीयत युग में मुश्रिकीन ऐसा ही किया करते थे, वो लोग विपदा एवं संकट के समय केवल अल्लाह को पुकारते थे तथा समृद्धि एवं संपन्नता की स्थिति में अल्लाह तआला के साथ-साथ ग़ैरुल्लाह से भी दुआ किया करते थे। हमारे इस युग के मुश्रिकीन जो

इस्लाम से अपना झूठा संबंध जोड़ते हैं समृद्धि एवं संकट दोनों परिस्थितियों में ग़ैरुल्लाह से मदद माँगने के लिए गुहार लगाते हैं, बल्कि विपदा के समय उनका शिर्क और बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति यदि उन क़ब्रों के पास जाए जिन का सम्मान किया जाता है तथा क़ब्र पर जाने वालों की प्रर्थनाओं को ध्यान से सुने और जिस प्रकार से ये लोग क़ब्र वालों के समक्ष अपना दुखड़ा रोते हैं उसे सुन ले, तो उन मुश्रिकीन के विषय में मेरी बात का समर्थन करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। अल्लाह तआला ही हिदायत देने वाला है।

सातवां कारणः बंदा तथा रब के मध्य किसी को वास्ता बनाने के बातिल होने का एक प्रमाण यह भी है कि भाषाई एवं शरई दोनों आधार पर सिफ़ारिश तलब करना तथा वास्ता बनाना इसको कहा जाता है किः कोई व्यक्ति किसी से यह निवेदन करे कि वह उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी तीसरे के पास वास्ता व माध्यम बन जाए, लेकिन आज के क़ब्र पूजक जो कर रहे हैं वह इसके विरुद्ध है। ये लोग तो जिसे अपना वास्ता बनाते हैं उसी से अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दुआ भी करते हैं, कोई संतान माँगता है, कोई सहायता माँगता है, कोई रोग से छुटकारा माँगता है तो कोई शत्रुओं के विरुद्ध विजय की दुआ माँगता है। इस प्रकार से इन लोगों ने वास्ता को ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला मान लिया है। ऐसा करना शरीअत एवं बुद्धि दोनों ही आधार पर बातिल व मिथ है। यदि उन्हें सिफ़ारिश का अर्थ मालूम होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता तथा उससे विनती करता किः आप मेरी अमूक जरूरत पूरी होने के लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, न कि स्वयं उसी आदमी के सामने हाथ फैला कर यह कहता किः आप ही मेरी जरूरत पूरी कर दीजिए, और हाँ, यह बात उस समय होगी जब सिफ़ारिश करने वाला जीवित, समर्थ तथा उपस्थित हो, न कि मृत, असमर्थ तथा अनुपस्थित हो।

आठवां कारणः दुआ में बंदा तथा रब के बीच वास्ता बनाने के बातिल होने की एक दलील यह भी है कि किसी मुर्दा के नेक व महात्मा होने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि उसे वास्ता बना लिया जाए। किसी व्यक्ति की नेकी, धर्मपरायणता तथा अल्लाह के निकटवर्ति होने का लाभ उस व्यक्ति विशेष को मिलता है न कि उसे जिसने उसे वास्ता बनाने का प्रयास किया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ﴾ (जिसने कोई नेक कार्य किया तो उसका लाभ उस व्यक्ति विशेष को मिलेगा)। सूरह फ़ुस्सिलतः ४६ । यदि वह नेक व्यक्ति आपकी तुलना में अल्लाह से अधिक निकट है तथा रब के समीप उसका स्थान

आपसे उच्च है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अल्लाह तआला उसे आपसे ज्यादा स़वाब, अज्र तथा इनाम देगा, इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि जब आप उस नेक व्यक्ति से दुआ माँगेंगे तो दुआ में वास्ता बनाने के कारण अल्लाह तआला आपको बिना वास्ता के दुआ करने वाले की तुलना में अधिक देगा, तथा आपकी आवश्यकताओं को जल्दी पूरा कर देगा[1]।

इसके अतिरिक्त जीवित रहते हुए अथवा मरने के पश्चात भी, किसी के नेक तथा संत होने का यदि यह अर्थ होता कि, उसे वास्ता बनाने के कारण दूसरों को भी उससे लाभ मिलता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे बयान कर दिया होता, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन को उम्मत तक पूर्ण रूप में पहूँचा दिया, तथा उम्मत को भलाई की ओर मार्गदर्शन करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की।

नौवां कारणः अल्लाह तआला को सांसारिक बादशाहों के समान समझना (जैसाकि शुब्हा अर्थात भ्रांति का उल्लेख करते समय इसका बयान हुआ है), छः कारणों से बातिल व मिथ्या है, वो छः कारण हैं: इल्म (ज्ञान), तदबीर (प्रबंधन), ग़िना (बेनियाज़ी, निस्पृहता), मिलकीयत (स्वामित्व), रहमत (कृपा) एवं क़ुदरत (ईश्वरीय शक्ति; सामर्थ्य)।

निम्न में इन छः कारणों को विस्तार से बयान किया जा रहा है।

इल्म (ज्ञान) के दृष्टिकोण से तुलनाः इस कारणवश गलत है कि कि सांसारिक बादशाहों को आम लोगों का हाल-चाल जानने के लिए वास्ता एवं साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सांसारिक बादशाह अपने विशेष लोगों के वास्ते से ही लोगों की आवश्यकताओं के विषय में जान पाते हैं, इसीलिए इन लोगों ने वास्ता बना रखे हैं, जब्कि अल्लाह तआला का मामला यह है कि वह बिना वास्ता व माध्यम के हरेक चीज़ को जानता है, उसे किसी वास्ता की आवश्यकता नहीं है, जो उसे लोगों की परिस्थिति एवं आवश्यकता की सूचना दे, अल्लाह तआला हरेक छिप्त एवं गुप्त वस्तुओं का भी ज्ञान रखता है, आकाश व धरा की कोई वस्तु उससे छिप्त नहीं है, वह विभिन्न भाषाओं में तथा विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने वालों की पुकार को सुनता तथा समझता है, वह एक ही समय में सबकी

[1] इस विषय को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें: शैख़ मरई बिन यूसुफ़ करमी रहि़महुल्लाह की पुस्तक "शिफ़ाउस्सुदूर फ़ी ज़ियारतिल मशाहिद वलक़ुबूर" (११७-११८), प्रकाशकः मकतबा नज़ार मुस्तफ़ा अल-बाज़ – मक्का। इसके अतिरिक्त शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम की पुस्तक "अस्सैफ़ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल" (३२) को भी देखा जा सकता है।

फरियादों को सुनता व समझता है, माँगने वालों की बाहुल्यता के बावजूद उससे गलती नहीं होती है, वह दुआ माँगने वालों की विनती तथा गिड़गिड़ाने से उकताता नहीं है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾ (और अल्लाह तआला के पास ही ग़ैब की कुंजियां (ख़ज़ाने) हैं, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और वह सभी चीज़ों को जानता है जो भूमि में है और जो कुछ दरिया में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है, और कोई दाना भूमि के अंधकारमय भाग में नहीं पड़ता और न कोई सूखी और न कोई भीगी चीज़ गिरती है, मगर यह सब किताब -ए- मुबीन (खुली हुई किताब) में है)। सूरह अनआमः ५९ ।

तदबीर (प्रबंधन) के दृष्टिकोण से तुलना: इस कारण गलत है कि सांसारिक राजा महाराजा अपनी प्रजा के मामलों का प्रबंधन एवं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सहायकों की मदद से ही कर सकते हैं, ये सहायक राजाओं को, शासन के कार्यों को अच्छी तरह अंजाम देने में मदद करते हैं, इसी लिए राजाओं ने उन्हें वास्ता बनाया है, जब्कि अल्लाह तआला का मामला इसके विपरीत है, वह आकाश तथा धरा को संभालने वाला है, समस्त मामले उसी के पास हैं, प्रत्येक चीज़ की बागडोर उसी के हाथ में है, वह सर्वशक्तिमान, सबसे बलवान तथा महाशक्तिशाली है, उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ﴿١١١﴾﴾ (और कह दीजिए कि समस्त प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए हैं जो न संतान रखता है, न अपने राज-पाट में किसी को साझी बनाता है, और न वह दुर्बल है कि उसे किसी हिमायती व पक्षधर की आवश्यकता हो, और तू उसकी पूर-पूरी बड़ाई बयान करता रह)। सूरह बनी इस्राईलः १११ ।

ग़िना (बेनियाज़ी, निस्पृहता) के दृष्टिकोण से तुलना: इस वजह से गलत है कि दुनियाँ का कोई भी बादशाह कभी मजबूरी में किसी वज़ीर या दरबारी की सिफ़ारिश को स्वीकार करता है, वह कभी न चाहते हुए भी किसी के कहने पर कोई काम कर देता है, जब्कि उसके मन में इस के विरुद्ध नागवारी का बोझ भी रहता है। बादशाह अनमने ढंग से भी ऐसा कार्य इसलिए करता है कि कि उसे उन दरबारियों तथा कुछ विशेष लोगों की आवश्यकता होती है, या कभी उनको

प्रसन्न करने के लिए उनकी सिफ़ारिश कबूल कर लेता है, या कभी इस भय से उनकी बात मान लेता है कि यदि उनकी सिफ़ारिश को अस्वीकार कर दिया तो उनकी वफादारी कम हो जायेगी, या इस कारण से कि वह उसके साथ धोखा करेगा, या फिर सिफ़ारिश करने वालों की किसी अच्छी सेवा के बदले उनकी सिफ़ारिश स्वीकार कर लेता है, इसीलिए लोगों ने ये वास्ते बनाए हैं, बादशाह कभी-कभी उनकी सिफ़ारिश नापसंद करता है, या उनकी सिफ़ारिश स्वीकार करने के कारण उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, अथवा वह अपने दरबारी को वापस लौटाते हुए लज्जा का अनुभव करता है, और कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी कठिनाई के बाद उनकी सिफ़ारिश स्वीकार करता है, इसलिए यह सांसारिक राजा महाराज कहने को तो राजा महाराजा ज़रूर हैं किंतु मूल रूप में तो मानव ही हैं, और मानव के स्वाभाव में कंजूसी, लालच, किसी की मदद करने से रुकना तथा नागवारी कूट-कूट कर भरा होता है, यदि किसी को कुछ देता भी है तो एक अंदाजा तथा हिसाब से देता है, या देने में तंगी करता है, क्योंकि उसे अपने धन के समाप्त हो जाने का भय होता है। अल्लाह तआला का मामला इसके विपरीत है, वह ग़नी (बेनियज़) तथा करीम (अत्यंत दयावान) है, उसके पास आकाश तथा धरा के सभी ख़ज़ाने हैं, वह लापरवाह हो कर बंदों को देता है, वह बदले की भावना के बिना बंदों की भलाई चाहता है, वह किसी दबाव के बिना अपने बंदों पर रहमतें व कृपा नाज़िल करता है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ﴾ (वह कहते हैं कि अल्लाह के संतान है, सुब्हानल्लाह (अल्लाह पाक व पवित्र है) वह तो किसी का मोहताज नहीं, उसी के स्वामित्व में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है)। सूरह यूनुसः ६८।

अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि, अल्लाह तआला फ़रमाता हैः हे मेरे बंदों! यदि तुम्हारे पूर्वज तथा अगरज, मानव तथा दानव सभी एक स्थान पर खड़े हो कर मुझ से अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए विनती करें, और में हरेक व्यक्ति को उसकी माँगी हुई चीज़ दे दूँ, तो उससे मेरी मिल्कीयत में बस उतनी ही कमी होगी, जितनी सूई को समुद्र में डुबाने से समुद्र में पानी की कमी होती है[1]।

एक दूसरी ह़दीस़ में आया है कि जब तुम में से कोई व्यक्ति दुआ करे तो यों न कहेः हे अल्लाह! तू मुझे क्षमा कर दे यदि तू चाहे, बल्कि वह दृढ़ विश्वास के साथ अल्लाह से क्षमा

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (२५७७) ने रिवायत किया है।

माँगे, एवं इसके लिए अपनी ललक व लालसा का प्रदर्शन करे, अल्लाह की दी हुई कोई भी चीज़ उसकी दृष्टि में बड़ी नहीं होती[1]।

मिलकीयत (स्वामित्व) के दृष्टिकोण से तुलनाः इस कारण सही नहीं है कि सांसारिक राजा महाराजा को इस बात की आवश्यकता होती है कि कोई उनके निकट रह कर तथा वास्ता बन कर उन्हें रिआया पर मेहरबानी करने का उपदेश दे, इसीलिए लोग, राजा महाराजा के पास अपने मामले को हल करवाने के लिए, उसके करीबी लोगों को वास्ता बनाते हैं। जब्कि अल्लाह तआला को इस प्रकार के वास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह रह़मान (अत्यंत कृपाशील) तथा रह़ीम (महा दयालु) है। एक माता अपने बच्चे के लिए जितना दयावान हो सकती है उससे कई गुणा अधिक अल्लाह तआला अपने बंदे के लिए दयावान है। उसी ने रह़मत (कृपा) को पैदा किया है, तथा उसे बंदों के हृदय में डाला है, जिसके कारण लोग एक दूसरे पर कृपा करते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला की रह़मतें सौ हैं, उसी रह़मत का एक मामूली भाग यह है जिसके कारण लोग एक दूसरे के साथ रह़मत व दया करते हैं, अल्लाह तआला की रह़मत का निन्यानवे भाग क़यामत के दिन के लिए है"[2]।

शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम रह़िमहुल्लाह ने ग़ैरुल्लाह से मदद माँगने वालों को नसीहत करते हुए यह बात कही हैः "जब तुम नबी या नबी के अलावा किसी अन्य से दुआ माँगते हो और यदि यह समझते हो कि वह तुम्हारी स्थिति को सबसे अधिक जानने वाले हैं, या तुम्हारी माँगें पूरी करने में सक्षम हैं, तथा तुम्हारे रब से भी अधिक वह तुम पर मेहरबान व कृपालु हैं, तो यह जहालत, अज्ञानता, कुफ्र तथा गुमराही है, इसके लिए तुम्हारे पास कोई अक़्ली (बौद्धिक) अथवा नक़्ली (क़ुरआन व ह़दीस़) से प्रमाण नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी दलील नहीं देता जो उसी के विरुद्ध दलील बन जाए, सिवाय इसके कि वह गलतफहमी, कुधारणा का शिकार हो, तथा उसके सोच-विचार करने की शक्ति में विकार हो।

---

(1) इस ह़दीस़ को बुख़ारी (६३३९) तथा मुस्लिम (२६७९) ने रिवायत किया है, तथा उपर्युक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

(2) इस ह़दीस़ को मुस्लिम (२७५३) तथा अह़मद (५/ ४३९) ने रिवायत किया है। बुख़ारी ने इसी के समान ह़दीस़ (६४६९) अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

यदि तुम यह समझते हो कि अल्लाह तआला बंदों की स्थिति को सबसे अच्छे से जानने वाला, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सबसे सक्षम तथा अपने बंदे पर सर्वाधिक दयालु है तो फि तुमने अल्लाह से माँगने के स्थान पर ग़ैरुल्लाह से क्यों माँगा, जब्कि अल्लाह तआला तो कहता है: ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ (तुम लोग मुझसे दुआ माँगो मैं तुम्हारी दुआएं स्वीकार करूँगा)। एक स्थान पर फ़रमाता है: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ﴾ (जब मेरे बंदे आपसे मेरे विषय में पूछें तो आप कह दीजिए कि मैं अति निकट हूँ दुआ करने वाले की दुआ का स्वीकार करता हूँ जब वह दुआ करते हों)"[1]।

उपरोक्त बातों से पता चलता है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने से, अल्लाह से बदगुमानी का बोध होता है कि वह अपनी सिफ़त -ए- इल्म, रहमत, तदबीर, ग़िना तथा मिल्कीयत में अपूर्ण है। और अल्लाह तआला के साथ बदगुमानी रखना कबीरा गुनाहों में से है, इस पर अल्लाह तआला ने कठोर यातना की धमकी दी है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ (जो लोग अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखने वाले हैं (वास्तव में) उन पर ही बुरी आपदा आ पड़ी, तथा अल्लाह का प्रकोप हुआ उन पर, और उसने धिक्कार दिया उनको, तथा तैयार कर दी उनके लिए नरक, और वह जाने का बुरा स्थान है)। सूरह फ़त्ह: ६ ।

इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह लिखते हैं: "अल्लाह तआला के निकट सबसे बड़ा पाप यह है कि कोई उससे बुरा गुमान रखे, इसलिए कि अल्लाह से बदगुमानी रखने वाला उसके सिफ़त -ए- कमाल के विपरीत गुमान रखता है, इसके कारण वह ऐसी कल्पना को दिल में स्थान देता है जो अल्लाह के, असमा व सिफ़ात (नाम एवं विशेषता) के विरुद्ध है, इसी कारणवश अल्लाह तआला ने उसके साथ बदगुमानी रखने वालों को ऐसी यातना की धमकी दी है, जो किसी दूसरे पापी को नहीं दी है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ (जो लोग अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखने वाले हैं (वास्तव में) उन पर ही बुरी आपदा आ पड़ी, तथा अल्लाह का प्रकोप हुआ उन पर, और उसने धिक्कार दिया उनको, तथा तैयार कर दी उनके

---

[1] अल-सैफ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल (३१-३२)। थोड़े संशेधन के साथ।

लिए नरक, और वह जाने का बुरा स्थान है)। दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने अपनी किसी सिफ़त (विशेषता) का इंकार करने वालों के लिए फ़रमाया हैः ﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾[1] (तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हारा विनाश कर दिया, अंततः तुम घाटा उठाने वालों में से हो गए)। सूरह फ़ुस्सिलतः २३।

अल्लाह तआला ने अपने ख़लील (मित्र) इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि, उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से कहाः ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٥ أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۝٨٦ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨٧﴾ (तुम क्या पूज रहे हो? क्या तुम अल्लाह के सिवाय गढ़े हुए पूज्य चाहते हो? तो यह (बतलाओ कि) तुमने सारे संसार के रब (पालनहार) को क्या समझ रखा है?) अर्थात तुम्हारा क्या ख़्याल है कि जब तुम ग़ैरुल्लाह की पूजा करने के बाद अल्लाह तआला से भेंट करोगे तो वह तुम्हे इसका क्या बदला देगा, तुमने अल्लाह के बारे में क्या सोच कर उसके साथ

---

[1] यह आयत उस व्यक्ति के बारे में नाज़िल हुई थी जिसने अल्लाह तआला की सुनने की सिफ़त (क्षमता, विशेषता) में संशय प्रकट किया था, जैसाकि सही बुख़ारी (४५३९) में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कथन नकल किया गया है किः ख़ाना -ए- काबा के पास दो क़ुरैशी तथा एक स़क़फ़ी जमा थे, या दो स़क़फ़ी तथा एक क़ुरैशी जमा थे, उनके पेटों पर बहुत चर्बी चढ़ी हुई थी, किंतु उनकी समझदारी कम थी, उनमें से एक ने कहाः क्या तुम समझते हो कि हम जो कुछ बोलते हैं उसे अल्लाह सुनता है? दूसरे ने उत्तर दियाः जब हम बुलंद आवाज़ से वार्तालाप करते हैं तो अल्लाह तआला सुनता है किंतु जब हम धीरे से बोलते हैं तो अल्लाह तआला नहीं सुनता है, तीसरे ने कहाः यदि अल्लाह तआला हमारी बुलंद आवाज़ को सुनता है तो अवश्य ही वह हमारी धीमी आवाज़ को भी सुनता है। इसी के बारे में अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाईः ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ (और तुम (अपने कुकर्म) इस कारण छुपाते ही नहीं थे कि तुम्हारे विरुद्ध ही तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें तथा तुम्हारे खालें गवाही देंगी)।
मैं कहता हूँ : इब्ने क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने जिस आयत से ऊपर में दलील पकड़ी है उसका शेष भाग यह हैः ﴿وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝٢٢ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۝٢٣﴾ (हाँ तुम यह समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें से बहुतेरे कर्मों से अल्लाह अनभिज्ञ है। तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हारा विनाश कर दिया, अंततः तुम घाटा उठाने वालों में से हो गए)।

ग़ैरुल्लाह की पूजा की? तुमने अल्लाह के असमा व सिफ़ात (नाम एवं विशेषता) तथा उसकी रुबूबियत में क्या कमी थी जो तुम्हें ग़ैरुल्लाह की पूजा करने की जरुरत पड़ गई, अल्लाह तआला के बारे में तो तुम्हार गुमान वह होना चाहिए था जो उसकी शान के लिए उचित हो, अर्थात वह हरेक चीज़ जानता है, वह हरेक चीज़ करने में सक्षम है, अपने सिवाय समस्त जीव से वह ग़नी (बेनियाज़, निस्पृह) है, वह अकेला ही जीव-जंतु के सभी मामलों का प्रबंधन करने वाला है, कोई भी ग़ैरुल्लाह उसके प्रबंधन में दख़ल नहीं दे सकता है, वह सभी मामलों की हरेक तफ्सील से भली भांति परिचित है, मख़लूक़ की कोई भी गुप्त चीज़ उससे छिप्त नहीं है, वह अपनी मख़लूक़ के लिए अकेले काफी है, वह किसी सहायक का मोहताज नहीं है, वह स्वयं रहमान है, उसे अपनी रहमत न्योछावर करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई उससे कृपा का लालसी हो, सांसारिक राजाओं एवं महाराजाओं का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है, उन्हें इसकी आवश्यकता होती है कि कोई उन्हें रिआया की स्थिति तथा आवश्यकताओं के प्रति सजग करे, तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी सहायता करे, इन बादशाहों को इसकी आवश्यकता होती है कि कोई किसी पर दया कृपा करने के लिए उनसे सिफ़ारिश करे, ये लोग जरुरत पड़ने पर वास्ता के मोहताज होते हैं, जो उनकी असहायता, दुर्बलता, बेबसी तथा ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं।

अल्लाह तआला तो वह है जो हरेक चीज़ पर क़ादिर व समर्थ है, जिसकी ज़ात सर्वोच्च तथा हरेक चीज़ से बेनियाज़ है, जो सर्वज्ञानी है, जो रहमान व रहीम है, जिसकी रहमत हरेक चीज़ को घेरे हुए है, ऐसे सर्वोच्च व्यक्तित्व के स्वामी तथा उसके मख़लूक़ के मध्य वास्ता बनाना वास्तव में उसकी रुबूबियत, उलूहियत तथा वहदानियत में दोष निकालना है। इस प्रकार से वास्ता बनाने की धारणा रखना अल्लाह की क़ुदरत, हिकमत तथा उसके इख़्तेयार (अधिकार) के संबंध में बदगुमानी पालना है, यह असंभव है कि अल्लाह तआला वास्ता बनाने को मशरुअ (उचित) करार देगा, इसके जायज़ होने को बुद्धि व नैसर्गिकता स्वीकार नहीं करती, बौद्धिक तौर पर देखा जाए तो इसकी कुरूपता सभी कुरूपता से बढ़ कर है।

इससे यह बात पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है कि इबादत करने वाला (पूजक) अपने माबूद (पूज्य) का सम्मान करता है, उसे अपना उपास्य समझता है, उसके समक्ष हीनता एवं तुच्छता अपनाता है, अल्लाह तआला अकेला इस योग्य है कि उसकी इबादत की जाए, उसके समक्ष हीनता एवं तुच्छता का भाव प्रकट किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसे पूर्णरुपेण माबूद व पूज्य समझा जाए इन सभी चीज़ों के योग्य केवल अल्लाह तआला ही है।

उस व्यक्ति ने अल्लाह का सही मायनों में सम्मान नहीं किया जिसने अल्लाह के साथ ऐसे ग़ैरुल्लाह की इबादत की जो एक दुर्बल, कमजोर तथा मामूली जीव को पैदा करने में असमर्थ है, यदि मक्खी उसके सामने से कोई चीज़ उठा ले तो वह उससे छीन नहीं सकता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧﴾ (तथा उन्होंने अल्लाह का वैसा सम्मान नहीं किया जैसा उसका सम्मान किया जाना चाहिए था, और धरती पूरी उसकी एक मुट्ठी में होगी प्रलय के दिन, तथा आकाश लिपटे हुए होंगे उसके हाथ में, वह पवित्र तथा उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं)। सूरह ज़ुमर: ६७। एक मुश्रिक उस महान रब का सही सम्मान कर ही नहीं सकता है जिसके साथ पूजा में वह किसी ऐसे जीव को साझी बना ले जिसकी उस महान रब के सामने कोई हैसियत नहीं है, वह उस महा शक्तिशाली रब की तुलना में बिल्कुल तुच्छ है, बल्कि जिसे वह साझी बना रहा है वह सर्वाधिक दुर्बल तथा कमजोर है, वह मुश्रिक जिसने सर्वशक्तिमान अल्लाह के समक्ष एक निर्बल जीव को साझी बना लिया वह अल्लाह का सही सम्मान कर ही नहीं सकता है[1]।

क़ुदरत (ईश्वरीय शक्ति; सामर्थ्य) के दृष्टिकोण से तुलना: यह इस कारण से बातिल व निराधार है कि मानव की शक्ति सीमित होती है, चाहे वह राजा हो अथवा दास, ये केवल उन्हीं चीज़ों में सहायता करने में सक्षम हैं जो उनके हाथ में हो, जब्कि अल्लाह तआला का मामला इसके ठीक उलट है, वह हरेक चीज़ पर कुदरत रखता है, कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है, कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं है, वह निर्धनों को धनवान, भूखों को भरपेट भोजन तथा रोगियों को निरोग कर देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, वह पापियों को क्षमा कर देता है, वह अनगिनत एवं अपरम्पार देता है, वह जिसे लाभ पहूँचाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, तथा यदि वह किसी की विपदा दूर करने का इरादा कर ले तो कोई उसे रोकने की ताकत नहीं रखता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ (अल्लाह तआला जिसके लिए रहमत के द्वार खोल दे उसे कोई बंद करने वाला नहीं और

[1] अल-दा व अल-दवा (२११-२१७)। संशोधन के साथ।

जिसके लिए बंद कर दे उसके बाद कोई उसको जारी करने वाला नहीं, और वही ग़ालिब (विजयी) हिकमत (तत्वदर्शिता) वाला है)। सूरह फ़ातिरः २।

दसवां कारणः जो व्यक्ति यह कहता है कि उसके गुनाह उसकी दुआ को स्वीकार्य होने से रोकते हैं, उससे कहा जायेगा कि अल्लाह तआला ने यह सूचना दे दी है कि वह बंदों की दुआ को क़बूल करता है यद्यपि वह गुनहगार ही क्यों न हो, बल्कि वह तो काफ़िर की दुआ को भी स्वीकार करता है, क्योंकि उसकी कृपा के आम एवं व्यापक होने का अर्थ ही यही है कि यह आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी(1) दोनों को प्राप्त हो, तो फिर बंदा एवं रब के मध्य वास्ता बनाने की क्या आवश्यकता है?!

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम लोग मज़लूम की बद्दुआ (दुष्कामना) से बचो, यद्यपि वह काफ़िर ही क्यों न हो, इस लिए कि उस बद्दुआ के स्वीकार्य होने में कोई रोक नहीं होती है"(2)।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मज़लूम की बद्दुआ स्वीकार की जाती है, यद्यपि वह पापी ही क्यों न हो, उसके पाप का गुनाह उसकी अपनी ज़ात पर है"(3)।

ऐसा नहीं है कि दुआ केवल नेक लोगों की ही स्वीकार की जाती है, परंतु हाँ, यह अलग बात है कि पापी की तुलना में नेक आदमी की दुआ के स्वीकार्य होने की संभवाना अधिक होती है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि केवल नेक व संत लोगों की दुआ ही स्वीकार की जाती है, यदि ऐसा होता तो अल्लाह तआला किसी भी व्यक्ति की दुआ स्वीकार नहीं

---

(1) अल्लाह तआला की रह़मत व कृपा की दूसरी किस्म विशेष रह़मत व कृपा, मोमिनों के लिए आरक्षित है, इस विशेष रह़मत का सबसे उत्तम रूप यह है कि अल्लाह तआला आख़िरत में मोमिनों को जन्नत में प्रवेश कराएगा, संसार में इस विशेष रह़मत व कृपा के कारण उसने मुसलमानों को हिदायत दिया, उसे ईमान पर कायम रखता है और शत्रुओं के विरुद्ध उसकी मदद करता है, इत्यादि।

(2) इस ह़दीस़ को अह़मद (३/ १५३) ने रिवायत किया है, तथा शैख़ अलबानी ने इसे स़ह़ीहुल जामेअ (११९) एवं स़ह़ीह़ा (७६७) में ह़सन करार दिया है।

(3) इसस ह़दीस़ को अह़मद (२/ ३६७) ने रिवायत किया है, तथा शैख़ अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ा (४२५१) में ह़सन करार दिया है।

करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गुनहगार है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी सूचना दी है किः "आदम की प्रत्येक संतान गुनहगार है, उनमें सबसे अच्छे तौबा करने वाले हैं"[1]।

ग्यारहवां कारणः बंदा और रब के मध्य वास्ता बनाने के कारण, बंदा और रब का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वह समाप्त हो जाता है, और इसके कारण बंदा एवं रब का रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि अपने तथा रब के बीच वास्ता बनाने वाला व्यक्ति दूसरे को यह जिम्मेवारी सौंप देता है कि वह उसकी ओर से दुआ वाली इबादत को अंजाम दे, इस तरह वह अपने तथा अपने रब के बीच एक रुकावट बना लेता है जोकि बहुत बड़ा घाटा है, और जो इस्लामी शरीअत के इस मंतव्य के विरुद्ध है कि बंदा तथा रब के बीच मजबूत रिश्ता बरकरार रहना चाहिए।

बारहवां कारणः बंदा तथा रब के बीच वास्ता बनाने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुतेरी भलाईयों से वंचित कर लेता है, उन बहुतेरी भलाईयों में से कुछ यह है किः अल्लाह तआला बंदा को अपनी ओर आकर्षित देख कर प्रसन्न होता है, बंदा को स्वयं के समक्ष झुका पा कर खुश होता है, क्योंकि बंदे ने स्वयं को उस मुर्दा जिसे किसी चीज़ का अधिकार नहीं के सामने डाल देने के स्थान पर अपने रब के सामने डाल दिया, और यह बात सर्वविदित है कि अल्लाह तआला बंदों को अपनी ओर आकर्षित देख कर प्रसन्न होता है, यद्यपि उनके पाप आसमान की बुलंदियों तक पहूँचे हुए हों, जैसाकि एक ह़दीस़ -ए- क़ुदसी[2] में आया है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है किः "अल्लाह तआला फ़रमाता हैः मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसी के अनुसार उसके साथ मामला करता हूँ, जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, जब वह मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, यदि वह मुझे लोगों के बीच याद करता है तो मैं उन लोगों से उत्तम सभा में उसे याद करता हूँ, यदि वह मुझ से एक बालिश्त (बित्ता) निकट होता है तो मैं एक हाथ उसके निकट हो जाता हूँ, और अगर वह मुझसे एक हाथ

---

[1] सुनन तिर्मिज़ी (२४९९), सुनन इब्ने माजा (४२५१) आदि, शैख़ अलबानी ने इसे ह़सन करार दिया है।

[2] ह़दीस़ -ए- क़ुदसी, उस ह़दीस़ को कहा जाता है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब से बयान करते हैं, कि अल्लाह तआला ऐसा-ऐसा फ़रमाता है।

करीब होता है तो मैं दो हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, यदि वह मेरी ओर चल कर आता है तो मैं उसकी ओर दौड़ कर आता हूँ"[1]।

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "किसी के तौबा करने से अल्लाह तआला उस बंदे से भी अधिक प्रसन्न होता है जो किसी सहरा व बयाबान में अपनी सवारी पर हो और वह सवारी मार्ग भटक कर कहीं गुम हो जाए, उसी सवारी पर उसका खाना और पानी हो, वह अपनी सवारी से निराश हो जाए, और थक हार कर किसी वृक्ष के पास आ कर उसकी छाया में बैठ जाए, अब जब्कि वह अपनी सवारी को दोबारा पाने से बिल्कुल मायूस हो चुका हो कि इसी स्थिति में अचानक उसकी सवारी उसके सामने आ कर खड़ी हो जाए, वह सवारी की लगाम पकड़ कर खुशी की कैफियत में इस प्रकार कहेः हे अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, अति प्रसन्नता के कारण वह यह गलती कर बैठा"[2]।

तेरहवां कारणः ग़ैरुल्लाह को पुकारना तथा उससे दुआ करना शिर्क तो है ही, इसके अतिरिक्त इसकी एक बुराई यह भी है कि जिन्हें ये लोग वास्ता बनाते हैं वो अल्लाह से दुआ करने की स्थिति में हैं ही नहीं, इसलिए कि वो या तो निर्जीव हैं या फिर मृत हैं, और ये दोनों ही जीवित के बारे में कोई सूचना नहीं रखते हैं, न तो उनकी दुआओं को सुन कर स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं और न ही उन्हें कोई लाभ पहूँचा सकते हैं, न तो दुआ के द्वारा और न किसी और अन्य तरीके, इस बात को अल्लाह तआला ने अपने इस फ़रमान में स्पष्ट कर दिया हैः ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ﴾ (आप उन्हें अपनी बात नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में हैं), सूरह फ़ातिर में अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤﴾ (जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं, यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (संभवतः) सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते,

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (७४०५) तथा मुस्लिम (२६७५) ने रिवायत किया है।

[2] सही मुस्लिम (२७४६)।

बल्कि क़्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का वो साफ इंकार कर जाएंगे, आपको अल्लाह सर्वज्ञानी के जैसी सूचना कोई नहीं दे सकता)। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ۝٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ۝٢١﴾ (जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवाय पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो स्वयं पैदा किए गए हैं, मृत हैं जीवित नहीं, उन्हें तो ये भी भान नहीं कि कब उठाए जाएंगे)। बल्कि मुर्दा के न सुनने का मामला ऐसा स्पष्ट है कि इसे कहावत के तौर पर बोला जाता है[1], आश्चर्यजनक है कि एक जीवित व्यक्ति जो सुनने तथा देखने में सक्षम है वह अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए मुर्दा से सवाल करता है, इसी भाव को दर्शाते हुए किसी कवि ने कहा हैः

لقد أسمعت لو ناديت حيا   ولكن لا حياة لمن تنادى

(यदि आप किसी जीवित को आवाज दें तो उसे अपनी बात सुना सकते हैं, कुंत जिस मृत को आप पुकार रहे हैं उसमें तो जीवन है ही नहीं)।

चौदहवां कारणः अपने तथा अल्लाह तआला के मध्य सिफ़ारिश व वास्ता बनाने के बातिल होने का एक कारण यह भी है कि, अल्लाह तआला ने क़ुरआन में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोग संसार में जिन्हें अपना सिफ़ारिशी बना रहे हैं वह क़्यामत के दिन उनकी सिफ़ारिश हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन सिफ़ारिशी बनाने वाले तथा जिन्हें सिफ़ारिशी बनाया गया है, दोनों के बीच सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, ये सिफ़ारिशी उस दिन उन लोगों से बराअत व अजनबियत दिखलाएंगे जिन्होंने अपने लिए उन्हें सिफ़ारिशी बनाया था। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَٰكُمۡ وَرَآءَ ظُهُورِكُمۡۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيۡنَكُمۡ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ﴾ (और तुम हमारे पास अकेले आ गए जिस प्रकार हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम को दिया था उसको अपने पीछे ही छोड़ आए, और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिश करने वालों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम दावा करते थे कि वह तुम्हारे मामले

[1] हमारे यहाँ भी किसी का उदाहरण देते हुए कहा जाता है कि अमूक व्यक्ति बिल्कुल मुर्दा है, अर्थात उसके अंदर कुछ करने या बोलने की क्षमता नहीं है।

में साझी हैं, वास्तव में तुम्हारे बीच तो संबंध समाप्त हो गया, और वह तुम्हारा दावा सब तुम से गया गुजरा हो गया)। सूरह अल-अनआमः ९४। दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝١٢ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ ۝١٣﴾ (और जिस दिन क़्यामत होगी तो गुनहगार आश्चर्य में पड़ जाएंगे और उनके सभी साझीदारों में से एक भी उनका सिफ़ारिशी नहीं होगा। और (ये स्वयं भी) अपने साझीदारों का इंकार कर देंगे)। सूरह अल-रूमः १२-१३।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह उक्त आयत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं किः जिन पूज्यों की ये लोग अल्लाह को छोड़ कर पूजा करते थे उन्होंने उनकी सिफ़ारिश नहीं की, उनके इंकारी हो गए तथा उन्हें ऐसे समय में धोखा दिया जब उन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी।

पंद्रहवां कारणः बंदा तथा रब के मध्य दुआ में वास्ता बनाने के बातिल होने का एक कारण यह भी है कि जिन अम्बिया व सालेहीन को वास्ता बना कर पुकार जाता है, वो स्वयं जीवित लोगों की दुआ तथा इस्तिग़फार के मोहताज हैं, क्योंकि मरने के पश्चात, मुर्दा का इस संसार से सारा संबंध समाप्त हो जाता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "जब इंसान मर जाता है तो उसका सारा अमल रुक जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के, कि उसका लाभ उसे मरणोपरांत भी मिलता रहता हैः एकः सदका जारीया (अनवरत जारी रहने वाला दान), दूसराः वह इल्म जिससे लाभ उठाया जाए, तीसराः नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे"(1)।

हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो सर्वोत्तम मानव हैं तथा अल्लाह के निकट सर्वाधिक प्रिय इंसान हैं, उन्होंने हम लोगों से अपने ऊपर दरूद भेजने को कहा है, आपके जीवित रहते हुए भी तथा आपकी मृत्यु के बाद भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भेजा जाने वाला दरूद वास्तव में आपके लिए रहमत की दुआ ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद हैः "जब तुम मोअज़्ज़िन के अज़ान की आवाज़ सुनो तो उसी के समान दोहराओ, तत्पश्चात मेरे ऊपर दरूद भेजो, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा उस पर अल्लाह तआला अपनी दस रहमत नाज़िल फ़रमाता है, फिर तुम मेरे लिए अल्लाह तआला से वसीला माँगो, यह जन्नत में एक स्थान का नाम है जो अल्लाह के किसी बंदे को हासिल

(1) इस ह़दीस़ को मुस्लिम (१६३१) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

होगा, मुझे आशा है कि वह बंदा मैं ही रहूँगा, जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला माँगा उसे मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी"[1]।

इसी प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह शिक्षा भी दी है कि हम आप पर, एवं ज़मीन व आसमान के समस्त नेक बंदों पर, सलाम भेजें। सलाम भेजना दरअसल सलामती व शांति की दुआ करना है, तशह्हुद में तह़ीय्यात की दुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें, इन शब्दों में करने की शिक्षा दी है: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... (हे नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रह़मत व बरकत उतरे, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो...)।

नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को यह शिक्षा भी दी है कि आम परिस्थितियों में, नमाज़ -ए- जनाज़ा में, तथा विशेष रूप से दफन के पश्चात मुर्दों के लिए रह़मत, मग़फिरत तथा दृढ़ता (साबित क़दमी) की दुआ की जाए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ते, तो इस तरह दुआ करते: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ"[2] (हे अल्लाह! तू हमारे जीवित, मृत, उपस्थित, अनुपस्थित, छोटे, बड़े, पुरूष तथा महिला सभी को क्षमा कर दे, हे अल्लाह! तू हम में से जिसे जीवित रख तू उसे इस्लाम पर जीवित रख, और जिसे तू मृत्यु दे उसे ईमान पर मौत दे। हे अल्लाह! तू इस मुर्दा के अज्र व सवाब से हमें वंचित न रख, और तू इसके बाद हमें गुमराह न कर)।

उस़मान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी मृतक को दफ़न करने से फारिग होते तो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते और फ़रमाते: "तुम

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (३८४) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को अबू दाऊद (३२०१) तथा इब्ने माजा (१४९८) ने रिवायत किया है, एवं अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ कहा है। मुस्नद अह़मद (२/ ३६८) तथा सुनन तिर्मिज़ी (१०२४) में यह शब्द नहीं हैं: "तू इस मुर्दा के अज्र व सवाब से हमें वंचित न रख"।

लोग अपने भाई के लिए मग़फ़िरत (क्षमा) की दुआ करो, उसके लिए साबित कदम रहने (दृढ़ता) की दुआ माँगो, अब उससे सवाल होगा"[1]।

जब यह प्रमाणित हो गया कि मृत व्यक्ति जीवित की दुआ का मोहताज होता है, यद्यपि वह मृत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसी महान आत्मा तथा उच्च मानव ही क्यों न हो, तो फिर मृतकों से धार्मिक अथवा सांसारिक लाभ की कोई चाज़ माँगना कैसे सही होगा?!

सोलहवां कारण: बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाने के लिए क़यास[2] के नियमों को आधार बनाना, दो कारणों से बातिल व निराधार हैः

पहला: उलेमा सदैव तथा हर मसला में क़यास के नियमों को लागू नहीं करते हैं, बल्कि वो आवश्यकतानुसार ही उसे अपनाते हैं, जब किसी मसला में कोई स्पष्ट शरई नस़्स (दलील) मौजूद न हो, तो उस समय उलेमा क़यास के नियमों को लागू करते हैं, किंतु शरई नस़्स के रहते हुए वो क़यास नहीं करते हैं, वरना फिर शरई नुस़ूस का क्या अर्थ रह जाएगा यदि बौद्धिक क़यास को उन पर वरीयता दी जाने लगे? और यह बात पीछे गुजर चुकी है कि बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाने की वर्जना के संबंध में अनेक दलीलें मौजूद हैं, बल्कि एक अल्लाह तआला की इबादत व पूजा ही इस्लाम धर्म का मूल तथा इस मिल्लत का आधार है।

दूसरा: बौद्धिक दलीलें तथा मानसिक सोच के आधार पर क़ुरआन व ह़दीस़ का विरोध इस वजह से बातिल है कि हर वह क़यास जो क़ुरआन अथवा ह़दीस़ के विरुद्ध हो, या जो सलफ़ (नेक पूर्वज) तथा उम्मत के प्रकांड विद्वानों के इज्माअ के विपरीत हो, ऐसा क़यास बकवास व बेकार है। सभी मुसलमान तथा समस्त फ़िक़्ही मज़हब के निकट ऐसा क़यास जो क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध हो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। अल्लाह तआला की तुलना सांसारिक राजाओं महाराजाओं से करना इसी तरह की बकवास क़यास का उदाहरण है। अल्लाह तआला

---

[1] अबू दाऊद (३२२१) ने इसे उस़मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा शैख़ अलबानी ने इसे स़ही़ह करार दिया है।

[2] किसी मसले में क़ुरआन व ह़दीस़ से स्पष्ट दलील नहीं मिलने पर उसी के समान किसी मूल मसला को सामने रख कर आत्मज्ञान, अनुमान तथा स्वविवेक से किसी मुफ्ती का उस विषय में अपनी राय कायम करना क़यास कहलाता है।

का फ़रमान हैः ﴿فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ﴾ (अल्लाह तआला के लिए उदाहरण मत बनाओ)।

दूसरे स्थान पर फ़रमायाः ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ﴾ (उसके समान कोई चीज़ नहीं है)।

अनेक उलेमा ने शरई आदेश पर, अक़्ल का प्रयोग करते हुए बौद्धिक रूप से आपत्ति जताने वालों को, उस व्यक्ति के समान कहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आ कर कहेः आपके द्वारा जो वह्य हमें मिली तथा जिस सुन्नत की ओर आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कुछ हमारी समझ के अनुसार सही होते हैं तो कुछ गलत होते हैं, हम आपकी वही बातें स्वीकार करेंगे जो हमारी समझ के अनुकूल हो तथा बाकी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति शरई नुसूस के साथ इस तरह का रवैया अपनाए तो क्या वह मोमिन कहलायेगा? ऐसा व्यक्ति कदापि मोमिन नहीं कहलायेगा।

यह इब्लीस (अल्लाह तआला उसके छल-कपट तथा धूर्तता से हमारी रक्षा करे) ही है जिसने अपनी विकृत सोच की पैरवी करते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने के अल्लाह के आदेश को ठुकरा दिया था, तथा शरई आदेश पर अपनी बुद्धि को प्राथमिकता देते हुए कहाः ﴿ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴾ (मैं आदम से बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से) अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के कारण, इब्लीस का नाश हुआ तथा वह दूसरों के नाश का भी कारण बना। अल्लाह हमारी रक्षा करे।

इब्नुल क़ैयिम रह़िमहुल्लाह ने बिल्कुल सच्ची बात कही है हरेक फ़ित्ना की जड़, राय को शरीअत पर प्राथमिकता देना है, तथा अपनी कामनाओं को अक़्ल पर वरीयता देना है[1]।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "बंदा के लिए आवश्यक है कि वह मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा लाई हुई शरीअत को अंगीकार करे, जो पूर्ण, रौशन तथा स्पष्ट है, वह यह भी स्वीकार करे कि इस शरीअत का उदय बंदों के हर प्रकार के लाभ तथा हित को पूरा करने के लिए हुआ है, एवं हर प्रकार के उपद्रव तथा फ़साद को समाप्त करने और उसे कम करने के लिए हुआ है, जब ऐसी गैर मशरूअ (जो शरीअत के प्रावधान में न हो) इबादतों से उसका वास्ता पड़ता है जो उसे भली तथा लाभदायक प्रतीत होती है तो उसे यह विश्वास हो जाता है कि इस में लाभ से अधिक हानि है, एवं इसका अहित इसके हित पर भारी है, क्योंकि

[1] इग़ास़तुल्लहफान (२/ १६७)। अन्वेषणः शैख़ मुहम्मद ह़ामिद फ़क़्क़ी।

शरीअत भेजने वाला ह़कीम व तत्वदर्शी है, वह बंदों के हित एवं भलाई की उपेक्षा एवं नजरअंदाज नहीं करता है[1]"।

मैं कहता हूँ: यह अति आवश्यक है कि हम अल्लाह तआला के आदेश के समक्ष पूर्णरूपेण समर्पण कर दें, उसके आज्ञा का पालन करें, तथा अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हुए एवं अपनी कामनाओं से वशीभूत हो कर अल्लाह तआला के उतारे हुआ आदेशों का उल्लंघन न करें, और न ही उसकी शरीअत पर आपत्ति जताएं। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ۝٦٥﴾ (तेरे रब की क़सम, ये उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम आपसी विवाद में आपको हाकिम न मान लें, फिर आप उनमें जो फैसला कर दें उनसे अपने दिल में किसी प्रकार की तंगी तथा अप्रसन्नता न पाएं, एवं फरमाँबरदारी के साथ उसे स्वीकार कर लें)। एक स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ۝٣٦﴾ (और (देखो) किसी मोमिन पुरुष एवं महिला को अल्लाह एवं उसके रसूल का फैसला आ जाने के पश्चात अपने मामले का कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता, (याद रखो) अल्लाह तआला तथा उसके रसूल की जो भी अवज्ञा करेगा वह खुली हुई गुमराही में पड़ेगा)। एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का इरशाद है: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٦٨﴾ (और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है एवं जिसे चाहता है चुन लेता है, उन में से किसी को कोई अधिकार नहीं, अल्लाह ही के लिए पाकी व पवित्रता है, वह सर्वोच्च है हरेक उस चीज़ से जिसमें वो लोग उसे शरीक करते हैं)।

अल्लाह तआला ने इस आयत में अपने आप को उस चीज़ से पाक व पवित्र करार दिया है जिसे इंसानी बुद्धि ने अल्लाह के लिए चुना, और इसी पर बस नहीं बल्कि अल्लाह ने उसे शिर्क का नाम दिया है, इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को ही आधार बना कर

---

[1] देखें: इब्ने कस़ीर रह़िमहुल्लाह की पुस्तक "तलख़ीस़ किताबुल इस्तेआज़ा फिर्रद्दे अला अल-बकरी" (१/ १६७)।

अपनी राय को ही सर्वोच्च समझने लगता है, तथा उसी के अनुसार किसी चीज़ को सही गलत समझता है, तो इस तरह वह एक नया गैर शरई संदर्भ गढ़ लेता है जिस पर वह भरोसा करता है, जोकि उसकी बुद्धि है, अतः इस प्रकार के कृत्य से बचना अति आवश्यक है।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह इस आयत की तफ़्सीर में लिखते हैं: "अल्लाह तआला यह सूचना दे रहा है कि वह रचने तथा चुनने में अकेला है, इन दोनों मामलों में से किसी में भी उससे असहमति जताने वाला एवं उसकी बातों को रद्द करने वाला कोई नहीं है"। ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ﴾ (और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है एवं जिसे चाहता है चुन लेता है), अर्थात अल्लाह तआला जो कुछ चाहता है वह हो जाता है, और जो नहीं चाहता है वह नहीं होता है, सारे मामले चाहे वो भलाई के हों अथवा बुराई के सब उसी के हाथ में हैं, तथा समस्त मामलों का सिरा उसी की तरफ़ लौटता है"।

निष्कर्ष यह निकला कि बंदा का अपने तथा रब के बीच वास्ता बनाना और यह समझना कि यह वास्ता उसे रब से करीब करता है तथा रब के समक्ष उसकी सिफ़ारिश करता है, आधारहीन तथा मिथ है। यह अल्लाह तआला के संग एक प्रकार का शिर्क है, इसमें एक प्रकार का अल्लाह से बदगुमान होने का अर्थ पाया जाता है, बंदा के लिए वाजिब व अपरिहार्य यह है कि वह अपने रब को बिना किसी वास्ता व माध्यम के पुकारे, जैसाकि अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (तुम्हारे रब का यह फ़रमान है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को स्वीकार करूँगा)। अन्य इबादात व उपासनाओं के मामला में भी यही आदेश है, कि बंदा बिना किसी वास्ता एवं माध्यम के, उन इबादात को अंजाम दे कर, रब का सामीप्य प्राप्त करे।

क़ुरआन मजीद में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना तथा उससे दुआ माँगना बातिल व गलत है, चाहे इसके लिए जो भी बौद्धिक प्रमाण पेश किया जाए, यह स्पष्टिकरण उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है जो सत्य की खोज में हो तथा क़ुरआन मजीद पर ईमान रखता हो, क़ुरआन मजीद के सूरह हज में इसको पूर्णरुपेण स्पष्ट कर दिया गया है, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ﴾ (यह सब इसलिए कि अल्लाह ही ह़क़ (सत्य) है और उसके सिवाय जिसे

ये पुकारते हैं वह बातिल है)। सूरह लुक़मान में अल्लाह तआला का इरशाद हैः ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ﴾ (यह सब (इंतज़ाम, प्रबंध, व्यवस्था) इस लिए है कि अल्लाह तआला ही ह़क़ है और उसके सिवाय जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं)।

क़ुरआन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल अल्लाह तआला को पुकारना एवं उससे दुआ माँगना ही ह़क़ (उचित) है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿١٤﴾﴾ (उसी को पुकारना ह़क़ (उचित) है, जो लोग उसके सिवाय औरों को पुकारते हैं वो उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं मगर जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुँह तक पहूँच जाए हालांकि वह पानी उसके मुँह में पहूँचने वाला नहीं है, इन काफ़िरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है)।

दूसरी भ्रांति तथा उसका उत्तरः

दूसरी भ्रांतिः आख़िरत (परलोक) में नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के लिए सिफ़ारिश से संबंधित एक शुब्हा (भ्रांति) तथा उसका उत्तर।

कुछ लोगों का कहना है कि कोई व्यक्ति दुआ के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर इस लिए रुख़ करता है ताकि आख़िरत में उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश हासिल हो जाए।

यह भ्रांति दस कारणों से बातिल हैः

पहला कारणः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आख़िरत में लोगों की सिफ़ारिश करेंगे, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि, आपकी सिफ़ारिश के योग्य बनने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगी जाए, क्योंकि दुआ इबादत है, तथा समस्त प्रकार की इबादत केवल अल्लाह के लिए ही अंजाम दी जा सकती है, जिसकी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠﴾ (आप कह दीजिए कि मैं केवल अपने रब से दुआ करता हूँ तथा उसके संग किसी और को साझी नहीं बनाता)। जिसने इबादत की किसी भी किस्म को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया तो उसने शिर्क किया, तथा मुश्रिक के लिए आख़िरत में कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं होगा। यह बात विस्तार से आगे आएगी।

दूसरा कारणः यह है कि मूल रूप से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के मालिक नहीं हैं, कि आप से इसे तलब करना दुरुस्त होगा, सिफ़ारिश का मालिक केवल अल्लाह तआला है अतः इसे अल्लाह से ही तलब किया जाएगा न कि ग़ैरुल्लाह से, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ﴾ (ये अल्लाह को छोड़ कर जिसे पुकारते हैं वह सिफ़ारिश के मालिक नहीं हैं), दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ قُلۡ أَوَلَوۡ كَانُواْ لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَعۡقِلُونَ﴾ (क्या उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के अतिरिक्त बहुत से

अभिस्तावक (सिफ़ारिशी)? आप कह दें: क्या (यह सिफ़ारिश करेंगे) यदि वह अधिकार न रखते हों किसी चीज़ का और न ही समझ रखते हों)।

पहली आयत में अल्लाह तआला ने उनके सिफ़ारिशी होने का खंडन किया है जिनसे सिफ़ारिश के लिए दुआ की जाती है, चाहे वह कोई भी हों। दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने अपने लिए सिफ़ारिश के अधिकार को तीन ताकीदी शब्दों (ज़ोर देने वाले शब्द, निपात-अवधारक शब्द) के द्वारा बयान किया हैः पहल शब्द हैः بل (बल), दूसरा لله (लिल्लाह) में लाम (لام) इस्तेह़क़ाक़ (अधिकार जताने) के लिए है, तीसरा शब्द جميعا (जमीआ) है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से भी यही पता चलता है कि क़्यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं किसी चीज़ के मालिक नहीं होंगे, न सिफ़ारिश के और न ही किसी और चीज़ के, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब यह आयतः ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤﴾ (अपने सगे संबंधियों को डराईये) अवतरित हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ुरैश को बुलाया, आपकी आवाज़ सुन कर क़ुरैश के लोग जमा हो गए, आपने आम तौर भी दावत देने का कार्य किया तथा विशेष रूप से भी। आपने फ़रमायाः

हे बनी कअब बिन लुई! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे मुर्रा बिन कअब! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे बनी अब्दे शम्स! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे बनी अब्दे मुनाफ़! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे बनी हाशिम! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे बनी अब्दुल मुत्तलिब! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ।

हे फ़ातिमा! अपने आपको जहन्नुम की आग से बचाओ। मैं अल्लाह के समक्ष तुम लोगों के लिए किसी भी चीज़ का मालिक नहीं होउंगा[1]।

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (२७५३) तथा मुस्लिम (२०४) ने रिवायत किया है। उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

एक रिवायत में इस प्रकार आया हैः हे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! मैं अल्लाह के सामने आपको कोई फ़ायदा नहीं पहूँचा सकूँगा।

हे स़फ़ीय्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फ़ूफ़ी! मैं अल्लाह के समक्ष आपके कुछ काम न आ सकूँगा।

हे फ़ातिमा बिंते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! तुम (दुनियाँ में) मेरे धन में से जो चाहो माँग लो, (परंतु आख़िरत में) मैं अल्लाह के निकट तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूँगा[1]।

शैख़ुल इस्लाम इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "कोई मख़लूक़ किसी भी स्थिति में सिफ़ारिश की मालिक नहीं है, न ही यह कल्पना की जा सकती है कि कोई नबी अथवा उससे कमतर भी कोई व्यक्ति सिफ़ारिश करने का अधिकार रखता है, बल्कि यह उसी प्रकार से असंभव है जिस प्रकार से अल्लाह तआला के सिवाय किसी अन्य का ख़ालिक़ (सृजनकर्ता) तथा रब (पालनहार) होना असंभव है, इसी अर्थ को इस आयत में दर्शाया गया हैः ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢﴾ (कह दीजिए! कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम्हें गुमान है (सब को) पुकार लो, न उन में किसी को आसमानों और जमीनों में से एक कण का भी अधिकार है, न उनका उनमें कोई हिस्सा है, न उनमें से कोई अल्लाह का सहायक है)। सूरह सबाः २२ । अल्लाह तआला ने इस आयत में ग़ैरुल्लाह के लिए किसी भी प्रकार के स्वामित्व का खंडन कर दिया है, और इसके बाद आगे अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ (सिफ़ारिश भी उसके पास कोई लाभ नहीं देती सिवाय उसके जिसके लिए अनुमति मिल जाए)। सूरह सबाः २३ ।

इस आयत में अल्लाह तआला ने सिफ़ारिश के लिए अपनी अनुमति की शर्त लगा दी है, अर्थात केवल उन्हीं को सिफ़ारिश करने का अधिकार होगा जिन्हें अल्लाह की ओर से अनुमति मिलेगी, यहाँ अल्लाह तआला ने यह नहीं कहा है कि कोई जीव सिफ़ारिश का अधिकार रखता है, बल्कि यह अधिकार केवल अल्लाह तआला के लिए सुरक्षित है, तथा

[1] यह शब्द मुस्लिम (२०६) के हैं।

उसी के लिए समस्त प्रकार की प्रशंसा है, उसके स्वामित्व में कोई भी उसका साझी नहीं है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ۝٢﴾[1] (बरकत वाला (शुभ) है वह (अल्लाह) जिसने फ़ुर्क़ान अवतरित किया अपने बंदे (भक्त) पर ताकि पूरे संसार वासियों को सावधान करने वाला हो। जिसके लिए आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा उसने अपने लिए कोई संतान नहीं बनाया और न उसका कोई साझी है राज्य में, तथा उसने प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति की फिर उसको एक निर्धारित रूप दिया)। सूरह अल-फ़ुर्क़ानः १-२।

तीसरा कारण[2]**:** नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अन्य लोग अपने मन से जिसकी चाहेंगे सिफ़ारिश नहीं करेंगे, बल्कि ये केवल उन्ही लोगों की सिफ़ारिश करेंगे जिनके अदंर सिफ़ारिश की तय शर्तें पाई जायेंगी, निर्धारित शर्तें पाये जाने के बाद ही अल्लाह तआला किसी के संबंध में सिफ़ारिश स्वीकार करेगा, इसी को साबित सिफ़ारिश याने जायज़ सिफ़ारिश कहा जाता है, अर्थात वह सिफ़ारिश जिसे क़्यामत के दिन के लिए अल्लाह तआला ने साबित किया है। जिनके अंदर सिफ़ारिश की तय शर्तें नहीं पाई जायेंगी उसे सिफ़ारिश नहीं हासिल होगी, यही वह सिफ़ारिश है जिसको नकारा गया है, अर्थात क़्यामत के दिन जिसके हासिल होने का इंकार किया गया है[3]।

प्रमाणित सिफ़ारिश की दो शर्तें निम्न हैं:

1- सिफ़ारिश करने वाले को अल्लाह की ओर से सिफ़ारिश की अनुमति मिलना। इस शर्त की दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ (कौन है जो उसकी अनुमति के बिना उसके सामने सिफ़ारिश कर सके)। एक स्थान पर फ़रमायाः ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ﴾ (उसकी अनुमति के बिना कोई उसके पास सिफ़ारिश करने वाला नहीं)। एक स्थान पर इसे और स्पष्ट करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता

[1] मज्मूअ अल-फ़तावा (१४/ ४०६)।

[2] यह तीसरा कारण अति महत्वपूर्ण तथा इस मसला की बुनियाद को स्पष्ट करने वाला है।

[3] वर्जित सिफ़ारिश का बयान विस्तार से आगे आ रहा है।

है: ﴿يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا﴾ (उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम न आयेगी मगर जिसे रहमान (अल्लाह) अनुमति दे तथा उसकी बात को पसंद फ़रमाए)। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ﴾ (सिफ़ारिश उसके पास कुछ भी लाभ नहीं पहूँचाती सिवाय उसके जिसके लिए अनुमति मिल जाए)। सिफ़ारिश करने के पूर्व अल्लाह तआला की अनुमति आवश्यक है, अल्लाह का फ़रमान है: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾ (बहुत से फ़रिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफ़ारिश कुछ भी लाभ नहीं पहूँचा सकती, अलबत्ता यह बात और है कि अल्लाह तआला अपनी प्रसन्नता एवं मर्जी से जिसके लिए चाहे अनुमति दे दे)।

यह पाँच दलीलें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि सिफ़ारिश करने का मामला अल्लाह तआला की अनुमति मिलने पर निर्भर है।

क़ुरआन में इक्कीस स्थान पर यह बताया गया है कि क़्यामत के दिन केवल अल्लाह तआला की अनुमति से ही सिफ़ारिश संभव हो सकेगी। इन नुसूस (श्लोकों) में सिफ़ारिश के लिए अल्लाह की ओर से अनुमति मिलने की शर्त मौजूद है, इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं सिफ़ारिश के मालिक नहीं हैं, इसलिए कि यदि आप सिफ़ारिश के मालिक होते तो अल्लाह तआला जिसे चाहता उसे अज़ाब (यातना) में बाकी नहीं रखता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन मोमिनों को रहमान की अनुमति के बिना जहन्नुम से निकाल लेते।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं: "यह अल्लाह तआला की महानता, गौरव, तथा सर्वशक्तिमान एवं महाबलि होने को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अल्लाह की अनुमति के बिना उसके सामने किसी की सिफ़ारिश करने की हिम्मत नहीं करेगा"(1)।

हदीस से ज्ञात होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस समय तक सिफ़ारिश नहीं करेंगे जब तक अल्लाह तआला की ओर से आपको इसकी अनुमति न मिल जाये। उन हदीसों में से एक अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा

(1) देखें: सूरह अल-बक़रा में आयतुल कुर्सी की तफ़्सीर।

चुका है, जिसमें वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहन्नुम में प्रवेश पा चुके कबीरा गुनाहों के अपराधी मोमिनों के लिए सिफ़ारिश करने के लिए अल्लाह तआला से अनुमति चाहेंगे ताकि उन्हें जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में प्रवेश करा सकें, अल्लाह तआला आपकी सिफ़ारिश को स्वीकार करेगा तथा इसके लिए लोगों की एक सीमा तय कर देगा, आप उस तया सीमा के अंदर लोगों को जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में प्रवेश कराएंगे, तत्पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के लिए अपने रब के पास वापस जाएंगे, इस प्रकार से आप चार बार अपने रब के पास सिफ़ारिश के लिए जाएंगे[1]।

इस हदीस़ से यह पता चलता है कि नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के लिए अल्लाह तआला से अनुमति लेंगे, इसमें यह दलील भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आरंभ ही में सिफ़ारिश करना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि यदि आप शुरू से ही सिफ़ारिश के स्वामी होते, जिस प्रकार से अल्लाह तआला द्वारा प्रदत्त अन्य अनुग्रहों के आप प्रारंभ से ही स्वामी हैं, तो आप अल्लाह की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष रूप से असिमित संख्या में बल्कि सभी गुनहगार मोमिनों को जहन्नुम से निकलवा लेते, किंतु यह अधिकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हासिल नहीं है[2]।

2- सिफ़ारिश स्वीकार होने की दूसरी शर्त यह है कि जिसके लिए सिफ़ारिश की जा रही है अल्लाह तआला उस व्यक्ति से राजी व प्रसन्न हो, इस शर्त की दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ (वह किसी की भी सिफ़ारिश नहीं करते सिवाय उनके जिन से अल्लाह प्रसन्न हो)। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا﴾ (उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम न आयेगी मगर जिसे रहमान (अल्लाह) अनुमति दे तथा उसकी बात को पसंद फ़रमाए)।

---

[1] सिफ़ारिश के लिए अल्लाह तआला की अनुमति मिलनी शर्त है, इसकी दलील अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ भी है, विशेषतः उसका यह अंशः "फिर अल्लाह तआला सिफ़ारिश की अनुमति देगा, चुनाँचे एक के बाद एक समूह जहन्नम से निकाला जायेगा"। इस हदीस़ को इमाम अहमद (१७/ २९६) ने रिवायत किया है, तथा मुस्नद अहमद के अन्वेषकों ने इसे स़हीह़ करार दिया है।

[2] देखिएः अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (३५४-३५५)।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह सूरह अल-मुद्दस्सिर की इस आयतः ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ (सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश भी उन्हें कोई लाभ नहीं पहूँचा सकेगी) की तफ़्सीर में लिखते हैं: ''सिफ़ारिश उसी समय लाभदायक व कारगर साबित होगी जब सिफ़ारिश की जगह उसके लिए उचित व मुनासिब हो, क्योंकि अल्लाह तआला क़्यामत के दिन जिसे कुफ्र की हालत में पाएगा उसका ठिकाना जहन्नुम ही होगा, जिसमें वह सदा रहेगा''।

उपरोक्त दोनों शर्तों को अल्लाह तआला ने इस आयत में इकट्ठा बयान कर दिया है: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ﴾ (बहुत से फ़रिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफ़ारिश कुछ भी लाभ नहीं पहूँचा सकती, अलबत्ता यह बात और है कि अल्लाह तआला अपनी प्रसन्नता एवं मर्जी से जिसके लिए चाहे अनुमति दे दे)।

अध्यायः आख़िरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश हासिल करने के शरई माध्यम।

अल्लाह तआला आप पर कृपा करे, ज्ञात हो कि बंदा से अल्लाह तआला के राज़ी व प्रसन्न होने की एक ही स्थिति है, और वह यह है कि बंदा तौह़ीद का पाबंद रहे, तथा तौह़ीद समस्त इबादतों के संग्रह अर्थात नमाज़, रोज़ा, दुआ, ज़ब्ह तथा नज्र (मन्नत) इत्यादि को ख़ालिस व निश्छल रूप से अल्लाह तआला के लिए अंजाम देने का नाम है, जिसने अक़ीदा -ए- तौह़ीद को अपना कर उसके तक़ाज़ा व माँग के अनुसार कर्म किया, क़्यामत के दिन वह उन भाग्यशाली लोगों में से होगा जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश प्राप्त होगी, जैसाकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब यह प्रश्न किया कि क़्यामत के दिन आपकी सिफ़ारिश पाने वाला भाग्यशाली कौन होगा? तो आपने फ़रमायाः "क़्यामत के दिन मेरी सिफ़ारिश का पात्र वह व्यक्ति होगा जिसने दिल से या नफ्स से "ला इलाहा इल्लल्लाह" (अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं) कहा होगा"[1]।

और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है जिसमें उक्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मैंने अपनी दुआ को क़्यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफ़ारिश करने के लिए बचा कर रखा है, मेरी यह सिफ़ारिश इन शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने चाहा) तो हर उस व्यक्ति को हासिल होगी जिसकी मृत्यु इस स्थिति में हुई हो कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया था[2]।

अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मुझे सिफ़ारिश प्रदत्त की गई है, यह मेरी उम्मत में से उस व्यक्ति को प्राप्त होगी जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था"[3]।

उपरोक्त सभी ह़दीसें तथा इस विषय में अवितरित अन्य ह़दीसें यह दर्शाती हैं कि जो व्यक्ति क़्यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश पाने का लालसी हो

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (९९) तथा अह़मद (२/ ३७३) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] पूर्व में इस ह़दीस़ की तख़रीज गुज़र चुकी है।

[3] मुस्नद अह़मद (५/ १६२), मुस्नद अबू दाऊद अल-त़ियालिसी (४७४)। मुस्नद अह़मद के अन्वेषकों ने इसे स़ह़ीह़ कहा है।

उसके लिए यही शर्त है कि वह दुआ इत्यादि समस्त इबादतों को केवल अल्लाह के लिए ही अंजाम दे, इसके बाद ही वह व्यक्ति मुवह्हिद (एकेश्वावादी) कहलाएगा, परंतु जो व्यक्ति शिर्क (अनेकेश्ववाद) में पड़ गया, उदाहरणस्वरूप उसने मख़लूक़ (जीव) से दुआ माँगी, उनसे सिफ़ारिश तलब की, या उनके लिए पशु की बलि चढ़ाई, या उनसे नज़्र (मन्नत) मानी अथवा इस प्रकार की कोई अन्य इबादत ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दी तो ऐसे मुश्रिक के लिए क़्यामत के दिन कोई सिफ़ारिश नहीं करेगा, चाहे वह जो भी जतन कर ले, यहाँ तक कि अगर उसके लिए कोई सिफ़ारिश करेगा भी तो उसकी सिफ़ारिश कदापि स्वीकार नहीं की जायेगी, यद्यपि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही क्यों न उसके लिए सिफ़ारिश करें, क्योंकि उसके लिए की गई सिफ़ारिश के स्वीकार्य होने के मार्ग में रुकावट (अर्थात शिर्क) मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़्यामत के दिन अपने पिता आज़र के लिए सिफ़ारिश करेंगे किंतु अल्लाह तआला उनकी सिफ़ारिश अस्वीकार कर देगा क्योंकि उनके पिती की मृत्यु शिर्क करते हुए हुई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊलुल अज़्म (ढ़ृढ़ विश्वासी) रसूलों में से हैं तथा अल्लाह के ख़लील (परम मित्र) हैं इसके बावजूद आपकी सिफ़ारिश अस्वीकार कर दी जायेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “क़्यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भेंट उनके पिता आज़र से होगी, आज़र का मुख घोर मुसीबत के कारण काला हो चुका होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगेः क्या मैंने आप से नहीं कहा था कि मेरी बात मान लें? उनके पिता कहेंगेः आज मैं तुम्हारी बात मानूँगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब से विनती करेंगेः हे मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया है कि क़्यामत के दिन तू मुझे रुस्वा (अपमानित) न करेगा, आज मेरे लिए इस से बड़ी रुस्वाई और क्या होगी कि मेरे पिता तेरी कृपा से सर्वाधिक दूर हैं, अल्लाह तआला फ़रमायेगाः मैंने काफ़िरों के लिए जन्नत ह़राम कर दी है, फिर कहा जायेगाः हे इब्राहीम! अपने पाँव के नीचे देखिए? वह पाँव के नीचे देखेंगे तो वहाँ एक बिज्जू होगा जो गंदगी में लथपथ होगा, उस बिज्जू का पाँव पकड़ कर जहन्नुम में डाल दिया जायेगा”[1]।

इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब अपनी माता श्री के लिए मग़फ़िरत (क्षमा) की दुआ माँगने का प्रयास किया, तो अल्लाह तआला ने आपको इससे रोक दिया,

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (३३५०) ने रिवायत किया है।

इस लिए कि उनकी मृत्यु शिर्क की स्थिति में हुई थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मैंने अपनी माता के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की खातिर, अपने रब से अनुमति माँगी थी, परंतु मेरे रब ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी, फिर मैंने अपनी माता की समाधि (क़ब्र) देखने की अनुमति माँगी, तो उसकी अनुमति मुझे मिल गई"[1]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपनी माता के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का प्रयास करना, जो किसी की मग़फ़िरत के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि यह एक नबी की ओर से मग़फ़िरत माँगी जा रही है, इसके बावजूद अल्लाह तआला ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस मग़फ़िरत (क्षमा याचना) में जो रुकावट थी वह अधिक शक्तिशाली थी, और वह रुकावट शिर्क है, अतः इससे बचना वाजिब व अपरिहार्य है। इसी को वर्जित सिफ़ारिश कहा गया है। अल्लाह तआला के इस फ़रमानः ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ (सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश भी उनके काम न आयेगी)। सूरह अल-मुद्दस़्सिरः ४८, में जिस सिफ़ारिश का इंकार किया गया है वह यही सिफ़ारिश है।

इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: "मुश्रिकीन एवं उनके पेश्वाओं के दिल में यह बात है कि उनके पूज्य, उनकी मान्याताओं के अनुसार, अल्लाह तआला के यहाँ उनके सिफ़ारिशी हैं, यही तो असल शिर्क है। अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन (अनेकेश्वरवादी) की इस मिथ्या विचारधारा का खंडन किया है तथा इसे बातिल करार दिया है। अल्लाह तआला ने यह सूचना दे दी है कि, किस को सिफ़ारिश प्राप्त होगी और किसको नहीं होगी, और यह कि इसका पूर्ण अधिकार केवल अल्लाह तआला के पास है। अल्लाह तआला के पास कोई भी किसी की सिफ़ारिश तभी करेगा जब अल्लाह तआला उसे सिफ़ारिश की अनुमति देगा, एवं जिसके लिए सिफ़ारिश की जानी है उसके कथनी तथा करनी से अल्लाह तआला राजी व प्रसन्न होगा, और वह मुवह्हिदों (एकेश्वरवादियों) का समहू है जिसने अल्लाह के सिवाय किसी को सिफ़ारिशी नहीं बनाया। अल्लाह तआला जिसे चाहेगा उन लोगों के लिए सिफ़ारिश करने की अनुमति देगा, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर किसी को सिफ़ारिशी नहीं बनाया। चुनाँचे क़्यामत के दिन अल्लाह तआला की अनुमति से सिफ़ारिश करने वालों की

---

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (९७६), अबू दाऊद (३२३४), नसई (२०३३), इब्ने माजह (१५७२) तथा अह़मद ने रिवायत किया है।

सिफ़ारिश से वही लोग लाभांवित होंगे जो तौहीद पर कारबंद होंगे, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ कर, जो उनका रब और मौला है, किसी को अपना सिफ़ारिशी नहीं बनाया।

वह सिफ़ारिश जिसे अल्लाह तआला तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रमाणित किया है, वह अल्लाह की अनुमति से की जाने वाली सिफ़ारिश है, और यह सिफ़ारिश मुवह्हिद के लिए आरक्षित होगी। और अल्लाह तआला ने जिस सिफ़ारिश का इंकार किया है वह शिर्क आधारित सिफ़ारिश है, यही शिर्क आधारित सिफ़ारिश मुश्रिकीन की आस्था एवं कल्पना में मौजूद है, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को सिफ़ारिशी बना लिया, इन मुश्रिकों ने अपने सिफ़ारिशियों के संबंध में जो उम्मीद बांधी होगी उसके विपरीत उनके साथ व्यवहार होगा। और सिफ़ारिश पाने में सफल होने वाले लोग केवल मुवह्हिद ही होंगे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस बात पर ग़ौर कीजिए जो आपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कही थी, जब उन्होंने यह प्रश्न किया था कि, क़्यामत के दिन आपकी सिफ़ारिश का हकदार कौन भाग्यशाली होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः हे अबू हुरैरा! मेरा भी यही गुमान था, कि तुमसे पहले कोई भी मुझसे इस ह़दीस़ के बारे में प्रश्न नहीं करेगा, इसका कारण तुम्हारे अंदर ह़दीस़ का ज्ञान अर्जित करने की ललक है, क़्यामत के दिन मेरी सिफ़ारिश पाने वाला सबसे भाग्यशाली वह होगा जिसने दिल या नफ्स में इख़्लास़ (निश्छल भाव) के साथ "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहा"[1]।

अल्लाह तआला ने ख़ालिस़ (निश्छल) तौह़ीद को सिफ़ारिश पाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण करार दिया है, परंतु मुश्रिकीन के यहाँ इसका उलटा है, उनके यहाँ औलिया को सिफ़ारिशी बना लेने से सिफ़ारिश प्राप्त हो जाती है, एवं अल्लाह को छोड़ कर उन औलिया की इबादत करने एवं उनसे प्रेम वा आस्था रखने से सिफ़ारिश प्राप्त होती है। नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके इस मिथ्या कल्पना का खंडन कर दिया है, तथा यह बता दिया है कि सिफ़ारिश पाने की एक मात्र योग्यता, तौह़ीद को ख़ालिस़ एवं निश्छल करना है। जब बंदा के अक़ीदा -ए- तौह़ीद में खोट नहीं होगा तो अल्लाह तआला सिफ़ारिश करने वाले को उसके लिए सिफ़ारिश की अनुमति देगा।

---

[1] इस ह़दीस़ की तख़रीज पूर्व में ग़ुजर चुकी है।

मुश्रिकीन की यह आस्था अज्ञानता पर आधारित है कि, जिसने किसी को वली (मित्र) या सिफ़ारिशी बना लिया, तो वह उसके लिए सिफ़ारिश करेगा एवं अल्लाह के निकट उसे लाभ पहूँचाएगा, जैसाकि राजाओं एवं शासकों के खास लोग होते हैं, उनकी सिफ़ारिश उनके लिए लाभदायक होती है, उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि अल्लाह तआला के पास उसकी अनुमति के बिना कोई भी सिफ़ारिश नहीं कर सकता, और अल्लाह तआला केवल उसी व्यक्ति के लिए सिफ़ारिश की अनुमति देगा जिसके कथनी-करनी से वह प्रसन्न होगा, पहली बात की पुष्टि अल्लाह के इस फ़रमान से होती है: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ (कौन है जो उसके पास उसकी अनुमति के बिना सिफ़ारिश कर लेगा?!) एवं दूसरी बात को प्रमाणित करने के लिए अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ (वह किसी की भी सिफ़ारिश नहीं करते सिवाय उसके जिस से अल्लाह प्रसन्न हो)। इसके बाद अब केवल तीसरी चीज़ बाकी रह जाती है, और वह यह है कि अल्लाह तआला बंदा के कथनों एवं कर्मों में से केवल तौह़ीद तथा रसूल की पैरवी से प्रसन्न होता है[1]।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "अल्लाह की वह़दानियत (एकेश्वरवाद) और धर्म व पूजा के सारे प्रकार को निश्छल रूप से, अल्लाह के लिए आरक्षित करना ही सिफ़ारिश पाने की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। इस आधार पर जो बंदा अपने अक़ीदा (आस्था) व कर्म में जितना निष्ठावान होगा वह उतना अधिक सिफ़ारिश पाने के योग्य होगा, इसी प्रकार से वह अपने इख़्लास़ (निष्ठा) के कारण अल्लाह तआला की अन्य कृपा का भी सर्वाधिक हकदार होगा। सिफ़ारिश का मामला शुरू से ले कर अंत तक पूर्णरूपेण अल्लाह के ही हाथ में है। कोई भी उसकी अनुमति से ही सिफ़ारिश करेगा, वही सिफ़ारिश करने की अनुमति देगा, और वही सिफ़ारिश को उसके हक में स्वीकार करेगा जिसके लिए सिफ़ारिश की गई है।

सिफ़ारिश बंदों पर अल्लाह तआला की रह़मत के कारणों में से एक कारण है, और इसका सर्वाधिक हकदार अहले तौह़ीद तथा अहले इख़्लास़ हैं, अतः जो बंदा कलेमा -ए-तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" की मांग को इल्म (ज्ञान), अमल (कर्म), अक़ीदा (आस्था), मन्हज (पंथ, तरीका, ढ़ंग), बराअत (बरीयत, किसी से स्वयं को अलग-थलग कर लेना),

[1] मदारिजुस सालिकीन (१/ ५९६-५९८)। थोड़े से संशोधन के साथ।

मुवालात (मित्रता) तथा मुआदात (शत्रुता) के अनुसार पूरा करने वाला होगा वह अल्लाह की रह़मत का सर्वाधित पात्र होगा।

वो पापी जिनके पाप पुण्य से अधिक होंगे, जिसके कारण उनके पाप का पलड़ा झुक जायेगा और जिसकी वजह से वो जहन्नुम के भागी होंगे, उनमें जो कलेमा -ए- तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का पैरोकार होगा उसे उसके पाप के अनुसार नरक की अग्नि जलायेगी, अल्लाह तआला जहन्नुम में उसे मृत्यु भी देगा, सज्दा के स्थान को छोड़ कर शरीर के सारे अंग जल कर भस्म हो जाएंगे, फिर अल्लाह तआला उस अहले तौह़ीद को, (किसी की) सिफ़ारिश के कारण जहन्नुम से निकालेगा तथा जन्नत में प्रवेश कराएगा। स़ह़ीह़ ह़दीस़ों में विस्तार के साथ इसका वर्णन मौजूद है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि इन सभी मामलों का आधार, कलेमा -ए- तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" पर ईमान लाना एवं उसकी माँगों को पूरा करना है, इसका आधार उस शिर्क पर नहीं है जिसके अनुसार मुर्दों से संबंध प्रगाढ़ करने तथा उनकी इबादत करने का कुकृत्य किया जाता है, जैसाकि अहले जाहिलीय्यत (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवतरण से पूर्व के अज्ञानियों) ने गलत ढ़ंग से समझ लिया था[1]।

इन बातों को नकल करने वाले (लेखक) -अल्लाह उसे क्षमा करे- का कहना है किः जब यह बात प्रमाणित हो गई कि सिफ़ारिश का मामला अल्लाह तआला के हाथ में है, यह सिफ़ारिश केवल अल्लाह तआला की अनुमति से ही अंजाम पायेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं अन्य सिफ़ारिश करने वाले दूसरे नेक बंदे तभी सिफ़ारिश करेंगे जब अल्लाह तआला की ओर से इसकी अनुमति मिलेगी, और अल्लाह तआला केवल उन्हीं के लिए सिफ़ारिश की अनुमति देगा जिनसे वह प्रसन्न होगा, और वह तौह़ीद -ए- ख़ालिस़ के मानने वाले लोग हैं, तो (उपरोक्त बातें प्रमाणित हो जाने के पश्चात) केवल अल्लाह तआला से ही सिफ़ारिश माँगी जाए, जो अकेला है एवं जिसका कोई साझी व साथी नहीं है, अतः आप इन शब्दों में दुआ किया करें: हे अल्लाह! क़यामत के दिन मुझे अपने नबी की सिफ़ारिश से वंचित न रखना, हे मेरे अल्लाह! मेरे लिए अपने नबी को सिफ़ारिशी बना दे, हे मेरे अल्लाह!

[1] मज्मूअ अल-फ़तावा (१४/ ४१४-४१५)।

मेरे लिए अपने नेक बंदों को सिफ़ारिशी बना दे। ये या इस प्रकार की अन्य अच्छी दुआएं ही की जाएं जिन में मख़लूक़ से किसी प्रकार का कोई संबंध प्रकट न हो।

रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी और से सिफ़ारिश तलब करने की, तो यह दुआ करने की श्रेणी में आता है, और दुआ इबादत है जिसे ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना जायज़ नहीं है, जिसने ग़ैरुल्लाह को पुकारा या उससे दुआ माँगी उसने शिर्क किया, और शिर्क करने वाले की सिफ़ारिश कोई भी नहीं करेगा, एवं न ही कोई उसे किसी प्रकार का लाभ पहूँचा सकेगा, गरचे मुश्रिक उसके लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि शिर्क सिफ़ारिश के मार्ग में बड़ी रुकावट है, इसके साथ ही यह जन्नत में प्रवेश पाने के मार्ग में भी रुकावट है[1]।

---

[1] इस मसला को और अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए अल्लामा शंक़ीती रहिमहुल्लाह की पुस्तक "अज़्वाउल बयान" में सूरह अल-बक़रा आयत (४८) तथा सूरह मरियम आयत (८७) में उनका कथन पढ़ें। इसके अतिरिक्त उनकी एक और कृति "दफ़उ ईहाम अल-इज़्तेराब अन आयातिल किताब" में सूरह यूनुस आयत (१८) को भी पढ़ें।

अध्याय

आख़िरत (परलोक) में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश पाने के योग्य बनने के लिए अनेक शरई तरीके एवं माध्यम हैं, उदाहरणस्वरूपः अधिकाधिक नेक अमल (सदकर्म, पुण्य) अंजाम देना, विशेषतः वो नेक आमाल जिनकी फ़ज़ीलत (प्रधानता) में यह वर्णित है कि, इनके कारण परलोक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश प्राप्त होगी। उनमें से एक यह है कि अज़ान सुनने के पश्चात अल्लाह तआला से नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वसीला माँगा जाए, और वसीला जन्नत में एक उच्च स्थान है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सदा यह दुआ किया करते थे कि, अल्लाह तआला आपको उस उच्च स्थान तक पहूँचा दे, इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान हैः “जब तुम मोअज़्ज़िन के अज़ान की आवाज़ सुनो तो उसी के समान दोहराओ, तत्पश्चात मेरे ऊपर दरूद भेजो, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा उस पर अल्लाह तआला अपनी दस रहमत नाज़िल फ़रमाता है, फिर तुम मेरे लिए अल्लाह तआला से वसीला माँगो, यह जन्नत में एक स्थान का नाम है जो अल्लाह के किसी बंदे को हासिल होगा, मुझे आशा है कि वह बंदा मैं ही रहूँगा, जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला माँगा उसे मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी”[1]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश पाने के योग्य बनाने वाले आमाल में से एक मदीना में जीवन के अंतिम क्षणों तक निवास करना है, महरी के स्वतंत्र किए हुए सेवक अबू सईद का बयान है कि वह ह़र्रा[2] की फित्ना वाली रातों में अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मदीना आए एवं मदीना छोड़ देने के संबंध में उनसे राय ली, उनसे महँगाई तथा बाल-बच्चेदार होने की शिकायत की, और कहा किः मदीना की कठिन जीवनशैली तथा आजीविका की कमी के चलते अब सब्र करना दुशवार हो गया है, तो अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उत्तर दिया किः तुम्हारा भला हो, मैं तुमको मदीना छोड़ने का मश्विरा कदापि नहीं दूँगा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाता हुए सुना हैः

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (३८४) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

[2] इससे तात्पर्य ह़र्रा वाली वह घटना है, जो यज़ीद बिन मुआविया के शासनकाल में पेश आया था।

“जो व्यक्ति मदीना में रह कर, जीविका में कमी पर सब्र करते हुए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके लिए गवाही दूँगा, यदि वह व्यक्ति मुसलमान हो तो”[1]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश योग्य बनाने के बहुतेरे शरई माध्यम हैं, और उन सबका आधार अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आज्ञापालन, दीन -ए- इस्लाम पर धैर्य के साथ डटे रहना, दीन के आदेशों का अनुपालन करना एवं उसके द्वारा वर्जित की गई चीज़ों से बचना है। सिफ़ारिश पाने के लिए ग़ैर शरई माध्यमों पर भरोसा करना सिफ़ारिश पाने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है।

चौथा कारण: ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना शिर्क -ए- अकबर है, चाहे जिस माध्यम व वसीला से दुआ किया जाए, इस दुआ का उद्देश्य चाहे सिफ़ारिश तलब करना हो अथवा कुछ और हो। दीन -ए- इस्लाम एवं अन्य आसमानी धर्मों में शिर्क का ह़राम होना अपरिहार्य रूप से सभी को मालूम है, शिर्क पूर्णरूपेण इस्लाम के विरुद्ध एवं विपरीत है। अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को संबंधित करते हुए फ़रमायाः ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ (निःसंदेह आपकी ओर तथा आपसे पूर्व -समस्त नबियों- की ओर यह वह़्य -प्रकाशना- कर दी गई है कि यदि आपने शिर्क किया तो निश्चय ही आपके समस्त सदकर्म अकारत चले जायेंगे और वस्तुतः आप घाटा उठाने वालों में से हो जायेंगे। बल्कि आप अल्लाह की ही उपासना करें और उसका शुक्र (धन्यवाद) अदा करने वालों में हो जायें)। सूरह ज़ुमरः ६५-६६ ।

चूँकि ग़ैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने एवं उससे दुआ करने का मामला बड़ा संगीन है, इसीलिए ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने की हुरमत (वर्जना) पर दीन -ए- इस्लाम के सभी उलेमा एकमत हैं, उनमें सबसे आगे चारों मसलक (पंथ) के उलेमा एवं उनके अलावा भी अन्य उलेमा

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (१३७४) तथा अह़मद (३/ ५८) ने अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

हैं[1], और मुसलमानों का इजमाअ (किसी मसला पर सभी का एकमत होना) शरई तौर पर दलील व हुज्जत है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती, और जमात (समूह) के ऊपर अल्लाह का हाथ है"[2]।

पिछले शुब्हा (भ्रांति) के जवाब में ग़ैरुल्लाह से दुआ मांगने की हुरमत (वर्जना) के संबंध में चारों मसलक (पंथ) के उलेमा के कथनों का उल्लेख किया जा चुका है, अतः अब यहाँ उसे पुनः दोहराने का आवश्यकता नहीं है।

पाँचवां कारणः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अथवा किसी और से सिफ़ारिश तलब करने वाले से कहा जायेगा कि, क़ुरआन, स़ह़ीह़ ह़दीस़ या उम्मत के इज्माअ (किसी मसले पर सभी उलेमा का एकमत होना) से इसकी एक भी दलील मौजूद नहीं है, जिससे पता चलता हो कि मख़लूक़ (जीव, रचना) से सिफ़ारिश तलब करना जायज़ है। किसी भी सहाबी से यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अथवा किसी और से क़्यामत के दिन के लिए सिफ़ारिश तलब की हो, यदि ऐसा हुआ होता तो अवश्य ही हम तक यह बात पहूँचती, क्योंकि ये ऐसे धार्मिक मामले हैं जिनको बयान करने के लिए निश्चय एवं इरादा की कोई कमी नहीं होती, अपितु क़ुरआन व ह़दीस़ से हमें इस विषय में जो शिक्षा मिलती है वह इसके ठीक उलट है, क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह तआला से यह दुआ माँगा करते थे कि, अल्लाह उन्हें अपने नबी की सिफ़ारिश नसीब करे, उनमें से कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने लिए इस प्रकार दुआ कर देने की विनती किया करते थे किः अल्लाह तआला उन्हें आख़िरत (परलोक) में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश के योग्य बना दे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कदापि यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रत्यक्ष रूप से किसी आख़िरत वाले लाभ के लिए विनती की हो, चाहे वह सिफ़ारिश से संबंधित हो अथवा किसी और अन्य लाभ से, क्योंकि उन्हें पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़्यामत के दिन स्वयं किसी चीज़ के स्वामी नहीं होंगे, जैसाकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु

---

[1] अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ व अनुग्रह से मैंने अपनी पुस्तक "कश्फ़ुल ग़िता अन ऐनै मन जअला बैनहू व बैनल्लाहि वासिततन फ़िद्दुआ" के अस्सी अध्याय में, चारों मसलक के उलेमा के कथनों को संग्रहित कर दिया है। यह पुस्तक "अल-मालूमात" वेबसाइट पर इसी नाम से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दारुल फ़ुर्क़ान अलजीरिया से इसका प्रकाशन भी हो चुका है।

[2] इस ह़दीस़ की तख़रीज पूर्व में गुजर चुकी है।

की ह़दीस़ से साबित है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह आयतः (आप अपने सगे संबंधियों को डराइये) ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ अवतरित हुई तो आपने स्पष्ट रूप से अपने समस्त परिवार वालों एवं सगे संबंधियों को यह बता दिया कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा।

सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ (अल्लाह तआला क़यामत के दिन का मालिक है) के अर्थ से भलि भांति परिचित थे)।

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बस इतना किया करते थे कि, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हो कर आपसे यह विनती किया करते थेः आप मेरे लिए अल्लाह तआला से यह दुआ कर दीजिए कि, क़यामत के दिन मुझे भी आपकी सिफ़ारिश प्राप्त हो जाए। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे तथा मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फ़रमायाः "मेरे रब का एक फ़रिश्ता मेरे पास आया, उसने मुझ दो बातों में से एक, अर्थात उम्मत के एक समूह के जन्नत में प्रवेश पाने अथवा आख़िरत में सिफ़ारिश की अनुमति मिलने में से, किसी एक का चयन करने का अधिकार दिया। मैंने अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश करने के अधिकार को चुना, मुझे पत चल गया कि सिफ़ारिश का चयन करना मेरी उम्मत के लिए अधिक हितकारी है। फिर उसने एक तिहाई उम्मत के जन्नत में प्रवेश पाने अथवा उनके लिए सिफ़ारिश करने के अधिकार को चयन करने का प्रस्ताव दिया, तो मैंने अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश करने के अधिकार को चुना, मुझे पत चल गया कि सिफ़ारिश का चयन करना मेरी उम्मत के लिए अधिक हितकारी है। यह सुन कर उन दोनों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहाः हे अल्लाह के रसूल! आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे भी आपकी सिफ़ारिश पाने वाले भाग्यशाली लोगों में से बना दे। रावी (वाचक) कहते हैं: आपने उन दोनों के लिए दुआ की। फिर जब अन्य सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुआज़ व अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुआ करने की सूचना मिली तो वह अधिकाधिक संख्या में आपके पास आने लगे और आप से यह विनती करने लगे कि, हे अल्लाह के रसूल! आप अल्लाह तआला से दुआ कर दीजिए कि वह हमें भी आपकी सिफ़ारिश पाने वाले भाग्यशाली लोगों में शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके लिए दुआ फ़रमाते। जब बार-बार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आपसे दुआ करने की

दरख्वासत करने आने लगे एवं उनकी संख्या अधिक हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मेरी सिफ़ारिश उन सब को प्राप्त होगी जिनकी मृत्यु इस स्थिति में हुई हो कि वह इस बात की गवाही देता था कि अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं है"[1]।

छठा कारणः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिफ़ारिश माँगने वालों से कहा जायेगा कि, क़्यामत के दिन मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने अथवा जहन्नुम से नजात दिलाने के लिए बहुतेरे लोग सिफ़ारिश करेंगे, केवल अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही सिफ़ारिश नहीं करेंगे, उदाहरणस्वरूप फ़रिश्ते सिफ़ारिश करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले के अम्बिया सिफ़ारिश करेंगे, शहीद सिफ़ारिश करेंगे, जन्नत में प्रवेश पा चुके मोमिन सिफ़ारिश करेंगे, (मोमिनों के) बच्चे[2] सिफ़ारिश करेंगे, क़ुरआन

---

[1] इस हदीस़ को इमाम अहमद (४/ ४१५) ने रिवायत किया है। एवं मुस्नद के अहमद के अन्वेषकों (३२/ ३९४) ने इसे हसन करार दिया है।

[2] इसकी दलील वह हदीस़ है जिसे इमाम मुस्लिम (२६३५) ने अबू हस्सान से रिवायत किया है, वह बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहाः मेरे दो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आप (इस संबंध में) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कौनसी हदीस़ मुझसे बयान करने वाले हैं जिसे सुनकर हमारे दिल हमारे मृतकों के संबंध में प्रसन्नता का अनुभव करने लगें?
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहाः हाँ, मोमिनों के छोटे बच्चे जन्नत में हर जगह घूमने फिरने वाले होंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, उन बच्चों में से किसी की जब उसके पिता से भेंट होगी, या यह कहा किः उनके माता पिता से भेंट होगी, तो वो बच्चे अपने माता पिता का वस्त्र पकड़ लेंगे, या यह कहा किः उनका हाथ थाम लेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हारे कपड़े का किनारा पकड़ लिया, वो कहीं रुकेंगे नहीं अपितु सीधे अल्लाह तआला के पास चले जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तआला उस बच्चा एवं उसके पिता को जन्नत में प्रवेश दे देगा।

मजीद[1] सिफ़ारिश करेगा, रोज़ा[2] सिफ़ारिश करेगा। अतः तुम इन सब से दुआ क्यों नहीं माँगते, एवं इन सभी से सिफ़ारिश क्यों नहीं तलब करते हो?!

यदि उत्तर में वो यह कहें कि, मैं उन सभी से सिफ़ारिश तलब करता हूँ तो उसने नेक लोगों की इबादत (पूजा) करने का इकरार कर लिया जब्कि वह नेक लोगों की पूजा करने का इंकारी है, जिसका वह इकरार नहीं करता है।

यदि वो जवाब में यह कहें कि ये इस योग्य नहीं हैं कि उनसे सिफ़ारिश माँगी जाए तो फ़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनका सिफ़ारिश करना बातिल करार पायेगा, इसलिए कि उसने बिना किसी नियम के एक जैसी दो चीज़ों के मध्य अंतर किया, अर्थात उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिफ़ारिश तलब करने तथा अन्य नेक लोगों से सिफ़ारिश तलब करने, के मध्य अंतर किया जब्कि वह यह इकरार कर चुका है कि, क़्यामत के दिन ये सब सिफ़ारिश करने वालों की सूची में शामिल हैं।

सातवां कारणः मुर्दों से सिफ़ारिश चाहने वालों से कहा जायेगा -चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिफ़ारिश की चाह रखने वाले हों अथवा अन्य से- कि जो लोग संसार से जा चुके हैं, सांसारिक जीवन से उनका संबंध पूर्णरूपेण समाप्त हो चुका है, अब उन पर सांसारिक नियम जैसे, सुनना, देखना, बात करना, हिलना डुलना एवं किसी मामला में कुछ करने का अधिकार रखना इत्यादि को लागू करना सही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं

---

[1] इसकी दलील अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु की यह ह़दीस़ है। वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः "तुम लोग क़ुरआन पढ़ो, यह क़्यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफ़ारिश करेगा, तुम लोग अल-ज़हरावैन अर्थात सूरह बक़रा तथा सूरह आले इमरान का पाठ किया करो, ये दोनों क़्यामत के दिन ऐसे आएंगे जैसे दोनों बादल के टुकड़ो हों या दो छाया हों, अथवा पंखों को फैलाए हुए पक्षियों के दो झुंड हों, ये दोनों अपने पाठक के लिए हुज्जत पेश करेंगे .... "। देखिएः स़ह़ीह़ मुस्लिम (८०४)। क़्यामत के दिन क़ुरआन मजीद के सिफ़ारिश करने की दलील वह ह़दीस़ भी है जो अगले फुटनोट (पादटीका) में आ रही है।

[2] इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "रोज़ा और क़ुरआन क़्यामत के दिन बंदा के लिए सिफ़ारिश करेंगे ..."। इस ह़दीस़ को इमाम अह़मद ने मुस्नद (२/ १७४) में रिवायत किया है तथा शैख़ अलबानी ने स़ह़ीहुल जामेअ (३८८२) में इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

चलता है कि उनके आसपास कौन लोग हैं, कौई आवाज़ दे तो उनकी आवाज़ वो नहीं सुनते हैं, फिर उनसे दुआ माँगना एवं सिफ़ारिश करना कैसे दुरुस्त हो सकता है?

अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ﴾ (यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (संभवतः मान भी लिया जाये कि वह तुम्हारी पुकार) सुन भी लें तो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इंकार कर देंगे, तुमको कोई भी अल्लाह सर्वज्ञानी जैसी सूचना नहीं देगा)। सूरह फ़ातिरः १४। अल्लाह तआला ने इस आयत में मुर्दों से दुआ माँगने एवं उनसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कहने को शिर्क का नाम दिया है। एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ﴾ (आप उन्हें अपनी बात नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में हैं)। तो क्या क़ुरआन के द्वारा स्पष्ट कर देने के बाद भी अब किसी स्पष्टता की गुंजायश बचती है? ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ﴾ (अब वह इसके बाद किस बात पर ईमान लाएंगे?)।

आठवां कारण: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगने के बातिल होने का एक कारण यह भी है कि, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह आदेश दिया है कि हम लोग आप पर दुरूद भेजें तथा आपके लिए दुआ करें, आपके जीवित रहते हुए भी तथा मरणोपरांत भी, अब जिनकी यह स्थिति हो उनसे अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए कहना कैसे सही हो सकता है?! जब्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ब्र के अंदर हैं, चाहे वह सिफ़ारिश तलब करना हो अथवा कुछ और?

अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुनाः "जब तुम मोअज़्ज़िन के अज़ान की आवाज़ सुनो तो उसी के समान दोहराओ, तत्पश्चात मेरे ऊपर दरूद भेजो, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा उस पर अल्लाह तआला अपनी दस रहमत नाज़िल फ़रमाता है, फिर तुम मेरे लिए अल्लाह तआला से वसीला माँगो, यह जन्नत में एक स्थान का नाम है जो अल्लाह के

किसी बंदे को हासिल होगा, मुझे आशा है कि वह बंदा मैं ही रहूँगा, जिसने मेरे लिए अल्लाह से वसीला माँगा उसे मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी"[1]।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह शिक्षा भी दी है कि, हम आपके लिए, एवं आकाश व धरा के सभी नेक बंदों के लिए, दुआ करें जैसाकि तशह्हुद वाली दुआ में अत्तहीयात के कलेमा में ये शब्द आए हैं: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... (हे नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत व बरकत उतरे, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो)।

नौवां कारणः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगने के बातिल होने की, एक दलील यह भी है कि, वो सब लोग जिनकी अल्लाह को छोड़ कर पूजा की जाती है, क़यामत के दिन अपने पूजकों को बेसहारा छोड़ देंगे एवं स्वयं को उनसे अलग-थलग कर लेंगे, ऐसा करने वाले नबी भी होंगे तथा नबी के अलावा और लोग भी।

ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों से बराअत व अलगाव जाहिर करेंगे जो दुनियाँ में उनकी पूजा करते थे, अल्लाह तआला का फ़रमान है हैः ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ﴾ (तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन) कहेगाः हे मरियम पुत्र ईसा! क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता को पूज्य (आराध्य) बना लो? वह कहेंगेः तू पवित्र है, मुझ से यह कैसे हो सकता है कि ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं? यदि मैंने ऐसा कहा होगा, तो तुझे अवश्य उसका ज्ञान हुआ होगा। तू मेरे मन की बात जानता है, परंतु मैं तेरे मन की बात नहीं जानता, वास्तव मैं तू ही ग़ैब (भविष्य, परोक्ष) की बातें जानने वाला अति ज्ञानी है। मैंने तो उनसे केवल वही कहा था, जिसका तूने मुझे आदेश दिया था कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा रब तथा तुम सभी का रब (पालनहार) है)। सूरह अल-माइदाः ११६-११७।

---

[1] इस हदीस को मुस्लिम (३८४) ने रिवायत किया है।

दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّاۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ (उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरे माबूद (आराध्य) बना रखे हैं कि वो उनके लिए सम्मान का कारण हों, किंतु कदापि ऐसा नहीं होना, वो तो उनकी पूजा के इंकारी हो जाएंगे और उलटे उनके शत्रु बन जाएंगे)। सूरह मरियमः ८१-८२। एक जगह पर अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾﴾ (उससे बढ़ कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पुकारता है जो क़्यामत तक उसकी दुआ को स्वीकार न कर सकें, बल्कि उनकी पुकार से पूरी तरह अनभिज्ञ हों, और जब लोगों को संग्रहित किया जाएगा तो ये उनके शत्रु हो जाएंगे एवं उनकी पूजा का साफ इंकार कर देंगे)। सूरह अल-अहक़ाफ़ः ५-६। एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन हैः ﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ (तुमने तो अल्लाह को छोड़ कर मूर्तियों को प्रेम का साधन बना लिया है अपने बीच सांसारिक जीवन में, फिर प्रलय के दिन तुम एक-दूसरे का इंकार करोगे तथा धिक्कारोगे एक-दूजे को, और तुम्हारा आवास नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा कोई सहायक)। सूरह अल-अंकबूतः २५। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًاۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾﴾ (जिस दिन वह एकत्र करेगा उनको और जिनकी वो इबादत (वंदना) करते थे अल्लाह के सिवा, तो वह (अल्लाह) कहेगाः क्या तुम्हीं ने मेरे इन भक्तों को कुपथ किया है अथवा वे स्वयं कुपथ हो गए। वे कहेंगेः तू पवित्र है! हमारे लिए यह मुनासिब नहीं था कि तेरे सिवा कोई संरक्षक बनायें, परंतु तूने सुखी बना दिया उनको तथा उनके पूर्वजों को यहाँ तक कि वो शिक्षा को भूल गए, और वो थे ही विनाश के

योग्य। उन्होंने तो तुम्हें झुठला दिया तुम्हारी बातों में, तो तुम न यातना को फेर सकोगे और न अपनी सहायता कर सकोगे, और जो भी अत्याचार करेगा तुम में से हम उसे घोर यातना चखायेंगे)। सूरह अल-फ़ुर्क़ानः १७-१९ ।

अल्लामा मुहम्मद अमीन बिन मुहम्मद मुख़्तार शंक़ीती रहिमहुल्लाह उपरोक्त आयत की तफ़्सीर में लिखते हैं: "अल्लाह तआला ने इस आयत में यह सूचना दी है कि वह क़्यामत के दिन कुफ्फार को एवं उनके पूज्यों को जमा करेगा, तथा उनके पूज्यों से पूछेगाः क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराही के पथ पर डाल दिया था एवं इनके लिए कुफ्र व शिर्क को सुसज्जित व सुंदर बना कर पेश किया था, ताकि ये मुझे छोड़ कर तुम्हारी आराधना करने लग जाएं या ये स्वंय ही कुपथ हो गए थे?

अर्थात इन लोगों ने मुझे भूल कर जो तुम्हारी आराधना की, तो ऐसा उन्होंने स्वयं अपने विवेक से किया, अथवा तुम लोगों ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, और इस कुफ्र व शिर्क को उनके लिए शोभनीय व सुंदर बना दिया था? वो समस्त आराध्य कहेंगेः ﴿سُبۡحَٰنَكَ﴾ तेरी ज़ात इससे उच्च है कि (मिथ्या) साझीदारों को तेरी इबादत मे शरीक किया जाए, एवं तेरी ज़ात उन समस्त चीज़ों से भी पाक, पवित्र एवं उच्च है जो तेरी महानता, बड़ाई एवं तेज के विरुद्ध हे।

﴿مَا كَانَ يَنۢبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ अर्थात मख़लूक़ (रचना, जीव) में से किसी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह तेरे सिवाय किसी अन्य की आराधना करे, न हमारी न उनकी, हमने उनको अपनी आराधना करने के लिए नहीं कहा था, उनलोगों ने मेरे आदेश के बिना ही स्वयं यह कुकृत्य अंजाम दिया था, हम उनसे एवं उनकी आराधना से बरी व अलग हैं।

इसके बाद अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَٰكِن مَّتَّعۡتَهُمۡ وَءَابَآءَهُمۡ﴾ अर्थात उनके जीवन का एक लम्बा युग बीत गया यहाँ तक कि वो लोग तज़कीर (अल्लाह का स्मरण करना) को भुला बैठे, अर्थात तूने अपने रसूल के द्वारा जो आदेश अवतरित किए थे, उसे ये लोग भूल गए, और वह आदेश यही था कि लोग केवल तेरी ही इबादत व उपासना करें, और किसी को तेरा साझी न बनाएं।

﴿وَكَانُوا۟ قَوۡمَۢا بُورًا﴾ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं किः ﴿وَكَانُوا۟ قَوۡمَۢا بُورًا﴾ से अभिप्राय वो लोग हैं जिनका सर्वनाश हुआ, अथवा उनके भाग्य में विनाश लिख दिया गया था।

हसन बसरी तथा मालिक ने ज़ुहरी के हवाले से ﴿قَوۡمَۢا بُورًا﴾ की तफ़्सीर में कहा है किः इससे आश्य वो लोग हैं जिनमें कोई ख़ैर व भलाई न हो।" अल्लामा मुहम्मद अमीन शंक़ीती का कथन समाप्त हुआ।

इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: "बंदा का मख़लूक़ (जीव, रचना) पर भरोसा करना, स्वयं उसके लिए अपने हाथों खुद को हानि पहूँचने का कारण है, और यह हानि उसे अवश्य होकर रहेगी, यह हानि उस आशा के प्रतिकूल होगी जो ग़ैरुल्लाह की इबादत करने वालों ने अपने माबूदों (आराध्यों) से कर रखी थी, निःसंदेह ग़ैरुल्लाह के इन पुजारियों को जिससे सहयोग की आशा थी उससे असहयोग एवं रुस्वाई ही हाथ लगेगी, जिनसे उन्हें प्रशंसा की उम्मीद थी उनसे निंदा ही मिलेगी, यह बात जहाँ क़ुरआन व हदीस़ से प्रमाणित है, वहीं इस की पुष्टि अनुभव एवं तजुरबा से भी होती है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمۡ عِزًّا ۝٨١ كَلَّاۚ سَيَكۡفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمۡ وَيَكُونُونَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّا ۝٨٢﴾ (उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरे माबूद (आराध्य) बना रखे हैं कि वो उनके लिए सम्मान का कारण हों, किंतु कदापि ऐसा नहीं होना, वो तो उनकी पूजा के इंकारी हो जाएंगे और उलटे उनके शत्रु बन जाएंगे)। सूरह मरियमः ८१-८२। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمۡ يُنصَرُونَ ۝٧٤ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَهُمۡ وَهُمۡ لَهُمۡ جُندٌ مُّحۡضَرُونَ ۝٧٥﴾ (और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवाय बहुतेरे पूज्य, कि संभवतः वे उनकी सहायता करेंगे। वे स्वंय अपनी सहायत नहीं कर सकेंगे, तथा वे उनकी सेना हैं, (यातना में) उपस्थित)। सूरह यासीनः ७४-७५। अर्थात ये मुश्रिकीन अपने आराध्यों का पक्ष लेते हुए क्रोधित होते हैं एवं उनका दिफ़ा व प्रतिरक्षा करने के लिए सदेव तत्पर रहते हैं, जिस प्रकार से फौजी अपने विरोधी फौजियों के

विरुद्ध क्रोधित हो कर अपने साथियों की ओर से लड़ता है[1]। ये आराध्य तो स्वयं अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थ हैं, बल्कि ये अपने पूजकों पर एक बोझ हैं। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡۖ فَمَآ أَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ لَّمَّا جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَۖ وَمَا زَادُوهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيبٖ﴾ (हमने उन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया, अपितु उन्होंने स्वयं अपने आप पर ज़ुल्म किया, और उन्हें उनके पूज्यों ने कोई लाभ नहीं पहूँचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवाय पुकारते थे जब्कि तेरे रब का आदेश आ गया, बल्कि उन्होंने उनका और अधिक नुकसान ही कर दिया)। सूरह हूदः १०१। एक जगह अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ ٢١٣﴾ (तू अल्लाह के संग किसी और आराध्य को न पुकार कि कहीं तू भी सज़ा पाने वालों में से हो जाए)। सूरह अल-शोअराः २१३। एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ٢٢﴾ (तू अल्लाह के संग किसी और को पूज्य न बना कि अंततोगत्वा तू बुरी स्थिति में दीनहीन हो कर बैठ रहेगा)। सूरह बनी इस्राईलः २२। मुश्रिक शिर्क करने के पश्चात अपने पूज्य से कभी सहयोग की आशा करता है, कभी प्रशंसा का लालसी होता है, इसीलिए अल्लाह तआला ने यह सूचना दी है कि मुश्रिक के शिर्क का परिणाम उसकी आशा के विपरीत ठीक उसके उलट रूप में सामने आएगा, उसे अपने आराध्यों से असहयोग एवं निंदा ही मिलेगी। हृदय की पवित्रता एवं उसकी सफलता व कामयाबी अल्लाह तआला की उपासना करने एवं उससे सहायता माँगने में है, एवं हृदय का नाश तथा उसका अभागापन, और अविलंब या विलंब से प्राप्त होने वाली हानि, मख़लूक़ (जीव) की उपासना करने एवं उससे सहायता माँगने में है"[2]।

मेरा कहना हैः अल्लाह तआला का यह फ़रमान आँखे खोल देने वाला हैः ﴿وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١﴾ (सुनो!

---

[1] अर्थात संसार में, ग़ैरुल्लाह की पूजा करने वाले ये लोग अपने पूज्यों की प्रतिरक्षा करते हैं एवं उनके कारण क्रोधित होते हैं, चाहे वो मूर्तियों के लिए ऐसा करें अथवा क़ब्रों के लिए अथवा इन के सिवाय किसी अन्य के लिए।

[2] इग़ासतुल लहफ़ान (९३)। मामूली संशोधन के साथ।

अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला मानो आकाश से गिर पड़ा, अब या तो उसे पक्षी उचक लेंगे, या पवन (वायु, हवा) किसी सुदूर स्थान पर ले जाकर फेंक देगा)। सूरह हजः ३१ ।

दसवां कारण: "अहले सुन्नत का इस बात पर इजमाअ (सर्वसहमति) है कि नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कई प्रकार की सिफ़ारिशों का अधिकार प्राप्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन सिफ़ारिशों का प्रयोग अपनी उम्मत के पापियों को क्षमा दिलवाने के लिए करेंगे, किंतु उलेमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ब्र के अंदर सिफ़ारिश माँगने की बात नहीं कही है, अपितु ये समस्त सिफ़ारिशें क़्यामत के दिन के लिए हैं।

इस बिंदु पर विचार करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति अहले सुन्नत की इजमाअ (सर्वसहमति) का विरोधी हो उसका उहले सुन्नत से कोई संबंध नहीं है"[1]।

निष्कर्षः

सिफ़ारिश के मसलों का सार एवं निष्कर्ष, निम्न में सात बिंदुओं में उल्लेखित किया जा रहा हैः

पहलाः सिफ़ारिश का स्वामी केवल अकेला अल्लाह तआला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं है, अतः सिफ़ारिश केवल अल्लाह तआला से ही तलब करना वाजिब व अपरिहार्य है, उदाहरण स्वरूप कोई इस प्रकार से दुआ करेः हे अल्लाह! तू मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें क़्यामत के दिन सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश हासिल होगी, चाहे वो सिफ़ारिश करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हों अथवा आपके अलावा कोई और।

दूसराः यह दावा बातिल एवं निराधार है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स्वयं सिफ़ारिश के मालिक हैं, क्योंकि यह एक ऐसे मामले में अल्लाह तआला एवं मख़लूक़ के बीच साझेदारी बनाना है, जो केवल अल्लाह तआला की विशेषताओं में से है।

तीसराः ग़ैरुल्लाह से सिफ़ारिश तलब करना, चाहे वो नबी हों, वली हों, नेक इंसान, महात्मा व संत हों अथवा इनके अलावा कोई और, शिर्क -ए- अकबर है, इसके कारण इंसान

---

[1] हाज़िही मफ़ाहीमुना (१४९)।

मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज व निष्कासित हो जाता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे कोई ग़ैरुल्लाह से रिज़्क़ (जीविका), आफ़ियत (कुशल-क्षेम) और सहायता माँगे, क़ुरआन में इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना अथवा उसको मदद के लिए पुकारना बातिल है। सत्य की खोज में रहने वाले के लिए क़ुरआन की यह एक आयत ही पर्याप्त है: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ﴾ (ये सब इसलिए कि अल्लाह ही ह़क़ है, एवं उसके सिवाय जिसे ये पुकारते हैं वह बातिल(शून्य) है)। और सूरह लुक़मान में अल्लाह का इरशाद है: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ﴾ (यह सब (इंतज़ाम, प्रबंध, व्यवस्था) इस लिए है कि अल्लाह तआला ही ह़क़ है और उसके सिवाय जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं)।

केवल एक अल्लाह से दुआ माँगने को अल्लाह तआला ने अपना हक व विशेषाधिकार करार दिया है: ﴿لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۚ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ ١٤﴾ (उसी को पुकारना ह़क़ है, जो लोग उसके सिवाय औरों को पुकारते हैं वोउनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं मगर जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुँह तक पहूँच जाए हालांकि वह पानी उसके मुँह में पहूँचने वाला नहीं है, इन काफ़िरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है)।

चौथा: सिफ़ारिश के दो प्रकार हैं: एक प्रमाणित (जायज़) सिफ़ारिश एवं दूसरा अप्रमाणित (निषेध) सिफ़ारिश। प्रमाणित सिफ़ारिश वह है जिसके हासिल होने को अल्लाह तआला ने प्रमाणित किया है, यह सिफ़ारिश मोमिनों को दो शर्तों के साथ हासिल होगी, एक अल्लाह रह़मान की अनुमति तथा दूसरा जिसके लिए सिफ़ारिश की जायेगी उससे अल्लाह तआला का राज़ी व प्रसन्न होना। तथा अप्रमाणित (निषेध, वर्जित) सिफ़ारिश वह है जिसके प्राप्त होने का खंडन अल्लाह तआला ने कर दिया है, यह मुश्रिकीन के लिए सिफ़ारिश है, अल्लाह तआला ने इस प्रकार के सिफ़ारिश हासिल होने को वर्जित करार दिया है।

पाँचवां: इस सिफ़ारिश की ह़िकमत व तत्वदर्शिता यह है कि इसके द्वारा लोगों के दिलों को सिफ़ारिश करने वाले एवं जिसके लिए सिफ़ारिश की जायेगी, उन दोनों की ओर से हटा कर

केवल एक अल्लाह की ओर फेर देना है। यहाँ सिफ़ारिश करने वालों को देखिए कि अल्लाह तआला ने उनके अक़ीदा -ए- तौहीद के कारण उनकी सिफ़ारिश को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर जिसके लिए सिफ़ारिश की जाएगी उसको देखिए कि, जब उसने अपनी सारी पूजा-अर्चना केवल अल्लाह तआला के लिए ख़ालिस व निश्छल भाव से अंजाम दिया तो, अल्लाह तआला ने उसके लिए सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया।

छठाः क़्यामत के दिन सिफ़ारिश की हिकमत जिसके लिए सिफ़ारिश की जायेगी उसके ऊपर अल्लाह तआला के कृपा एवं दया को दर्शाना है, इसी प्रकार से इसमें सिफ़ारिश करने वाले की भी फ़ज़ीलत व प्रधानता को दर्शाना है कि, जब उसने केवल एक अल्लाह तआला की इबादत इख़्लास व निष्ठा के साथ किया तो अल्लाह ने उसे यह गौरव दिया, अन्यथा अल्लाह तआला तो इसमें सक्षम है ही कि वह स्वर्ग वासियों को स्वर्ग में तथा नरक वासियों को नरक में डाल दे, तत्पश्चात उनमें से जिसे चाहे बिना सिफ़ारिश के ही वहाँ से निकाल कर स्वर्ग में प्रवेश दिला दे।

सातवां: जो व्यक्ति सिफ़ारिश पाने की ललक रखता हो अर्थात वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अथवा किसी अन्य की सिफ़ारिश पाने का लालसी हो, उसके लिए आवश्यक है कि वह सिफ़ारिश को उसके असल मालिक से माँगे, जोकि केवल अल्लाह तआला है, जिसका कोई साझी व शरीक नहीं है, फिर उसे चाहिए कि वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आज्ञापालन की ओर ध्यान दे, अधिकाधिक नेक आमाल (सदकर्म) करे, अल्लाह तआला एवं उसके रसूल द्वारा वर्जित किए गए कार्यों से बचे, और सिफ़ारिश के लिए केवल अभिलाषाओं एवं तमन्नाओं पर भरोसा न करे, क्योंकि सिफ़ारिश प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है कि इख़्लास़ (निष्ठा) के साथ लगातार नेक अमल करने को अपनी दिचर्या बना लिया जाए। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا﴾ ((यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं तथा अहले किताब की कामनाओं पर निर्भर नहीं, जो कोई कुकर्म करेगा तो वह उसका कुफल पायेगा, तथा अल्लाह के सिवाय कोई अपना रक्षक एवं सहायक नहीं पायेगा)। सूरह अल-निसाः १२३।

रबीआ बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं किः "मैं रात्रि में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ विश्राम करता था, मैं आपके लिए वुज़ू का पानी एवं

दूसरी आवश्यक वस्तुएं तैयार करता था, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः कुछ माँगो, मैंने निवेदन किया किः मैं जन्नत में आपका सानिध्य चाहता हूँ, आपने फ़रमायाः इसके अतिरिक्त कोई और चीज़? मैंने कहाः मुझे तो केवल यही चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः तो फिर अधिकाधिक सज्दा करने के द्वारा इसे पाने में मेरा सहयोग करो"[1]।

इसे नकल करने वाले (लेखक, अल्लाह उसे क्षमा करे) का कहना है किः ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने के बातिल व निराधार होने के क़ुरआन व ह़दीस़ के साथ साथ बौद्धिक प्रमाण भी बहुत हैं, चाहे यह दुआ सिफ़ारिश तलब करने से संबंधित हो अथवा कोई दूसरा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हो।

यहँ पर मैंने उन बातों का उल्लेख किया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिफ़ारिश तलब करने से संबंधित थे। सिफ़ारिश के विषय में जिसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो वह क़ुरआन की उन आयतों से संबंधित मुफ़स्सिर (व्यख्याता) लोगों के कथनों को पढ़े जिनमें क़्यामत के दिन, सिफ़ारिश के अयोग्य लोगों के लिए, सिफ़ारिश न होने उल्लेख किया गया है[2]।

चेतावनीः

क़स़ीदा "बुर्दा शरीफ़" में उल्लेखित शिर्क का बयान

एक मिस्री कवि जिसका नाम मुहम्मद बिन साद बूस़ीरी है, यह उन लोगों में से एक है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आपकी क़ब्र में रहते हुए, आख़िरत (परलोक) में सिफ़ारिश तलब करने को जायज़ करार दिया है। इस कवि का युग ६०८-६९६ हिजरी है। इसने "अल-बुर्दा" के नाम से एक क़स़ीदा (काव्य) लिखा, जिसे हमारे यहाँ "क़स़ीदा बुर्दा शरीफ़" के नाम से जाना जाता है, इसमें उसने शरण के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर रुख़ करने की बात कही है, तथा क़्यामत के दिन की परेशानियों से बचने के लिए आप

---

[1] स़ह़ीह़ मुस्लिम (४८९)।

[2] अल्लाह तआला ने मुझे "ख़मसून दलीलन अला बुतलान -ए- दुआ -ए- गैरिल्लाह" के नाम से एक पुस्तक लिखने की तौफ़ीक़ दी है, जिसमें मैंने ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने के बातिल होने के पचास कारणों को एक स्थान पर संग्रहित कर दिया है। यह पुस्तक "अल-मालूमात" नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अल्लाह तआला इसके प्रकाशन का मार्ग आसान करे। आमीन।

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरण माँगी है, आप से आख़िरत (परलोक) में सिफ़ारिश तलब की है, उसने यह भी दावा किया है कि दुनियाँ व आख़िरत (लोक एवं परलोक) सभी के स्वामी आप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैब (भविष्य, छिप्त) जानते हैं। उक्त काव्य में इस प्रकार की अनेक गुमराहियों एवं ख़ुराफ़ात को संग्रहित किया गया है। इस काव्य में उल्लेखित कुफ़्र आधारित बातों को पढ़ व सुन कर मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मीलादुन्नबी की मजलिस सजाने वाले इस क़सीदा (काव्य) को पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इसके कारण उन्हें अल्लाह तआला का सामीप्य प्राप्त होता है, तथा इसके कारण उनके दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम बढ़ जाता है, किंतु वास्तव में इसके कारण वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और अधिक दूर हो जाते हैं, बल्कि इस क़सीदा में उल्लेखित बातें और दावे पूर्णतः कुफ़्र हैं, क्योंकि इस क़सीदा मे वर्णित बातें उस दीन -ए-इस्लाम के विरुद्ध हैं जिसको लेकर अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अवतरित हुए थे।

उस क़सीदा (काव्य) की कुछ पंक्तियां निम्नांकित हैं:

يَا أَكْرَمَ الخَلقِ مَا لِي مَن أَلُوذُ به   سِواكَ عند حُلولِ الحَادِثِ العَمِمِ

إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيده   فضلا وإلا فقل يا زلة القدم

وإن من جودك الدنيا وضرتها   ومن علومك علم اللوح والقلم

अर्थातः

हे सबसे सम्मानित जीव मुझे क्या हो गया है कि दुःख एवं विपदा के समय आप को छोड़ कर किसी और से सहायता माँगू।

आख़िरत (परलोक) में यदि आप ने मुझ पर कृपा करते हुए मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा।

आपके ही दानवीरता के कारण यह संसार है, आप ही के ज्ञान से लौह़ व क़लम का ज्ञान है।)

निम्न पंक्तियां भी उसी की हैं:

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا   وهو أوفى الخلق بالذمم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف   وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

فإن فضل رسول الله ليس له   حد فيعرب عنه ناطق بفم

لو ناسبت قدره آياتُه عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم

मेरा नाम मुहम्मद होने के कारण मेरा मामला उनके जिम्मा है, और वह अपनी जिम्मेवारी को सारी मख़लूक़ (जीव) से अधिक पूरा करने वाले हैं।

जितना चाहो उनकी ज़ात से उतना सम्मान व इज्जत जोड़ दो, एवं उनके सम्मान में जितना चाहो उतना गौरव, बड़प्पन एवं महत्ता की वृद्धि कर दो।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महानता असीमित है, एवं किसी मानव के लिए असंभव है कि अपनी ज़ुबान से उसको बयान कर सके।

यदि अल्लाह की आयतें उनकी महानता व सम्मान के अनुकूल होतीं तो उनका नाम सुन कर मुर्दे जो कब्रों में सड़ गल चुके हैं, जीवित हो जाते।

उपरोक्त क़सीदा (काव्य) में कई बातें आपत्तिजनक हैं:

पहली बात: इसका अक़ीदा (आस्था) है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के मालिक व स्वामी हैं, जोकि एक बातिल व निराधार दावा है, इसलिए कि सिफ़ारिश का मालिक केवल अल्लाह तआला ही है, न कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के मालिक हैं।

दूसरी बात: कवि सिफ़ारिश के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँग रहा है कि आप उसे सिफ़ारिश प्रदान करें, यह दुआ भी बातिल व निराधार है, क्योंकि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना शिर्क है, इसके कारण इंसान मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज व निष्कासित हो जाता है, क्योंकि समस्त इबादत (आराधना, पूजा) को केवल अल्लाह तआला के लिए ही अंजाम देना वाजिब है।

तीसरी बातः इसका यह भी अक़ीदा है कि नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसकी दुआ को सुनते हैं, यह निरी मूर्खता है, एक मृत व्यक्ति जीवित इंसान की बात कैसे सुन सकता है? अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संबोधित करते हुए फ़रमायाः ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ﴾ (जो क़ब्रों में हैं उन्हें आप अपनी बात नहीं सुना सकते हैं)। सूरह फ़ातिरः 22 । यदि यह संभव भी मान लिया जाए कि एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति से वार्तालाप करे, और दोनों के बीच क़ब्र की मिट्टी रुकावट बनी हुई हो, तब भी वह उसकी बात नहीं सुन पायेगा, तो फिर जो मुर्दा है वह क़ब्र के अंदर रह कर बाहर वालों की बातें कैसे सुन सकेगा?!

चौथी बातः बूसीरी ने अपने काव्य में क़्यामत के दिन केवल ग़ैरुल्लाह की शरण लेने एवं उसकी सहायता लेने की बात कही है, वह कहता हैः हे सबसे सम्मानित जीव मुझे क्या हो गया है कि दुःख एवं विपदा के समय आप को छोड़ कर किसी और से सहायता माँगू। इससे उसका तात्पर्य क़्यामत का समय एवं उसकी दहशत तथा भयावहता है।

शैख़ अब्दुल्लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन[1] रहिमहुल्लाह कहते हैं: "बूसीरी का कथन अत्यंत बुरा, अप्रिय एवं बकवास है,क्योंकि उसने जोर दे कर कहा है कि आपके सिवाय कोई नहीं जिसकी शरण में जाऊँ, इसमें बड़ी मुसीबत एवं विपदा के समय ग़ैरुल्लाह की शरण लेने की बात कही गई है, और यहाँ विपदा से तात्पर्य क़्यामत (महा प्रलय) है। जब्कि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتَكُمۡ إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوۡ أَتَتۡكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَدۡعُونَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ۝٤٠﴾ (आप कहिए कि अपना हाल तो बताओ कि यदि तुम पर अल्लाह का कोई अज़ाब आ पड़े या तुम पर क़्यामत ही आ पहूँचे तो क्या अल्लाह के सिवाय किसी और को पुकारोगे, यदि तुम सच्चे हो)। सूरह अल-अनआमः ४० । चुनाँचे आम आपदा के समय ग़ैरुल्लाह को पुकारना, आंशिक एवं व्यक्तिगत आपदा के समय ग़ैरुल्लाह को पुकारने से, अधिक बुरा व घृणित है, इसी कारणवश अल्लाह तआला ने यह सूचना दी है कि इन मूर्तिपूजकों

[1] उनकी संक्षिप्त जीवनी का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।

के ऊपर जब कोई बड़ी मुसीबत (विपदा, आपदा)[1] आती है, या उन्हें यदि किसी आम घटना अर्थात क़यामत का सामना हो तो उस समय यह ग़ैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं, किंतु बूसीरी का मामला इन मूर्तिपूजकों से भी बढ़ कर है, क्योंकि क़यामत की घोर विपत्ती वाले समय में भी यह केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरण में जाने की बात करता है[2]।

मैं (लेखक) कहता हूँ किः वास्तविकता तो यह है कि संसार की किसी भी बड़ा विपदा एवं क़यामत के दिन की विपत्ति से निजात देने वाला, केवल अल्लाह तआला है, जिसका कोई साझी व शरीक नहीं है। अल्लाह तआला की ज़ात ही क़यामत के दिन बंदों के लिए शरण स्थली होगी। अल्लाह तआला ने ठोस दलीलों से सुसज्जित व परिपूर्ण अपनी अंतिम पुस्तक क़ुरआन मजीद में इरशाद फ़रमाया हैः ﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ۝١٨ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٌ لِّنَفۡسٍ شَيۡـًٔاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٍ لِّلَّهِ ۝١٩﴾ (तुझे कुछ पता भी है बदले का दिन क्या है? मैं फिर कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा (अर्थात बदला, एवं सज़ा) का दिन क्या है, (वह दिन) जिस दिन किसी का किसी के लिए कोई अधिकार नहीं होगा, और उस दिन सब अधिकार अल्लाह का ही होगा)। सूरह इन्फ़ितारः १७-१९ । बल्कि क्या इस जाहिल अज्ञानी को क़ुरआन में वर्णित अल्लाह तआला का यह फ़रमान दिखाई नहीं दिया, जो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संबोधित करते हुए फ़रमाया हैः ﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ۝٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ۝٢٢﴾ ﴿إِلَّا بَلَٰغٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ﴾ (कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे किसी लाभ-हानि का कोई अधिकार नहीं है, कह दीजिए कि मुझे कदापि कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता है, और मैं हरग़िज़ उसके सिवाय कोई शरणस्थली पा भी नहीं सकता, अलबत्ता (मेरा कार्य) अल्लाह की बात एवं उसके संदेशों को (लोगों तक) पहूँचा देना है)। सूरह जिन्नः २१-२३ । अर्थात मुझे अल्लाह तआला के सिवा कोई और पनाह एवं सहारा देने वाला नहीं है।

---

[1] इस अज़ाब (विपदा) का एक रूप तूफ़ान भी है कि, जब मुश्रिकीन का समुद्र में तूफ़ान से सामना होता था तो वो केवल एक अल्लाह से फ़रियाद किया करते थे।

[2] देखें: "मिन्हाजुत्तासीस वत्तक़दीस फ़ी कश्फ शुबुहात दाऊद बिन जरजीस" (२१२)। मामूली संशोधन के साथ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वित्र के अंत में यह दुआ पढ़ा करते थेः "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" (हे अल्लाह! मैं तेरे क्रोध से तेरी प्रसन्नता चाहता हूँ, तेरे दंड से क्षमा एवं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुझसे तेरी शरण में आता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा को गिन नहीं सकता हूँ, तू ठीक वैसा ही है जैसा तू ने अपनी प्रशंसा की है)।

बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सोते तो अपना हाथ अपने गाल के नीचे रख लेते फिर यह दुआ पढ़तेः "اللَّهُمَّ قِنِي عذَابكَ يومَ تبعَثُ عِبادَكَ"[1] (हे अल्लाह! तू उस दिन मुझे अपने अज़ाब से बचा जिस दिन तू अपने बंदों को पुनः जीवित करेगा)।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाह तआला से यह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें अज़ाब से बचा ले, जब्कि बूसीरी एवं उस जैसे अन्य लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अज़ाब से बचाने की विनती कर रहे हैं।

अल्लामा मुहम्मद बिन अली शौकानी रहिमहुल्लाह कहते हैं: "आप जरा सोचिये - अल्लाह आप पर कृप करे- कि इस उम्मत के बहुत से लोग किस प्रकार से दीन व अक़ीदा (धर्म व आस्था) के मामले में ऐसे ग़ुलू (अतिश्योक्ति) में पड़ गए हैं जो क़ुरआन व हदीस़ की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है, जैसाकि क़स़ीदा बुर्दा कहने वाले व्यक्ति ने ग़ुलू की हद पार करते हुए कहा हैः

يَا أَكْرَمَ الخَلقِ مَا لِي مَن أَلُوذُ به   سِواكَ عند حُلولِ الحَادِثِ العَمِمِ

(हे वह व्यक्ति! जो मख़लूक़ों में सर्वोत्तम व सबसे सम्मानित है, मेरा आपके सिवा कौन है जिसकी मैं शरण लूँगा एक ऐसे दिन जिस दिन आम घटना घटित होगी अर्थात क़यामत के दिन)।

आप विचार कीजिए इस व्यक्ति ने अपनी इस पंक्ति में किस प्रकार से ग़ुलू की हद पार करते हुए शरण लेने की सभी स्थलों का इंकार कर दिया, सिवाय उसकी शरण के जो अल्लाह

---

[1] इस हदीस़ को इमाम अहमद (४/ २९०) ने रिवायत किया है। तथा शैख़ अलबानी इसे "अल-स़ह़ीहा" (६/ ५८४) में स़ह़ीह़ करार दिया है। "अल-मुस्नद" के अन्वेषकों ने भी इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

का बंदा तथा उसका रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) है, किस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपने रब एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रब (अल्लाह तआला) को भूला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन (हम अल्लाह के हैं, और हमें लौट कर फिर उसी के पास जाना है)।

इस ग़ुलू (अतिश्योक्ति) का विषय असीमित है, शैतान ने मुसलामनों के एक बड़े समूह के साथ खिलवाड़ कर के उनके अक़ीदा को बिगाड़ दिया है, यहाँ तक कि उन लोगों ने नबी के अतिरिक्त अन्य लोगों से भी शरण लेने की बात कह दी, इस प्रकार से ये लोग बहुतेरे कारणों से शिर्क के अनेक द्वार के अंदर प्रवेश कर गए"।

क़सीदा बुर्दा शरीफ़ एवं क़सीदा हमज़ीय्या[1] में इस प्रकार की बहुतेरी ख़ुराफ़ात एवं ग़ुलू के उदाहरण मौजूद हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सालेहीन (साधु-संत, महात्मा) एवं इमामों की प्रशंसा में लगे रहने वाले अधिकतर लोग इस ग़ुलू के शिकार हो गए हैं, इस संबंध में इसे कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित करना अंसभव है। अधिकाधिक संख्या में इस प्रकार के ग़ुलू के नमूने पेश करने का भी कोई लाभ नहीं है, मूल उद्देश्य उन लोगों को चेताना तथा उन्हें ग़ुलू से बचने के लिए कहना है, जिनके पास हृदय है तथा वो हिदायत की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (आप उन्हें शिक्षा देते रहें, इसलिए कि शिक्षा लाभप्रद है ईमान वालों के लिए)। सूरह अल-ज़ारीय्यातः ५६। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ (ऐ हमारे रब! हिदायत (मार्गदर्शन) मिल जाने के पश्चात हमारों दिलों में कजी (टेढ़ापन, कपट, कुटिलता) न पैदा कर, तू अपनी ओर से हमें अपनी दया प्रदान कर, वास्तव में तू बहुत बड़ा दाता है)। सूरह आले इमरानः ८।

कवि बूसीरी ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उसने यह दावा भी किया है कि प्रत्येक चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मिल्कीयत है, एवं सभी ज्ञान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज्ञान से निकले हुए अंश हैं, इसने अल्लाह तआला के लिए न तो कोई मिल्कीयत बाकी रखी एवं न कोई ज्ञान छोड़ा। वह कहता हैः

---

[1] "अल-हमज़ीय्या" बूसीरी का एक दूसरा क़सीदा है, इस क़सीदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में बहुत ग़ुलू किया गया है, और आपको उलूहियत के मक़ाम तक पहूँचा दिया गया है।

وإن من جودك الدنيا وضرتها   ومن علومك علم اللوح والقلم

आपके ही दानवीरता के कारण यह लोक एवं परलोक है, आप ही के ज्ञान से लौह़ व क़लम का ज्ञान है।

इस पंक्ति में "ضرتها" से तात्पर्य आख़िरत (परलोक) है, क्योंकि वह दुनियाँ (लोक) के वपिरीत है, अरबी भाषा में "ضرة" (ज़ुर्रतुन) के शाब्दिक अर्थ सौतन के होते हैं।

शैख़ मुह़म्मद बिन उस़ैमीन[1] रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "इस पंक्ति में जो बात कही गई है वह सबसे बड़ा शिर्क है, इसलिए कि उसने लोक एवं पलोक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दया का रूप करारा दिया है, इस का अर्थ यह निकलता है कि लोक-परलोक में अब अल्लाह तआला के लिए कोई चीज़ नहीं बची है।

शैख़ इब्ने उस़ैमीन आगे लिखते हैं: लौह़ व क़लम का इल्म आपके उलूम का अंश है, का अर्थ यह हुआ कि लौह़ व क़लम का जो इल्म है, आपका इल्म उससे कहीं बढ़ कर है, इसके बाद अल्लाह तआला के लिए कोई इल्म व तदबीर बाकी नहीं बची। العياذ بالله (अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह)"[2]।

---

[1] शैख़, उस़ूली, फ़क़ीह, मुफ़स्सिर, मुहम्मद बिन स़ालेह़ उस़ैमीन, पंद्रह्वीं शताब्दी के उलेमा में से हैं। अक़ीदा, फ़िक़्ह एवं तफ़्सीर में ख़ूब नाम कमाया, अल्लाह तआला ने उनके युग के लोगों को उनसे बहुत लाभांवित किया। उनके ज्ञान की चर्चा व लाभ सुदूर स्थानों तक पहूँची, उनके रिकार्ड किए हुए कैसेटों एवं ज्ञान से परिपूर्ण उनकी पुस्तकों से लोगों ने बहुत लाभ उठाया, असंख्य छात्रों ने आप से शिक्षा ग्रहण की। उनके रिसाले एवं फ़तावा की अब तक २९ जिल्दें संकलित की जा चुकी हैं। उनके देहांत के पश्चात उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए एक चैनल को किराया पर लिया गया, जिसके द्वारा उनके जीवन से कई गुणा अधिक उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। यह सब उनके इख़्लास़ व निष्ठा का प्रमाण है। हम तो उनके विषय में ऐसा ही गुमान रखते हैं, परंतु असल हिसाब-किताब व अंदर की जानकारी अल्लाह तआला के पास है, अल्लाह तआला जिसे चाहता है अपनी कृपा से उसे अभिभूत कर देता है। शैख़ इब्ने उस़ैमीन की विस्तारित जीवनी पढ़ने के लिए देखें: डॉक्टर नास़िर बिन मुस्फ़िर ज़हरानी की पुस्तक "इब्ने उस़ैमीन अल-इमाम अल-ज़ाहिद"। प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

[2] अल-क़ौल अल-मुफ़ीद अला किताब अल-तौह़ीद (१/ २१८)। प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

शैख़ स़ालेह़ बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान[1] ह़फ़िज़हुल्लाह लिखते हैं: "कवि ने जो कुछ भी कहा है वह ग़ुलू (अतिश्योक्ति) की पराकाष्ठा है। العياذ بالله (अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह)। यह ग़ुलू कुफ़्र व शिर्क तक पहूँचाने वाला है, इसने तो अल्लाह तआला के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए साबित कर दिया, लोक-परलोक के स्वामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, लौह़ व क़लम के स्वामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, क़यामत के दिन अज़ाब से बचाने वाले केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अब इसके बाद अल्लाह तआला के लिए क्या शेष रहा?"[2]।

मैं (लेखक) कहता हूँ: यह जाहिल व अज्ञानि अल्लाह तआला के इस कथन के विषय में क्या कहेगा? ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ (और हमारे ही हाथ आख़िरत व दुनियाँ है)।

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ (आप कह दीजिए कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि अल्लाह के ख़ज़ाने मेरे पास हैं, एवं न ही मैं ग़ैब (भविष्य, छिप्त) का ज्ञान रखता हूँ)। बूसीरी ने तो लोक-परलोक में अल्लाह तआला एवं उसके रसूल के साझी होने की बात ही नहीं की है, बल्कि दोनों को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मिल्कीयत बता दिया।

अल्लाह की कसम, यह तो क़ुरआन को झुठलाना है। मैं इस गुमराही से अल्लाह की शरण में आता हूँ।

---

[1] आप हैं: शैख़, फ़क़ीह, अल्लाह के दीन का दिफा करने वाले, अक़ीदा व फ़िक्ह के प्रकांड विद्वान एवं शरई इल्म के बड़ ज्ञाता। उन्होंने इस्लामी अक़ीदा का दिफा करते हुए अहले बिद्अत का खूब रद्द किया है। बिद्अतियों के रद्द में लिखी गई उनके लेखों को तीन जिल्दों में संग्रहित किया गया है। विभिन्न विषयों पर आपकी अनेक पुस्तकें हैं। अपने समय के बड़े-बड़े विद्वान जैसे अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ एवं मुहम्मद बिन उसैमीन रह़िमहुमल्लाह ने अपने देहांत के पूर्व मुसलमानों को शैख़ स़ालेह़ फ़ौज़ान से मसला पूछने की वसीयत की थी। अल्लाह तआला इस्लाम एवं मुसलमानों के लाभ की खातिर उनकी सुरक्षा फरमाए।

[2] इआनतुल मुस्तफ़ीद बि शर्ह़ किताबित्तौह़ीद (२/ ३१२)। प्रकाशकः मुअस्ससतुर्रिसाला – बैरूत।

अल्लामा शैख़ मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी[1] रहिमहुल्लाह कहते हैं: “इसी के साथ हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संबंध में इस कविता को गुनगुनाते रहते हैं:

وإن من جودك الدنيا وضرتها   ومن علومك علم اللوح والقلم

आपके ही दानवीरता के कारण यह लोक एवं परलोक है, आप ही के ज्ञान से लौह़ व क़लम का ज्ञान है।

यह अल्लाह तआला की सिफ़ात (विशेषताओं) में शिर्क करना है, अल्लाह तआला जिस प्रकार से अपनी रुबूबियत व उलूहियत में अकेला है उसी प्रकार से वह अपनी सिफ़ात में

---

[1] शैख़, अल्लामा, मुहद्दिस़ मुहम्मद नासिरुद्दीन बिन नूह नजाती, मूल रूप से अलबानी, लालन-पालन के आधार पर शामी (सीरीयाई), आप उन मुजद्दिदों में से थे जिन्होंने चौदहवीं शताब्दी हिजरी के अंत एवं पंद्रवहीं शताब्दी हिजरी के आरंभ में अल्लाह के दीन की तजदीद (नवीनीकरण) की। उन्होंने ह़दीस़, अक़ीदा एवं फ़िक़्ह में मुसलमानों के इल्मी विरासत की बड़ी सेवा की। अरबी पांडुलिपियों का अन्वेषण व शोध, ह़दीस़ों की तख़रीज़ एवं सही तथा ज़ईफ़ ह़दीस़ को अलग-अलग करने के मैदान में उनका कारनामा अदभुत, बेमिसाल एवं अकल्पनीय है, यहाँ तक कि उनके बाद आने वाले बहुतेरे उलेमा उनकी तहक़ीक़ व तख़रीज पर ही निर्भर हो कर रह गए। पूरा जीवन एकाग्र हो कर ह़दीस़ -ए- नबवी की सेवा करके इस मैदान में उन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा लिया। शैख़ अलबानी रहिमहुल्लाह अपने पीछे एक बहुत बड़ी इल्मी विरासत छोड़ गए हैं। किसी शोधकर्ता ने उनकी पुस्तकों की संख्या २३१ तक बताई है जो संकलन, तख़रीज, शोध एवं टिप्पणी के रूप में मौजूद हैं।

शैख़ रहिमहुल्लाह ने बिद्अतियों, सूफ़ियों, क़ुबूरियों, नवाचारियों, तथा नए-नए ईजाद किए हुए दावती ढंग को अपनाने वाले लोग एवं क़ुरआन व ह़दीस़ से हटे हुए लोगों का रद्द भी बड़े शानदार ढंग से किया है, तथा सीरीया इत्यादि में उनकी भ्रांतियों एवं भ्रमों का सदलील खंडन किया है। शैख़ रहिमहुल्लाह का देहांत ८७ वर्ष की आयु में सन १४२० हिजरी में हुआ। उनका देहांत उनके समकालीन विद्वान एवं सऊदी अरब के पूर्व मुफ़्ती शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह के देहांत के कुछ मास के पश्चात हुआ। उन दोनों के देहांत से इसलाम एवं मुसलमानों को भारी क्षति पहूँची, इस घटना से संसार भर के मुसलमानों को बड़ा दुःख हुआ। शैख़ अलबानी रहिमहुल्लाह की जीवनी एवं उनके बौद्धिक व्यक्तित्व के विषय में अधिक जानकारी के लिए देखें: “अल-इमाम अल-अलबानी रहिमहुल्लाह दुरूस व मवाक़िफ़ व इबर” लेखकः डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मुहम्मद सदहान। प्रकाशकः दारुत्तौहीद – रियाज़। एवं “ह़यात अल-अलबानी व आस़ारुहू व स़नाउल उलमा -ए- अलैहि” लेखकः मुहम्मद बिन इब्राहीम शैबानी। प्रकाशकः मकतबा अल-सुदावी – मिस्र।

भी अकेला व तंहा है, कोई भी मख़लूक़ अल्लाह की सिफ़ात में उसके साथ साझी नहीं है, चाहे वह मख़लूक़ कितनी ही सम्मानित क्यों न हो, एवं कितनी ही प्रतिष्ठित तथा श्रेष्ठ क्यों न हो। बात यदि हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की की जाए तो आप, मानव व मानवता के सरदार हैं, इसके बावजूद जब एक बालिका को यह कहते हुए सुनते हैं कि "हमारे बीच एक ऐसे नबी हैं जो यह जानते हैं कि कल क्या होगा" तो अतिशीघ्र उसे टोक देते हैं, और फ़रमाते हैं: "तुम यह शब्द न कहो और इससे पूर्व जो गा रही थी बस वैसे ही गाओ" इमाम बुख़ारी आदि ने इस हदीस़ को रिवायत किया है।

उस बालिका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ग़ैबदानी (भविष्य जानने की क्षमता) के बारे में जो बात कही थी, उससे कई गुणा अधिक ग़ुलू (अतिश्योक्ति) इस पंक्ति में है जिसे मुसलमान सैकड़ों वर्ष से दोहरा रहे हैं अर्थातः "ومن علومك علم اللوح والقلم" (आप ही के ज्ञान से लौह़ व क़लम का ज्ञान है)।

जिन लोगों की ज़ुबान पर इस प्रकार का ग़ुलू वाला जुमला चलता रहे, ऐसे लोगों के निकट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम केवल कल की ही बात नहीं जानते बल्कि भूतकाल में जो हो चुका, तथा भविष्य में जो होने वाला एवं जिसे अल्लाह तआला ने "लौहे़ मह़फूज़" में लिख दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसे भी जानते हैं, बल्कि यह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्म का एक अंश मात्र है!!! अल्लाह की ज़ात इस प्रकार के शिर्क से पाक व पवित्र है, यह तो बहुत बड़ा बोहतान एवं खुला हुआ घृणित कार्य है।

जो व्यक्ति सूफियों की किताबों को खंगाले जिसे ये लोग "अल-ह़क़ायक़" का नाम देते हैं, एवं जश्ने ईद मीलादुन्नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से संबंधित उनकी पुस्तकों का जायज़ा ले, तो उसे इस प्रकार की अनेक आश्चर्यजनक ख़ुराफात व बकवास देखने को मिलेगी"[1]।

छठी बातः बूस़ीरी के कविता की पंक्ति हैः

---

[1] देखिएः जिलबाबुल मरअतिल मुस्लिमा (२०१)। प्रथम संस्करणः अल-मकतबा अल-इस्लामी – ओमान। अधिक जानकारी के लिए शैख़ अलबानी की एक और पुस्तक "स़िफ़तु स़लातिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम" (मूल प्रति) (३/ ८८२) भी देखें।

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا   وهو أوفى الخلق بالذمم

(मेरा नाम मुहम्मद होने के कारण मेरा मामला उनके जिम्मा है, और वह अपनी जिम्मेवारी को सारी मख़लूक़ (जीव) से अधिक पूरा करने वाले हैं)।

उपरोक्त पंक्ति में मुहम्मद बूसीरी लिखते हैं कि, केवल मेरा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम के जैसा होने के कारण, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अह्द, सुरक्षा व जिम्मा मिल गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस व्यक्ति का भी नाम मुहम्मद होगा, उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अह्द, सुरक्षा व जिम्मा मिल जायेगा। यह अल्लाह तआला एवं उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संबंध में मनगढ़ंत झूठ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिम्मा किसी भी उम्मती के लिए उसी समय हो सकता है जब वह अल्लाह का आज्ञाकारी हो तथा नेकी के पथ पर चलने वाला हो, अब चाहे ऐसे व्यक्ति का नाम मुहम्मद हो या न हो।

केवल एक नाम या अनेक नामों में साझेदारी के कारण, अथवा एक कबीला का होने के कारण, अथवा एक वंश से होने के कारण, यहाँ तक कि किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खानदान से संबंध रखने के कारण भी, कोई व्यक्ति आपके अह्द, सुरक्षा व जिम्मा में नहीं आ जाता। ये समस्त विशेषताएं केवल उसी स्थिति में लाभप्रद हो सकती हैं जब्कि बंदा नेक कर्म करने वाला हो तथा इस्तेक़ामत व ढृढ़ता के साथ अल्लाह के दीन पर जमा रहा हो।

सातवीं बातः बूसीरी का यह भी कहना है किः

لو ناسبت قدره آياتُه عظما   أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم

(यदि अल्लाह की आयतें उनकी महानता व सम्मान के अनुकूल होतीं तो उनका नाम सुन कर मुर्दे जो कब्रों में सड़ गल चुके हैं, जीवित हो जाते)।

इस पंक्ति में बूसीरी अल्लाह तआला का ही इस्तिदराक कर रहा है, अर्थात अल्लाह तआला पर आपत्ति जता रहा तथा आलोचना कर रहा है कि, जिन निशानियों के साथ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया है वो उनके व्यक्तित्व एवं महानता से कमतर हैं, यदि वो आयात एवं निशानियां (चमत्कार) उनकी महानता व सम्मान के अनुकूल

होतीं तो उनका नाम सुन कर मुर्दे जो कब्रों में सड़ गल चुके हैं, उठ खड़े हो जाते। यह अतिश्योक्ति की पराकाष्ठा है, अब इस पर कुछ और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है।

सारांश यह है कि, अल्लाह तआला ही अकेला इस बात का अधिकारी है कि उसकी शरण ली जाए एवं उसका सामीप्य प्राप्त करने को प्रयासरत रहा जाए, उसी ने लोक-परलोक की रचना की है, दुनियाँ व आख़िरत का अस्तित्व केवल उसी की दया एवं कृपा से है। उसके सिवाय किसी अन्य की दया एवं कृपा की इसमें कोई सहभागिता नहीं है, वह अकेला ग़ैब का इल्म रखने वाला है, उसका इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। कोई मख़लूक़ (जीव) चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो जैसे नबी व फ़रिश्ते, वह अल्लाह की किसी सिफ़त (विशेषता) में उसके समतुल्य नहीं हो सकते हैं, न ही उसके किसी कार्य में उसके समकक्ष हो सकते हैं। अल्लाह तआला की ज़ात इस प्रकार के शिर्क से पाक व पवित्र है। बुद्धिमान वह है जो इन बातों में सोच-विचार करे एवं ग़ुलू जैसी बाहर से सुंदर दिखने वाली बातों से धोखा न खाए वरना उसका विनाश तय है।

बूसीरी के काव्य में जो शिर्क आधारित बातें हैं उन का खंडन उलेमा के एक बड़े वर्ग ने किया है, उनका खंडन करने वालों में शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब[1]रहिमहुल्लाह भी शामिल हैं। उन्होंने “तफ़्सीर सूरतुल फ़ातिहा” में, तथा शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब[2] ने अपनी पुस्तक “तैसीरुल अज़ीज़ अल-हमीद फ़ी शर्ह

---

[1] शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रहिमहुल्लाह मुजद्दिद -ए- उम्मत हैं, बारहवीं शताब्दी हिजरी में जब अरब द्वीप में दीन -ए- इस्लाम मिट चुका था, तो शैख़ ने दीन -ए- इस्लाम को पुनर्जीवित करने का सराहनीय कार्य अंजाम दिया। अल्लाह तआला ने उनके द्वारा इस दीन को फिर से उसके मूल रूप में लौटा दिया। अल्लाह ने उनके द्वारा एवं उनकी पुस्तकों के द्वारा उम्मत के एक बड़े तबका को लाभ पहूँचाया। सही अकीदा के संबंध में उनका कथन उनकी पुस्तकों में अनेक स्थान पर बिखरे पड़े हैं। अकीदा से संबंधित उनके कथनों को डॉक्टर स़ालेह अल-अबूद ने “अक़ीदा मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब अल-सलफ़ीया” के नाम से एक पुस्तक में संग्रहित किया है। शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब का जन्म ११९५ हिजरी में, एवं देहांत १२०६ हिजरी में हुआ। अरब द्वीप के उलेमा उनके बाद से आज तक उनके इल्म व अक़ीदा से लाभांवित हो रहे हैं।

[2] शैख़ सुलैमान की जीवनी पूर्व में गुजर चुकी है।

किताबित तौहीद"[1] में, अल्लामा मुजद्दिद अब्दुर्रहमान बिन हसन[2] ने अपनी पुस्तक "फ़त्हुल मजीद लि शर्ह किताबित्तौहीद"[3] में, अल्लामा अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबाबुतैन[4] ने अपनी पुस्तक "अल-रद्द अला अल-बुर्दा"[5] में, अल्लामा महमूद शाकिरी आलूसी[6] ने अपनी

---

[1] देखियेः बाबु मिनश्शिर्के अंयसतग़ीसा बिगैरिल्लाह औ यदउवा गैरहु।

[2] शैख़ अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (रहिमहुमुल्लाह) का जन्म दिरईया में सन ११९६ हिजरी में हुआ। उनका लालन पालन उनके दादा शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब के घर में हुआ, उन्होंने उनसे तथा अपने चाचाओं से अक़ीदा, हदीस़ एवं फ़िक़्ह का ज्ञान अर्जित किया, और हदीस़ का ज्ञान मिस्र जा कर वहाँ के कुछ उलेमा से लिया, उदाहरणस्वरूप शैख़ हसन कुवैसीनी, शैख़ अब्दुर्रहमान जबरती, शैख़ अब्दुल्लाह बा सूदान आदि से उन्होंने मिस्र में हदीस़ की शिक्षा ली। उन्होंने अलजीरीया के मुफ़्ती शैख़ मुहम्मद बिन महमूद जज़ाइरी हनफ़ी अस़री से भी हदीस़ की शिक्षा ली। इन सभी उलेमा ने उन्हें अपनी सभी मरवीयात (हदीसें) रिवायत करने का अधिकार दिया था।

शैख़ अब्दुर्रहमान ने मिस्र में कुछ अन्य शैख़ों से नह्व एवं क़ुरआन की क़िरात का भी ज्ञान लिया। उनके शिष्यों की भी एक बड़ी संख्या है जिनमें सबसे प्रमुख उनके पुत्र अब्दुल्लतीफ़ हैं, शैख़ अब्दुर्रहमान ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें "फ़त्हुल मजीद" बड़ी प्रसिद्ध हुई, यह पुस्तक वास्तव में उनके चचेरे भाई शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब की पुस्तक "तैसीरुल अज़ीज़ अल-हमीद फ़ी शर्ह किताबित तौहीद" का सार व संक्षिप्तिकरण है। उनकी एक दूसरी सुप्रसिद्ध पुस्तक "क़ुर्रतु उयूनिल मुवह्हिदीन फ़ी तहक़ीक़ दावतिल अम्बिया वल मुरसलीन" है, यह "किताबुत्तौहीद" पर टिप्पणी है। शैख़ अब्दुर्रहमान ने अनेक रिसाले भी लिखे हैं, उनके रिसाले "अल-दुरर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या" एवं "मज्मूअतुर्रसाइल वल-मसाइल अल-न्जदीय्या" में शामिल हैं। उन्होंने दीन -ए- इस्लाम के प्रचार-प्रसार, लोगों को ख़ालिस़ तौहीद की दावत देने एवं नज्द से शिर्क व बिद्अत को जड़ से उखाड़ने का बड़ा प्रयास किया तथा इसके कारण उन्हें बड़े कष्ट भी उठाने पड़े। सन १२८५ हिजरी में उनका देहांत हुआ। विस्तार से उनकी जीवनी पढ़ने के लिए देखें: अशरफ़ बिन अब्दुल मक़सूद के अन्वेषण वाला "फ़त्हुल मजीद" की प्रस्तावना, एवं उनके पोते शैख़ इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी।

[3] देखियेः बाबु मा जाअ फ़ी सबबे कुफ्रे बनी आदम व तर्क -ए- दीनिहिम हुवा अल-ग़ुलुव्वु फ़िस्सालिहीन।

[4] उनकी जीवनी का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।

[5] यहु पुस्तक अली बिन मुहम्मद अजलान के रिलासाला "अश्शैख़ अल-अल्लामा अबदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन, हयातुहु व आस़ारुहु व जुहूदुहु फ़ी नशरि अक़ीदतिस सलफ़ मआ तहक़ीक़ रिसालतहिः अर्रद्दु अला अल-बुर्दा" में शामिल है। प्रकाशकः दारुस्सुमैई – रियाज़।

[6] अबुल मआली महमूद शुक्री बिन सय्यद अब्दुल्लाह आलूसी बगदादी की सही अकीदा को बयान करने के विषय में अनेक पुस्तकें हैं, उनमें से "ग़ायतुल अमानी फिर्रद्द अला अन्नबहानी", "फस्लुल ख़िताब फी

पुस्तक "ग़ायतुल अमानी फिर्रद्द अला अल-नबहानी"[1] में, शैख़ अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन क़ासिम[2] ने अपनी पुस्तक "अस्सैफ़ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल" में एवं शैख़ डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद आले अब्दुल्लतीफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने अपने अनेक आलेखों[3] में बूसीरी की ग़ुलू मिश्रित शिर्किया बातों का खंडन किया है। इनके अतिरिक्त अन्य उलेमा[4] ने भी बूसीरी की गुमराहियों का पर्दा फ़ाश किया है। उनमें से जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अल्लाह तआला उन पर रहम व कृपा करे एवं जो जीवित हैं अल्लाह तआला उनकी सुरक्षा करे।

यहाँ यह बात ध्यान योग्य है कि इस काव्य का रचयिता मात्र एक कवि है, वह न तो कोई आलिम है न फ़क़ीह, वह राजा महाराजा एवं शासकों की प्रशंसा करता रहता था, उसने गुलाम वंश के शासकों की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था, एवं जब अरबों के ऊपर कटाक्ष करने पर आया तो इसका बदतरीन उदाहरण पेश किया। देखिएः "दीवान अल-बूसीरी" की प्रस्तावना (पृष्ठः ५-११)। जो मुहम्मद सैयद कीलानी के अन्वेषण के साथ प्रकाशित हुआ है[5]।

शर्ह मसाइलिल जाहिलीय्या व लिल इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब", "सब्बुल अज़ाब अला मन सब्बल असहाब" तथा "कन्ज़ुस्सआदा फी शर्हि कलेमतै अश्शहादा" प्रमुख हैं। सुप्रसिद्ध तफ़्सीर "रूहुल मआनी फ़ी तफ्सीरिल क़ुरआनिल अज़ीम वस्सबआ अल-मसानी" के लेखक अबुस्सना महमूद आलूसी के यह पोता हैं। अबुल मआली रहिमहुल्लाह का देहांत १३४२ हिजरी में हुआ।

[1] (२/ ४२३)। यह पुस्तक मकतबा अल-रुश्द – रियाज से छपी है, अन्वेषीः अद्दानी बिन मुनीज़ आले ज़ह्वा।

[2] पूर्व में उनकी जीवनी का उल्लेख किया जा चुका है।

[3] शैख़ अब्दुल अज़ीज़ के आलेखें के संग्रह "हुक़ूक़ुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैनल इजलाल वल इख़लाल" के अंतिम भाग में इसे सम्मिलित किया गया है।

[4] इस विषय में अधिक जानकारी के लिए शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के शोध-पत्र "मज़ाहिरुल ग़ुलूव्व फी क़साइदिल मदीह अल-नबवी" का अध्यन किया जा सकता है। इस शोध-पत्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में कहे गए प्रशंसनीय काव्य में उल्लेखित उन बातों को उजागर किया गया है जो दीन -ए- इस्लाम की मूल भावना के विरुद्ध हैं। यह शोध-पत्र भी "हुक़ूक़ुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैनल इजलाल वल इख़लाल" के अंत में शामिल किया गया है।

[5] इब्ने तैमीय्या की "अर्रद्दु अला अल-बकरी" (१/ ३०९) पर उस्ताद अब्दुल्लाह सहली के टिप्पणी से साभार। प्रकाशकः मदारुल वतन – रियाज़।

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم

لو ناسبت قدره آياتُه عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم

जितना चाहो उतना उनकी ज़ात के सम्मान व इज्जत में इज़ाफ़ा करो, एवं उनके सम्मान में जितना चाहो उतना गौरव, बड़प्पन एवं महत्ता की वृद्धि कर दो।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महानता असीमित है, जिसका बखान किसी के लिए अपनी ज़ुबान से करना असंभव है।

इन बातों को नकल करने वाले (अल्लाह उसे माफ करे) का कहना हैः अल्लाह तआला ने बंद बुद्धि खोल देने वाली सच्चाई बयान करते हुए फ़रमायाः ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾﴾ (कवियों का अनुसरण वो करते हैं जो बहके हुए हों, क्या आपने नहीं देखा कि कवि एक एक बयाबान में सिर टकराते फिरते हैं और वह बात कहते हैं जो करते नहीं हैं)। सूरह शोअराः २२४-२२६।

अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह क़सीदा (काव्य) मोटे अक्षरों में बड़ी सुंदर एवं लुभावनी रूप रेखा में प्रकाशित किया जाता है, जिसे लोगों के मध्य बाँटा जाता है, इसे खूब पढ़ा जाता है, बल्कि अल्लाह तआला की किताब क़ुरआन से ज्यादा अहमियत इसे दी जाती है। लाहौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम[1]।

तीसरा ग़ुलूः शैतान ने इन लोगों को अम्बिया व सालेहीन की शान में ग़ुलू करने में डाल दिया जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह कह कर इससे रोका हैः "तुम मेरी ज़ात में उस प्रकार से ग़ुलू न करना जिस प्रकार से ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की

---

[1] यह बात शैख़ सालेह अल-फ़ौज़ान ने "इआनितुल मुस्तफ़ीद बि शर्ह़ किताबित्तौहीद" (१/ २०२) में कही है।

ज़ात में ग़ुलू किया था, मैं एक बंदा हूँ, अतः तुम लोग मुझे अल्लाह का बंदा एवं उसका रसूल कहो"[1]।

यह बात भी जानने की है कि उन सिफ़ात (विशेषताओं) के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा करना जो आप के अंदर पाई जाती हैं एक पवित्र एवं नेक काम है, जिस पर इंसान को पुण्य व सवाब मिलता है, उदाहरणस्वरूप नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा करते हुए यह कहा जाए कि आप सभी जीवों में सबसे उत्तम व महामानव हैं, आप रसूलों के सरदार हैं, आप तमाम लोगों के सरदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इन विशेषताओं का उल्लेख सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के उन काव्यों में भी आया है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा करते हुए लिखी थीं, जैसे ह़स्सान बिन साबित, काब बिन ज़ुहैर, काब बिन मालिक एवं अब्दुल्लाह बिन रवाह़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम के काव्यों में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इन विशेषताओं का वर्णन मौजूद है। ये सभी साफ सुथरे काव्य हैं, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुना था तथा इसे स्वीकार किया था, इनमें नाम मात्र को भी ग़ुलू (अतिश्योक्ति) नहीं है, इनमें केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वास्तविक विशेषताओं का वर्णन है[2]।

शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "अरब के जिन भाषाविद् कवियों ने अपनी कविता में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा की है, उनमें से किसी ने भी आपके साथ उस निषिद्ध विशेषता को नहीं चिपकाया है जो केवल अल्लाह तआला के लिए आरक्षित है, अरब के इन कवियों ने नबूव्वत के द्वारा आपकी प्रशंसा की, अपने काव्य में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन गुणों, फ़ज़ीलतों एवं सदाचार का गुणगान किया है जिनसे अल्लाह तआला ने आपको नवाज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुणगान करने वाले उन कवियों में विशेष रूप से ह़स्सान बिन स़ाबित एवं काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा उल्लेखनीय है, जब्कि बूस़ीरी ने अपने काव्य में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए प्रमाणित उन विशेषताओं का उल्लेख न कर के, मुवल्लिदीन[3] कवियों के ढ़ंग को अपनाते

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (३४४५) एवं अह़मद (१/ २३) तथा दारमी (२७८७) ने रिवायत किया है। उक्त शब्द बुख़ारी के हैं।

[2] देखियेः "इआनितुल मुस्तफ़ीद बि शर्ह़ किताबित्तौह़ीद" (२/ ३१२)। मामूली संशोधन के साथ।

[3] अरबी भाषा में प्रत्येक नवीन वस्तु को मुवल्लिद कहते हैं, इससे तात्पर्य दो प्रकार के लोग होते हैं: एक विशुद्ध ग़ैर अरब कवि, तथा दूसरा वह व्यक्ति जिसका जन्म अरब लोगों के बीच हुआ हो एवं उन्हीं के

हुए आपकी शान में ग़ुलू करते हुए ऐसी बातें कह दीं हैं, जो अल्लाह तआला के साथ शिर्क के दायरे में आती हैं, एवं उन शिक्षाओं के विरुद्ध हैं जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया है"[1]।

बरई[2] का क़सीदा (काव्य) भी उन्हीं अतिश्योक्ति एवं ग़ुलू वाले काव्य में गिना जाता है, जिनमें मख़लूक़ से दुआ माँगने एवं सिफ़ारिश तलब करने की बात कही गई है, उसके काव्य की निम्न में कुछ पंक्तियां देखिएः

يا سيدي يا رسول الله يا أملي   يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني

هبني بجاهك ما قدمت من زلل   جودا ورجح بفضل منك ميزاني

واسمع دعائي واكشف ما يساورني   من الخطوب ونفس كل أحزاني

فأنت أقرب من ترجى عواطفه   عندي وإن بعدت داري وأوطاني

إني دعوتك من نيابتي برع   وأنت أسمع من يدعوه ذو شان

فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي   برحمة وكرامات وغفران

(हे मेरे स्वामी! हे अल्लाह के रसूल! हे मेरी आशा! हे मेरी आशाओं के केंद्र बिंदु! हे मेरी शरण स्थली! उस दिन जिस दिन मेरी ख़ता व भूल से मेरा सामना होगा, आप मुझ पर दया करते हुए अपने एश्वर्य व तेज का कुछ भाग मुझ पर भी लुटाइये तथा अपने फज्ल से मेरे अमल वाले पलड़े को झुका दीजिए। आप मेरी दुआ को सुन लीजिए, जिन आपदाओं ने हमें घेर रखा है आप उन्हें दूर कर दीजिए एवं मेरे समस्त दुःखों का बोझ हल्का कर दीजिए, जिनसे दया की

बच्चों के संग उसका लालन-पालन हुआ हो। देखियेः अल-मोअजम अल-वसीत। उन ग़ैर अरब कवियों को "मुवल्लिद" कहा जाता है जिनमें से कुछ की कविता में उनके विशेष परिवेश के कारण अक़ीदा से संबंधित दोष पाया जाता है।

[1] अस्सेफ़ अल-मसलूल अला आबिदिर्रसूल (१६६-१६७)।

[2] अब्दुर्रहीम बिन अहमद बरई यमनी, एक सूफ़ी कवि था, अल्लाह तआला के साथ शिर्क की दावत देने वाले लोगों में इसकी भी गिनती होती है, इसका देहांत सन ८०३ हिजरी में हुआ। देखियेः ज़िरिक्ली की "अल-आलाम" (३/ ३४३)।

उम्मीद की जाती है आप उनमें मेरे सर्वाधिक निकट हैं, यद्यपि मेरा घर, मेरा देश सुदूर है। मैंने अपने नगर "बरअ" से आपको पुकारा है जिन्हें लोग पुकारते हैं उनमें आप सर्वाधिक सुनने वाले एवं शान वाले हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी कृपा से लाभांवित कीजिए, तथा अपनी रहमत, करम एवं मग़फिरत से मेरा संबंध जोड़ दीजिए)।

यह काव्य भी पिछले काव्य के समान अल्लाह तआला की विशेषताओं में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को साझीदार बनाने, आपको मदद के लिए पुकारने, आप से फरियाद करने जैसी गुमाराही से भरी पड़ी है। हम अल्लाह तआला के दीन से मुँह मोड़ कर शिर्क एवं घाटा में पड़ जाने से, अल्लाह तआला की पनाह चाहते हैं।

एक अति आवश्यक चेतावनी:

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जन्मदिन मनाने के लिए जो सामारोह आयोजित किए जाते हैं उनमे शिर्क आधारित "क़सीदा बुर्दा शरीफ़" को खूब पढ़ा जाता है, इस प्रकार के सामारोहों में इन शिर्क आधारित काव्य को पढ़ने के साथ साथ अन्य मुन्कर (बुरा, वर्जित) कार्य भी अंजाम दिए जाते हैं, उन्हीं मुन्कर कार्यों में से एक यह आस्था रखना भी है कि नबी -ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जश्न एवं उत्सव के इन सामारोहों में शारीरिक अथवा अर्थगत (रूहानी) रूप से उपस्थित होते हैं। इस मामले में लोग नाना प्रकार के दावे करते हैं जिनका कोई शरई आधार नहीं है।

मीलाद के इन सामारोहों में सूफ़ियों का नृत्य करना, दफ्फ बजाना, संगीत का प्रयोग करना, महिला एवं पुरूष का मिलन एवं बिद्अत (नवाचार) आधारित अज़्कार (स्मरण) जैसे मुन्कर कार्य अंजाम दिए जाते हैं, जिन्हें देख कर कोई आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि मानव जब एक बार सत्य मार्ग से दूर हो जाता है तो फिर यह दूरी बढ़ती ही चली जाती है।

इन बिद्अतियों ने अल्लाह के दीन को उलट दिया, उन्होंने मुन्कर (बुरा) को मारूफ़ (भला) तथा मारूफ़ को मुन्कर बना दिया, बाद में जाहिल व अज्ञानी लोग उनका अनुसरण करने लगे।

एक शोधकर्ता ने ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म से संबंधित उलेमा के कुछ फ़त्वों को संग्रहित करने का सराहनीय कार्य किया है, यह पुस्तक दो जिल्दों में

उपलब्ध है, जिन्हें इस विषय में विस्तार से पढ़ने की इच्छा हो वो इस संग्रहित पुस्तक का अध्यन कर सकता है[1]।

[1] इस पुस्तक का नाम है "रसाइल फ़ी हुक्मिल इहतिफ़ाल बिल मौलिद अन्नबवी"। दारूल आसिमा – रियाज से इसका प्रकाशन हुआ है।

तीसरी भ्रांतिः

वसीला (माध्यम) से संबंधित भ्रांति एवं उसका उत्तर

क़ब्रों में दफन नेक लोगों को पुकारने एवं उनसे दुआ करने वाले कुछ लोग यह कहते हैं कि, हम अपनी इस दुआ के द्वारा क़ब्र वालों को दुआ के स्वीकार्य होने का केवल माध्यम बनाते हैं, क्योंकि वह नेक हैं, जब्कि हमारा अक़ीदा (आस्था) यह है कि इसको अंजाम देने वाली असल ज़ात अल्लाह तआला की ही है, वही इस ब्रह्माण्ड में हेर-फेर व परिवर्तन करने वाला है एवं वही बंदों के मामलों का प्रबंधन करने वाला है।

ये लोग क़ब्र वालों को वसीला बनाने के जायज़ होने के लिए इस आयत को दलील बनाते हैं: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ (मुसलमानों अल्लाह से भय खाते रहो तथा उसका सामीप्य खोजो)। सूरह माइदाः ३५।

इस आयत से दलील पकड़ना तीन कारणों से बातिल व आधारहीन हैः

पहला कारणः नेक लोगों को पुकारना अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे दुआ माँगना शरई वसीला व माध्यम नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से शिर्क है, क़ब्र वालों से दुआ माँगने से दुआ माँगने वालों को कुछ भी नही मिलता है, बल्कि इसके कारण दुआ करने वाला इस्लाम की सीमा से खारिज व निष्कासित हो जाता है, इसी कारणवश शरीअत में इसको वर्जित किया गया है। यह बात विदित एवं प्रमाणित है कि दुआ इबादत है एवं शरीअत में जिन कर्मों को इबादत कहा जाता है उन्हें ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना शिर्क है, एवं शिर्क दीन -ए- इस्लाम के विरुद्ध है।

दूसरा कारणः इस आयत से यह नहीं मालूम होता है कि नेक लोगों से दुआ माँगना दुआ के स्वीकार्य होने का माध्यम एवं वसीला है। उपरोक्त आयत में केवल अल्लाह तआला का सामीप्य प्राप्त करने के लिए वसीला व माध्यम अपनाने को प्रोत्साहित किया गया है, और वसीला की बात जब आम रूप में की जाती है तो उससे अभिप्राय वह वसीला एवं माध्यम होता है जिसका वर्णन शरीअत -ए- इस्लाम में हुआ है। इस आयत में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से भी यह बात नहीं कही गई है कि दुआ या किसी और तरीका से मख़लूक़ का सामीप्य प्राप्त करने के लिए दुआ किया जाए।

वसीला की तफ़्सीर (व्याख्या) में मुफ़स्सिरीन (व्याख्या कर्ताओं) के कथन निम्नांकित हैं:

इमाम इब्ने जरीर रह़िमहुल्लाह कहते हैं: इससे अल्लाह तआला का अभिप्राय यह है कि, हे लोगों, जिन्होंने अल्लाह व उसके रसूल की दी हुई सूचनाओं, उसके सवाब के वादों, उसके यातना की धमकियों के बारे में अल्लाह तआला एवं उसके रसूल की पुष्टी की है, तुम अल्लाह से डरो, उसका आज्ञापालन करते हुए उसके आदेशों पर चलो, एवं उसके वर्जित किए हुए कार्यों से रुक जाओ, तुम नेक अमल (सदकर्म) अंजाम दे कर अपने रब एवं अपने रसूल की पुष्टि करने को प्रमाणित करो। ﴿وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ अर्थात रब को प्रसन्न करने वाले कर्म करने के द्वारा उसका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करो। इसके पश्चात इब्ने जरीर रह़िमहुल्लाह ने अपनी सनद से, अता, सुद्दी, मुजाहिद, क़तादा, अब्दुल्लाह बिन कसीर एवं इब्ने ज़ैद रहिमहुमुल्लाह से वसीला की यह तफ्सीर (व्याख्या) नकल की है कि इससे अभिप्राय नेक अमल (सदकर्म) के द्वारा अल्लाह का सामीप्य हासिल करना है।

इमाम इब्न कसीर रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: अल्लाह तआला ने इस आयत में मोमिन बंदों को तक़वा (इंद्रियनिग्रह) अपनाने का आदेश दिया है, जब तक़वा एवं इताअत (फरमाँबरदारी, आज्ञापालन) का उल्लेख एक साथ हो तो इसका अर्थ होता है ह़राम कार्यों से दूर रहना एवं वर्जित कार्यों को छोड़ देना। इसके पश्चात अल्लाह तआला अपनी किताब, क़ुरआन में फ़रमाता हैः ﴿وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ सुफ़ियान सौरी ने तल्हा से, उन्होंने अता से और उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले से उनका यह कथन नकल किया है किः इससे अभिप्राय तकर्रुब (सामीप्य, कुर्बत, निकटता) है। मुजाहिद, अबू वाइल, ह़सन, क़तादा, अब्दुल्लाह बिन कसीर, सुद्दी एवं इब्ने ज़ैद रहिमहुमुल्लाह आदि ने भी वसीला की यही तफ़्सीर (व्याख्या) की है। कतादा का कथन हैः ﴿وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ का अर्थ यह है कि तुम अल्लाह का आज्ञापालन करने एवं उसको प्रसन्न करने वाले कर्म के द्वारा उसकी निकटता हासिल करो। मुफस्सिरीन (व्याख्याताओं) ने वसीला की तफ़्सीर में यही बातें कही हैं, इस मामले में मुफस्सिरीन के यहाँ कोई मतभेद नहीं है[1]।

अल्लामा मुह़म्मद अमीन बिन मुह़म्मद मुख़्तार शनक़ीत़ी रह़िमहुल्लाह कहते हैं: आप यह जान लें कि जुम्हूर उलेमा (उलेमा के एक बड़े समूह) के निकट आयत में

[1] तफ्सीर इब्ने कसीर। थोड़े संशोधन के साथ।

वर्णितः ﴿ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ से अभिप्राय नेक अमल (सदकर्म) के द्वारा अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करना है। अल्लाह तआला का यह सामीप्य उसके आदेशों का अनुपालन करने, उसके द्वारा वर्जित की गई कार्यों से बचने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत का अनुसरण करने एवं अल्लाह तआला के लिए इख़लास़ (निष्ठा) अपनाने से होता है। अल्लाह को प्रसन्न करने एवं दुनियाँ व आख़िरत (लोक व परलोक) की भलाई पाने का यही एकमात्र उपाय है।

असल में वसीला उस मार्ग को कहते हैं जो किसी वस्तु से करीब करता है एवं उस तक पहूँचा देता है, उलेमा के इजमाअ (सामूहिक राय) के अनुसार यहाँ ﴿ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ वसीला से अभिप्राय नेक अमल है, इसलिए कि अल्लाह तआला का सामीप्य प्राप्त करने का एक मात्र माध्यम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करना है। वसीला का यही अर्थ दुरुस्त है तथा क़ुरआन की अन्य आयतों से भी इसी की पुष्टि होती है, उदाहरणस्वरूप अल्लाह तआला का यह फ़रमानः ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ (रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो कुछ तुम्हें दें उसे ले लो तथा जिस से रोकें उससे रुक जाओ)। सूरह अल-ह़श्रः ७। दूसरे स्थान पर फ़रमायाः ﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ﴾ (आप कह दीजिए कि तुम लोग अल्लाह का एवं रसूल का आज्ञापालन करो)। सूरह अल-नूरः ५४। इनके अतिरिक्त भी क़ुरआन में इस अर्थ की बहुतेरी आयतें मौजूद हैं।

इसके पश्चात शैख़ मुहम्मद अमीन शंक़ीती कहते हैं: वसीला के अर्थ के विषय में सही बात वही है जो आम उलेमा का मत है, अर्थात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत के अनुसार, ख़ालिस़ व निश्छल भाव से अल्लाह की इबादत कर के उसका सामीप्य प्राप्त करने का प्रयास करना, वसीला कहलाता है।

इस कथन को सामने रखने के बाद आप यह बात अच्छी तरह समझ लें कि, जाहिलों (अज्ञानियों) का अनुसरण करने वाले बहुतेरे मुल्हिद (नास्तिक) व सूफ़ियों का यह समझना कि, उक्त आयत में वसीला का अर्थ यह है कि, कोई किसी शैख़ आदि को अपने एवं अपने रब के मध्य वास्ता बना ले, तो यह उसकी अज्ञानता, अंधापन एवं खुली गुमराही में भटकना तथा अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ करना है। अल्लाह तआला को छोड़ कर किसी और को वास्ता बनाना कुफ्फार के कुफ्र का आधार व बुनियाद है।

अल्लाह तआला ने क़ुरआन में भी इसको स्पष्ट किया है, चुनाँचे एक स्थान पर अल्लाह फ़रमाता है: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ (जिन लोगों ने अल्लाह के सिवाय औलिया -दोस्त- बना रखे हैं -और कहते हैं- कि हम उनकी पूजा केवल इस लिए करते हैं कि ये -महात्मा- अल्लाह के निकटवर्ति दर्जा तक हमारी पहूँच करवा दें)। सूरह: ज़ुमर: ३ । एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ (और कहते हैं कि ये अल्लाह के निकट हमारे सिफ़ारिशी हैं, आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की सूचना देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, वह पवित्र एवं दूर है उन लोगों के शिर्क से)। सूरह यूनुस: १८ ।

प्रत्येक मुसलमान के लिए अल्लाह को प्रसन्न करने वाले, तथा उसकी जन्नत एवं उसकी रहमत व कृपा तक पहूँचने के मार्ग को जान लेना अति आवश्यक है, और वह मार्ग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करना है। जो इस मार्ग से कुमार्ग हो गया वह सीधे रास्ते से भटक गया। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا يُجۡزَ بِهِۦ﴾ (वास्तविकता न तो तुम्हारी आशा के अनुकूल है तथा न अहले किताब की आकांक्षा के अनुसार है, जो बुरा करेगा उसकी सजा पायेगा)। सूरह अल-निसा: १२३ । वसीला को जो अर्थ हमने बयान किया है वही अर्थ अल्लाह तआला के इस फ़रमान में भी है: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ﴾[1] (जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो स्वयं अपने रब का सामीप्य प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं कि उनमें से कौन अधिक निकट हो जाए)। सूरह बनी इस्राईल: ५७ ।

वसीला के संबंध में ऊपर जो बातें बयान की गई हैं उनका सार व खुलासा यह है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारने एवं ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को वसीला, वास्ता, माध्यम एवं सिफ़ारिश का नाम देना सरासर गलत है, क्योंकि क़ुरआन मजीद में वसीला अल्लाह तआला की कुर्बत

[1] अज़वाउल बयान, सूरह माइदा की तफ़सीर, आयत संख्या: ३५ । मामूली संशोधन के साथ।

हासिल करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, और यह कुर्बत, आज्ञापालन एवं कुर्बत प्राप्त करने के मशरूअ (शरीअत से प्रमाणित) कार्यों को अंजाम दे कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

तीसरा कारणः अल्लाह तआला को ही वास्तविक कर्ता-धर्ता, प्रभावी एवं ब्रह्माण्ड का प्रबंधन करने वाला मानने का, उस समय तक कोई लाभ नहीं है जब तक बंदा दुआ इत्यादि के के लिए ग़ैरुल्लाह का रुख करता हो, मुश्रिकीन पहले भी तथा अब भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह तआला ही वास्तविक कर्ता-धर्ता एवं ब्रह्माण्ड का प्रबंधन करने वाला है, ज्ञात रूप से यही तौह़ीद रुबूबियत है, किंतु यह मानने के साथ साथ वो मुश्रिकीन (अनेकेश्वरवादी) ग़ैरुल्लाह को पुकारते थे एवं उनसे दुआएं माँगते थे तो अल्लाह तआला ने उनके काफिर होने को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि किसी का अल्लाह तआला को रब मानना, उस समय तक सही व मोतबर नहीं माना जा सकता, जब तक वह समस्त इबादतों को पूरी निष्ठा भाव से केवल अल्लाह तआला के लिए न अंजाम दे, इस आधार पर ग़ैरुल्लाह से माँगने वाला मुश्रिक कहा जायेगा, यहाँ तक कि वह केवल अल्लाह की रुबूबियत को आत्मसात करते हुए दुआ इत्यादि इबादत को केवल अल्लाह के लिए न अंजाम देने लगे।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग़ैरुल्लाह से माँगने को वसीला का नाम देना सरासर गलत है, ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना हर हाल में शिर्क कहलायेगा, इस शिर्क को वसीला का नाम दे देने से उसकी वास्तविकता नहीं बदल जायेगी, इसलिए कि चीज़ों के मूल रूप एवं उसकी वास्तविकता का एतबार किया जाता है, न कि उसके नाम का। अल्लाह तआला ने ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने वालों को मुश्रिक करार दिया है, जब्कि वो लोग विभिन्न प्रकार के कर्मों द्वारा अपने बातिल व मिथ्या उपास्यों की निकटता प्राप्त करने का प्रयास किया करते थे, तथा अपने इस कृत्य को वसीला का नाम दिया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे युद्ध लड़ा, और आपने उन नामों की परवाह नहीं की जिन नामों से वे अपने पूज्यों को पुकारा करते थे और जिसे ये लोग वसीला व सिफ़ारिश का नाम दिया करते थे, आपने इसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं की। उनके द्वारा दिए गए नामों की वही स्थिति है जैसाकि अल्लाह तआला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कहलवाया हैः ﴿مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ﴾ (उसके सिवा तुम जिनकी पूजा-पाठ कर रहे हो वह सब बस नाम ही नाम हैं जो तुमने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने स्वयं ही गढ़ लिया है, अल्लाह तआला ने इसका कोई प्रमाण नहीं उतारा)। सूरह यूसुफ़ः ४० ।

एवं हूद अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय से कहा थाः ﴿قَالَ قَدۡ وَقَعَ عَلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ رِجۡسٞ وَغَضَبٌۖ أَتُجَٰدِلُونَنِي فِيٓ أَسۡمَآءٖ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٖۚ﴾ (बस अब तुम पर अल्लाह की ओर से अज़ाब व क्रोध आने ही वाला है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के विषय में झगड़ा करते हो जिनको तुमने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने ठहरा लिया है? इनके पूज्य होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी)। सूरह अल-आराफ़ः ७१ ।

अध्याय: चीज़ों के मूल रूप एवं उसकी वास्तविकता का एतबार किया जाता है, न कि उसके नाम का, इस संबंध में कुछ और इल्मी साक्ष्य

शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह कहते हैं: पहले दौर के मुश्रिकीन, "अल-इलाहीय्या (पूज्य)" शब्द से वही अभिप्राय लेते थे जो आज हमारे युग के लोग "अल-सैयद (स्वामी)" से अभिप्राय लेते हैं। आज के दौर में "सैयद" से अधिकांश मुश्रिकीन के यहाँ वही अभिप्रेत होता है जिसे विपदा के समय पुकारा जाता है तथा जिससे फरियाद किया जाता है, परेशानी के समय उसी से उम्मीद रखी जाती है, उसके नाम की लोग कसम खाते हैं, उसकी निकटता प्राप्त करने के लिए उनके नाम पर पशु चढ़ाते हैं, कुछ लोग इसे "वली" का नाम देते हैं जैसाकि मिस्र में यह इस्तिलाह[1] प्रचलित है। कुछ लोग इसी को "अल-सिर्र (छिप्त व अदृश्य शक्ति)" का नाम देते हैं तथा कहते हैं कि अमूक व्यक्ति के अंदर अदृश्य शक्ति का वास है, अथवा वह अदृश्य शक्ति रखने वाले लोगों में से है। यह बात अति प्रसिद्ध है, नई नई इस्तिलाह आती रहती है तथा भाषा बदलती रहती है। फ़ुक़्हा (धर्मशास्त्रियों) ने अर्थ एवं उद्देश्य, तथा किसी वस्तु के मूल रूप एवं उसकी वास्तविकता को सामने रखते हुए अहकाम (धार्मिक प्रावधान) तैयार किये हैं, यद्यपि नामों में अंतर हो तथा भाषा बदल गई हो।

मुहम्मद बिन इस्माईल सनआनी[2] रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: मुर्दा के सामने धन खर्च करने की नज़्र (मन्नत) मानना, क़ब्र के पास जानवर की बलि देना, क़ब्र वाले को वसीला बनाना,

---

[1] इस्तिलाहः किसी विशेष विषय से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली।

[2] इनका पूरा नाम व वंश इस प्रकार हैः मुहम्मद बिन इस्माईल क़हलानी सनआनी, जो अमीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका वंश अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबू ताालिब रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहूँचता है। वह अपने युग के प्रकांड विद्वान, मुज्तहिद तथा अनेक पुस्तकों के लेखक थे। उनका जन्म सन १०९९ हिजरी में हुआ। उन्होंने शिक्षा के सभी विभागों में दक्षता प्राप्त किया एवं अपने समकालीन उलेमा से विशिष्ट हो गए। सनआ में शिक्षा के मैदान में अकेले सरदारी की। उनकी अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनमें से "ततहीरुल एतक़ाद मिन अदरानिश्शिर्क वल इलहाद", "अल-इंसाफ़ फ़ी हक़ीकतिल औलिया व मा लहुम मिनल करामात वल अलताफ़", "मसअलतुन फिज्जबाएह अला अल-लक़ुबूर" एवं "सुबुलुस्सलाम" प्रमुख हैं, जिसे उन्होंने मग़रिबी की "अल-बद्र अल-तमाम" से संक्षिप्त किया है एवं "अल-उद्दा" जो इब्ने दक़ीक़ अल-ईद की "शर्हुल उम्दा" का हाशिया है। संक्षिप्त में कहें तो वह दीन -ए- इस्लाम की तजदीद करने वाले उलेमा में से थे।

उनका देहांत सन ११८२ हिजरी में हुआ।

उससे आवश्यकतापूर्ति के लिए कहना, यह ठीक जाहिलीय्यत युग वाले लोगों का काम है, यही काम वो लोग उनके सामने करते थे जिन्हें वो बुत तथा मूर्ति का नाम देते थे। क़बर पूजक यही काम उनके लिए अंजाम देते हैं जिन्हें वो वली, क़ब्र तथा मज़ार का नाम देते हैं, अतः नामों का कोई एतबार व प्रभाव नहीं होगा, बल्कि एतबार केवल अर्थ एवं उसके मूल रूप का किया जाएगा, भाषाई, बौद्धिक एवं शरीअत सभी एतबार से यही ज़रूरी है। किसी ने पानी कह कर मदिरापान कर लिया तो वह शराबी ही कहलायेगा, वह मदिरापान करने वाले के दंड का भागी होगा, बल्कि हो सकता है कि उसके दंड में कुछ वृद्धि ही हो जाए क्योंकि उसने शराब को पानी कह कर धोखा देने एवं झूठ बोलने का प्रयास किया।

ह़दीसों में इस बात का वर्णन मौजूद है कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो मदिरापान करेंगे तथा मदिरा को किसी और नाम से पुकारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बिल्कुल सच फ़रमाया था, आज फ़ासिक़ों का एक ऐसा समूह अस्तित्व में आ चुका है जो शराब तो पीता है किंतु उसे नबीज़ का नाम देता है।

सर्वप्रथम जिसने किसी चीज़ की वास्तविकता को बदल कर, उसे सुनने वाले के लिए एक लुभावना नाम दे कर, अल्लाह के क्रोध को भड़काया था, एवं उसकी अवज्ञा की थी, वह मलऊन व धिक्कारित इब्लीस है। उसने मानवों के पितामह आदम अलैहिस्सलाम से कहा थाः ﴿قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ وَمُلۡكٍ لَّا يَبۡلَىٰ ١٢٠﴾ (हे आदम! क्या मैं तुझे न बताऊँ शाश्वत जीवन का वृक्ष तथा ऐसा राज्य जो पतनशील न हो)। सूरह ताहाः १२० । चुनाँचे इब्लीस ने उस वृक्ष को शाश्वत जीवन वाले वृक्ष का नाम दिया जिसके समीप जाने से मना किया गया था, इस लुभावना नाम देने का उद्देश्य, आदम अलैहिस्सलाम के चित्त को उस ओर आकर्षित करना था, और उस वृक्ष के निकट जाने के लिए उनके अंदर रुचि व शौक को पैदा करने के लिए एक नया नाम ईजाद करके उनको धोखा देना था[1]।

इमाम मुहम्मद बिन अली शौकानी रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "समकालीन फसादों में से एक फसाद जो इंसान को इसलामी सीमा से बाहर कर देता है, तथा धार्मिक एवं सांसारिक रूप से

इमाम सनआनी रह़िमहुल्लाह की यह जीवनी, इमाम शौकानी रह़िमहुल्लाह की पुस्तक "अल-बद्र अल-तालेअ बिमहासिन मिंबादिल क़र्निस्साबेअ" से मामूली संशोधन के साथ नकल किया गया है।

[1] ततहीरुल एतक़ाद मिन अदरानिल इल्ह़ाद (२४-२५)। टिप्पणीः शैख़ इसमाईल अंसारी। प्रकाशकः मकतबा अल-फैहा – दिमश्क़।

उसे चित कर देता है, वह यह है कि बहुतेरे लोग बढ़िया किस्म के पशु एवं जानवर ले कर क़ब्र के पास आते हैं तथा क़ब्र वाले का सामीप्य प्राप्त करने के लिए उसे ज़ब्ह करते हैं, क़ब्र वाले से उन मुरादों को पाने की आशा रखते हैं जिन्हें वो दिल में छुपाए होते हैं, उन पशुओं को ग़ैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाते देते हैं, तथा उसके द्वारा मूर्तियों एवं स्थानों को पूजते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं कि ये लोग उन पत्थड़ों के समक्ष जिन्हें वो बुत (मूर्ति) कहते हैं पशु की बलि दें अथवा किसी मृत व्यक्ति की क़ब्र के पास जिन्हें ये क़ब्र (और मज़ार) कहते हैं, जा कर पशु चढ़ाएं। नामें में अंतर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हराम व हलाल में नाम का कोई एतबार नहीं होता है, अपितु उसके मूल रूप तथा वास्तविक अर्थ का एतबार होता है, यदि किसी ने पानी कह कर शराब पी लिया तब भी वह शराब पीना ही कहलायेगा, तथा शराब पीने वाले के समान उसे माना जायेगा, इस मसला में कोई मतभेद नहीं है"[1]।

वह आगे लिखते हैं: "शिर्क यह है कि बंदा ग़ैरुल्लाह के लिए वह कार्य अंजाम दे जो अल्लाह तआला के लिए आरक्षित है, चाहे उस ग़ैरुल्लाह को वह नाम दिया जाए जो अहले जाहिलीयत दिया करते थे अथवा उसे किसी और नाम से पुकारा जाए। केवल नाम का कोई महत्व नहीं है, जो यह नहीं जानता अथवा मानने को तैयार नहीं है, वह जाहिल है, वह इस योग्य नहीं कि विद्वानों के समान उससे बात की जाए"[2]।

शैख़ अब्दुल्लाह अबा बुतैन रहिमहुल्लाह इस भ्रांति का उत्तर देते हुए लिखते हैं: "किसी चीज़ का नाम, नया रख देने का कोई महत्व नहीं है, इससे उसका हुक्म नहीं बदलता है, नाम बदल जाने से किसी चीज़ की वास्तविकता नहीं बदल जाती है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है किः मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का कुछ और नाम रख देंगे, यही हुक्म वहाँ भी लागू होगा कि जब कोई ज़िना (व्यभिचार) को निकाह (विवाह) का नाम दे दे, नया नाम न तो पुराने नाम को समाप्त करता है तथा न ही उसका मूल रूप बदलता है, यदि किसी ने सूदी लेन-देन किया तो वह सूदख़ोर ही कहलायेगा अब चाहे वह इस सूद को जो नाम देता हो, इसी प्रकार से शिर्क करने वाला मुश्रिक ही कहलायेगा यद्यपि वह अपने इस कृत्य को वसीला एवं सिफ़ारिश इत्यादि नाम देता हो। शैतान को जब इस बात का भान हुआ कि

---

[1] शर्हुस्सुदूर फ़ी तहरीम रफ्इल क़ुबूर (३४)। अन्वेषणः मुहम्मद सुब्ही हसन हल्लाक़। प्रकाशकः दारुल हिज्रह – यमन।

[2] अद्दुर्र अन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमतित्तौहीद (70)। प्रकाशकः दार इब्ने ख़ुज़ैमा – रियाज़।

मानव स्वभाव, मुश्रिकीन के इस कृत्य को उलूहियत में शिर्क करार देते हुए उससे घृणा करता है, तो उसने इस शिर्क को दूसरे रूप में ढ़ाल कर पेश कर दिया जो लोगों के दिलों को भाता है''[1]।

शैख़ अब्दुर्रहमान बिन सादी रहिमहुल्लाह इस आयत ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ﴾ (कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य को अल्लाह का साझी ठहरा कर उनसे ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह से प्रेम में बड़े ठोस होते हैं)। सूरह अल-बक़रहः १६५, की तफ्सीर करते हुए लिखते हैं: ''इस आयत में ﴿يَتَّخِذُ﴾ (बना लेते हैं) से ज्ञात होता है कि वास्तव में अल्लाह तआला का कोई मुकाबिल व समतुल्य नहीं है, लोगों ने गलत ढ़ंग से नासमझी के कारण अल्लाह का समतुल्य बना लिया है। मुश्रिकीन ने कुछ मख़लूक़ (जीव) को अल्लाह के समतुल्य बना लिया है तो यह केवल शब्द की हद तक है। यह अर्थगत रूप से खोखला है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ﴾ (उन लोगों ने अल्लाह के साझी बना रखे हैं, कह दीजिए ज़रा उन का नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वह ज़मीन में जानता ही नहीं या केवल ऊपरी ऊपरी बातें बता रहे हो)। सूरह अल-रअदः ३३ । दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ (वास्तव में ये केवल नाम भर हैं जो तुमने एवं तुम्हारे पूर्वजों ने उनके रख लिए हैं, अल्लाह तआला ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी, ये लोग तो केवल अटकलों के पीछे पड़े हुए हैं)। सूरह अल-नज्मः २३ । कोई मख़लूक़ अल्लाह के समान नहीं हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह ख़ालिक़ (रचियता) है जब्कि उसके सिवाय अन्य सभी मख़लूक़ (रचना) हैं, अल्लाह राज़िक़ (जीविका देने वाला) है जब्कि उसके अलावा सब मरज़ूक़ (जिसे जीविका दिया जाता है) हैं, अल्लाह ग़नी (निःस्पृह) है जब्कि उसके अतिरिक्त सब मोहताज हैं, अल्लाह तआला हरेक आधार पर कामिल व पूर्ण है जब्कि उसके बंदे हरेक आधार पर अपूर्ण व नाकिस हैं, अल्लाह तआला लाभ हानि का मालिक है जब्कि मख़लूक को लाभ हानि का कुछ भी

[1] तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़े तलबीस दाऊद बिन जरजीस (९४)।

अधिकार नहीं है। इस से उनका बातिल व मिथ्या होना पता चल गया जिन्होंने अल्लाह को छोड़ कर किसी और को पूज्य व अल्लाह के समतुल्य बना लिया है, चाहे वह कोई फ़रिश्ता हो, नबी हो, कोई महान आत्मा हो, मूर्ति हो या इनके अतिरिक्त कोई और मख़लूक़ हो। अल्लाह तआला ही पूर्णरूपेण प्रेम के योग्य है तथा उसी के समक्ष हीनता प्रकट की जायेगी, इसी लिए अल्लाह तआला ने यह कह कर मोमिनों की प्रशंसा की हैः ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ (और ईमान वाले अल्लाह से प्रेम में बड़े ठोस होते हैं), अर्थात अन्य को अल्लाह के समतुल्य मानने वाले लोग, जितना प्रेम अपने उन मिथ्या पूज्यों से करते हैं, मोमिन उससे बढ़ कर अपने अल्लाह से प्रेम करते हैं, क्योंकि मोमिन अपना प्रेम केवल अल्लाह के लिए न्योछावर करता है जब्कि ये लोग अपने प्रेम में दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं, मोमिन उस ज़ात से मुहब्बत करता है जो वास्तव में मुहब्बत की हकदार है, जिससे मुहब्बत करना बंदा के लिए लोक-प्रलोक में सफलता एवं लाभ की कुंजी है, इसके विपरीत मुश्रिकीन ने उनसे मुहब्बत किया जो मुहब्बत की हकदार है ही नहीं, क्योंकि ग़ैरुल्लाह से अल्लाह के समान मुहब्बत करना बंदा के अभागापन, फसाद एवं बदतरीन जीवन का प्रतीक है[1]।

इन तमाम बातों का सार यह है कि जिसने भी उपरोक्त इबादत में से किसी इबादत जैसे मोहब्बत, सम्मान, भय, आशा, दुआ, तवक्कुल (भरोसा), ज़ब्ह तथा नज़्र (मन्नत) इत्यादि को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया तो मानो उसने उस ग़ैरुल्लाह की इबादत की, उसे माबूद (पूज्य) बना लिया तथा उसे अल्लाह तआला के लिए आरक्षित हक में साझी बना दिया, यद्यपि वह अपने इस कृत्य को इबादत का नाम न देता हो। प्रत्येक बुद्धिजिवी को यह बात मालूम है कि किसी चीज़ का नाम बदल देने से उसकी वास्तविकता नहीं बदल जाती है।

यदि व्यभिचार, सूद एवं शराब को कोई दूसरा नाम दे दिया जाए तो नाम बदल जाने से व्यभिचार, सूद एवं शराब की वास्तविकता नहीं बदल जायेगी। यह बात सब को मालूम है कि शिर्क की हुरमत (वर्जना) स्वयं अपने आप में उसका क़बीह (बुरा व घृणित) होना है, इसके अतिरिक्त इसमें रब पर तोहमत, उसकी शान में गुस्ताख़ी तथा उसे मख़लूक़ के समान करार देने का बोध होता है। अतः शिर्क आधारित कर्मों का नाम भर बदल जाने से उसकी बुराईयां एवं

[1] इस मसले में अहले सुन्नत ने इसी प्रकार की बातें कही हैं। देखियेः शैख़ मुहम्मद अमीन बिन मुहम्मद मुख़्तार शंक़ीती रह़िमहुल्लाह की पुस्तक "अज़वाउल बयान" में सूरह निसा की आयतः

﴿وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَٰنٗا مَّرِيدٗا﴾ की तफ़सीर।

फसाद समाप्त नहीं हो जाते, इस शिर्क आधारित कृत्य को वसीला, सिफ़ारिश, संतों और वलियों का सम्मान इत्यादि जो भी नाम दे लिया जाए, मुश्रिक मुश्रिक ही रहेगा, चाहे वह इसे माने या न माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सूचना दी है कि आपकी उम्मत में से एक समूह सूद को व्यापार का नाम दे कर उसे हलाल करने का प्रयास करेगी, कुछ लोग शराब को कोई दूसरा नाम दे कर उसे हलाल कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा करने वालों की निंदा भी की है। यदि हुक्म का संबंध केवल नाम से होता तथा इल्लत (कारण, मूल स्वरूप) से न होता तो ये लोग निंदा के पात्र नहीं ठहराए जाते, प्राचीन से ले कर नवीन तक, सभी युग में शैतान मानव जाति को अपने जाल में फंसाने में लगा रहता है। शैतान ने इन लोगों के समक्ष, नेक लोगों एवं महात्माओं के सम्मान रूपी शोभनीय अंदाज में, शिर्क को पेश किया है तथा इस शिर्क को वसीला एवं सिफ़ारिश जैसा सुंदर नाम दे कर उसने लोगों को धोखा दिया है। अल्लाह तआला ही सही मार्ग दिखाने वाला है।

निष्कर्ष यह है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना एवं उसे पुकारना शिर्क -ए- अकबर है, चाहे उसके लिए जो भी माध्यम अपनाया जाए। जो व्यक्ति दुआ को स्वीकार करने योग्य बनाने के लिए शरई वसीला को अपनाने का इरादा रखता है, उसे क़ुरआन व ह़दीस़ में वर्णित, दुआ को स्वीकार योग्य बनाने वाले माध्यमों को अपनाना चाहिए[1]।

यहाँ ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को वसीला का नाम देने से संबंधित भ्रांतियों का उत्तर पूर्ण हो गया, तथा यह स्पष्ट हो गया कि वसीला का यह रूप ग़ैर शरई व बातिल तथा मिथ्या है। हर प्रकार की प्रशंसा केवल अल्लाह तआला के लिए ही है।

---

(1) अल्लाह तआला ने मुझे दुआ को स्वीकार योग्य बनाने वाले कुछ शरई माध्यमों के संकलन की तौफ़ीक़ दी है, जिसे मैंने अपनी पुस्तक التبصرة في بيان أن تحري إجابة دعاء الله تعالى عند القبور بدعة منكرة), क़ब्रों के पास जाकर अल्लाह तआला से दुआ करना निंदनीय बिदअत है) में जमा किया है। यह पुस्तक मेरे निजी वेबसाइट www.saaid.net/kutob पर उपलब्ध है। अल्लाह तआला इसके प्रकाशण के मार्ग को सरल बनाए। आमीन।

चौथी भ्रांतिः

यह दावा करना कि क़ब्रों को पूजने वाले लोग काफ़िर नहीं हैं, क्योंकि ये लोग कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही देते हैं।

अम्बिया एवं नेक लोगों से दुआ माँगने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो मुश्रिकीन जिनके बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया था, वो कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही नहीं देते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाते भी थे, मरणोपरांत पुनः जीवित किए जाने का इंकार करते थे, क़ुरआन को नहीं मानते थे, वो क़ुरआन को जादू टोना कहा करते थे, इसके कारण उन्हें काफ़िर करार दे कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे धर्म युद्ध लड़ा, किंतु ये लोग जो क़ब्र वालों से दुआएं माँगते हैं तथा उनसे लौ लगाते हैं, ये तो कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" व "मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)" का इकरार करते हैं, नमाज़, रोज़ा, हज तथा ज़कात जैसे धार्मिक फर्ज़ (अनुष्ठान) भी अंजाम देते हैं, तब आप लोग इन्हें क्यों काफिर कहते हैं?

उत्तरः यह बात तीन कारणों से बातिल व निराधार हैः

पहला कारणः कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का केवल ज़ुबान से इकरार कर लेने का उस समय तक कोई लाभ नहीं है, जब तक उसकी शर्तों को पूरा न किया जाए। और इस कलेमा की पहली शर्त ही यही है कि इंसान अल्लाह तआला के सिवाय हरेक की हर किस्म की इबादत व पूजा जैसे दुआ, ज़ब्ह एवं नज़्र इत्यादि से मुँह मोड़ ले।

जिन मुश्रिकीन के बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे उन्हें यह मालूम था कि कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" का तकाजा यह है कि केवल एक अकेले अल्लाह की इबादत की जाए तथा अल्लाह तआला के सिवा हरेक की इबादत को छोड़ दिया जाए, इसीलिए वो लोग इस कलेमा को ज़ुबान पर लाने से बड़ी शिद्दत से इंकार करते थे। जो व्यक्ति भी न्याय प्रियता एवं निष्पक्षता के साथ इन दोनों के मध्य तुलना करेगा वह जान जाएगा कि प्राचीन युग के मुश्रिकीन कुफ्र करने में समकालीन क़ब्र पूजकों के ही समान थे, दोनों ही ग़ैरुल्लाह को पुकारते एवं उनसे दुआ माँगते हैं, दोनों के बीच केवल कलेमा -ए- तौहीद को ज़ुबानी तौर पर अदा करने या न करने का अंतर है, प्राचीन युग के मुश्रिकीन कलेमा -ए- शहादत को अपनी

ज़ुबान से अदा नहीं करते हुए ग़ैरुल्लाह को पुकारते थे जब्कि आज के क़ब्र पूजक कलेमा -ए- शहादत का ज़ुबान से इकरार करते हुए ग़ैरुल्लाह को पुकारते हैं, इस प्रकार से उनका यह कृत्य उनके कथन को झुठला देता है। ये लोग कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" (अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा पूज्य नहीं) पढ़ते तो हैं किंतु उन्होंने अल्लाह तआला के साथ अन्य पूज्य भी बना रखे हैं जिन्हें वो पुकारते हैं एवं उनसे उम्मीदें रखते हैं, यही उनको काफ़िर करार देने का आधार है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बारंबार कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" के तकाज़ों पर अमल करने की ताकीद की है[1], तथा इसे मोमिनों के लिए वाजिब करार दिया है, क्योंकि इसके बिना कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है।

इस कलेमा -ए- तौहीद का तकाज़ा यह है कि अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है इंसान स्वयं को उनसे अलग कर ले, अब चाहे ग़ैरुल्लाह की वह पूजा क़ब्र वालों से दुआ माँगने के रूप में हो अथवा मूर्तियो से माँगने के रूप में, या किसी और रूप में। अबू मालिक अपने पिता से नकल करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुनाः "जिसने कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहा तथा अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है उनका इंकार किया तो उसकी जान व उसका माल ह़राम हो गया, अब उसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है"[2]।

शैख़ मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह इस ह़दीस़ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं: "कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ को बयान करने वाली यह अति महत्वपूर्ण ह़दीस़ है, इस ह़दीस़ में कलेमा -ए- तौहीद को केवल ज़ुबान से अदा कर देने, उसके अर्थ को जान लेने, उसका इकरार कर लेने एवं केवल एक अल्लाह से दुआ माँगने को ही जान व माल की सुरक्षा की ज़मानत नहीं करार दिया गया है जब तक इन सब के साथ ग़ैरुल्लाह की इबादत

---

[1] अल्लाह तआला ने मुझे कलेमा -ए- तौहीद की शर्तों की व्याख्या करने की तौफ़ीक़ दी है। यह पुस्तक दारुल फ़ुरक़ान अलजीरीया से छप चुकी है, एवं इंटरनेट पर मेरे निजी वेबसाइट www.saaid.net/kutob पर उपलब्ध है।

[2] इस ह़दीस़ को इमाम मुस्लिम (२३) ने अबू मालिक से रिवायत किया है। वह अपने पिता से रिवायत करते हैं। अबू मालिक का नाम साद बिन तारिक अशजई है, एवं उनके पिता का नाम तारिक बिन अश्यम अशजई है। यह सहाबी हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु।

का इंकार न किया जाए। यदि इस मामले में थोड़ा सा भी संशय या अगर-मगर की स्थिति में कोई बंदा होगा तो उसकी जान व माल की हुरमत बाकी न रहेगी। यह मसला जितना नाज़ुक एवं संवेदनशील था उसी हिसाब से उतने ही अच्छे ढ़ंग से इसकी व्यख्या भी कर दी गई है, एवं इस मसले में विरोध करने वालों के लिए जबरदस्त ढ़ंग से हुज्जत कायम कर दी गई है"[1]।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के मध्य बैठे हुए थे कि इसी बीच जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए एवं प्रश्न किया किः ईमान क्या है? आपने फ़रमायाः ईमान यह है कि आप अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उससे भेंट करने, उसके रसूलों तथा मरणोपरांत पुनः जीवित किए जाने पर ईमान लाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछाः इस्लाम क्या है? आपने फ़रमायाः इस्लाम यह है कि आप अल्लाह की ही पूजा करें तथा उसके साथ किसी और को साझी न बनाएं, नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ ज़कात अदा करें एवं रमज़ान के रोज़े रखें [2]।

अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक व्यक्ति ने पूछाः "हे अल्लाह के रसूल! आप मुझे ऐसे अमल के विषय में बताएं जो मुझे जन्नत में जाने योग्य बना दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः तुम अल्लाह की इबादत करो एवं उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो एवं रिश्तेदारियां जोड़ो"[3]।

अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की ही एक दूसरी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो व्यक्ति इस हाल में (अल्लाह के पास) आया कि वह अल्लाह की इबादत करता था, उसके साथ किसी को साझी नहीं बनाता था, नमाज़ पढ़ता था, रमज़ान के रोज़े रखता था[4], ज़कात अदा करता था तथा कबीरह गुनाहों से बचता था, तो वह जन्नत का पात्र व मुस्तहिक होगा"[5]।

---

[1] किताबुत्तौहीद, बाबु तफ़्सीरित्तौहीद व शहादत अन "ला इलाहा इल्लल्लाह"।

[2] इस हदीस़ को बुख़ारी (५०), मुस्लिम (९), नसई (५००७) तथा इब्ने माजह ने रिवायत किया है।

[3] इस हदीस़ को बुख़ारी (१३९६) तथा नसई ने रिवायत किया है। उक्त शब्द नसई के हैं।

[4] रोज़ा रखने का उल्लेख सुनन नसई में नहीं है, किंतु इस हदीस़ के दूसरे रावियों ने इसे नकल किया है। देखियेः स़ही़हुल जामेअ (६१८५)।

[5] सुनन नसई (४०२०)। शैख़ अलबानी ने इसे स़ही़ह कहा है।

मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस़ है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संग एक यात्रा में था, एक दिन यात्रा के दौरान मैं आपके बहुत करीब हो गया तथा अर्ज किया: "हे अल्लाह के रसूल! आप मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जो मुझे जन्नत के योग्य बना दे तथा जहन्नुम से दूर कर दे। आपने फ़रमाया: तुमने एक बहुत बड़ी बात के लिए सवाल किया है, परंतु अल्लाह तआला जिसके लिए सरल कर दे उसके लिए सरल भी है, तुम अल्लाह की इबादत करो तथा उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो तथा बैतुल्लाह का हज करो"[1]।

[1] सुनन तिर्मिज़ी (२६१६)। शैख़ अलबानी ने इसे स़ही़ह कहा है।

कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" की शर्तें व तकाजे को पूरा करने की इल्मी दलीलें

शैख़ सुलैमान बिन सहमान[1] रहिमहुल्लाह कहते हैं: "अरब के काफिर इस बात से भली भांति परिचित थे कि जब वह कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार अपनी ज़बान से कर लेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने अल्लाह के सिवा सारे पूज्यों का इंकार कर दिया तथा पूजा व इबादत को केवल एक अल्लाह तआला के साबित कर दिया जिसका कोई साझी नहीं है, इसी कारणवश इन काफ़िरों ने कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का अपनी ज़बान से इकरार करने से मना कर दिया था, तथा इस मामला में बड़ा उपद्रव मचाया, वो जालिम लोग अंत तक इस कलेमा का इंकार करते रहे, उन लोगों ने कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का शाब्दिक एवं अर्थगत दोनों प्रकार से इंकार किया, इसी कारण जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे कहाः तुम लोग ज़बान से "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहो, तो इसके उत्तर में उन लोगों ने कहाः ﴿أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ﴾ (क्या इसने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया, यह तो बड़ी अजीब बात है)। सूरह अल-

---

[1] शैख़ सुलैमान बिन सहमान बिन मुसलिह का संबंध ख़सअम कबीला के आले आमिर से था। उनका जन्म अबहा की एक बस्ती अस्सुक़ा में हुआ। शैख़ अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब से शिक्षा ली, एवं उनके पुत्र अब्दुल्लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन से भी शिक्षा ग्रहण किया। दस वर्ष तक इन दोनों के सानिध्य में रहे। उन्होंने शेख़ हमद बिन अतीक़ से सत्रह साल तक शिक्षा ली, इसी प्रकार से शेख़ हमद बिन फ़ारिस से भी शिक्षा ग्रहण किया। उन्होंने बहुतेरी किताबें लिखीं जिनकी अनुमानित संख्या ४० तक है, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, वह एक दक्ष साहित्यकार तथा निपुण कवि थे। अहले सुन्नत के अक़ीदा के दिफा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। इसलाम के दिफा में कहे गए उनकी कविताओं के दो दीवान हैं। उन्होंने पचास गुमराह (पथभ्रष्ट) लोगों का अपनी कविताओं में उल्लेख किया है। वास्तव में वह अपने युग के "हस्सानुस्सुन्ना" थे। शैख़ सुलैमान बिन सहमान रहिमहुल्लाह का देहांत सन १३४९ हिजरी में हुआ, देहांत के समय उनकी आयु ८० वर्ष थी।

कहा जाता है कि जब उनकी रूह निकली तो लोगों को उनके शरीर से मुश्क की महक निकलती हुई महसूस हुई, यह ऐसी अनोखी बात थी जिससे लोगों का इससे पहले कभी सामना नहीं हुआ था। उनकी जीवनी के बारे में पढ़ने लिए देखियेः शैख़ इब्राहीम बिन उबैद आले अब्दुल मुहसिन रहिमहुल्लाह की पुस्तक "तज़किरतु उलिन्नुहा वल इरफ़ान बि अय्यामिल्लाहिल वाहिद अद्दय्यान" (१३४९ हिजरी के हालात के अंतर्गत)। इसके अतिरिक्त मुहम्मद बिन हमद बिन अक़ील की पुस्तक "इब्नु सहमान तारीख़ु हयातिहि व इल्मिहि व तहक़ीक़ शेअरिहि" प्रकाशकः मकतबा अल-रुश्द – रियाज़, का भी अध्यन करें।

स़ादः ५। अल्लाह तआला ने इन काफिरों के बारे में फ़रमाया हैः ﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝٣٦﴾ (ये वो हैं कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं तो वो तकब्बुर (अभिमान) करते थे। तथा कहते थेः क्या हम त्याग देने वाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त (दीवाने) कवि के कारण)। सूरह अल-स़ाफ़्फ़ातः ३५-३६।

आज के मुश्रिकीन का मामला इसके विपरीत है, ये लोग कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" को अपनी ज़ुबान से दोहराते भी हैं तथा इसके साथ-साथ वो ग़ैरुल्लाह की इबादत भी करते हैं, इन ग़ैरुल्लाह को अल्लाह की इबादत में साझीदार बनाते हैं, ये लोग इबादत के विभिन्न रूप जैसे दुआ, भय, मोहब्बत, आशा, तवक्कुल, फरियाद, इस्तेआना (मदद तलब करना), ज़ब्ह, नज़्र (मन्नत), इल्तेजा (विनती), पनाह तथा सिफ़ारिश तलब करना इत्यादि को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देते हैं, और जिसने किसी इबादत को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया उसने मानो उस ग़ैरुल्लाह की इबादत की, उसे अपना माबूद बना लिया तथा अल्लाह के लिए आरक्षित अधिकार में उसे साझीदार बना लिया, अब चाहे वह अपने माबूद (पूज्य) के संबंध में प्रभाव, प्रबंधन, अस्तित्व में लाने, अस्तित्व समाप्त करने तथा लाभ-हानि पहूँचाने में सक्षम होने का अक़ीदा रखता हो या न रखता हो, यद्यपि वह अपनी इस इबादत को माबूद बनाने, पूजने तथा शिर्क का नाम देने से इंकार ही क्यों न करता हो"[1]।

शैख़ इसह़ाक़[2] अपने दादा शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह का यह कथन नकल करते हैं: "कुफ्र के दो प्रकार हैं: एक मुतलक़ (व्यापक) तथा दुसरा मुक़य्यद (सीमित), मुतलक़ कुफ्र यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा लाई हुई मुकम्मल (पूर्ण) शरीअत का इंकार कर दिया जाए, और मुक़्ययद कुफ्र यह है कि रसूलुल्लाह

---

[1] अस्सावाइक अल-मुरसला अश्शहाबीय्या अलश्शुबहिद्दाह़िज़ा अश्शामीय्या (३१३-३१४)। मामूली संशोधन के साथ। प्रकाशकः दारुल आस़िमा – रियाज़।

[2] उनका युग तेरहवीं शताब्दी का अंत तथा चौदहवीं शताब्दी का आरंभ वाला है। उनकी एक पुस्तक का नाम "अल-जवाबात अल-समईय्या अला अल-असइला अल-रवाफीय्या" है। उनकी जीवनी से संबंधित कुछ आवश्यक बातें शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन अब्दुल लत़ीफ़ बिन अब्दुल्लाह आले शैख़ ने अपनी पुस्तक "मशाहीर उलेमा -ए- नज्द व ग़ैरिहिम" में लिखी हैं। शैख़ इसह़ाक़ का देहांत सन १३१९ हिजरी में हुआ। रह़िमहुल्लाह तआला।

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा लाई हुई शरीअत के कुछ भागों का इंकार किया जाए, यहाँ तक कि कुछ उलेमा ने किसी ऐसे फुरूई (अमूल) मसले का इंकार करने वाले को भी काफ़िर करार दिया है जिस पर सभी उलेमा एकमत हों, अर्थात उस फुरूई मसले पर उलेमा का इत्तेफाक व इज्माअ हो, उदाहरण स्वरूप वह व्यक्ति जो दादा तथा बहन के विरास़त में हिस्सा पाने का इंकार करे, गरचे वह नमाज़ रोज़े का पाबंद ही क्यों न हो। तो फिर वह व्यक्ति जो नेक लोगों को पुकारता है, उनसे दुआ माँगता है तथा उनके लिए इस ख़ालिस व असल तथा मूल इबादत को अंजाम देता है उसका हुक्म क्या होगा? यह बिल्कुल स्पष्ट है। ये बातें चारों मसलक (पंथ) की पुस्तकों में वर्णित हैं, बल्कि कुछ उलेमा ने तो जाहिल (अज्ञानी) की ज़ुबान से निकलने वाले कुछ शब्दों के कारण भी उसको काफ़िर करार दिया है, यद्यपि ज़ुबान से शरीअत विरुद्ध शब्द निकालने वाला नमाज़ व रोज़ा का पाबंद ही क्यों न हो"[1]।

निष्कर्ष यह निकला कि कलेमा -ए- तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का तकाजा तभी पूरा होता है जब उसमें इंकार व इकरार दोनों पाया जाए, अर्थात अल्लाह तआला के सिवा जिनकी भी पूजा की जाती है सभी का इंकार किया जाए तथा एक अल्लाह के लिए पूजा मान्य होने का इकरार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब लोगों के समक्ष इस्लाम के अर्थ को बयान करते तो इन दोनों पहलूओं का उल्लेख करते, अर्थात अल्लाह तआला की इबादत तथा शिर्क से दूरी। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक जानने वाला है)।

दूसरा कारण: क़बर पूजकों के स्वयं को मुसलमान कहने तथा ज़ुबान से कलेमा -ए- तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार करने के बावजूद उनके काफिर होने की एक दलील यह भी है कि, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त (शासनकाल) में जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था, वो लोग भी ज़ुबानी तौर पर इसको पढ़ते थे, इसके बावजूद ज़कात देने से इंकार करने वाले इन लोगों से युद्ध करने पर सभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एकमत थे, क्योंकि इस्लाम के तीसरे स्तंभ ज़कात के वाजिब होने का इंकार करने से इंसान काफिर हो जाता है, यद्यपि ज़कात का इंकार करने वाले ये लोग कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" को ज़ुबान से अदा करते रहे हों। ज़कात का इंकार करने वालों से युद्ध करने वाली बात में हमारे मसले की दलील इस प्रकार निकलती है कि यदि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में कोई व्यक्ति इस्लाम के प्रारंभिक एवं बुनियादि स्तंभ "ला इलाहा इल्लल्लाह" के तकाजों का इंकार कर देता, अर्थात

---

[1] अल-दुरर अल-सनीय्या मिन अल-अजविबा अल-नज्दीय्या (१/ ५२३-५२४)।

वह दुआ इत्यादि सभी इबादतों को अल्लाह तआला के लिए आरक्षित करने के स्थान पर इन्हें ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देता तो क्या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, उस ज़कात का इंकार करने वालों से बढ़ कर इस कलेमा -ए- तौहीद के तकाजों का इंकार करने वाले से युद्ध नहीं लड़ते?

अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त (शासनकाल) में प्रकट होने वाले सबईया[1] का भी यही हाल है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आग में भस्म करवा दिया था, ये लोग इस्लाम के दावेदार थे, कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" पढ़ते थे, किंतु इसके साथ ये लोग अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में वही एतक़ाद (आस्था) रखते थे जो इस दौर के कुछ लोग बदवी, शमसान तथा ताज आदि के बारे में रखते हैं। अब्दुल्लाह बिन सबा के उन अनुयायियों का मानना था कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूज्य हैं, अतः अल्लाह तआला के साथ-साथ उन्हें भी सहायता के लिए पुकारा जायेगा तथा उनसे दुआ माँगी जायेगी। जब इन लोगों के मुर्तद व काफ़िर हो जाने पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एकमत हो गए तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आग के हवाले करवा दिया। इन लोगों का कलेमा -ए- तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का पढ़ना तथा अन्य इसलामी आदेशों का पालन करना इनके कत्ल (वध) के मार्ग में रुकावट नहीं बना, क्योंकि इन लोगों ने कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" के तकाजों का इंकार कर दिया था, और इस कलेमा का तकाजा यही है कि हर प्रकार की इबादत को केवल अल्लाह तआला के लिए आरक्षित किया जाए।

तीसरा कारणः मक्का के मुश्रिकीन पर कुफ्र का हुक्म लगने का कारण केवल यही नहीं था कि वह मरणोपरांत पुनः जीवित किए जाने तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूव्वत के इंकारी एवं इस्लाम के अन्य धार्मिक प्रावधानों को नकारा करते थे, जैसाकि शुब्हा (भ्रांति) जाहिर करने वाले ने समझा है। वास्तविकता यह है कि अक़ीदा से संबंधित उनकी यह कमी उनके काफिर करारे दिए जाने के अनेक कारणों में से एक कारण थी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका मक्का के मुश्रिकों ने इंकार किया था, जिसके विरुद्ध वो खड़े हो गए थे, जिसके लिए इन लोगों ने नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से युद्ध छेड़ा था तथा जिसके कारण आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूव्वत को झुठला दिया था, वह मसला यह था कि केवल एक अकेले अल्लाह तआला ही इबादत व आराधना के योग्य है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं की जायेगी। यह कुफ्र का सबसे प्रसिद्ध कारण है जिसमें मक्का के

[1] अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के विचारों से सहमत होने के कारण इन लोगों को यह नाम दिया गया।

मुश्रिकीन तथा उनसे पूर्व की क़ौमें गिरफ्तार हो चुकी थीं, जैसाकि अल्लाह तआला ने उनकी स्थिति को बयान करते हुए फरमाया हैः ﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًا﴾ (क्या इसने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया)।

यह वही बात है जिसका इंकार मक्का के मुश्रिकीन ने भी किया था तथा आज के युग में इसका इंकार क़ब्रों को पूजने वाले लोग भी करते हैं, और तुर्रा यह कि खुद को मुसलमान भी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की इबादतों को क़ब्र वाले के लिए अंजाम देते हैं जैसे दुआ, नज़्र तथा ज़ब्ह इत्यादि, और जो लोग इन्हें समझाते हैं तथा यह सब छोड़ कर केवल एक अकेले अल्लाह से लौ लगाने को कहते हैं तो ये उन पर क्रोधित हो जाते हैं तथा उन्हें बुरा भला कहते हैं।

निष्कर्षः

1- केवल ज़बान से कलेमा -ए- "ला इलाहा इल्लल्लाह" कह लेने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम यह है कि इस कलेमा -ए- तौह़ीद का इकरार किया जाए, उसके तकाजों को अदा किया जाए, इसी कलेमा पर बाकी रहा जाए तथा इसके वपिरीत किसी काम को अंजाम न दिया जाए। यदि किसी ने जान बूझ कर पूरे होशोहवास (सचेत अवस्था) में सउद्देश्य इस कलेमा के विरुद्ध कोई कार्य अंजाम दिया तो उसने कुफ्र किया। -अल्लाह तआला इससे हमारी रक्षा करे-। इस को एक उदाहरण के द्वारा यों समझें कि एक व्यक्ति ने वुज़ू किया तथा वुज़ू के पश्चात ह़दस़ हो गया (अर्थात, मल-मूत्र त्याग किया अथवा पाद निकल गया) जिसके कारण उसका वुज़ू टूट गया, इसी प्रकार से कलेमा -ए- तौह़ीद की एक शर्त भी टूट जाने के पश्चात इस्लाम बाकी नहीं रहता है। शर्त टूटने से मशरूत (शर्त से संबंधित वस्तु) भी समाप्त हो जाता है।

2- मोमिन ने यदि किसी इबादत को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया तो फिर उसका दीन कहाँ बचा?! अब वह नमाज़, रोज़ा एवं हज की जितनी भी पाबंदी करे उसे अपनी इबादत के ताल्लुक से धोखा में नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि शर्क करने के साथ कोई भी इबादत स्वीकार नहीं की जाती। मात्र एक बार शिर्क कर लेना जीवन भर के सदकर्मों को बर्बाद करने के लिए काफी है।

3- मोमिन को शिर्क में पड़ जाने से डरते रहना चाहिए, उसे तौह़ीद पर साबित रहने की दुआ करते रहना चाहिए, जैसाकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से यह दुआ माँगा करते थेः

﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾ (हे मेरे रब! मुझे तथा मेरी संतान को मूर्तिपूजन से बचा)। तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अधिकाधिक इस दुआ को पढ़ा करते थेः "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"[1] (या मुक़ल्लिबल क़ुलूब स़ब्बित क़लबी अला दीनिक) अर्थात (हे दिलों के फेरने वाले! तू मेरे दिल को अपने दीन पर ही बाकी रख)।

4- शिर्क के ह़राम होने का ज्ञान हरेक मोमिन को होना चाहिए, यह हर दीनी हुक्म से बढ़ कर है, ज़िना (व्यभिचार), चोरी, मदिरापान तथा सूद के ह़राम होने का ज्ञान होने से भी अधिक जरूरी है कि इंसान को शिर्क की हुरमत (वर्जना) का ज्ञान हो।

5- जो व्यक्ति यह समझता है कि कलेमा -ए- तौह़ीद का ज़ुबान से इकरार कर लेने के बाद इबादत में शिर्क करना हानिकारक नहीं है, मसलन ग़ैरुल्लाह को पुकारने या उससे दुआ माँगने से अन्य इबादतों के स्वीकार्य अस्वीकार्य होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ एवं उसके तकाजों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। इस कलेमा को अब्दुल्लाह बिन उबैई बिन सलूल ने भी अपनी ज़ुबान से पढ़ा था, इसके बावजूद वह जहन्नुम के सबसे निचले दर्जा में होगा, इसलिए कि उसने केवल ज़ुबान से इसका इकरार भर कर लिया था, दिल से इस कलेमा पर उसका ईमान व यकीन नहीं था, यद्यपि जाहिरी तौर पर उसने इस कलेमा के तकाजा के तहत कुछ अमल भी किया था। केवल ज़ुबान से इस कलेमा को पढ़ लेने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ईमान नाम हैः ज़ुबान से इकरार करने, दिल से उस अक़ीदा -ए- तौह़ीद को मानने तथा शारीरिक अंगों द्वारा उसके अनुसार अमल करने का।

जो व्यक्ति बदवी अथवा हुसैन अथवा इब्ने अलवान, अथवा ईदरूसी, अथवा अब्दुल क़ादिर जीलानी, अथवा अली बिन अबू तालिब अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदि को पुकारता है या उनसे दुआ माँगता है, या उनसे सहायता माँगता है, या उनसे फ़रियाद करता है एवं उनके लिए मन्नत मानता है तो ऐसा व्यक्ति यदि हज़ार बार भी ज़ुबान से "ला इलाहा इल्लल्लाह" कहे तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, किंतु ऐसा करने वाला व्यक्ति यदि पहले अपने शिर्क से तौबा कर ले फिर उसके बाद केवल एक अल्लाह को पुकारे एवं उससे दुआ माँगे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तौह़ीद का इकरार पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है।

---

[1] इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (२१४०), अह़मद (३/ ११२) ने रिवायत किया है, तथा यह ह़दीस़ "सहीहुल जामेअ" (७८६४) में भी मौजूद है।

इन्हीं शब्दों के साथ इस भ्रांति का जवाब पूर्ण हुआ कि “जो लोग क़ब्र वालों को पुकारते हैं एवं उनसे दुआ माँगते हैं और वह कलेमा “ला इलाहा इल्लल्लाह” भी पढ़ते हैं तब भी आप उनको काफ़िर क्यों मानते हैं?”

पाँचवीं भ्रांतिः यह दावा करना कि शिर्क केवल मूर्तिपूजन को ही कहा जायेगा।

कुछ लोगों का यह कहना है कि शिर्क केवल मूर्तिपूजन तक ही सीमित है, अम्बिया एवं नेक लोगों (साधु-संतों) को पुकारना तथा उनसे दुआ माँगना शिर्क नहीं है।

उत्तरः यह कथन पाँच कारणों से बातिल व निराधार हैः

पहला कारणः भाषाई आधार से शिर्क यह है कि किसी चीज़ में दो को शरीक कर दिया जाए। इस आधार पर जिसने कभी अल्लाह को पुकारा तथा कभी ग़ैरुल्लाह को पुकारा तो उसने उस ग़ैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक व साझीदार बना दिया, वह इस वास्तविकता को माने या न माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इमाम मुहम्मद बिन अली शौकानी रह़िमहुल्लाह इस भ्रांति का जवाब देते हुए कहते हैं किः "शिर्क यह है कि ग़ैरुल्लाह के लिए कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जो अल्लाह के साथ खास है, इस प्रकार का अमल करने वाला उस ग़ैरुल्लाह को वहीं नाम दे जो अहले जाहिलीयत दिया करते थे या उसे किसी दूसरे नाम से याद करे, दोनों स्थिति एक समान हैं, क्योंकि केवल नाम का कोई एतबार नहीं होता है, जो इस बात को नहीं जानता वह जाहिल है तथा इस योग्य नहीं कि उससे विद्वानों के समान बात किया जाये"[1]।

दूसरा कारणः यह भ्रम कि केवल मूर्तिपूजन को ही शिर्क का नाम दिया जायेगा, इसके बातिल व आधारहीन होने का दूसरा कारण यह है कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में यह स्पष्ट कर दिया है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना तथा उससे दुआ माँगना शिर्क, कुफ्र एवं गुमराही है, अब अल्लाह को छोड़ कर जिसे पुकारा जा रहा है वह चाहे कोई भी हो। क़ुरआन में अल्लाह तआला के इस आदेश को पढ़ने के बाद इस पर ईमान लाना एवं इसकी पुष्टि करना वाजिब व अपरिहार्य है, अन्यथा वह क़ुरआन का इंकार करने वाला माना जायेगा। -अल्लाह तआला इससे हमारी रक्षा फ़रमाए। आमीन-। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ﴾ (यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (संभवतः मान भी लिया

---

[1] अद्दुर्र अन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमतित्तौह़ीद (70)। प्रकाशकः दार इब्ने ख़ुज़ैमा – रियाज़।

जाये कि वह तुम्हारी पुकार) सुन भी लें तो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, बल्कि क़्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इंकार कर देंगे, तुमको कोई भी अल्लाह सर्वज्ञानी जैसी सूचना नहीं देगा)। सूरह फ़ातिरः १४।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ (और उस से बढ़ कर गुमराह कौन होगा? जो अल्लाह के सिवाय ऐसों को पुकारता है जो क़्यामत तक उसकी दुआ स्वीकार न कर सकें)।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का इरशाद हैः ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝٦٥﴾ (जब यह लोग कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह तआला को ही पुकारते हैं उसके लिए दीन (इबादत) को शुद्ध करते हुए, फिर जब वो उन्हें बचा कर सूखे की ओर ले आता है तो उसी समय शिर्क करना आरंभ कर देते हैं)।

और अल्लाह तआला ने इस आयत में ग़ैरुल्लाह को पुकारने वालों को काफ़िर कहा हैः ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ (जो व्यक्ति अल्लाह के साथ अन्य पूज्य को पुकारे जिसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं है, उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर ही है, निःसंदेह काफिर लोग निजात (मोक्ष) से वंचित हैं)।

एक जगह अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَٰفِرِينَ﴾ (यहाँ तक कि जिस समय हमारे फ़रिश्ते उनके प्राण निकालने के लिए आयेंगे तो उनसे कहेंगे कि वो कहाँ हैं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे? वो कहेंगे कि वे तो हमसे खो गये तथा अपने ही विरुद्ध साक्षी बन जायेंगे कि वस्तुतः वो काफिर थे)।

उपरोक्त आयतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है, और अल्लाह को छोड़ कर जिसे पुकारा जा रहा है वह चाहे कोई मूर्ति हो, मुर्दा हो या इनके अलावा कोई और है, सभी का एक ही हुक्म है।

तीसरा कारणः शिर्क को केवल मूर्तिपूजन तक सीमित करने वाले व्यक्ति से कहा जायेगाः यदि कोई व्यक्ति केवल अल्लाह तआला को पुकारे, उसी के समक्ष अपनी समस्याएं रखे, उसी से गिड़गिड़ा कर विनती तथा चुपके-चुपके दुआ करे तो ऐसा व्यक्ति मुवह्हिद कहलायेगा अथवा मुश्रिक?

निश्चय ही उत्तर देते हुए वह यही कहेगा कि ऐसा करने वाला मुवह्हिद है।

तो फिर उससे कहा जायेगा कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी नबी अथवा नेक आदमी को पुकारा तथा उसके समक्ष अपनी समस्या रखी तो ऐसा करने वाला व्यक्ति मुवह्हिद हुआ अथवा मुश्रिक?

उत्तर देते हुए अवश्य ही वह यही कहेगा कि ऐसा करने वाला मुश्रिक है। तब आप उससे कहिए कि यही समझाना तो हमारा उद्देश्य है।

चौथा कारणः जिसने यह समझ लिया है कि शिर्क केवल मूर्तिपूजन तक ही सीमित है, तथा नेक लोगों से इल्तेजा व फ़रियाद करना शिर्क नहीं है, उससे कहा जायेग कि जाहिलीय्यत (अज्ञानाता एवं अंधकारमय) युग में मूर्तिपूजन किस प्रकार से होती थी? वह उत्तर देते हुए कहेगाः इसके लिए बुतों को पुकारा जाता था, उनसे दुआ माँगी जाती थी तथा उनके लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। तब आप उससे कहिए कि यही सारे काम तुम लोग नबियों एवं नेक लोगों (महात्माओं) के संग करते हो, तो क्या मूर्तियों को पुकारना एवं उनके लिए पशु की बलि देना शिर्क हो गया और नबियों एवं नेक लोगों को पुकारना शिर्क नहीं हुआ?!

पाँचवां कारणः शिर्क को मूर्तिपूजन तक ही सीमित करने वाले लोगों से कहा जायेगाः नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिन लोगों के मध्य भेजे गए थे वो सभी मूर्तिपूजक नहीं थे, अपितु उनमें से कुछ लोग नबियों की पूजा करते थे, कुछ लोग सालेहीन (साधु-संतों) की पूजा करते थे, कुछ लोग फ़रिश्तों को पूजते थे और उनमें कुछ लोग जिन्नात, सूर्य, चंद्रमा, सितारों, वृक्षों तथा पत्थड़ों के पुजारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सभी को काफ़िर माना था तथा सभी को इस्लाम की दावत दी थी। इससे ज्ञात हुआ कि शिर्क केवल मूर्तिपूजन को ही नहीं कहा जाता है, बल्कि शिर्क किसी भी ग़ैरुल्लाह की पूजा का नाम है, चाहे वह बातिल पूज्य कोई भी हो और किसी भी रूप में हो।

इस बात का प्रमाण कि मुश्रिकीन (अनेकेश्वरवादियों) में से कुछ लोग फ़रिश्तों की पूजा किया करते थे अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝٤٠ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١﴾ (तथा जिस दिन (अल्लाह तआला) एकत्र करेगा उन सब को फिर कहेगा फ़रिश्तों से: क्या यही तुम्हारी इबादत (वंदना) कर रहे थे? वो कहेंगे: तू पाक व पवित्र है! तू ही हमारा संरक्षक है न कि ये, बल्कि ये इबादत करते रहे जिन्नातों की, इनमें से अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं)। सूरह सबा: ४०-४१ ।

इस बात की दलील कि कुफ्फार में से कुछ लोग जिन्नों की पूजा किया करते थे, अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (बात यह है कि कुछ मानव चंद जिन्नातों से पनाह तलब किया करते थे जिसके कारण जिन्नात और उद्दंड हो गए)। सूरह जिन्न: ६ ।

इस बात का प्रमाण कि मुश्रिकीन में से कुछ लोग सूर्य तथा चंद्रमा की पूजा किया करते थे अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝٣٧﴾ (रात और दिन और सूर्य और चन्द्रमा उसकी निशानियों में से हैं, तुम न तो सूर्य को सज्दा करो और न चन्द्रमा को, बल्कि अल्लाह को सज्दा करो जिसने उन्हें पैदा किया, यदि तुम्हें उसी की बंदगी करनी है तो)।

इस बात की दलील कि मुश्रिकीन में से कुछ लोग सितारों की पूजा किया करते थे, अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾ (और यह कि वही शअरा (सितारा) का रब है)। सूरह अल-नज्म: ४९ ।

उपरोक्त आयत की तफ़्सीर करते हुए शैख़ अब्दुर्रहमान बिन सादी रहिमहुल्लाह लिखते हैं: "यह एक तारा है जो "अश्शअरा अल-अबूर" के नाम से प्रसिद्ध है, इसे "मरज़म" के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो अल्लाह तआला हर चीज़ का रब है, किंतु यहाँ विशेष रूप से "शअरा का रब" इसलिए कहा गया है क्योंकि जाहिलीय्यत युग में इस सितारे की पूजा की

जाती थी, इसी लिए अल्लाह तआला ने यह बताया है कि मुश्रिकीन जिन की पूजा करते हैं वो सभी अल्लाह तआला के द्वारा रची गई हैं तथा उसी की रुबूबियत व तदबीर के अंतर्गत हैं। फिर कैसे ये लोग अल्लाह के साथ किसी और को पूज्य मान लेते हैं?!''[1]।

इस बात का प्रमाण कि मुश्रिकीन में से कुछ लोग पत्थड़ों, वृक्षों एवं नेक लोगों की पूजा किया करते थे अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैः ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ (क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, और तीसरी एक और मनात को)। सूरह अल-नज्मः १९-२० । इस आयत में ''अल-लात'' को ''ता'' के तश्दीद (ता का उच्चारण दो बार करने के साथ) भी पढ़ा गया है, जिसका अभिप्राय ''लात'' नामक एक भलामानस से है जो ह़ाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। जब वह मर गया तो लोग उसकी समाधि के पास उसके सम्मान में खड़े होने लगे, तथा उसके मामले में ग़ुलू करते हुए बाद में उसकी इबादत करने लगे। बाद में इस बुत (मूर्ति) को उन लोगों ने ''अल्लात'' का नाम दिया। यह बात इब्ने जरीर ने इस आयत की तफ़्सीर करते हुए कही है।

तथा इसे ''ता'' के तख़फीफ (ता का उच्चारण एक बार ही करने) के साथ भी पढ़ा गया है, यह नख़ला[2] में एक घर था, जिसकी इबादत क़ुरैश किया करते थे। इसे भी इब्ने जरीर रह़िमहुल्लाह ने ही जिक्र किया है तथा इसे ही राजेह अर्थात ज्यादा सही करार दिया है[3]।

''अल-उज़्ज़ा'' के विषय में कहा जाता है कि यह छोटे-छोटे वृक्ष थे। एक कथन यह भी है कि यह सफेद पत्थड़ था। एक कथन के अनुसार यह एक घर था। यह क़ुरैश, मुज़र तथा किनाना का विशेष बुत था, यह बुत नख़्ला नामक स्थान की तराई में स्थित था जो बनू स़क़ीफ़ नामक कबीला का निवास स्थान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का विजय के मौका पर ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज कर इसे तोड़वाया था[4]।

---

[1] तैसीरुल करीमिर्रह़मान फ़ी तफ़्सीरिल कलामिल मन्नान। सूरह नज्म की तफ़्सीर।

[2] ''नख़ला'' मक्का तथा तायफ़ के बीच एक स्थान का नाम है।

[3] देखियेः तफ़्सीर -ए- त़बरी, सूरह नज्म आयतः १९, की तफ्सीर।

[4] देखियेः सीरत -ए- इब्ने हिशाम (''अल-उज़्ज़ा'' तोड़ने के लिए ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का प्रस्थान) तथा अल-त़बक़ात अल-कुब्रा (ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में''अल-उज़्ज़ा'' तोड़ने के लिए जाने वाला सरीय्या)।

"मनात" क़ुदैद के विपरीत दिशा में "मुशल्लल" नामक स्थान पर स्थित एक बुत था, जाहिलीय्यत वाले युग में औस एवं ख़ज़रज उसका सम्मान किया करते थे[1]।

बैज़ावी[2] शाफ़ई रहिमहुल्लाह कहते हैं: "मनात, एक चट्टान थी जिसे हुज़ैल व ख़ुज़ाआ या बनू स़क़ीफ़ के लोग पूजते थे। "मनात" के शाब्दिक अर्थ काटने के हैं। मुश्रिकीन इस बुत के पास पशुओं को काट कर उसकी बलि चढ़ाया करते थे, इसी से निकला एक शब्द हज के निर्धारित स्थानों में से एक प्रमुख स्थान "मिना" भी है"[3]।

इन बातों का सार यह निकला कि क़ुरआन से यह बात साबित है कि मुश्रिकीन वृक्षों, पत्थड़ों एवं नेक लोगों की पूजा किया करते थे।

इस बात की दलील कि कुफ्फार में से कुछ लोग नबियों की पूजा किया करते थे, ईसाइयों के विषय में अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾ (निःसंदेह वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह़ इब्ने मरियम है)। सूरह अल-माइदाः ७२।।

इस बात की दलील कि कुफ्फार में से कुछ लोग नेक लोगों की इबादत किया करते थे, अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٧﴾ (कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूज्य समझ रहे हो, उन्हें पुकारो लेकिन न तो वो तुमसे किसी दुःख को दूर कर सकते हैं और न बदल सकते हैं, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो स्वयं इस तलाश में रहते हैं कि

---

[1] अल-त़बक़ात अल-कुब्रा (साद बिन ज़ैद अशहली रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में "मनात" तोड़ने के लिए जाने वाला सरीय्या)।

[2] अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अली, कुनियतः अबुल ख़ैर, उपाधिः नास़िरुद्दीन तथा उर्फ़ी नाम बैज़ावी है। आप इमाम, अल्लामा, फ़िक़्ह, तफ़्सीर, क़ुरआन, ह़दीस़ एवं अरबी भाषा के बड़े विद्वान थे। आप बड़ी गहरी सोच रखने वाले नेक, धार्मिक, ज़ाहिद एवं मुत्तक़ी व्यक्तित्व धनी थे, एवं मसलक (पंथ) के आधार पर शाफ़ई थे। देखियेः दाऊदी की "त़बकातुल मुफ़स्सिरीन" (१७३)। प्रकाशकः दारुल कुतुब अल-इल्मीया - बैरूत।

[3] देखियेः तफ़्सीरुल बौज़ावी, सूरह नज्म, आयत संख्याः १९ की तफ्सीर।

उनमें से कौन कौन अधिक निकट हो जाए, वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं एवं उससे भयभीत रहते हैं (बात भी यही है) कि तेरे रब का अज़ाब डरने की चीज़ ही है)। सूरह बनू इस्राईलः ५६-५७।

इस आयत ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ﴾ में अल्लाह को छोड़ कर किन पूज्यों को पुकारने की बात कही गई है? इस संबंध में मुफ्फिसिरीन (क़ुरआन की व्याख्या करने वाले विद्वानों) के बीच मतभेद है।

इब्ने जरीर रहिमहुल्लाह ने इस आयत की तफ्सीर में लिखा है कि कुछ मुफ्फिसिरीन जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा है कि इससे अभिप्रेतः फ़रिश्ते, उज़ैर एवं मसीह़ अलैहिमस्सलाम हैं। इब्ने जरीर की नकल की हुई की एक रिवायत के अनुसार इस सूची में सूरज एवं चाँद की भी वृद्धि की गई है।

कुछ मुफ्फिसिरीन जैसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद एवं क़तादा आदि ने इससे अभिप्रायः जिन्न लिया है।

कुछ दूसरे मुफ्फिसिरीन जैसे इब्ने ज़ैद आदि ने इसे केवल फरिश्तों के साथ खास किया है।

अब इन स्वयंभू पूज्यों से चाहे जो भी आश्य हो किंतु तफ़सीर का एक नियम है कि शब्द के उमूम (आम व व्यापक अर्थ) का एतबार होता है, किसी विशेष कारण का एतबार नहीं किया जाता है। अल्लाह तआला के सिवा जिसकी पूजा की जाती है सभी इसमें शामिल हैं, चाहे वह कोई निर्जीव चीज़ हो अथवा फ़रिश्ता या मानव हो, या चाहे कोई नबी हो अथवा नबी के अलावा कोई और।

सूरह बनी इस्राईल की दोनों आयतों के विषय में मुफ्फिसिरीन के अनेक कथन हैं, किसी ने इससे अभिप्राय फ़रिश्ता, किसी ने इंसान तो किसी ने जिन्नात लिया है। इस संबंध में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं: "इस आयत में उमूम (आम अर्थ) अभिप्रेत है, अर्थात इसमें हर वह चीज़ शामिल है जिसे अल्लाह तआला के सिवा पुकारा जाता है। जिसने किसी मुर्दा को पुकारा हो, या जिसने फरिश्ता एवं जिन्नात को पुकारा हो इस आयत के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। यह बात विदित एवं स्पष्ट है कि

अल्लाह तआला ने जो कार्य[1] इन फ़रिश्तों के जिम्मे लगा रखे हें उस आधार पर यह वास्ता एवं माध्यम ही हैं, इसके बावजूद अल्लाह तआला ने इन फ़रिश्तों को पुकारने से मना कर रखा है। इसके साथ ही अल्लाह तआला ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन फ़रिश्तों को पुकारते हैं, उनके दुःख दूर करने का अधिकार उन्हें नहीं है, एवं न ही विपदा की स्थिति में कुछ तब्दीली करना उनके वश में है, न तो किसी विपत्ति को यह पूर्णरूपेण दूर कर सकते हैं तथा न ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बदल सकते हैं, इसी प्रकार से ये अपने गुण एवं समर्थता में भी कुछ हेर-फेर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह तआला ने ﴿وَلَا تَحۡوِيلًا﴾ "वला तह़वीला" में तह़वीका नकरा (अनिश्चयवाचक सर्वनाम) प्रयोग किया है, जिसमें हर प्रकार की तब्दीली शामिल है"[2]।

शैख़ अब्दुल्लाह अबा बुतैन[3] रह़िमहुल्लाह, शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह के उपरोक्त कथन पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं: "यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि शब्द के उमूम (उसके व्यापक अर्थ) का एतबार किया जाता है न कि किसी विशेष परिस्थिति का, जिनके विषय में यह आयत उतरी है अर्थात फ़रिश्ते तथा जिन्नात वो अदृश्य हैं, परंतु अदृश्य होने के बावजूद ये उज़ैर एवं मरियम अलैहिमस्सलाम जैसे इंसानों की तुलना में अधिक समीप हैं"[4]।

शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन[5] रह़िमहुल्लाह, अल्लाह तआला के फ़रमानः ﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ۝٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ۝٢١﴾ (जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवाय पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो स्वयं पैदा किए गए हैं, मृत हैं जीवित नहीं, उन्हें तो ये भी भान नहीं कि कब उठाए जाएंगे)। के विषय में कहते हैं: "यह आयत बुतों के बारे में नहीं है जैसाकि सोचने

---

[1] अर्थात कुछ फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियां निर्धारित हैं, वो अल्लाह तआला के आदेशानुसार अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, क़ुरआन मजीद में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि फ़रिश्ते वही करते हैं जिनका उन्हें आदेश दिया जाता है। इस आधार पर उन्हें वास्ता व माध्यम करार दिया गया है।

[2] मज्मूअ अल-फ़तावा (१५/ २२६)।

[3] शैख़ अब्दुल्लाह अबा बुतैन रह़िमहुल्लाह की जीवनी, पुस्तक के आरंभ में गुजर चुकी है।

[4] तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ि तलबीस दाऊद बिन जरजीस (पृष्ठः १२७-१२८)।

[5] पूर्व में शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन की जीवनी का उल्लेख किया जा चुका है।

एवं विचार करने की क्षमता से वंचित लोग समझते हैं, क्योंकि अरबी भाषा में "الذين" "अल-लज़ीन" केवल सोचने समझने की क्षमता रखने वाले अर्थात बुद्धि रखने वाले प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जब्कि बुत (मूर्ति) लकड़ी तथा पत्थड़ के हुवा करते हैं जिन पर मृत्यु प्रभावी नहीं होती, लकड़ी एवं पत्थड़ की इन मूर्तियों में तो जीवन है ही नहीं अतः उन्हें मृत्यु कैसे आ सकती है। इन निर्जीव मूर्तियों को क़्यामत के दिन इंसानों के समान पूनर्जीवित नहीं किया जाएगा ताकि उनके कर्मों का बदला उन्हें दिया जाए, इन निर्जीव मूर्तियों को पुनः जीवित किए जाने भान तक नहीं है कि अल्लाह तआला को उनके सोचने-समझने की क्षमता के खंडन करने की आवश्यकता होगी। अल्लाह तआला ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है कि उन्हें तो यह भी भान नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। यह आयत उसके बारे में है जिसे मृत्यु आयेगी, सोच विचार करने वाले के लिये यह बात बिल्कुल स्पष्ट है।

अल्लाह तआला के फ़रमानः ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (उन्हें तो ये भी भान नहीं कि कब उठाए जाएंगे), इस प्रकार की बात केवल बुद्धि रखने वाले प्राणियों के लिए की जाती है, जो लोग अरबी भाषा से परिचित हैं उन्हें यह बात भलि-भांति मालूम है। दलील के स्पष्ट हो जाने तथा सत्य मार्ग के खुल कर सामने आ जाने के लिए अल्लाह तआला की ही प्रशंसा व तारीफ़ है"[1]।

---

[1] कश्फ मा अलक़ाहु इब्लीस मिनल बहरज वत्तलबीस अला क़ल्बे दाऊद बिन जरजीस (२४)। साभार "हाज़िहि मफ़ाहीमुना" (४७), लेखकः शैख़ स़ालेह़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शैख़।

छठी भ्रांतिः

लोगों के अनुभव व तजुर्बा को आधार बनाना कि नेक लोगों से माँगने से दुआ स्वीकार की जाती है।

कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह तआला को छोड़ कर या अल्लाह तआला के साथ-साथ नेक लोगों से दुआ माँगना, दुआ के स्वीकार्य होने का कारण है, इसलिए कि तजुर्बा से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि कुछ लोगों ने नेक लोगों से दुआ माँगी तो उनकी दुआ स्वीकार की गई।

छः कारणों के आधार पर यह भ्रांति बातिल व निराधार हैः

पहला कारणः क़ुरआन व ह़दीस़ में हर भलाई की ओर मार्गदर्शन कर दिया गया है एवं हर बुरे कार्य से रोक भी दिया गया है। अल्लाह तआला ने अच्छे असबाब व माध्यमों को पैदा कर के उसे अपनाने का आदेश दिया है, तथा अल्लाह तआला ने हानिकारक असबाब व माध्यम भी पैदा किए हैं परंतु उनसे दूर रहने का आदेश दिया है, उदाहरणस्वरूप अल्लाह तआला ने दवा को बीमारी से निरोग होने का माध्यम बनाया है, जैसाकि शहद (मधु) के बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾ (उनके पेट से रंग-बिरंगा द्रव्य (पेय) निकलता है जिसमें लोगों के लिए आरोग्य (शिफ़ा) है)। इसी प्रकार से अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद एवं इल्म (विद्या) को हिदायत का माध्यम बनाया है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ (यह किताब है, जिसमें कोई संशय (संदेह) नहीं, उनको सीधा मार्ग दिखाने के लिये है)। सूरह अल-बक़राः २। क़ुरआन व ह़दीस़ में इस प्रकार की अन्य दूसरी बहुतेरी असबाब व माध्यम का वर्णन आया है जिन्हें अपनाने से बंदों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, किंतु सालेहीन (साधु-संतु) से दुआ मांगने का उल्लेख कहीं नहीं आया है कि यह दुआ के स्वीकार्य होने का कारण है। यदि यह दुआ के स्वीकार्य होने का कारण होता तो आवश्यक रूप से इसका आदेश क़ुरआन व ह़दीस़ में दिया गया होता, इसलिए कि बंदों को दुआ के स्वीकार होने की सदा जरूरत रहती है। हकीकत तो यह है कि इस तरह का कोई हुक्म क़ुरआन व ह़दीस़ में होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि शरई दलीलों से स्पष्ट तौर पर यह साबित है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना एक बातिल व बेकार अमल है, बल्कि यह शिर्क में पड़ जाने तथा सदा के लिए जहन्नमी बन

जाने का माध्यम है। -अल्लाह तआला इससे हमारी सुरक्षा करे-। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ﴾ (यह सब इसलिए कि अल्लाह ही ह़क़ है और उसके सिवाय जिसे ये पुकारते हैं वह बातिल है)। इसके अतिरिक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: "जिसकी मृत्यु इस दशा में हुई कि वह अल्लाह को छोड़ कर उसके मुकाबले में किसी और को पुकारता था तो वह जहन्नुम में जायेगा"[1]।

दूसरा कारण: अल्लाह तआला ने क़ुरआन में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक अल्लाह तआला की ज़ात ही दुआओं को सुनती है तथा उसे स्वीकार करती है। इस स्पष्टीकरण के बाद किसी के लिए यह जायज़ ही नहीं कि वह ग़ैरुल्लाह से माँगने का प्रयोग व तजुर्बा करे, और कहे कि उसने जिस ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगी थी उसने उसकी पुकार सुनी एवं उसकी दुआ को स्वीकार किया, क्योंकि इससे क़ुरआन मजीद को झुठलाना लाज़िम आता है। क़ुरआन के नस्स (श्लोक) से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुर्दे ज़िंदा की बातों को नहीं सुन सकते एवं न ही उनकी बातों का उत्तर दे सकते हैं, जो क़ुरआन की दी हुई इस सूचना को नहीं मानेगा वह काफ़िर है। कौन सा तजुर्बा ऐसा हो सकता है कि जिसके द्वारा क़ुरआन से प्रमाणित बातों को झुठलाया जा सकता है? अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ۝١٤﴾ (जो लोग उस (अल्लाह) के सिवाय औरों को पुकारते हैं वह उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते हैं मगर जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुँह तक पहूँच जाए हालांकि वह पानी उसके मुँह में पहूँचने वाला नहीं है, इन काफ़िरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है)। एक जगह अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ۝٢٢﴾ (जीवित एवं मृत एक समान नहीं हो सकते, अल्लाह तआला जिसे चाहता है सुना देता है, तथा आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो क़ब्रों में हैं)। एक स्थान पर अल्लाह तआला का इरशाद है: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ﴾ (यदि तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी

[1] सह़ीह़ बुख़ारी (४४९७)।

पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (संभवतः मान भी लिया जाये कि वह तुम्हारी पुकार) सुन भी लें तो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकते)।

अल्लाह तआला ने इन बातिल परस्तों (मिथ्यावादियों) को चुनौती देते हुए फ़रमाया हैः ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤﴾ (वास्तव में अल्लाह के सिवा जिन को तुम पुकारते हो वे तुम्हारे जैसे ही (अल्लाह के) दास हैं, अतः तुम उनसे प्रार्थना करो फिर वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दें, यदि उनके बारे में तुम्हारे विचार सत्य हैं)।

यदि यह कहा जाये कि इसमें क्या ह़िकमत है कि अल्लाह तआला एक मुश्रिक की दुआ को स्वीकार कर लेता है, जब्कि उसने अल्लाह तआला से दुआ माँगी ही नहीं?

उत्तरः अल्लाह तआला के द्वारा ग़ैरुल्लाह से की जाने वाली दुआ को स्वीकार करने के पीछे एक बड़ी ह़िकमत है। वास्तव में यह ग़ैरुल्लाह से दुआ करने वाले के लिए इस्तिदराज (ढ़ील) है ताकि वह अपनी गुमराही में और आगे बढ़ जाए, यह अल्लाह तआला से दुआ न माँगने का उसका दंड है। ऐसे लोगों को अल्लाह की ओर से मिलने वाली ढ़ील को, दूरदर्शी व बस़ीरत वाले लोग भलि भांति जान लेते हैं, और आम जीवन में भी इसको देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि क़ुछ लोग क़ब्र के मुर्दा से संतान की विनती करते हैं और अल्लाह तआला उन्हें संतान दे देता है, मुश्रिक यह समझता है कि क़ब्र वाले ने उसे यह संतान दिया है, या क़ब्र वाला इसके लिए वसीला व माध्यम बना है, जिसके कारण क़ब्र वाले पर उसका विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है, उस मुश्रिक को यह एहसास ही नहीं होता कि सच्चे रब से दुआ माँगने से विमुखता प्रकट करने के कारण, दंड के रूप में उसके विरुद्ध अल्लाह तआला का यह हरबा है। बंदों के विषय में अल्लाह तआला की यह सुन्नत भी है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ﴾ (जब वो लोग टेढ़े रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को (और) टेढ़ा कर दिया)।

तीसरा कारणः दुआ एक इबादत व पूजा है, तथा इबादत तजुर्बा से साबित नहीं होता, किसी काम के इबादत होने के लिए अल्लाह तआला की किताब या अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से दलील होनी चाहिए। जिसने तजुर्बा से दुआ के किसी रूप को इबादत साबित किया जिसकी कोई दलील शरीअत में मौजूद नहीं है तो उसकी

दुआ बिद्अत आधारित होगी, शरीअत आधारित कतई नहीं होगी। अल्लाह तआला के निकट उसका यह कृत्य मरदूद व अस्वीकार्य होगा, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "जिसने हमारे दीन में ऐसी चीज़ ईजाद की जो उसमें नहीं है तो वह अमल मरदूद व खंडनीय है"[1]। एक दूसरी ह़दीस़ में यह शब्द आए हैं: "जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसकी बुनियाद हमारे दीन पर नहीं है तो वह अमल मरदूद व निंदनीय है"[2]।

अल्लामा शौकानी रह़िमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "कोई सुन्नत केवल तजुर्बा एवं प्रयोग से साबित नहीं होती है, किसी गैर मसनून (जो सुन्नत न हो) को सुन्नत समझ कर करने वाला अहले बिद्अत की सूची से निकल नहीं सकता है। दुआ का स्वीकार्य हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि दुआ के स्वीकार होने का यह कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणि है। कभी अल्लाह तआला नेकी व पहेज़गारी की राह पर चले बिना भी किसी की दुआ को क़बूल कर लेता है, क्योंकि वह अरह़मुर्राह़िमीन(सर्वाधिक रह़म व दया करने वाला) है, कभी वह इस्तिदराज (ढ़ील देने) के लिए भी लोगों की दुआ को स्वीकार कर लेता है"[3]।

शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "तुजर्बा के आधार पर किसी अमल को इबादत की सूची में नहीं डाला जा सकता है, विशेषतः तब जब उसका संबंध ग़ैब (भविष्य, अदृश्य) के मामलों से हो, अतः तजुर्बा के आधार पर ह़दीस़ को स़ह़ीह़[4] करारे देने का मौकिफ नहीं अपनाया जा सकता है, उस स्थिति में तो और कठोरता के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है जब कुछ लोग आपदा एवं विपत्ति के समय मुर्दों से फ़रियाद करने को जायज़ ठहराने के लिए

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (२६९७) एवं मुस्लिम (१७१८) ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (१७१८) ने रिवायत किया है।

[3] तुह़फ़तुज़्ज़ाकिरीन (१४०)।

[4] इससे उनका अभिप्राय उस ह़दीस़ को स़ह़ीह़ करार देना है किः "जब तुम में से किसी की सवारी का जानवर बयाबान एवं सुनसान स्थान पर हाथ से निकल जाए तो उसे इस प्रकार से आवाज़ लगानी चाहिएः हे अल्लाह के बंदों! मेरी इस सवारी को रोक लो, हे अल्लाह के बंदों! मेरी इस सवारी को रोक लो, क्योंकि इस धरती पर इस कार्य के लिए अल्लाह तआला के कुछ बंदे नियुक्त होते हैं, अतः वह तुम्हारी सवारी को रोक लेंगे"। इस ह़दीस़ के संबंध में विस्तार से इसी पुस्तक के आठवें अध्याय में इसका जवाब आयेगा। इन शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने चाहा)।

उस ह़दीस़ का सहारा लेते हों, तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि मुर्दों से फ़रियाद करना शिर्क है। अल्लाह तआला से ही सहायता की आशा है"[1]।

शैख़ इब्ने उसैमीन रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "इबादत का चयन व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं किया जा सकता है, अर्थात व्यक्तिगत पसंद तथा किसी कार्य पर दिल मुतमइन हो जाने कारण कोई इबादत शरई इबादत नहीं कहलाएगी। इंसान को कभी-कभी शिर्क एवं बिद्अत आधारित कर्म भी अच्छे लगते हैं जो वास्तव में उसे इसलामी सीमा से निष्कासित कर देते हैं, हालांकि शिर्क आधारित वह कर्म उसे व्यक्तिगत रूप से पसंद होता है, तथा उस पर उसका दिल भी संतुष्ट होता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًاۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۖ﴾ (तथा क्या शोभनीय बना दिया गया हो जिसके लिए उसका कुकर्म, और वह उसे अच्छा समझता हो? तो अल्लाह ही कुपथ करता है जिसे चाहे और सुपथ दिखाता है जिसको चाहे)। इंसान के लिए अति आवश्यक है कि जब कोई अमल उसे अच्छा लगे तथा दिल उससे संतुष्ट हो तो वह उस अमल को अल्लाह तआला की किताब क़ुरआन मजीद तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर पेश करे, यदि वह अमल किताब व सुन्नत के अनुकूल हो तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे, और यदि वह क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध हो तो अपने दिल का इलाज करे, क्योंकि बहुतेरे इंसानी दिलों में यह बीमारी पाई जाती है जिसके कारण इंसान उस अमल को करने में राहत व प्रसन्नता का अनुभव करता है जो शरीअत से प्रमाणित नहीं होता है"। शैख़ इब्ने उसैमीन रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ। ये बातें "फ़तावा नूरुन अलद्दर्ब" से संक्षिप्त रूप में नकल की गई हैं।

निष्कर्ष यह है कि दुआ तथा अन्य दूसरी इबादतें तजुर्बे, क़यास, अक़्ल एवं ज़ौक के आधार पर साबित नहीं होती हैं, बल्कि अल्लाह तआला की किताब एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से साबित हैं। जो इबादत क़ुरआन व ह़दीस़ के अनुकूल हो उसे अंजाम देना वाजिब है तथा जो क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध हो उसे छोड़ देना तथा उससे बराअत (अलगाव) का इजहार करना ज़रूरी है।

चौथा कारण: कुछ लोग ऐसी दुआएं माँगते हैं जो सामूहिक रूप से मुसलमानों के नज्दीक ह़राम हैं, किंतु उनका उद्देश पूरा हो जाता है। क्या यह इस बात की स्पष्ट दलील नहीं है

---

[1] अल-सिलसिलला अल-ज़ईफ़ा (२/ १०९)।

कि ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने के जायज़ होने पर तजुर्बा से दलील पकड़ना बातिल व निराधार है। इसी के समान कुछ लोगों का वह अमल भी है जिसमें वो सितारों से दुआ माँगते हैं और अल्लाह तआला उनकी दुआ स्वीकार कर लेता है। कुछ लोग बुतों, गिरजाघरों एवं उनमें रखी हुई मूर्तियों से दुआ माँगते हैं तथा उनके उद्देश्य में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। दरअसल यह अल्लाह तआला की ओर से इस्तिदराज (ढ़ील) है ताकि वो अपने गुनाहों में वृद्धि करते जाएं, यह उनके लिए अल्लाह तआला की ओर से दंड है, क्योंकि आरंभ से ही उन लोगों ने अल्लाह तआला की ओर ध्यान नहीं लगाया बल्कि उससे मुँह मोड़ लिया।

इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं: "इसी के समान वह व्यक्ति भी है जो अपनी दुआ में तय सीमा को फलांगता है, या तो ऐसी चीज़ माँगता है जो उसके लिए उचित नहीं है अथवा अपनी दुआ में गुनाह को अंजाम देता है, चाहे वह गुनाह शिर्क हो या कुछ और हो। उसे जब माँगी हुई दुआ में से क़ुछ प्राप्त हो जाता है तो वह यह समझ लेता है कि उसका यह अमल नेक था, यह बंदा उस बंदा के समान है जिसे अल्लाह तआला की ओर से ढ़ील दी गई, तथा धन-संपदा एवं संतान देने के द्वारा उसकी मदद की गई, और वह यह समझ लेता है कि उसे जल्दी-जल्दी अल्लाह तआला की ओर से भलाई हासिल हो रही है और उस पर अल्लाह की दया व कृपा की वर्षा हो रही है। ऐसे ही आत्ममुग्ध लोगों के संबंध में अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद की अनेक आयतों में चेताया है। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ ۝٥٥ نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ۝٥٦﴾ (क्या ये लोग यह समझ बैठे हैं कि हम जो भी उनके धन-संपदा एवं संतान में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वह उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं (नहीं नहीं) बल्कि वह समझते ही नहीं)। दूसरे स्थान पर फ़रमाया: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ﴾ (तो जब उन्होंने उसे भुला दिया जो याद दिलाए गए थे, तो हम ने उन पर प्रत्येक (सुख सुविधा) के द्वार खोल दिए, यहाँ तक कि जब जो कुछ वो दिये गये उससे प्रफुल्ल हो गये, तो हमने उन्हें अचानक घेर लिया, और वो निराश हो कर रह गए)।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ خَيۡرٞ لِّأَنفُسِهِمۡۚ إِنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِثۡمٗاۚ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ (काफ़िर लोग हमारी दी हुई

मोहलत को अपने लिए बेहतर न समझें, यह मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं, उन्हीं के लिए अपमानित करने वाली यातना है)। मोहलत एवं ढ़ील देने का अर्थ दीर्घायु होने के साथ जीविका में बढ़ोतरी एवं मदद का हासिल होना है। एक स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾﴾ (जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठला दिया, हम उन्हें क्रमशः (विनाश तक) ऐसे पहूँचायेंगे कि उन्हें इसका भान तक नहीं होगा। और उन्हें अवसर देंगे, निश्चय ही मेरा उपाय बड़ा सुदृढ़ है)। इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ"[1]।

मैं कहता हूँ किः यही स्थिति सभी ह़राम (वर्जित) चीज़ों की है, उदाहरणस्वरूप मदिरापान, ह़रामकारी तथा ज़ुल्म व अत्याचार। इस प्रकार के ह़राम कार्यों से क्षणिक लाभ तो मिल जाता है, किंतु शरीअत के अनुसार यह जायज़ नहीं हैं। इसी के समान ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना भी है, कि कभी यह दुआ स्वीकार कर ली जाती है इसके बावजूद कि यह शिर्क -ए- अकबर है, किंतु अल्लाह तआला इससे राज़ी व प्रसन्न नहीं होता है। इसी असल का एतबार करना ज़रूरी है, अर्थात किसी काम से क्षणिक लाभ का मिल जाना शरई तौर पर उसके जायज़ होने की दलील नहीं है।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "हर वह सबब व माध्यम जिससे इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह जायज़ भी हो, उदाहरण स्वरूप किसी मुसाफ़िर को क़त्ल कर देना उसके धन को हासिल कर लेने का माध्यम है, किंतु यह दोनों ही कृत्य ह़राम हैं। ईसाइयों के धर्म को स्वीकार कर लेना उनसे मिलने वाले लाभ का सबब व माध्यम है, परंतु ऐसा करना ह़राम है। झूठी गवाही जिसके लिए झूठी गवाही दी गई उससे कुछ धन पाने का सबब है, किंतु झूठी गवाही देना ह़राम है। अनेक बुरे कर्म एवं ज़ुल्म सांसारिक लाभ पाने का सबब व कारण हैं किंतु हर प्रकार का ज़ुल्म एवं बुरा कर्म ह़राम है। जादू-टोना एवं ज्योतिष विद्या को सांसारिक लाभ पाने का माध्यम बनाया जा सकता है, कितुं यह दोनों ह़राम हैं। यही हाल शिर्क का है, उदाहरण स्वरूप तारे एवं शैतानों से दुआ माँगना तथा इंसान की पूजा करना कुछ लाभ पाने का माध्यम तो बन सकता है, किंतु यह ह़राम एवं वर्जित है। अल्लाह तआला ने उन सभी असबाब व माध्यमों को ह़राम करार दिया है जिस में लाभ कम एवं हानि अधिक है, यद्यपि

---

[1] इक़्तेज़ाउस़्सिरातिल मुस्तक़ीम (२/ ७९०-७९१)।

क्षणिक रूप से उसके द्वारा कुछ लाभ मिल भी जाये। ऐसी ही स्थितियों में मुश्रिकीन की गुमराही (पथभ्रष्टता), जीवन दिए जाने के उद्देश्य से लापरवाही तथा अल्लाह के आदेशों की अवहेलना जाहिर हो जाती है। उनसे यह मुतालबा है कि वो इस बात का कोई शरई प्रमाण पेश करें कि अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़ (रचना) के लिए, मृत अथवा अनुपस्थित से कुछ माँगने या उनसे फ़रियाद करने को, शरीअत का प्रावधान करार दिया है, चाहे यह कृत्य क़ब्र के पास किया जाए या कहीं दूर रह कर किया जाए, ये मुश्रिकीन अपने इस कृत्य की कोई शरई दलील पेश करने में असमर्थ हैं।

बल्कि हमारा यह कहना है कि इस्लाम के इमामों का इस पर इजमाअ (सर्वसहमति) है कि मृत अथवा अनुपस्थित से सवाल करना, चाहे वह नबी हो या कोई और, ह़राम एवं मुंकर है। अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी इसका आदेश नहीं दिया, किसी सहाबी या ताबेई ने ऐसा नहीं किया, दीन -ए- इस्लाम के बड़े-बड़े इमामों में से किसी ने भी इसकी ताईद नहीं की है, दीन -ए- इस्लाम में यह बात सर्वविदित एवं सभी ख़ास व आम को मालूम है। सलफ़ (नेक पूर्वजों) में से कोई भी किसी कमी अथवा हाजत के मौका पर मुर्दा को संबोधित करते हुए यह नहीं कहते थेः हे मेरे अमूक स्वामी! मैं आपकी शरण में हूँ, या मेरी हाजत पूरी कर दीजिए, जैसे आज के मुश्रिकीन, मृत एवं अनुपस्थित लोगों से इस प्रकार से दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात किसी सहाबी ने आप से या किसी अन्य नबी से फ़रियाद नहीं किया, न तो उनकी समाधि के पास जा कर फ़रियाद किया तथा न दूर से उनसे सहायता माँगी, हालांकि मुश्रिकीन से युद्ध करते हुए उन्हें अति कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जब युद्ध के मैदान में उन्हें चहुँ ओर क़त्ल के दृश्य एवं रक्तपात ही दिखाई देता था, ऐसी कठिन परिस्थिति में उनके मन में नाना प्रकार की आशंकाएं जन्म लेती रही होंगी, इसके बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एवं सलफ़ रहिमहुमुल्लाह में से किसी ने भी नबी या अन्य से कोई फ़रियाद नहीं की, बल्कि इन लोगों ने तो सिरे से अल्लाह तआला के मुकाबले में किसी और मख़लूक़ की कोई कसम भी नहीं खाई, न ये लोग सउद्देश्य नबियों की क़ब्रों के पास जा कर दुआ करते थे तथा न ही वहाँ नमाज़ पढ़ते थे”[1]।

पाँचवां कारणः ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को जायज़ करार देने के लिए तजुर्बा को आधार व दलील बनाने वाले से कहा जायेगा कि यदा-कदा मानसिक वहम के कारण इंसान को इस

[1] अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (३३०-३३२)।

प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति के मन-मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि उसके रोग का उपचार अमूक औषधि के द्वारा संभव है, फिर जब वह उस औषधि का प्रयोग करता है तो उसका मानसिक वहम दूर हो जाता है एवं अंदरूनी तौर पर उसे शांति व संतुष्टि का अनुभव होता है, हालांकि उसने जो चीज़ दवा व औषधि समझ कर प्रयोग की है वास्तव में वह दवा है ही नहीं, बल्कि वह कोई आम सी वस्तु है जिसके दवा होने का उसे वहम हो गया था।

ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने का भी यही मामला है, कुछ लोग शैतानी प्रभाव से लगने वाले रोग में इस युक्ति को आजमाते हैं, इस दशा में जब वह किसी मुर्दा को पुकारते हैं तो वह शैतानी प्रभाव उससे समाप्त हो जाता है, तथा इंसान शांति व संतुष्टि अनुभव करने लगता है, जिससे वह यह समझने लगता है कि मुर्दे ने उसकी दुआ को स्वीकार कर लिया, हालांकि वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, शैतान ने उसे बीमार होने के वहम में मुब्तला कर दिया था।

त़बरानी ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नकल किया है कि उन्होंने अपनी एक पत्नी की गर्दन में ताँत या धागा बंधा हुआ देखा जिसमें तीवीज़ (यंत्र) लटक रही थी, उन्होंने उसे ज़ोर से खींच कर तोड़ दिया और कहाः अब्दुल्लाह के परिवार को शिर्क में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यह भी फ़रमाया किः तिवला(1), तमाइम(2), रुक़्या(3) सभी शिर्क हैं, किसी महिला ने कहा किः हम में से किसी के सिर में दर्द होता है तो वह झाड़-फूँक करवाती है, जिससे उसे लाभ मिलता है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमायाः शैतान तुम में से किसी के सिर में आकर कचोका लगाता, जब वह झाड़-फूँक करवाती है तो उस का प्रभाव समाप्त हो जाता है और यदि वह झाड़-फूँक न करवाए तो उसे चुभन महसूस होती है,

(1) तिवलाः जादू के द्वारा पति-पत्नी के दिल में एक दूजे के लिए प्रेम उत्पन्न करने को कहते हैं।

(2) तमाइम, अरबी शब्द तमीमा का बहुवचन है, इससे अभिप्रेत है वह यंत्र (तावीज़) जिसे अरब बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने बच्चों के गले में डाला करते थे। इसलाम ने ऐसा करने से रोका है, क्योंकि इसमें ग़ैरुल्लाह से हार्दिक संबंध व लौ लगाने का अर्थ पाया जाता है, तथा इसके बारे में आस्था यह होती है कि यह स्वयं अपने आप में प्रभावी होती है।

(3) रुक़्या (झाड़-फूँक): के दो प्रकार हैं: एक शरई रुक़्या व झाड़ फूँक है जिसमें क़ुरआनी आयात एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआओं को पढ़ कर फूँका जाता है। तथा दूसरा शिर्क वाला रुक़्या है जो तिलिस्म एवं अस्पष्ट शब्दों द्वारा होता है, स्वयं झाड़-फूँक करने वाला भी उसके अर्थों से अनभिज्ञ होता है।

ऐसा स्थिति में यदि वह पानी ले कर सिर तथा मुख पर डाल ले, तत्पश्चात बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम पढ़ कर क़ुल हुवल्लाहु अह़द (قل هو الله أحد), क़ुल अऊज़ु बि रब्बिल फ़लक़ (قل أعوذ برب الفلق) तथा क़ुल अऊज़ु बि रब्बिन्नास (قل أعوذ برب الناس) पढ़ ले तो इन शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने चाहा तो) उसे लाभ होगा[1]।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के उपरोक्त अस़र[2] से यह मालूम होता है कि कभी-कभी शैतान इंसान के शरीर को दर्द व दुःख में मुब्तला करता है ताकि उसे गुमराह कर सके, और उसके मन में यह भ्रम उत्पन्न कर सके कि उसने इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जिस शिर्क आधारित दवा का सहारा लिया है, उससे उसे आरोग्य प्राप्त हुआ है।

शैख़ मुह़म्मद आरिफ़ ख़ूक़ीर मक्की[3] रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि, मानव जीवन में वहम का बड़ा किरदार होता है, इंसान अपने विषय में जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ घटित होता है, जब रोगी यह मान लेता है कि अमूक वस्तु से उसे आरोग्य प्राप्त होगा तो उसका दिल उसी वस्तु से जुड़ जाता है, उसके शरीर के छिद्र उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए खुल जाते हैं, उसके शरीर में रक्त की गर्दिश में बढ़ोतरी हो जाती है, कभी कभी यह वहम सही में उसे समाप्त कर देता है, वबा एवं महामारी के समय विशेष रूप से इसका अध्यन किया जा सकता है"[4]।

---

[1] अल-मोअजम अल-कबीर (९/ १७४)। इसके अतिरिक्त अल-स़ह़ीह़ा (२९७२) भी देखें।

[2] अस़रः हर उस वक्तव्य को कहा जाता है जो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, अथवा सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से, अथवा ताबेईन -ए- किराम रहिमहुमुल्लाह से वर्णित हो, सरल शब्दों में कहें तोः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन, या सहाबा के कथन या ताबेईन के कथन को अस़र कहा जाता है।

एक दूसरा मत यह भी है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन ह़दीस़ है, तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का कथन अस़र है, अर्थात ये लोग ह़दीस़ एवं अस़र दोनों शब्दों के मध्य अंतर करते हैं।

[3] शैख़ मुह़म्मद आरिफ़, हिजाज़ के उलेमा में से हैं। उस़मानी ख़िलाफत के समय (शासन काल में) हिजाज़ में अक़ीदा -ए- तौह़ीद का दिफा किया, तथा तवस्सुल एवं इस्तेग़ास़ा (फ़रियाद) के संबंध में भ्रांतियां फैलाने वालों का रद्द व खंडन किया, उन लोगों ने मौज़ूअ (मनगढ़ंत, झूठी) ह़दीस़ों का सहारा ले कर तथा स्वप्न एवं हिकायात को आधार बना कर तवस्सुल एवं इस्तेग़ास़ा (फ़रियाद) को साबित करने का प्रयास किया था। उनका देहांत सन १३४९ हिजरी हमें हुआ। रह़िमहुल्लाह रह़मतन वासिअः।

[4] फ़स़्लुल मक़ाल फ़ी तवस्सुलिल जुहहाल (११९)।

प्रिय पाठकगण अब वह घटना पढ़िए जिसका उल्लेख इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक में किया है, वह लिखते हैं किः "नगर में लोगों का एक समूह था जो उबैदियों को सालेह़ीन एवं औलियाउल्लाह में समझते थे। मैंने उन्हें बताया कि ये लोग मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) एवं अधर्मी लोग थे, इन ज़िंदीक़ों (अधर्मियों) में बेहतर वो हैं जिन्हें रवाफ़िज़ कहा जाता है, मेरी बात सुन कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहने लगेः हमारे घोड़ो को जब "मग़ल"[1] नामक रोग लग जाता है तो हम उन्हें उबैदियों की क़ब्र के पास ले जाते हैं, वहाँ जाकर ये घोड़े ठीक हो जाते हैं।

मैंने उनसे कहाः यही तो उनके कुफ्र की सबसे बड़ी दलील है, मैंने घोड़े की देखभाल करने वाले कुछ साईसों को बुलाया तथा उनसे प्रश्न किया कि मिस्र एवं शाम (सीरीया) में जब घोड़े को "मग़ल" नामक रोग लग जाता है तो तुम लोग उसे कहाँ ले कर जाते हो?

उन लोगों ने बताया किः सीरीया में उन घोड़ों को यहूदियों एवं ईसाइयों की सामाधि के पास ले जाया जाता है, उत्तरी इलाकों में ऐसे घोड़ों को इस्माईलियों[2] की क़ब्र के पास ले जाया जाता है, मिस्र में इस प्रकार के घोड़ों को ईसाइयों की "दैर"[3] की तरफ ले जाते हैं, और इन घोड़ों को इन शुरफा की क़ब्रों के पास ले जाते हैं, ये लोग उबैदियों को शुरफा (संभ्रांत लोगों) में गिनते थे, क्योंकि इन उबैदियों ने अहले बैत से अपना संबंध जाहिर किया था।

मैंने कहाः क्या ये लोग "मग़ल नामक रोग से पीड़ित अपने घोड़ों को नेक मुसलमानों मसलन लैस़ बिन साद, शाफ़ई, इब्नुल क़ासिम आदि की क़ब्रों के पास भी ले जाते हैं?

उन लोगों ने कहाः नहीं। तब मैंने उन लोगों से कहाः मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लोग अपने बीमार घोड़ों को कुफ्फार व मुनाफिक़ीन की क़ब्रों के पास ले जाते हैं, मैंने उसका कारण

---

(1) "मग़ल": चौपाये एवं पशुओं को क़ब्ज़ हो जाने की स्थिति को अरबी भाषा में "मग़ल" कहा जाता है, सब्ज़ी तथा घास के साथ मिट्टी खा लेने के कारण पशुओं को यह रोग लग जाता है, जिसके कारण पशु पेट में पीड़ा का अनुभव करता है।

(2) इस्माईलीय्या, शिया पंथ से निकला हुआ एक गुमराह बात़िनी फ़िर्क़ा (समहू) है। इसके विषय में और अधिक जानाकारी के लिए देखियेः अब्दुल क़ादिर बिन मुहम्मद अत़ा स़ूफ़ी की किताब "दिरासात मन्हजीय्या लि बअज़ फ़िरक़िर्राफ़िज़ा वल बात़नीय्या"। प्रकाशकः दार अज़वाइस्सलफ – रियाज़।

(3) "दैर" (गिरजा) ईसाई पादरियों के रहने के स्थान को कहते हैं, इसमें रिहायशी होटल्स, शापिंग कॉम्पलेक्स एवं दुकानें आज भी होती हैं।

यह बताया कि उन कुफ्फार व मुनाफिक़ीन को उनकी क़ब्रों के अंदर अज़ाब हो रहा होता है, पशु क़ब्र में दिए जाने वाले अज़ाब की उस आवाज़ को सुनते हैं जैसाकि स़हीह़ ह़दीस़ से प्रमाणित है, पशु उस आवाज़ को सुन कर भयभीत हो जाते हैं, इस डर एवं भय के कारण उनके क़ब्ज़ की कैफियत दूर हो जाती है तथा वो लीद करने लगते हैं, और घबराहट के कारण दस्त लगना आम बात है। वो लोग मेरी बात सुन कर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। ये बातें मैं लोगों से बयान किया करता था, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे पहले किसी आलिम ने यह बात कही है या नहीं? फिर बाद में मैंने देखा कि कुछ उलेमा ने इसका उल्लेख किया है"[1]।

छठा कारणः ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को जायज़ करार देने के लिए तजुर्बा से दलील पकड़ने वाले से कहा जायेगाः क़ब्र से दुआ माँगने वाले को शैतान अपने सबसे बड़े मकड़ जाल में फँसा लेता है, और वह इस तरह कि उस दुआ करने वाले को उसकी खोई हुई चीज़ के असल स्थान के बारे में बता देता है। क़ब्र वाले से दुआ माँगने वाला जब दुआ माँगता है तो मुर्दा के स्थान पर शैतान उससे वार्तालाप करता है, दुआ करने वाला यह समझता है कि क़ब्र वाले ने उसका मार्गदर्शन किया है, इसलिए उसे क़ब्र वाले से दुआ माँगने के सही होने का विश्वास हो जाता है। उस बेचारे को यह पता ही नहीं होता कि अल्लाह तआला ने शैतानों को बड़ी तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की एवं ज़मीन को छान मारने की आश्चर्यजनक शक्ति दे रखी है। क़ब्र वाले से दुआ करने वाला जब उससे उदाहरणस्वरूप किसी खोई हुई चीज़ के असल स्थान को बताने की विनती करता है तो शैतान तेजी के साथ पृथ्वी का चक्कड़ लगाता है तथा उस खोई हुई वस्तु का पता लगा कर दुआ करने वाले को उसकी सूचना दे देता है। दुआ करने वाला यह समझता है कि क़ब्र वाले ने यह मार्गदर्शन किया है बल्कि इससे बढ़ कर उसे अपनी दुआ के सही हो जाने का विश्वास हो जाता है, फिर वह गुमराही क पथ पर अपनी यात्रा जारी रखता है और क़ब्र वाले से उसका संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है। इसके बाद अब उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह सीधे क़ब्र वाले के पास पहूँचता है, क्योंकि ज़रूरतमंद अंधा होता है उसे बस यही फिक्र होती है कि कसी तरह उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो जीवित से फ़रियाद करता है, वह जीवित व्यक्ति फ़रियाद करने वाले की स्थिति का अंदाजा लगाता है तथा उससे

---

[1] अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (२/ ५००-५०३)। संक्षिप्त रूप में नकल किया गया है।

वह चीज़ दूर कर देता है जिससे वह बचना चाहता है, और उसे वह चीज़ प्राप्त हो जाती है जिसकी उसे आवश्यकता थी, परंतु फ़रियाद किए जाने वाले उस असल जीवित व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि यह सब कहाँ से कैसे हो रहा है। वास्तव में ये शैतान होते हैं जो उस जीवित व्यक्ति के रूप में इस ज़रूरतमंद के समक्ष प्रकट होते हैं, ताकि ग़ैरुल्लाह से माँगने वाले इस मुश्रिक को गुमराह कर सके। पहले भी इंसान जिन्नात की शरण माँगा करते थे, तो जिन्नातों के सरदार उन्हें बेवकूफ़ एवं उद्दंड किस्म के लोगों से बचाया करते थे, ये जिन्नात इंसानों के द्वारा इस प्रकार से उनसे शरण माँगने पर प्रसन्न हो कर ऐसा किया करते थे। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (बात यह है कि कुछ मानव चंद जिन्नातों से पनाह तलब किया करते थे जिसके कारण जिन्नात और उद्दंड हो गए)। जो लोग सूरज, चाँद एवं सितारों की पूजा किया करते थे एवं उसके समक्ष शीश नवाते थे और उनसे दुआएं माँगा करते थे, उन पर जिन्नों की आत्माएं उतरा करती थीं और दुआ करने वाले की बहुतेरी आवश्यकताओं को पूरा कर देती थीं, दुआ करने वाले लोग इसे सितारों की महिमा समझते थे जब्कि वास्तव में यह शैतानी मकड़जाल हुआ करता था।

कुछ शैतान अपने साथी इंसान को हवा में उड़ाते हैं, उसे बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं, वहाँ जबलुस्सालेहीन से दूरस्थ स्थान तक पहूँचा देते हैं, कभी उसे हवा में ऊपर ले जाते हैं, कभी उसे तलवार की धार पर रख देते हैं, कभी उसे ले कर जलती हुई अग्नि में घुस जाते हैं तथा उसे जलने नहीं देते। यह सारा करतब शैतान इंसान को गुमराह एवं पथभ्रष्ट करने के लिए करता है। मोमिन की सफलता एवं सौभाग्य क़ुरआन व हदीस़ की शिक्षाओं को दृढ़ता के साथ थाम लेने, तथा जो चीज़ मशरूअ (शरीअत ने जिसे साबित किया) है और जिस प्रकार से मशरूअ करार दी गई है, उसी प्रकार से उसका अनुसरण करने में है। दुआ अति महत्वपूर्ण इबादतों में से एक इबादत है, अतः इंसान के लिए आवश्यक है कि वह केवल शरीअत से प्रमाणित दुआओं को, उसी ढ़ंग में करे जिस प्रकार से शरीअत ने उसे प्रमाणित किया है। यही सीधा मार्ग है। अल्लाह तआला हमें एवं तमाम मोमिन भाईयों को इसी सीधे मार्ग पर चलने की तौफ़ीक़ दे”[1]।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह एक स्थान पर लिखते हैं: “इस प्रकार की अनेक घटनाओं से मैं परिचित हूँ जो इन लोगों के साथ घटे, जिन्होंने मुझ से तथा मेरी उपस्थिति में मेरे अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति से इस्तग़ास़ा अर्थात मदद के लिए फ़रियाद किया, तो उन फ़रियाद करने वालों मुझे

[1] तलख़ीस़ किताब अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (१/ १६९-१७०)।

तथा उस दूसरे व्यक्ति को जिससे उसने फ़रियाद की थी देखा कि हम हवा में आए हुए हैं तथा हमें उनके ऊपर बुलंद कर दिया गया है। जब फ़रियाद करने वाले उन लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी तो मैंने उनसे कहा कि वह शैतान था। उसने मेरा तथा उस दूसरे व्यक्ति का जिससे उन लोगों ने फ़रियाद की थी, रूप धार लिया था, ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो की यह शैख़ की करामत (चमत्कार) है, और इस प्रकार से अनुपस्थित तथा मरे हुए शैख़ों से फ़रियाद करने का उनका विश्वास और मजबूत हो जाए। मुश्रिकीन एवं मूर्तिपूजकों के शिर्क में पड़ जाने का एक बड़ा कारण यही है"[1]।

मानव जाति को गुमराह एवं पथभ्रष्ट करने के लिए शैतान के तलबीस, धुर्तता, षड्यंत्र एवं मकड़जाल का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह लिखते हैं: "शैतान लोगों को संबोधित करता है तथा कुछ चीज़ों में वह उनकी सहायता भी करता है, जिनकी सहायता की जाती है वो यह गुमान करता है कि, वे फ़रिश्तों की इबादत व पूजा कर रहे हैं जब्कि वास्तविकता में वो जिन्नातों की पूजा कर रहे होते हैं। ये जिन्नात ही हैं जो कुछ चीज़ों में उनकी सहायता कर देते हैं तथा उनके शिर्क वाले अमल से राज़ी व प्रसन्न होते हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝٤٠ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١﴾ (तथा जिस दिन (अल्लाह तआला) एकत्र करेगा उन सब को फिर कहेगा फ़रिश्तों से: क्या यही तुम्हारी इबादत (वंदना) कर रहे थे? वो कहेंगे: तू पाक व पवित्र है! तू ही हमारा संरक्षक है न कि ये, बल्कि ये इबादत करते रहे जिन्नातों की, इनमें से अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं)। सूरह सबा: ४०-४१। फ़रिश्ते शिर्क करने के लिए लोगों की सहायता नहीं करते हैं, न जीवित रहते हुए और न ही मरणोपरांत, न ही शिर्क आधारित कृत्यों से वो प्रसन्न होते हैं, परंतु शैतान इन कृत्यों में लोगों की मदद करता है तथा मानव रूप धार कर उनके समक्ष प्रकट होता है, लोग मानव रूप में उन्हें अपनी आँखों से देखते हैं, इन शैतानों में से कोई कहता है: मैं इब्राहीम हूँ, मैं ईसा मसीह हूँ, मैं मुहम्मद हूँ, मैं ख़िज्र हूँ, मैं अबू बक्र हूँ, मैं उमर हूँ, मैं उस़्मान हूँ, मैं अली हूँ, मैं अमूक शैख़ व संत हूँ।

---

[1] क़ाइदतुन जलीला फ़ित्तवस्सुल वल वसीला (३०१)।

ये शैतान एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि यह अमूक नबी है, या ख़िज़्र है जब्कि वो सभी जिन्नात होते हैं, जो एक दूसरे का गवाह बन जाते हैं। जिन्नात भी इंसान ही के समान काफ़िर, फ़ासिक़ (पाखंडी), पापी, अज्ञानी तथा धार्मिक इत्यादि होते हैं, उन शैतानों में से कोई किसी शैख़ (साधु-संत) से प्रेम रखता है तो वह उसका रूप धार कर इंसान को धोखा देता है कि मैं अमूक शैख़ हूँ, ऐसा अधिकतर सुनसान एवं उजाड़ स्थानों पर होता है। वह शैतान उस व्यक्ति को कभी कुछ खिला भी देता है, कभी पेय पदार्थ पकड़ा देता है, कभी मार्गदर्शन कर देता है तो कभी अदृश्य वस्तुओं में से किसी वस्तु के विषय में सूचना दे देता है। अब वह व्यक्ति यह समझने लगता है कि स्वयं जीवित अथवा मृत शैख़ ने यह काम कर दिया, फिर वह इंसान कहने लगता है कि यह शैख़ का गुप्त मामला है, यह उनकी कृपा है, यह उनकी वास्तविकता है। या यह कहता है कि यह एक फ़रिश्ता है जो शैख़ के रूप में आया था, हालांकि वह जिन्न होता है, इसलिए कि फ़रिश्ते किसी शिर्क वाले मामले में किसी की सहायता नहीं करते हैं, वो झूठ, पाप तथा उद्दंडता व उपद्रव वाले कामों में सहायता करने से कोसों दूर रहते हैं"[1]।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या आगे लिखते हैं: "इसमें कोई संदेह नहीं कि शिर्क वाले स्थानों पर शैतानों की उपस्थिति, उनका वार्तालाप तथा कुछ ऐसे क्रियाकलाप सामने आते हैं जिनके कारण मानव जाति के लिए गुमराही की राह आसान हो जाती है। क़ब्रों को बुत तथा दुआ व प्रार्थना का स्थान बना लेना शिर्क है, इसीलिए क़ब्रों के समीप कुछ लोगों को बात-चीत सुनने का तजुर्बा होता है, किसी को कोई इंसान दिखाई दे जाता है, किसी को विचित्र एवं आश्चर्यजनक क्रियाकलाप देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को देखने वाला समझता है कि ये सब मुर्दा की ओर से है जब्कि वास्तव में वो शैतान एवं जिन्नातों की धुर्तता होती है। उदाहरणस्वरूप कोई देखता है कि क़ब्र खुल गई है एवं उसमें से मृत व्यक्ति बाहर निकल कर लोगों से वार्तालाप कर रहा है तथा गले मिल रहा है, इस प्रकार का अनुभव नबियों एवं अन्य लोगों की क़ब्रों के पास भी होता है, वास्तव में वह मृत व्यक्ति नहीं अपितु शैतान होता है, शैतान मानव रूप धार कर यह दावा करता है कि मैं अमूक नबी हूँ, मैं अमूक शैख़ हूँ, उसकी हर बात झूठी होती है"[2]।

---

[1] मज्मूअ अल-फ़तावा (१/ १५७-१५८)।

[2] मज्मूअ अल-फ़तावा (१/ १६८)।

मैं कहता हूँ: यह बात साबित है कि अल्लाह तआला को छोड़ कर जिन की पूजा की जाती है शैतान उन बुतों के पास डेरा डालते हैं, एवं उन बुतों के पुजारियों से वार्तालाप करते हैं ताकि उन्हें सीधे मार्ग से भटका सकें।

अबू याला ने अपनी सनद से अबुत्तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की है कि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का विजय के समय ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को "नख़्ला" नामक स्थान की ओर भेजा, जहाँ "उज़्ज़ा"[1] नामी मूर्ति स्थापित थी, अतः ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ पहूँचे तो पाया कि वह मूर्ति उस टीला पर स्थापित थी जहाँ बबूल के वृक्ष थे, उन्होंने बबूल के वृक्षों को काट दिया तथा उस घर को ढ़हा दिया जिस पर वह मूर्ति स्थापित थी। इसके पश्चात वह नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आए तथा उन्होंने जो कुछ किया था उसकी सूचना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः तुम पुनः वापस जाओ क्योंकि अभी तुमने कुछ भी[2] नहीं किया है। ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा आए, जब "उज़्ज़ा" के मुजावरों एवं सेवकों ने उनको देखा तो वो यह कहते हुए, पहाड़ में छुप गएः हे उज़्ज़ा! तू इससे निपट ले, हे उज़्ज़ा! तू इसे वापस कर दे अथवा इसे अपमानित करके मार दे। रावी कहते हैं: ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब उस मूर्ति के पास आए तो देखा कि एक नंगी महिला अपने बालों को बिखेरे हुए अपने सिर पर मिट्टी डाल रही है, ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार मार कर उसका वध कर दिया, फिर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास वापस आए एवं अपने इस कारनामा के बारे में सूचित किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "वही उज़्ज़ा थी"[3]।

---

[1] "उज़्ज़ा": मुश्रिकीन का प्रख्यात बुत था, यह एक वृक्ष था जिस पर एक भवन था, कुरैश इसका बड़ा सम्मान एवं इसकी पूजा किया करते थे। अबू सुफ़ियान ने उहुद युद्ध के पश्चात नारा लगाया थाः (لنا العزى ولا عزى لكم) (हमारे पास उज़्ज़ा है, और तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है)। सूरह नज्म में भी इस बुत का उल्लेख हुआ हैः ﴿أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ﴾ (क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा)। सूरह अल-नज्मः १९ ।

[2] यह शब्द (شيئا، शैअन, अर्थात कुछ भी नहीं किया) नसई में वर्णित है।

[3] इस ह़दीस़ को अबू याला ने मुस्नद (९०२) तथा नसई ने अल-सुनन अल-कुब्रा (११४८३) में रिवायत किया है। उपरोक्त शब्द अबू याला के हैं। इसके अन्वेषीः हुसैन सलीम असद ने इसकी सनद को स़ह़ीह़ करार दिया है।

इस ह़दीस़ से यही मालूम होता है कि वह जिन्निया (महिला जिन्नात) उज़्ज़ा नामक बुत के पास बसेरा किए हुए थी।

इसे समझने के लिए अब्दुल्लाह बिन इमाम अह़मद की नकल की हुई वह रिवायत भी काफ़ी है, जिसे उन्होंने मुस्नद अह़मद[1] के ज़वायद के अंतर्गत (मूल पुस्तक पर वृद्धि करते हुए) बयान किया है। उन्होंने अल्लाह तआला के फ़रमानः ﴿إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثٗا﴾ (यह तो अल्लाह को छोड़ कर केवल महिलाओं को पुकारते हैं) की तफ़्सीर में उबैइ बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कथन नकल किया है कि प्रत्येक बुत के साथ एक जिन्निया (महिला जिन्नात) होती है।

इब्ने अबू हातिम कहते हैं किः ह़सन से भी इसी तरह का कथन नकल किया गया है[2]।

---

[1] (५/ १३५)। मुस्नद अह़मद के अन्वेषकों ने इसकी सनद को ह़सन कहा है।

[2] देखियेः तफ़्सीर इब्ने अबू हातिम (४/ १०६७)। सूरह निसा, आयत संख्याः ११७।

एक महत्वपूर्ण अध्यायः

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह ने इन शैतानों को परखने का अनेक सही शरई ढ़ंग बताया है जो क़ब्रिस्तान इत्यादि के आस-पास लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई युक्ति से यह पता किया जा सकता है वे शैतान हैं या कुछ और। इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं: "उच्च कोटी का मोमिन यह जान लेता है कि यह शैतान है जो उससे बात कर रहा है। इसके परखने के कई तरीके हैं:

एक तरीका यह है कि जब कहीं पर इस तरह की चीज़ नज़र आए तो सच्चे दिल से ईमान व यक़ीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़े। जब वह आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो वह शैतान जो मानव रूप धार कर उससे वार्तालाप कर रहा था या किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप अंजाम दे रहा था तो वह ग़ायब व अदृश्य हो जायेगा, अथवा ज़मीन में धंस जायेगा अथवा निगाहों से ओझल हो जायेगा, यदि वह कोई नेक जीव या फ़रिश्ता या मोमिन होगा तो उसे आयतुल कुर्सी से कोई कष्ट नहीं होगा, केवल शैतानों को इससे कष्ट होता है जैसाकि स़हीह़ बुख़ारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनसे एक जिन्नात ने कहा थाः बिस्तर पर जाते समय तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसके कारण अल्लाह तआला की ओर से रक्षा करने वाला पहरेदार तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त हो जायेगा, तथा सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे समीप नहीं आ सकेगा। यह सुन कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः उसने बात तो सच कही है किंतु वह स्वयं बहुत झूठा है"[1]।

एक तरीका यह है कि मोमिन को जब कोई अनहोनी चीज़ दिखाई दे तो वह शैतानों से अल्लाह तआला की पनाह तलब करे तथा शरई मुअव्वज़ात (वो दुआएं जिनमें शैतान आदि से अल्लाह तआला की शरण ली जाती है) के द्वारा अपनी सुरक्षा का प्रबंध करे। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जीवन काल में भी शैतान उनके पास पहूँच जाया करते थे तथा उन्हें तक्लीफ पहूँचाने एवं उनकी पूजा भंग करने का प्रयास करते थे। स़हीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "पिछली रात एक जिन्न ने अनजाने में सहसा मुझ पर हमला करने का प्रयास किया ताकि मेरी नमाज़ ख़राब कर दे, अल्लाह तआला ने मुझे उस पर विजय दी तो मैंने उसका गला घोंट दिया, और मैंने मस्जिद के स्तंभ में उसको बाँधने का इरादा किया ताकि सुबह में तुम सब

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (२३११) ने रिवायत किया है।

लोग उसे देख सको, फिर मेरे भाई सुलैमान अलैहिस्सलाम की यह दुआ मुझे याद दिलाई गईः ﴿قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓ﴾ (हे मेरे रब व पालनहारे! मुझ को क्षमा कर दे, तथा मुझे ऐसा राज्य दे जो मेरे सिवा किसी (व्यक्ति) के लिए उचित न हो)"। सूरह स़ादः ३५। फिर अल्लाह तआला ने उसे निराश वापस कर दिया[1]।

जब ये शयातीन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के पास उनको हानि पहूँचाने तथा उनकी पूजा भंग करने पहूँचा करते थे तो अल्लाह तआला, अम्बिया की दुआओं, अज़्कार (स्मरण), इबादत एवं शारीरिक प्रयासों के द्वारा, शैतानों की बुराई से उनकी सुरक्षा करता था। अब जब ये शैतान नबियों के पास इस प्रकार से पहूँच जाया करते थे तो इस मामले में नबियों से कमतर आम लोगों की क्या स्थिति होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है!

अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो शिक्षाएं एवं कर्म सिखलाए थे उनके द्वारा आपने उनका खात्मा कर दिया, उन कर्मों में सबसे महत्वपूर्ण एवं मारकः नमाज़ तथा जिहाद है। नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अधिकांश ह़दीसें नमाज़ एवं जिहाद के बारे में हैं। जो नबियों के पदचिह्नों का अनुसरण करेगा अल्लाह तआला उन्हीं अमल के द्वारा उनकी मदद करेगा जिनके द्वारा नबियों की मदद की थी।

इसके विपरीत जिसने कोई नवीन धर्म या नया ढ़ंग ईजाद कर लिया जिसे किसी नबी ने मशरूअ (शरीअत अर्थात धार्मिक प्रावधान) करार नहीं दिया था, तो उसने एक अल्लाह तआला की पूजा को छोड़ दिया, और नबियों ने जिसका आदेश दिया था एवं उसके नबी ने अपनी उम्मत क लिए जो मशरूअ किया था, उसने उससे मुँह मोड़ लिया, बल्कि उसने अम्बिया व सालेहीन के मामले में ग़ुलू व अतिश्योक्ति से काम लिया। और यही वह व्यक्ति है जिसे शैतान ने अपना खिलौना बना लिया, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۝٩٩ إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ ۝١٠٠﴾ (वस्तुतः उस का वश उन पर नहीं चलता जो ईमान लाये हैं, और अपने रब (पालनहार) पर ही भरोसा करते हैं। उसका वश तो केवल उन पर चलता है जो उन्हें अपना संरक्षक बनाते हैं, और जो मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) हैं। सूरह अल-नह़्लः ९९-१००।

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (१२१०) एवं मुस्लिम (५४१) ने रिवायत किया है। उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

शैतान से सुरक्षा एवं उसकी वास्तविकता जानने का एक तरीका यह भी है कि शैतान को देखने वाला अपने रब अल्लाह तआला से दुआ करे कि वह उसकी वास्तविकता को उसके सामने स्पष्ट कर दे।

इसका एक तरीका यह भी है कि शैतान को देखने वाला उससे पूछे किः क्या तुम अमूक व्यक्ति हो? उसे सच बताने के लिए भारी-भारी शपथ दिलाए एवं उसके समक्ष क़ुरआन मजीद की उन आयतों की तिलावत करे जो शैतानों को चोट पहूँचाती हैं। इनके अतिरिक्त भी शैतान को नुकसान पहूँचाने वाले माध्यमों को अपना सकता है"[1]। इब्न तैमीय्या रहि़महुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

शैतान को देखने वाले की स्थिति ह़दीस़ में बयान किये गये उस मोमिन के समान है जो दज्जाल का सामना करने के लिये निकला हो ताकि उसके विचित्र व आश्चर्यजनक करतूत का कारण जान सके एवं उसके मामला की तह तक पहूँच सके। उसे अपने रब के वादा तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा दी गई सूचना पर ईमान, यक़ीन एवं विश्वास हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके बारे में जो कुछ बता दिया है उसमें उसे रत्ती भर भी संदेह न हो, फिर दज्जाल उसके समक्ष प्रकट हो जाये तो वह लोगों को संबोधित कर के कहेः ऐ लोगों! यह वही दज्जाल है जिसका उल्लेख नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी ह़दीस़ों में किया है, यह सुन कर दज्जाल अपने कर्मचारियों से कहेगा कि इसे तप्त सूर्य के समीप ले जा कर दंड दो, तत्पश्चात वह कहेगाः इसके पेट तथा पीठ पर कोड़े लगाओ यहाँ तक कि इसकी चमड़ी उधेड़ दो। इसके बाद दज्जाल उस मोमिन बंदे से पूछेगाः क्या तुम अब भी मुझ पर ईमान नहीं लाते हो? वह मोमिन बंदा कहेगाः तुम झूठे मसीह़ (दज्जाल) हो, फिर दज्जाल के आदेश पर सिर से ले कर पाँव तक उसे आरी से चीर दिया जायेगा, उसके शरीर के दो भागों के बीच टहलते हुए दज्जाल कहेगाः उठो, खड़े हो जाओ, वह बंदा उठ कर सही सलामत खड़ा हो जायेगा। फिर इसके बाद दज्जाल पूछेगाः क्या अभी भी तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते हो? वह बंदा कहेगाः तुम्हारे विषय में मेरा विश्वास और मजबूत हो गया (कि तुम्हीं दज्जाल हो), फिर वह बंदा कहेगाः हे लोगों! मेरे पश्चात अब यह किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पायेगा। यह सुन कर दज्जाल उस मोमिन बंदा को ज़ब्ह करने का प्रयास करेगा तो अल्लाह तआला की ओर से उसकी पूरी गर्दन को नीचे से ऊपर तक पीतल का बना दिया जायेगा जिसके कारण

[1] देखियेः मज्मूअ अल-फ़तावा (१/ १६८-१७१)।

दज्जाल उस मोमिन बंदा को लोगों के समक्ष ज़ब्ह करने में असमर्थ होगा। तब दज्जाल उस मोमिन बंदा के दोनों हाथ एवं पाँव को पकड़ कर सुदूर फेंक देगा, लोग समझेंगे कि दज्जाल ने उसे जहन्नुम में फेंक दिया है जब्कि वास्तव में उसे जन्नत में डाला गया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह रब्बुल आलमीन के निकट किसी बंदा की ओर से यह सर्वोत्तम शहादत (बलि) होगी[1]।

[1] इस हदीस़ को बुख़ारी (१८८२) एवं मुस्लिम (२९३८) ने रिवायत किया है। उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं। मैंने यह इल्मी फायदा शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़ैसल राजही की पुस्तक "मुजानबतु अहलिस़्सबूर अल-मुसल्लीन फ़िल मशाहिद व इंदल क़ुबूर" से नकल किया है।

सातवीं भ्रांतिः

उलेमा की तक़लीद (अंध-अनुसरण) की भ्रांति

कुछ लोगों का कहना है किः "अनेक उलेमा को हम देखते हैं, जो अल्लाह को छोड़ कर ग़ैरुल्लाह को पुकारते हैं, वो लोगों को इस कृत्य से नहीं रोकते, बल्कि यदा-कदा तो वो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं और विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि ग़ैरुल्लाह से दुआ व प्रार्थना करना जायज़ है?"।

इसका उत्तर यह है कि कुछ उलेमा का ऐसा करना किसी भी रूप से इस को उचित नहीं ठहराता है, इसका विवरण निम्न में पाँच प्रकार से किया जा रहा है[1]:

पहलाः अल्लाह तआला ने हमारे ऊपर केवल अपना और अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आज्ञापालन को फ़र्ज़ व अनिवार्य किया है, जब्कि दूसरों की बात उसी समय मानी जाएगी जब वो शरीअत (विधान) के अनुकूल व मुआफ़िक हो, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣﴾ (-हे लोगो-!) तुम्हारे रब -पालनहार- की ओर से जो तुम पर उतारा गया है उस पर चलो, और उस के सिवा दूसरे सहायकों के पीछे न चलो। तुम बहुत थोड़ी शिक्षा लेते

[1] इल्मी अमानतदारी का तकाजा यह है कि जहाँ से हमने इल्म (विद्या) सीखा है उसका श्रेय उस व्यक्ति विशेष को दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि मैंने ऊपर में जिन उत्तरों का उल्लेख किया है, इसके लिए मैंने बहुत हद तक "अल-नुबज़ा अल-शरीफ़ा अल-नफ़ीसा फ़िर्रद्द अला अल-क़बूरीय्यीन" (पृष्ठः १४२-१४४) नामक किताब का सहारा लिया है, जिसके लेखकः शैख़ ह़मद बिन नास़िर आल -ए- मअमर रह़िमहुल्लाह एवं अन्वेषकः शैख़ अब्दुस्सलाम बिन बरजिस आल -ए- अब्दुल करीम रह़िमहुल्लाह हैं। जब्कि प्रकाशणः दार अल-आस़िमा – रियाज़, ने किया है। हाँ यह अलग बात है कि अल्लाह की ओर से मिली तौफ़ीक़ अनुसार सामर्थ्य भर मैंने इसमें अपनी तरफ़ से कुछ बढ़ाया भी है।

शैख़ ह़मद, नज्द प्रदेश में दावत का उल्लेखनीय कार्य करने वाले शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह के छात्र रहे हैं, और शीघ्र ही आठवें भ्रम का उत्तर देते समय उनकी जीवनी का ज़िक्र भी आएगा।

हो)। सूरह अल-आराफ़ः ३। एक दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾

(यदि किसी बात में तुम आपस में विवाद कर लो, तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो, यदि तुम अल्लाह तथा क़यामत -प्रलय- पर ईमान रखते हो, यह -तुम्हारे लिए- बेहतर और इस का परिणाम अच्छा है)। सूरह अल-निसाः ५९। यह इस बात का निर्णायक सबूत है कि दीन के -उसूल और फ़ुरूअ (मूल एवं उसकी शाखाएँ)- में लोगों के मध्य यदि विभेद हो जाए तो उसको अपरिहार्य रूप से अल्लाह एवं उसके रसूल की ओर फेरना वाजिब है, न कि अन्य की ओर, अतः जिसने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर किसी अन्य की ओर मामले को फेरा तो वह गुमराह एवं पथभ्रष्ट हो गया।

अल्लाह तआला के इस फ़रमान में हमें गहन सोच-विचार करने की आवश्यकता हैः ﴿إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ (यदि तुम अल्लाह तथा क़यामत पर ईमान रखते हो), यहाँ पर इसका उल्लेख शर्त के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, अर्थात विवादित मामलों में, जो अल्लाह को छोड़ कर किसी अन्य को अपना फैसलाकर्ता बनाता है, तो अल्लाह एवं उसके रसूल पर ईमान रखने का जो वास्तविक अर्थ है वह उससे बाहर निकल गया।

सलफ़ एवं ख़लफ़ (पूर्वज एवं अग्रज) सभी इस बात पर एकमत हैं कि अल्लाह की ओर फ़ेरने का अर्थ है कि उसकी किताब अर्थात क़ुरआन की ओर फ़ेरा जाए, और उसके रसूल की ओर फ़ेरने का अर्थ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात उनकी सुन्नत की ओर फेरा जाए।

इसके बाद अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ (यह -तुम्हारे लिए- बेहतर और इस का परिणाम अच्छा है), अर्थात अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर जिस "फ़ेरने" का तुम्हें आदेश दिया गया है वह तुम्हारे लोक के साथ-साथ परलोक के लिए भी बहुत बेहतर है, जिससे तुम सांसारिक जीवन में भी सफल रहोगे और मरणोपरांत भी, जिसका अंजाम बिल्कुल उचित व मुनासिब है, जिसका बेहतर परिणाम तुम्हें देर-सवेर अवश्य मिलेगा।

यह महान एवं अति महत्वपूर्ण नियम एवं कायदा है जिसकी आवश्यकता हर किसी को है, और छात्रों को तो सबसे अधिक है, क्योंकि आम तौर पर वो अपने देश के उलेमा को किसी मामले में ऐसा फ़त्वा देते हुए देखते हैं जो शरीअत के विरुद्ध होता है, अब इसका कारण चाहे जो हो, जैसे दलीलों व प्रमाणों से अज्ञानता, या अपने पूर्वजों की तक़लीद (अंध-अनुसरण), या उनके मतानुसार उनके मज़हब (पंथ) वालों के नुसूस (दलीलें) अन्य मज़हब वालों के नुसूस के विरुद्ध हों, अथवा इसके सिवा कोई अन्य कारण हो, उस समय उनके ऊपर वाजिब यह है कि अपने मत एवं विरोधियों के मत की तुलना अल्लाह और उसके रसूल के मत से करें, तत्पश्चात जो चीज़ अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मत के अनुकूल हो उसको स्वीकार करें, तथा जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मत के विरुद्ध हो उसको रद्द कर दें, चाहे वह बात किसी की भी हो, कहने का अर्थ यह है कि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ही अपना मापदंड बनाएं, और उसी मापदंड के अनुसार किसी की बात को स्वीकार करें या रद्द करें। जब्कि आज हम देखते हैं कि मामला इसके बिल्कुल विपरीत है, वह इस प्रकार से कि कुछ लोगों ने उन पुस्तकों को अपना मानक बना लिया है जो बाद के लोगों ने लिखी हैं, ऐसी परिस्थिति में अल्लाह तआला का यह फ़रमान बिल्कुल सटीक लगता है: ﴿فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ (उन्होंने अपने धर्म को खण्ड-खण्ड कर लिया, प्रत्येक सम्प्रदाय उसी में मग्न है जो उनके पास है)। सूरह अल-मूमिनूनः ५३ ।

चारों मज़हब (मत) के इमामों ने ऐसी बातें कही हैं, जिनसे किसी भी प्रकरण को अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर फेरने, तथा अल्लाह एवं रसूल के आदेशों पर किसी अन्य के कथनों को वरीयता देने की हुरमत व निषिद्धता प्रमाणित होती है।

निम्न में शैख़ मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक "सिफ़तु सलातिन्नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम-[1]" से साभार, उन इमामों के कुछ कथनों का उल्लेख किया जा रहा है।

अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहिमहुल्लाह

---

(1) प्रथम प्रकाशन, सन १४२४ हिजरी, प्रकाशकः मकतबा अल-मआरिफ़ – रियाज़, सऊदी अरबिया।

आप रह़िमहुल्लाह ने फ़रमायाः "स़ह़ीह़ ह़दीस़ ही मेरा मज़हब है"[1]।

तथा उनका ही कथन है किः "जो यह नहीं जानता कि अमूक बात मैंने किस आधार पर कही है उसके लिए मेरे कहे हुए का अनुसरण करना ह़लाल (उचित) नहीं है"।

एक रिवायत में इस प्रकार हैः "जिसे मेरे कथन के प्रमाण व दलील का ज्ञान न हो उसके लिए मेरे कथन के अनुसार फ़त्वा देना ह़राम है"।

एक रिवायत में यह वृद्धि हैः "क्योंकि हम लोग इंसान हैं, आज एक बात कहते हैं जब्कि कल (उसके विरुद्ध दलील मिल जाने पर) उससे पलट जाते हैं"।

एक रिवायत में आया है कि उन्होंने कहाः "हे याक़ूब![2] तेरा नाश हो, मुझसे सुनी हुई हर बात मत लिखा करो, क्योंकि आज मेरी राय कुछ होती है और दूसरे दिन मैं उसे छोड़ देता हूँ, इसी प्रकार कल मेरी राय कुछ होगी और परसों हो सकता है उसे भी छोड़ दूँ"[3]।

उनके इस कथन पर टिप्पणी करते हुए अल्लामा अलबानी रह़िमहुल्लाह लिखते हैं किः "ऐसा उन्होंने इस लिए कहा क्योंकि इमाम अबू ह़नीफ़ा रह़िमहुल्लाह अधिकतर फ़त्वा क़यास[4] (कल्पना) के आधार पर दिया करते थे, इसीलिए जब उससे सश्क्त क़यास अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान उन्हें मिल जाता तो उसको अपना लेते तथा पिछले कथन को छोड़ देते"।

---

(1) हाशियतु इब्ने आबदीन अला अल-बह़्र अल-राइक़ (१/ ६३), जैसाकि "स़िफ़तु स़लातिन्नबी - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम" में उल्लेखित है।

(2) हाशियतु इब्ने आबदीन अला अल-बह़्र अल-राइक़ (६/ २९३), जैसाकि "स़िफ़तु स़लातिन्नबी - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम" में उल्लेखित है।

(3) इमाम अबू ह़नीफ़ा रह़िमहुल्लाह के सबसे प्रिय व सम्मानित शिष्य अबू यूसुफ़ रह़िमहुल्लाह अभिप्रेत हैं।

(4) क़यासः अगर कोई पेचीदा मामला हो या ऐसी परिस्थिति पर फैसला लेना हो जिसका कुरान और हदीस की रोशनी में भी कोई हल न निकल रहा हो तब क़यास के जरिये अर्थात आत्मज्ञान, स्वविवेक एवं अनुमान से मुफ्ती अपनी राय कायम करता है और फ़तवा सुनाता है।

इमाम अबू ह़नीफ़ा रह़िमहुल्लाह का ही कथन है कि: "यदि मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जो अल्लाह तआला की किताब (क़ुरआन) एवं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ के विरुद्ध हो तो मेरी बात को छोड़ दो"[1]।

मालिक बिन अनस रह़िमहुल्लाह

इमाम मालिक बिन अनस रह़िमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "मैं एक इंसान हूँ, जहाँ मैं दुरुस्त बातें करता हूँ वहीं मानव स्वभाव के अनुसार कभी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो क़ुरआन एवं ह़दीस़ के विपरित होती हैं, अतः मेरे कथन में छान-बीन करने के पश्चात जो चीज़ क़ुरआन व ह़दीस़ के अनुकूल हो उसे स्वीकार करो तथा जो क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध हो उसे छोड़ दो"[2]।

उन्हीं का कथन है कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पश्चात चाहे जो भी हो उसकी बात (यदि किताब व सुन्नत के अनुसार हो तो) मानी भी जाएगी एवं (यदि किताब व सुन्नत के विरुद्ध हो तो) रद्द भी की जाएगी, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के (क्योंकि आपकी हरेक बात मानी जाएगी)"[3]।

मुह़म्मद बिन इदरीस शाफ़ई रह़िमहुल्लाह

---

[1] "स़िफ़तु स़लातिन्नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम" में वर्णन के अनुसार, इस का उल्लेख "अल-फ़ुल्लानी" ने अपनी पुस्तक "ईक़ाज़ु हिमम -ए- ऊलिल अबस़ार" में किया है। प्रकाशकः अल-मकतबा अल-मुनीरीय्या।

[2] इसका उल्लेख इब्ने अब्दुल बर्र ने अपनी पुस्तक "अल-जामे" (१/ ६२२) में किया है।

[3] इस अस़र पर टिप्पणी करते हुए अलबानी रह़िमहुल्लाह अपनी पुस्तक "सिफ़तुस्सलात" में लिखते हैं कि अग्रजों (मुतअख़्ख़िरीन) के निकट यह इमाम मालिक से संबंधित उनका अत्यंत प्रसिद्ध कथन है, तथा इब्न अब्दुल हादी ने इसे "इर्शादुस्सालिक" (१/ २२७) में सह़ीह़ करार दिया है।
मेरा कहना है कि: ज़ह्बी ने उनका यह कथन अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "सियरु आलामिन्नुबला" में भी जिक्र किया है, जिसके शब्द यह हैं: "किसी का कथन माना भी जा सकता है तथा छोड़ा भी जा सकता है (यदि क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध हो तो), सिवाय इस क़ब्र वाले के (अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)"। इब्ने अब्दुल बर्र ने इसे अपनी पुस्तक "जामिउ बयानिल इल्मे व फ़ज़्लिहि" में भी इमाम मुजाहिद (२/ ११८-११९) से अनेक स्रोतों द्वारा इसका उल्लेख किया है, इसके साथ-साथ ह़कम बिन उतैबा (२/ ११८) के द्वारा भी उनका यह कथन उन्होंने नक़ल किया है।

इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "आदमी कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, ऐसी अनेकों ह़दीसें होंगी जिन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी, अतः मैं चाहे जो कुछ भी कहूँ अथवा जो भी नियम बनाऊँ, यदि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात के विरुद्ध हो तो मेरा कथन भी वही माना जाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान होगा"(1)।

आप रह़िमहुल्लाह का कथन है किः "सभी मुसलमान इस बात पर एकमत हैं कि जब किसी के समक्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत स्पष्ट हो जाए तो अब उसके लिए जायज़ नहीं (वर्जित) है कि वह किसी अन्य मानव के कथन की ख़ातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस सुन्नत को छोड़ दे"(2)।

उनका ही कथन है किः "तुम लोग मेरी पुस्तक में यदि कोई ऐसी चीज़ पाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के विरुद्ध हो तो मेरी बात छोड़ कर रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत का अनुसरण करो"(3)।

एक रिवायत में इस प्रकार आया हैः "उसी का अनुसरण करो, तथा किसी अन्य के कथन की ओर ध्यान न दो"(4)।

उन्हीं का कथन है किः "जो सह़ीह़ ह़दीस़ से प्रमाणित हो जाए वही मेरा मज़हब (धर्म, मत) है"(5)।

इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "प्रत्येक मसला जिसके विषय में मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, यदि विश्वसनीय ढंग से यह प्रमाणति हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व

---

(1) बैहिक़ी ने इसे अपनी सनद से रबीअ बिन सुलैमान से रिवायत किया है, वह कहते हैं: मैंने इमाम शाफ़ई को ऐसा कहते हुए सुना है, तत्पश्चात उन्होंन उनका उपरोक्त कथन नक़ल किया है। देखें: मनाक़िब अल-शाफ़ई (१/ ४७४-४७५), प्रकाशकः मकतबा अल-तुरास़, अल-क़ाहिरा।

(2) फ़ुल्लानी ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक "ईक़ाज़ुल हिमम" (पृष्ठः ६८) में किया है, जैसाकि "सिफ़तुस्सलात" में उल्लेखित है।

(3) इसका उल्लेख बैहिक़ी ने "अल-मदख़ल इला अल-सुनन- अल-कुब्रा" (१/ २२४), एवं ख़तीब बग़दादी ने "अल-फ़क़ीह व अल-मुफ़क़्क़िह" (१/ ३८९) में किया है।

(4) इसे अबू नुऐम ने "अल-हि़लया" (९/ ११४) में रिवायत किया है।

(5) फ़ुल्लानी ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक "ईक़ाज़ुल हिमम" (पृष्ठः १०७) में किया है, जैसाकि "सिफ़तुस्सलात" में उल्लेखित है।

सल्लम की सह़ीह़ ह़दीस़ उसके विरुद्ध है तो मैं जीवित रहते हुए भी और मरणोपरांत भी अपने उस विचार को वापस लेता हूँ"[1]।

वह फ़रमाते हैं: "तुम लोग गवाह रहो कि यदि मेरे पास कोई सह़ीह़ ह़दीस़ आ जाए और में उसका अनुसरण न करूँ, तो समझ लेना कि मेरी मति मारी गई है"[2]।

आप का कथन है किः "यदि मैं कोई बात कहूँ, जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सह़ीह़ ह़दीस़ उसके विरुद्ध हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ का अनुसरण करो, और मेरी तक़लीद (अंध-अनुसरण) न करो"[3]।

शाफ़ई रह़िमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित ह़दीस़ ही मेरा मत है, यद्यपि तुम उसे मेरे मुख से न भी सुनो"[4]।

इमाम शाफ़ई रह़िमहुल्लाह का कथन हैः "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब कोई ह़दीस़ प्रमाणित हो जाए, और मैंने उस ह़दीस़ के विरुद्ध कोई बात कही हो, तो मैं अपनी उस बात को वापस लेता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित ह़दीस़ ही मेरा भी मत माना जाए"[5]।

अह़मद बिन हम्बल रह़िमहुल्लाह

---

[1] इसको अल-हरवी ने "ज़म्मुल कलाम व अहलिहि" (३८९) में रिवायत किया है। प्रकाशकः मकतबा अल-उलूम व अल-ह़िकम- मदीना मुनव्वरा।

[2] इसको अबू नुऐम ने "अल-ह़िलया" (९/ ११३) में रिवायत किया है, तथा इसी के समान बैहिक़ी ने "अल-मदख़ल" (१/ २२५) एवं ख़तीब बग़दादी ने "अल-फ़क़ीह व अल-मुफ़क़्क़िह" (१/ ३८८-३८९) में भी रिवायत किया है।

[3] इसको अबू नुऐम ने "अल-ह़िलया" (९/ ११३) में रिवायत किया है।

[4] इब्ने अबी ह़ातिम ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक "आदाब अल-शाफ़ई" (पृष्ठः ९३-९४) में किया है, जैसाकि "सिफ़तुस्सलात" में उल्लेखित है।

[5] इसको अल-हरवी ने "ज़म्मुल कलाम व अहलिहि" (३९१) में रिवायत किया है। प्रकाशकः मकतबा अल-उलूम व अल-ह़िकम- मदीना मुनव्वरा।

इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं किः “मेरी तक़लीद (अंध-अनुसरण) न करो, न मालिक, न शाफ़ई, न औज़ाई और न ही स़ौरी की (तक़लीद करो), बल्कि वहाँ से (ज्ञान) प्राप्त करो जहाँ से उन लोगों ने प्राप्त किया है (अर्थात क़ुरआन व ह़दीस़)”[1]।

एक रिवायत में इस प्रकार आया है किः “अपने धर्म के विषय में इनमें से किसी की तक़लीद न करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से प्रमाणित बातों को स्वीकार करो, इसके पश्चात ताबेईन का, जिसमें लोगों को इख़्तेयार है”[2]।

एक बार आपने फ़रमायाः “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से जो चीज़ें प्रमाणित हैं सर्वप्रथम उनका अनुसरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा, फिर ताबेईन के बाद से उसे इख़्तेयार है”[3]।

इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं किः “औज़ाई, मालिक तथा सुफ़ियान (रहिमहुमुल्लाह) की राय, मात्र राय भर हैं, वास्तविक हुज्जत अर्थात दलील तो आस़ार हैं”[4]।

आप फ़रमाते हैं: “जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ को रद्द कर दिया वह विनाश के मुहाने पर खड़ा है”[5]।

दूसराः जो लोग यह कहते हैं कि “ग़ैरुल्लाह से दुआ करना हमारे यहाँ बुरी तरह फैला हुआ है और उलेमा इसका खंडन नहीं करते हैं”, इसका उत्तर यह है कि उलेमा मासूम (त्रुटिहीन) नहीं होते हैं, उनसे भी गलती होती है, ऐसा करने को जायज़ वो या तो किसी शुब्हा अर्थात भ्रांति के कारण कहते हैं अथवा लोगों की आदत व स्वभाव को देखते हुये या किसी और अन्य कारण से। बैहिक़ी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “मुझे अपनी उम्मत पर तीन प्रकार के लोगों से

---

(1) “स़िफ़तु स़लातिन्नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम” में उल्लेख अनुसार, इस का जिक्र “अल-फ़ुल्लानी” ने अपनी पुस्तक “ईक़ाज़ु हिमम -ए- ऊलिल अबस़ार” (पृष्ठः ११३) में किया है।

(2) अर्थात ऐसा इज्तेहादी मसला जिसमें क़ुरआन व ह़दीस़ से कोई स्पष्ट दलील न मिले, तथा उस मसले में किसी सहाबी ने कोई फ़त्वा नहीं दिया हो, ऐसे समय में ताबेईन के फ़तावा पर अमल करना सही है।

(3) दोनों कथनों का उल्लेख इमाम अबू दाऊद ने “मसाइल –ए- इमाम अहमद, बाब फ़िर्राय” में किया है। प्रकाशकः मकतबा इब्ने तैमीय्या, काहिरा।

(4) इब्ने अब्दुल बर्र ने इसे “अल-जामेअ” (२/ २४२) में नकल किया है।

(5) इब्नुल जौज़ी ने इसे अपनी पुस्तक “मनाक़िब -ए- अहमद” (२४९) में नकल किया है।

सर्वाधिक भय हैः एकः आलिम का गलत आचरण, दूसराः मुनाफ़िक़ व पाखंडी का कुरान को दलील बना कर कुतर्क करना, और तीसराः संसार का, जो लोगों को विनाश के समीप ले जायेगी, इसलिए स्वयं अपने आप को दोषी समझो"[1]।

यह बात सर्वविदित है कि उलेमा के गलत आचरण से तात्पर्य यह है कि लोग उस गलती में उनका अंध अनुसरण न करने लगें, यदि इसका भय न हो तो आलिम की गलती तथा अन्य लोगों की गलती में कोई अंतर नहीं रह जाता है, अतः जब यह ज्ञात हो जाये कि अमूक मसले में किसी आलिम ने गलती है तो ऐसी परिस्थिति में सभी उलेमा इस बात पर एकमत हैं कि उस गलती पर उस आलिम का अमुसरण नहीं किया जायेगा, क्योंकि यह जानबूझ कर किसी गलती का अनुसरण करना माना जायेगा।

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं किः "इस संसार को तीन प्रकार के लोगों ने खराब कर रखा हैः गुमराह करने वाले शासक, मुनाफ़िक़ व पाखंडी का कुरान को दलील बना कर कुतर्क करना जब्कि क़ुरआन ह़क़्क़ व सत्य है, तथा आलिम का गलत आचरण"[2]।

जब यह प्रमाणित हो जाये कि अमूक आलिम ने किसी मसले में गलती की है तो किसी के लिये यह जायज़ नहीं है कि उसके अनुसार फ़त्वा दे तथा उसे अल्लाह का दीन समझ कर उस पर अमल करे। फिर जब किसी आलिम का कर्म अथवा कथन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन अथवा कर्म के विरुद्ध हो तो कैसे उसकी बात मानी जायेगी?!

तीसराः यह बात सर्वविदित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीजों का आदेश दिया है या जिन चीजों से रोका है उसके विषय में सर्वाधिक ज्ञान रखने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों के सर्वाधिक ज्ञाता, तथा आपके आदेशों का सबसे ज्यादा पालन करने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह से प्रसन्न थे तथा अल्लाह उनसे प्रसन्न है, और जो लोग उनका अच्छे ढ़ंग से अनुसरण करेंगे उनसे भी अल्लाह तआला प्रसन्न होगा। यह बात भी सभी को मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में असंख्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का देहांत

---

[1] बैहिक़ी ने इसे "शुअबुल ईमान" (१०३११, १०३१३) में रिवायत किया है, दारक़ुतनी ने कहा है कि यह ह़दीस़, मरफ़ूअ रूप में सही नहीं है बल्कि सही मौक़ूफ़ है। जैसाकि इब्नुल जौज़ी की "अल-इलल अल-मुतानहिया" (१३९) में वर्णित है।

[2] बैहिक़ी ने इसे "अल-मदख़ल इला अल-सुनन अल-कुब्रा" (८३३) में रिवायत किया है।

हुआ, इसके बावजूद वो लोग उनकी क़ब्र के पास जा कर दुआ नहीं करते थे। कब्रों के विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके सहाबा की यही सुन्नत है कि उनके पास जाकर दुआ नहीं किया जाये, यदि कोई इसके उलट बात कहता है तो उसे चाहिये कि एक प्रमाण ला कर दिखा दे, और यदि उसे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो अनिवार्य रूप से उसे भी उसी पथ पर चलना चाहिये जिस पथ पर वो लोग चले थे, जो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कथन से भी पता चलता है किः "जो कोई किसी का अनुसरण करना चाहता है तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा का अनुसरण करे, क्योंकि वो लोग सबसे पवित्र हृदय वाले, ज्ञान के अथाह सागर, सबसे कम तकल्लुफ़ व बाहरी दिखावा करने वाले, सर्वाधिक हिदायत पाये हुये तथा सर्वोत्तम हालत वाले लोग थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने नबी का साथी बनने के लिये चुना था, अतः तुम लोग भी उनका सम्मान करो, उनके पदचिन्हों पर चलो, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सीधे व सटीक मार्ग पर थे"[1]।

चौथाः चारों इमामों में से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि कब्रों तथा मज़ारों पर जाकर दुआ माँगी जाये। तीसरी शताब्दी तक के ये लोग, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उन लोगों के मध्य अनेक फिक़्ही मसलों में मतभेद हैं, किंतु किसी ने भी कब्रों तथा मज़ारों पर जाकर दुआ माँगने को जायज़ नहीं कहा है। और उन लोगों ने यदि ऐसा करने को जायज़ कहा होता तो यह बात नकल होकर हम तक अवश्य पहूँचती, जब्कि इसके विपरीत उनके तथा उनके अनुयायियों द्वारा रचित पुस्तकें इस बात से भरी पड़ी हैं कि केवल एक अल्लाह से ही दुआ माँगी जाये, तथा जो ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगता है वह काफ़िर है, और ऐसा करने वाले को इस्लाम से मुर्तद्द हो जाने वाला कहा गया है[2], अतः प्रमाणित हुआ कि (कुछ उलेमा कब्रों तथा मज़ारों पर जाकर दुआ माँगने से नहीं रोकते हैं) यह बात वही कह सकता है जिसका ज्ञान अल्प हो तथा उलेमा द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी हो।

और यदि हम थोड़ी देर के लिये यह मान भी लें कि कुछ उलेमा ऐसा करने से नहीं रोकते हैं, तो उनका ऐसा करना हमारे लिये दलील नहीं बन सकता, जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा

---

(1) इब्ने अब्दुल बर्र ने इसे "जामिउ बयानिल इल्म व फ़ज़्लिही" (१८१०) में नकल किया है।

(2) इस पुस्तक के आरंभिक भाग में चारों मज़हब के उलेमा के कथनों का उल्लेख किया जा चुका है, इस विषय में अनेक उलेमा ने पुस्तकें लिखी हैं, अधिक जानकारी के लिये इस पुस्तक के अंत में उल्लेखित संदर्भ स्रोत को भी देख सकते हैं, इसी विषय पर लिखी गई मेरी पुस्तक "ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को बातिल करार देने वाली पचास दलीलें" को भी पढ़ा जा सकता है, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है।

चुका है, बल्कि दलील हमारे लिये केवल अल्लाह का आदेश तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है, जो बात उनके अनुकूल हो वो हम मानेंगे तथा जो बात उनके प्रतिकूल हो उसे हम नहीं मानेंगे जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः "जिसने हमारे धर्म में ऐसी बात ईजाद की जो उससे पूर्व नहीं थी तो वह मरदूद एवं खंडन योग्य है"[1]।

पाँचवां: इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो स्वयं को आलिम व विद्वान कहते हैं जब्कि वास्तव में ऐसे लोग उलेमा -ए- सू (बुरे आलिम व विद्वान) होते हैं, जो या तो अपने गलत आस्था के कारण अथवा अपने देश में पाये जाने वाले मुवह्हिदीन (एकेश्वरवादियों) के विरोध में, अल्लाह के साथ शिर्क करने को जायज़ करार देते हैं, ऐसे लोगों को आम लोग यदि आलिम कहते हैं तो कहें किंतु वे लोग आलिम कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि अवाम के पास इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो सत्य-असत्य को पहचान सके। कुछ बुरे उलेमा लोगों को धोखा देने के लिये स्वांग रचते हैं अर्थात वो स्वयं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार से जोड़ते हैं और बड़ी-बड़ी पगड़ियां बांध कर लोगों के बीच धर्म की कुछ अच्छी-अच्छी बातें करते हैं जिससे आम लोग भ्रमित हो जाते हैं और उसका अंध अनुसरण करना आरंभ कर देते हैं, तथा उसके कथन को क़ुरआन व ह़दीस़ के मापदंड पर नहीं तौलते हैं, बल्कि यदा-कदा स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो क़ुरआन व ह़दीस़ के अस्ली अर्थ से हटकर उसका दूसरा अर्थ बयान करते हैं ताकि वो उनकी कही बातों के अनुकूल हो जाये। अल्लाह ऐसे कृत्य से हमारी रक्षा करे। अतः इस प्रकार के उलेमा से बचना आवश्यक है। स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु की ह़दीस़ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मैं अपनी उम्मत के ऊपर पथभ्रष्ट उलेमा से अत्यधिक भय खाता हूँ"[2]।

अतः ऐसे कपटी उलेमा से बचना अपरिहार्य है, ध्यान रहे कि जब किसी स्थान पर रब्बानी उलेमा कम हो जाते हैं तो आम लोग अज्ञानियों को अपना सरदार बना लेते हैं जो बिना ज्ञान के फ़त्वा देते हैं तथा स्वयं भी गुमराह होते हैं और अन्य को भी गुमराह करते हैं, इसी बात को स्पष्ट करते हुये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला बंदों के बीच से इल्म (विद्या) को अचानक नहीं उठायेगा, बल्कि उलेमा के मृत्यु के द्वारा समाज से इल्म उठता

---

[1] इसकी तख़रीज पूर्व में गुज़र चुकी है।

[2] इस ह़दीस़ को अबू दाऊद (४२५२) तथा अह़मद (५/ २७८) ने स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे सह़ीह़ करार दिया है।

चला जायेगा, यहाँ तक कि जब कोई भी आलिम नहीं बचेगा तो आम लोग अज्ञानियों को अपना सरदार बना लेंगे जो बिना ज्ञान के फ़त्वा देंगे तथा स्वयं भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे"[1]।

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (१००) तथा मुस्लिम (२६७३) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

अध्यायः उलेमा -ए- सू (कपटी विद्वानों) से बचाव हेतु चेतावनी

क़ब्र तथा मजार पूजने को प्रोत्साहन देने के पुरोधा यही कपटी उलेमा होते हैं, हरेक युग में इन कपटी उलेमा के कारण इस्लाम को बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। ये लोग अल्लाह के ह़राम की हुई चीज़ों जैसे शिर्क, बिद्अत तथा कुकर्मों को ह़लाल करार देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और उन सच्चे उलेमा के ऊपर लांछन एवं शब्दों के बाण छोड़ते रहते हैं जो उनके कपटीपन को उजागर करते रहते हैं।

इस युग के कपटी उलेमा में से अली जफ़री यमनी, डॉक्टर अह़मद अल-कुबैसी तथा मुह़म्मद अलवी मालिकी जैसे लोग हैं, जो ग़ैरुल्लाह से दुआ करने जैसे शिर्क को जायज़ करार देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमारी रक्षा करे[1]।

और शिया उलेमा की तो बात ही क्या करना, क्योंकि दीन -ए- इस्लाम का ऐसा कोई भी मूल नियम नहीं है जिसमें उन्होंने अहले सुन्नत का विरोध न किया हो, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के बिल्कुल उलटी दिशा में चलते हैं, ये लोग अल्लाह के सिवाय अनेक लोगों को माबूद तथा पूज्य मानते हैं विशेषतः उन लोगों को जो अली व फ़ाति़मा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वंश से आते हैं, और जो चीज़ें केवल अल्लाह के लिये अंजाम देना चाहिय वो इन लोगों के लिये अंजाम देते हैं, जैसे दुआ करना, उनके नाम पर बलि चढ़ाना, उनके लिये नज़्र व मन्नत मानना इत्यादि। निःसंदेह इस प्रकार का कृत्य करने वाला व्यक्ति इस्लाम से निष्कासित हो जाता है, एवं ऐसे शिर्क में पड़ जाता है जो सदैव जहन्नुम में रहने का कारण है, अल्लाह तआला ऐसे कुकृत्य से हमारी रक्षा फ़रमाये, आमीन।

---

(1) उनके इस प्रकार के कथन सुरक्षित हैं। पहले ने अपनी राय को छुपा कर रखा था किंतु अल्लाह तआला ने उस समय उसका फजीता कर दिया जब सीडी के रूप में उसका कथन लोगों के सामने आया, दूसरे ने लाइव शो में सूरह यूसुफ़ की तफ्सीर करते हुए इसका एतराफ़ किया है।
जहाँ तक तीसरे व्यक्ति मालिकी की बात है तो इसने अपनी पुस्तक "मफ़ाहीम यजिबु अन तुसह्हह" में शिर्क से परिपूर्ण अपने इस अक़ीदा का एलान किया है।
उसका खंडन में शैख़ स़ालेह़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शेख़ ने "हाज़िही मफ़ाहीमुना" नामक पुस्तक में किया है। अल्लाह तआला उन्हें इसका उत्तम बदला दे।

आठवीं भ्रांतिः ज़ईफ़ व कमज़ोर (आधाराहीन) ह़दीस़ों की भ्रांति

कुछ लोग उन ह़दीस़ों से दलील पकड़ते हैं जिनसे ग़ैरुल्लाह से दुआ करने के जायज़ होने का भ्रम पैदा होता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध सात ह़दीस़ें हैं, निम्न में हम उत्तर समेत उनका उल्लेख करते हैं:

1- ह़दीस़ः यदि कोई पत्थर से भी अच्छा गुमान रखे तो वह उसको लाभ पहूँचायेगा।

इस ह़दीस़ का जवाब दो तरह से दिया जा सकता हैः

पहलाः इस ह़दीस़ की कोई सनद नहीं है और न ही ह़दीस़ की किसी विश्वसनीय किताब में इसका उल्लेख मिलता है, जो लोग क़ब्र तथा मज़ार के विषय में ग़ुलू व अतिश्योक्ति से काम लेते हैं उन्हीं के यहाँ यह ह़दीस़ मिलती है, जब्कि वास्तव में यह झूठी व जाली ह़दीस़ है, जिसे किसी ने अपनी ओर से गढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जोड़ दिया है।

दूसराः यह ह़दीस़ इस्लाम धर्म की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि किसी भी विपदा के समय अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह आदेश दे रखा है कि वो केवल एक अल्लाह से ही प्रार्थना करें, पत्थरों से नहीं, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (कौन है वह जो व्याकुल की प्रार्थना सुनता है जब वह उसे पुकारे और दूर करता है दुःख को, तथा तुम्हें बनाता है धरती का उत्तराधिकारी, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो)।

जब्कि पूर्वोक्त ह़दीस़ में स्पष्ट रूप से पत्थरों एवं मूर्तियों की पूजा करने को प्रोत्साहित किया गया है, और यह वही अनुचित आस्था है जो अरब अपनी मूर्तियों के विषय में रखा करते थे, मूर्ति पूजक पत्थरों से अच्छी आशा रखते हैं, जब्कि मोमिन अपने रब से अच्छे गुमान रखता है, जैसाकि सह़ीह़ ह़दीस़ से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला फ़रमाता हैः मैं बंदों के गुमान के पास होता हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ जब वह मेरा स्मरण करता है, यदि वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ,

यदि वह मेरा स्मरण भरी सभा में करता है तो मैं उसको उससे अच्छी सभा में याद करता हूँ"[1]।

और चूँकि मुश्रिकीन पत्थर से अच्छा गुमान रखता है अतः क़्यामत के दिन वह तथा जिसकी वह पूजा करता है दोनों नरक की आग में होंगे, जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ (उस आग से बचो जिसका ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे, जो काफ़िरों के लिये तैयार की गई है)। अल्लाह तआला ने इन लोगों को संबोधित करते हुये फ़रमायाः ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ﴾ (निश्चय ही तुम सब तथा जिन (मुर्तियों) को तुम पूज रहे हो अल्लाह के अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तुम सब वहाँ पहूँचने वाले हो)।

अतः प्रमाणित हुआ कि जो पत्थरों से अच्छी उम्मीद रखता है, क़्यामत के दिन अल्लाह तआला उसे उसी के हवाले कर देगा, क्योंकि क़्यामत के दिन लोग उसी के संग होंगे जिनकी वो सांसारिक जीवन में इबादत किया करते थे।

इब्ने तैमीय्या रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "वह हदीस़ जिसे कुछ झूठे लोग रिवायत करते हैं कि (यदि कोई पत्थर से भी अच्छा गुमान रखे तो वह उसको लाभ पहूँचायेगा), इस हदीस़ के बारे में सभी उलेमा एकमत हैं कि यह हदीस़ जाली, मनगढ़ंत एवं झूठी है। वास्तव में यह उन मूर्ति पूजकों ने अपनी ओर से गढ़ लिया है जो पत्थरों से लाभ-हानि की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ (उस आग से बचो जिसका ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे, जो काफ़िरों के लिये तैयार की गई है)। और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ﴾ (निश्चय ही तुम सब तथा तुम जिन (मुर्तियों) को पूज रहे हो अल्लाह के अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तुम सब वहाँ पहूँचने वाले हो)। और इब्राहीम ख़लील अलैहिस्सलाम ने कहा थाः ﴿يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾﴾ (हे मेरे पिता, आप ऐसी वस्तु की पूजा क्यों करते हैं जो न सुनता है और न देखता है, और न आपके

[1] इस हदीस़ को बुख़ारी (७४०५) तथा मुस्लिम (२६७५) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

कुछ काम आता?), तथा अल्लाह तआला ने बछड़ों की पूजा करने वालों को संबोधित करते हुआ फ़रमायाः ﴿أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ (क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि न तो वह उनसे बात करता है और न किसी प्रकार का मार्गदर्शन देता है)।

इब्राहीम ख़लील अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय के लोगों से जो कहा था, उसका उल्लेख करते हुये अल्लाह तआला फ़रमाता हैः ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾ (यह प्रतिमाएं (मुर्तियाँ) कैसी हैं जिनकी पूजा में तुम लगे हुये हो ?)

चूँकि इन मुश्रिकों ने पत्थरों से अच्छी आशा रखी, अतः दंडस्वरूप वो लोग सदैव नरक में रहेंगे, जब्कि मोमिन बंदा अपने रब से अच्छा गुमान रखता है ... और सहीह़ मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (तुम में से किसी की भी मृत्यु इसी दशा में होनी चाहिये कि वह अल्लाह से अच्छा गुमान रखता हो"[1]। उनका कथन समाप्त हुआ[2]।

इब्नुल क़ैयिम रहि़महुल्लाह झूठी तथा मनगढ़ंत ह़दीस़ों का उल्लेख करते हुये लिखते हैं:

यह ह़दीस़ः (यदि कोई पत्थर से भी अच्छा गुमान रखे तो वह उसको लाभ पहूँचायेगा), इसे मूर्ति पूजक मुश्रिकों ने गढ़ लिया है[3]।

इब्ने ह़जर अल-अस्क़ालानी लिखते हैं किः यह ह़दीस़ निराधार है[4]।

और शैख़ अलबानी लिखते हैं किः यह ह़दीस़ मौज़ूअ एवं मनगढ़ंत है[5]।

---

(1) इस ह़दीस़ को मुस्लिम (२८७७) ने रिवायत किया है।

(2) जामिउल मसाइल लि शैख़िल इस्लाम इब्ने तैमीय्या, पाँचवां संग्रह (पृष्ठः १०४-१०६)। थोड़े संशोधन के साथ। अन्वेषीः मुह़म्मद उज़ैर शम्स। प्रकाशकः दार आलम अल-फ़वायद – मक्का। इसके अतिरिक्त "मज्मूउल फ़तावा" (२४/ ३३५) भी देखें।

(3) नक्दुल मन्क़ूल वल मिह़क्क अल-मुमय्यिज़ बैनल मरदूद वल मक़बूल (१३२)।

(4) इसका उल्लेख मुल्ला अली क़ारी ने "अल-असरार अल-मरफ़ूआ फ़िल अख़बार अल-मौज़ूआ" (संख्याः ३७६) में किया है, जो "अल-मौज़ूआत अल-कुब्रा" के नाम से भी प्रसिद्ध है।

(5) अल-सिलसिला अल-ज़ईफ़ा (४५०)।

और इसका ज़िक्र शैख़ मरई अल-करमी ने अपनी पुस्तक "अल-फ़वायद अल-मौज़ूआ फ़िल अहादीस़ अल-मौज़ूआ"(1) में, मुहम्मद ताहिर बिन अली पाक पट्टनी ने अपनी पुस्तक "तज़किरुतुल मौज़ूआत"(2) में, अज़हरी ने अपनी पुस्तक "तहज़ीरुल मुस्लिमीन मिनल अहादीस़ अल-मौज़ूआ अला सैयदिल मुर्सलीन"(3) में, सख़ावी ने अपनी पुस्तक "अल-मक़ासि़दुल ह़सनह"(4) में, मुल्ला अली क़ारी ने अपनी पुस्तक "अल-मौज़ूआत अल-कुब्रा"(5) में तथा अजलूनी ने "कश्फ़ुल ख़फ़ा"(6) में, मौज़ूअ अर्थात जाली व मनगढ़ंत ह़दीस़ के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है।

2- इस अध्याय में दूसरी झूठी ह़दीस़ यह हैः (यदि किसी मामले में तुम भ्रम में हो तो क़ब्र वालों से सहायता माँगो), यह ह़दीस़ इस प्रकार से भी वर्णित हैः (जब कोई मामला कठिन हो जाये तो क़ब्र वालों से सहायता माँगो)। इसका एक शब्द यह भी हैः (क़ब्र वालों से मदद लिया करो), इस तीसरे शब्द को इब्ने कमाल पाशा ने अपनी पुस्तक (अल-अरबईन) में नकल किया है।

यह ह़दीस़ भी पिछली ह़दीस़ों के समान दीन -ए- इस्लाम की मूल भावना के विरुद्ध है जो सुख-दुःख में ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को प्रोत्साहित करती है।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "ह़दीस़ पहचानने की क्षमता रखने वाले सभी विद्वानों के समीप यह ह़दीस़ मनगढ़ंत व जाली है, किसी भी आलिम ने इसे रिवायत नहीं किया है और न ही किसी विश्वसनीय ह़दीस़ की किताब में इसका उल्लेख मिलता है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا﴾ (आप उस अमर व नित्य जीवी पर भरोसा कीजिये जो मरेगा नहीं, और उसकी पवित्रता का गुणगान कीजिये उसकी प्रशंसा के साथ, और आपका रब (पालनहार) पर्याप्त है अपने भक्तों के पापों से सूचित होने को)। सूरह फ़ुर्क़ानः ५८। यह बात आवश्यक रूप से सभी

(1) संख्याः १८८।

(2) पृष्ठः २८।

(3) पृष्ठः १२८। अन्वेषकः मुहयुद्दीन मस्तू। प्रकाशकः दार इब्ने कस़ीर – दमिश्क।

(4) संख्याः ८८३। अन्वेषीः मुहम्मद उस़्मान ख़िश्त। प्रकाशकः दारुल किताब अल-अरबी – लुबनान।

(5) संख्याः ३७६।

(6) संख्याः २०८७। अन्वेषीः अह़मद क़ल्लाश। प्रकाशकः मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत।

को ज्ञात होना चाहिये कि यह ग़ैर मशरूअ है, जब्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे कम हानिकारक चीज़ जो इससे मिलती जुलती है अर्थात क़ब्रों पर मस्जिद बनाना इत्यादि, उससे भी रोका है, बल्कि आपने ऐसे लोगों का अनुसरण करने वालों पर लानत व धिक्कार भेजी है, क्योंकि यहीं से मूर्ति पूजन का आरंभ होता है"[1]।

इब्नुल कैयिम रह़िमहुल्लाह क़ब्र के फ़ित्ना के कारणों को बयान करने के अंतर्गत लिखते हैं:

"इसी में वह झूठी ह़दीस़ भी है जिसे मूर्तिपूजकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से झूठे तौर पर जोड़ दिया है, जो वास्तव में दीन -ए- इस्लाम के विरुद्ध है, जैसे यह ह़दीस़ः (जब कोई मामला कठिन हो जाये तो क़ब्र वालों से सहायता माँगो), इसी प्रकार से यह ह़दीस़ः (यदि कोई पत्थर से भी अच्छा गुमान रखे तो वह उसको लाभ पहूँचायेगा), इस प्रकार की ह़दीस़ें दीन -ए- इस्लाम की मूल भावना के विरुद्ध हैं, जिन्हें मुश्रिकों ने अपनी ओर गढ़ लिया है, और अज्ञानियों एवं पथभ्रष्टों ने उन्हें खूब रिवाज दिया है, जब्कि अल्लाह तआला ने रसूल को इसलिए भेजा था कि पत्थर पूजने वालों के विरुद्ध वह जंग लड़ें, आपने अपनी उम्मत को पूरी तरह से क़ब्र के फित्नों से आगाह कर (चेता) दिया था"[2]।

मैं कहता हूँ किः इसका उल्लेख शैख़ मरई अल-करमी ने अपनी पुस्तक "अल-फ़वायद अल-मौज़ूआ मिनल अह़ादीस़ अल-मौज़ूआ"[3] में तथा अज़हरी ने अपनी पुस्तक "तहज़ीरुल मुस्लिमीन मिनल अह़ादीस़ अल-मौज़ूआ अला सैयदिल मुरसलीन"[4] में किया है।

---

[1] "अत्तवस्सुल वल वसीला" (२९७-२९८)। अजलूनी ने कश्फ़ुल ख़फ़ा (१/ ८८) में इसकी निसबत इब्ने कमाल पाशा की "अल-अरबईन" की ओर की है, और इब्ने कमाल पाशा तेरहवीं शताब्दी का व्यक्ति है, जो उस सलफ़ी दावत से घृणा करता था जिसे लेकर शैख़ मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब उठे थे, उसने शैख़ की दावत का विरोध करना शुरु कर दिया था, यह उन लोगों में से है जो मुर्दों से दुआ करने की ओर लोगों को दावत देता था, जिसका उल्लेख शैख़ अह़मद बिन मुह़म्मद कतलानी रह़िमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक "अस्सैयिब अल-हत़्ताल फ़ी कश्फ़ शुबुहि इब्ने कमाल" में किया है, जिसका प्रकाशन शैख़ सुलैमान बिन सालेह ख़िराशी ने किया है, और जिसे दारुल आसिमा – रियाज़ ने छापा है।

[2] इग़ासतुल्लहफ़ान (१/ ३९४-३९५)।

[3] संख्याः १८८।

[4] पृष्ठः १२८।

3- इस अध्याय में जो आधारहीन ह़दीसें बयान की जाती हैं उनमें से एक वह भी है जिसे इब्नुस्सुन्नी ने अपनी किताब "अज़्कारुल यौमि वल-लैला", में ज़िक्र किया है, वह लिखते हैं:

हमसे मुह़म्मद बिन ख़ालिद बिन मुह़म्मद अल-बरदई ने बयान किया, वह कहते हैं कि हमसे ह़ाजिब बिन सुलैमान ने बयान किया, वह कहते हैं कि मुझसे मुह़म्मद बिन मुस़अब ने बयान किया, वह कहते हैं कि मुझसे इस्राईल ने और उन्होंने अबू इसह़ाक़ से, तथा उन्होंने हैस़म बिन ह़नश से बयान किया, वह कहते हैं कि हम लोग इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठे हुये थे कि उनका पैर सुन्न हो गया, तो एक व्यक्ति ने उनसे कहाः अपने निकट सबसे प्रिय व्यक्ति का स्मरण कीजिये, तो उन्होंने कहाः हे मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, रावी (वाचक) कहते हैं कि, इतना कहते ही वह खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी बंधन से आज़ादी मिल गई हो[1]।

इस ह़दीस़ को ज़ईफ़ (कमज़ोर) करार देते हुए मुह़म्मद नास़िरुद्दीन अलबानी रह़िमहुल्लाह लिखते हैं:

इसे इब्नुस्सुन्नी (१६६) ने रिवायत किया है, तथा इसकी सनद की ज़ईफ़ है, इसके दो कारक हैं:

पहलाः हैस़म मज्हूल है, जैसाकि ख़त़ीब बग़दादी ने "अल-किफ़ाया" (८८) में लिखा है।

दूसराः इसमें एक रावी अबू इसह़ाक अस्सबीई हैं, जो मुदल्लिस हैं और यहां उन्होंने "अन (عن)" से रिवायत किया है, बाद में वह मुख़तलित़ हो गए थे, और यह रिवायत उन्होंने उसी दशा में की है, इसी कारणवश वह इस रिवायत को कभी हैस़म से रिवायत करते हैं तो कभी अबू शोअबा से। जब्कि एक रिवायत में (अबू सईद) आया है, इसे इब्नुस्सुन्नी (१६४) ने रिवायत किया है।

---

[1] "उजालतुर्राग़िब अल-मुतमन्नी फ़ी तख़रीज किताब (अमलिल यौम वल-लैलति) लिब्निस्सुन्नी" (संख्याः १७१)।

रिवायत करते हुए वह कभी कहते हैं किः अब्दुर्रहमान बिन सअद कहते हैं कि (मैं इब्ने उमर के पास था, फिर उन्होंने ह़दीस़ बयान की), इसे बुख़ारी ने "अल-अदब अल-मुफ़रद" (९६४) में तथा इब्नुस्सुन्नी (१६८) ने रिवायत किया है।

अब्दुर्रह़मान बिन साद को नसई ने स़िक़ा (मजबूत स्मरण शक्ति के स्वामी तथा दीनदार) कहा है, परंतु इस रिवायत में इल्लत (कमजोरी) अबू इसह़ाक़ के गडमड स्मरण शक्ति एवं उनके तदलीस के कारण है, उन्होंने सभी रिवायतों को (عن, अन) शब्द के द्वारा ही रिवायत किया है। इसके पूर्व अबू इसह़ाक़ के तदलीस का एक आश्चर्यजनक उदाहरण गुजर चुका है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने सनद की कड़ी के बीच से दो वास्तों को एक साथ गिरा दिया था। इसके लिए देखिएः ह़दीस़ संख्याः (१२६) के अंतर्गत की गई टिप्पणी[1]। शैख़ अलबानी रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

इसे नकल करने वाले का कहना है -अल्लाह उसे माफ़ करे-: इस रिवायत की सनद में एक तीसरी इल्लत (कमजोरी) भी है, और वह इल्लत है ह़दीस़ के रावी (वाचक) मुह़म्मद बिन मुस़अब का ज़ईफ़ (कमजोर) होना। इमाम बुख़ारी के अनुसारः मुह़म्मद बिन मुस़अब के बारे में यह्या बिन मईन की राय अच्छी नहीं थी[2]। इब्ने ह़िब्बान के अनुसार यह उन रावियों में से हैं जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर थी, वह सनद को उलट-पलट देते थे, एवं मुरसल रिवायत को मरफ़ूअ कर देते थे, यदि किसी रिवायत को वह अकेले रिवायत कर रहे हों तो उससे इस्तिदलाल (दलील पकड़ना) जायज़ नहीं है[3]।

इस ज़ईफ़ रिवायत के विषय में और अधिक जानकारी के उद्देश्य से मैं यहाँ पर उसे उसकी अन्य सनदों से भी नकल कर रहा हूँ। इन तमाम सनदों समेत यह रिवायत इब्नुस्सुन्नी की "अमलुल यौमि वल-लैलह" में वर्णित है। यह रिवायत इन तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ है, और हरेक सनद की एक समान इल्लत (कमजोरी) है, अर्थात अबू इसह़ाक़ सबीई का इसे (عن, अन) के द्वारा रिवायत करना।

इसकी एक सनद निम्नांकित हैः

---

[1] स़ह़ीह़ अल-कलेम अल-त़य्यिब लिब्ने तैमीय्या (१३५)।

[2] अत्तारीख़ अल-कबीर (१/ २३९)। प्रकाशकः दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – बैरूत।

[3] किताबुल मजरूह़ीन मिनल मुह़द्दिस़ीन (२/ ३१०)।

मुझसे मुह़म्मद बिन इब्राहीम अनमात़ी एवं उमर बिन जुनैद बिन ईसा ने बयान किया, उन दोनों से मह़मूद बिन ख़िदाश ने, उनसे अबू बक्र बिन अय्याश ने और उनसे अबू इसह़ाक़ सबीई ने बयान किया, वह अबू सईद से बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ चल रहा था कि सहसा उनका एक पाँव सुन्न हो गया जिसके कारण वह बौठ गए, एक व्यक्ति ने उनसे कहाः आप अपनी सबसे प्रिय चीज का स्मरण कीजिये, तो उन्होंने कहाः या मुह़म्मद! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), इतना कहते ही वह खड़ो हो कर चलने लगे[1]।

इस रिवायत की एक दूसरी सनद यह हैः

मुझे अह़मद बिन ह़सन स़ूफ़ी ने सूचना दी, उनसे अली बिन जाअद ने, उनसे ज़ुहैर ने बयान किया, वह अबू इसह़ाक़ से और वह अब्दुल्लाह बिन साद से रिवायत करते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास था, तो उनका पाँव सुन्न हो गया, मैंने पूछाः हे अबू अब्दुर्रह़मान! आपके पाँव को क्या हो गया? उन्होंने कहाः उसकी मांसपेशियां यहाँ एक स्थान पर जमा हो गई हैं, मैंने कहाः आप अपने प्रियतम को पुकारिये, उन्होंने कहाः हे मुह़म्मद! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तो उनके पाँव की मांसपेशियां अपने पूर्व स्थान पर वापस चली गईं[2]।

निष्कर्ष यह है कि यह ह़दीस़ ज़ईफ़ अर्थात कमज़ोर है।

4- इस अध्याय में जो निराधार ह़दीस़ें बयान की जाती हैं, उनमें से एक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है, जिसे इब्नुस्सुन्नी ने रिवायत किया है, वह कहते हैं:

हमसे जाफर बिन ईसा अबू अह़मद ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे अह़मद बिन अब्दुल्लाह बिन रौह़ ने बयान, वह कहते हैं: हमसे सल्लाम बिन सुलैमान ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे ग़यास़ बिन इब्राहीम ने और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उस़्मान बिन ख़ैस़म ने बयान किया, उन्होंने मुजाहिद से तथा उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है, वह कहते हैं किः इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास एक आदमी का पैर सुन्न हो गया, तो इब्ने अब्बास ने उससे कहाः अपने निकट सबसे प्रिय व्यक्ति का स्मरण करो, तो उसने

---

(1) उजालतुर्राग़िब अल-मुतमन्नी, संख्या (१६९)।

(2) उजालतुर्राग़िब अल-मुतमन्नी, संख्या (१६९)।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का स्मरण किया, जिसके कारण उसका पैर ठीक हो गया[1]।

यह ह़दीस़ जाली व मनगढ़ंत है, इसकी सनद में एक रावी ग़यास़ बिन इब्राहीम है जो मतरूकुल ह़दीस़ है।

अह़मद बिन हम्बल कहते हैं: यह व्यक्ति मतरूकुल ह़दीस़ है।

जौज़जानी कहते हैं: मैंने अनके लोगों को यह कहते हुए सुना किः यह व्यक्ति ह़दीस़ गढ़ने का काम करता था[2]।

इब्ने अदी कहते हैं: ग़यास़ का ज़ईफ़ होना स्पष्ट है, तथा उससे वर्णित सभी ह़दीस़ें मौज़ूअ (निराधार) के समान हैं[3]।

अल्लामा अलबानी ने इस ह़दीस़ को मौज़ूअ कहा है[4]।

5- ग़ैरुल्लाह से दुआ करने को जायज़ करार देने के लिये क़ब्र पूजक जिन ह़दीस़ों से दलील पकड़ते हैं उनमें से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली ह़दीस़ भी है, जिसे अबू याला ने अपनी "मुसनद" में रिवायत किया है, वह कहते हैं:

हमसे ह़सन बिन उमर बिन शक़ीक ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे मारूफ़ बिन ह़स्सान ने बयान किया, उन्होंने सईद से, उन्होंने क़तादा, उन्होंने इब्ने बुरैदा, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, वह कहते हैं: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

---

(1) "अमलुल यौमि वल-लैलह" (संख्याः १७०)।

(2) ग़यास़ की जीवनी पढ़ने के लिए देखें "मीज़ीनुल एतदाल" (५/ ४०७), प्रकाशकः दारुलकुतुब अल-इल्मीय्या।

(3) "अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाईर्रिजाल" (७/ ११३)।

(4) "स़ह़ीहुल कलिमत्तैयिब लिब्ने तैमीय्या" अन्वेषीः अलबानी (१३६)।

“यदि तुम में से किसी का पशु जंगल या सहरा में भाग जाये, तो वह इस प्रकार से कहेः (हे अल्लाह के बंदों इसे पकड़ो, हे अल्लाह के बंदों इसे पकड़ो), क्योंकि अल्लाह की ओर से कुछ लोग इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं, जो उसे रोक लेंगे”[1]।

इब्नुस्सुन्नी ने भी इसे अबू याला की सनद से रिवायत किया है[2]।

और तबरानी ने इसे “अल-मोअजम अल-कबीर” में भी रिवायत किया है, उन्होंने इब्राहीम बिन नाइला अस़बहानी, और उन्होंने सईद से रिवायत किया, सनद के बाकी व्यक्ति वहीं हैं जिनका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका[3]।

यह ह़दीस़ कई कारणों से ज़ईफ़ हैः

पहलाः अबू ह़ातिम कहते हैं कि मारूफ़ बिन ह़स्सानः मजहूल अर्थात अज्ञात है[4]।

इब्ने अदी करहते हैं कि वह मुंकरुल ह़दीस़ है[5]। और हैस़मी ने “मज्मउज़्ज़वायद में उसे ज़ईफ़ करार दिया है”[6]।

दूसराः इब्ने बुरैदा तथा इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मध्य इंक़्ताअ है अर्थात सनद की कड़ी के बीच में से कुछ लोग गायब हैं, और इसी कारणवश इब्ने ह़जर ने इस ह़दीस़ को मअलूल अर्थात कमज़ोर करार दिया है, जैसाकि इब्ने अल्लान ने शर्हुल अज़कार (५/ १५०) में नकल किया है[7]।

---

(1) “मुसनद अबू याला” (५२६९), (९/ १७७)।

(2) “उजालतुल मुतमन्नी फ़ी तख़रीज किताब (अमलिल यौम वल-लैलति) लिब्निस्सुन्नी” (संख्याः ५०९)।

(3) (१०/ २१७)।

(4) अल-जर्हु वत्तादील (८/ ३२३)।

(5) उनकी जीवनी पढ़ने के लिये देखें: “मीज़ीनुल एतदाल”।

(6) (१०/ १३५)।

(7) अल-सिलसिला अल-ज़ईफ़ा (६५५) से नकल किया गया।

चेतावनी: इब्नुस्सुन्नी के एक नुस्ख़ा में (इब्ने बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं), जब्कि मुसनद अबू याला एवं मोअजम तबरानी के छपे हुये नुस्ख़े में इस प्रकार से नहीं है, संभवतः यह नकलनवीस की गलती लगती है[1]।

तीसरा: सईद बिन अरूबा इख़्तेलात़ (भ्रम व संदेह) की बीमारी से ग्रस्त हो गये थे, इसके अतिरिक्त वह अत्यधिक तदलीस करने के लिये भी जाने जाते हैं, यह बात इब्ने ह़जर ने "तक़रीबुत्तहज़ीब" में कही है, और यहाँ वह "अन (عن)" के द्वारा रिवायत कर रहे हैं, जो कि अस्वीकार्य है।

इब्ने अबी शैबा ने भी इस रिवायत को "अल-मुस़न्नफ़" में रिवायत किया है, वह कहते हैं:

हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, वह कहते हैः हमसे मुह़म्मद बिन इस्ह़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने अबान बिन स़ालेह़ से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, फिर उपरोक्त ह़दीस़ बयान की।

इस ह़दीस़ की सनद मौअज़ल है, अर्थात इस ह़दीस़ की सनद की कड़ी में से दो रावी एक साथ एक स्थान से गायब हैं[2], और मुह़म्मद बिन इसह़ाक़ मुदल्लिस हैं[3]।

शैख़ स़ालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शैख़[4] ह़फ़िज़हुल्लाह कहते हैं: इल्मे ह़दीस़ के ज्ञाता किसी भी विद्वान ने इस ह़दीस़ को सह़ीह़ या ह़सन नहीं कहा है, बल्कि उन लोगों ने इसे या तो ज़ईफ़ कहा है अथवा जिसने इसे ज़ईफ़ कहा है उसका समर्थन करते हुए उस का कथन नकल किया है[5]।

---

(1) इसका उल्लेख शैख़ सलीम ने अपनी पुस्तक "ह़ाशियतु अमलिलयौमि वल-लैला" में किया है।

(2) इसका उल्लेख शैख़ स़ालेह़ ने "हाज़िहि मफ़ाहीमुना" (५८) में किया है।

(3) देखें: "तक़रीबुत्तहज़ीब"।

(4) आप शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब रह़िमहुल्लाह के वंश से हैं, और तौह़ीद एवं अक़ीदा पर अच्छा पकड़ रखते हैं, इस्लामी मामलों और बंदोबस्ती मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं। तौह़ीद एवं अक़ीदा के विषय में आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो आपके अथाह ज्ञान को दर्शाती हैं।

(5) "हाज़िहि मफ़ाहीमुना" (५८)।

6- इस अध्याय में जो निराधार ह़दीसें बयान की जाती हैं, उनमें से एक ह़दीस़ उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित भी है, जिसे त़बरानी ने रिवायत किया है, वह कहते हैं:

हमसे हुसैन बिन इस्हाक तसतुरी ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे अह़मद बिन यह़्या स़ूफ़ी ने बयान किया, वह कहते हैं: हमसे अब्दुर्रह़मान बिन शरीक ने बयान किया, वह कहते हैं: मुझसे मेरे पिता ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ईसा से, उन्होंने ज़ैद बिन अली से, और उन्होंने उतबा बिन ग़ज़वान से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम में से किसी की जब कोई वस्तु गुम हो जाये अथवा वह किसी प्रकार की सहायता चाहता हो और वह ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई मानव न हो तो वह इस प्रकार कहेः (हे अल्लाह के बंदों! मेरी सहायता करो, हे अल्लाह के बंदों! मेरी सहायता करो), क्योंकि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं"[1]।

इस अब्दुर्रह़मान के विषय में अबू ह़ातिम कहते हैं किः उसकी ह़दीस़ का कोई एतबार नहीं[2]।

इसके ही विषय में दारक़ुत़नी कहते हैं किः यदि वह अकेले किसी ह़दीस़ को रिवायत करे तो उसकी ह़दीस़ का कोई एतबार नहीं किया जायेगा[3]।

इब्नुल मुबारक कहते हैं: उसकी ह़दीस़ की कोई गिनती नहीं[4]।

इब्ने ह़जर कहते हैं: स़दूक़ (सच्चे) हैं, किंतु अत्यधिक गलती करते हैं, जबसे वह कूफा के गवर्नर बने तब से उनकी स्मरण शक्ति और क्षीण हो गई[5]।

---

(1) "अल-मोअजम अल-कबीर" (१७/ ११७)।

(2) "अल-जर्ह़ व अल-तादील" (५/ २४४)।

(3) देखें: "मौसूअतु अक़वालिल इमाम अद्दारक़ुत़नी" (१६२१)।

(4)) "अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाइर्रिजाल" (५/ ११)।

(5) देखें: "तक़रीबुत्तहज़ीब"।

यह सनद मुंक़तअ है, क्योंकि उतबा बिन ग़ज़वान का देहांत अधिकाधिक बीस हिज्री में हुआ, जब्कि ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब का जन्म अस्सी हिज्री में हुआ[1]।

टिप्पणीः कुछ उलेमा का कहना है कि उक्त अंतिम दोनों ह़दीसों को यदि सह़ीह़ मान भी लिया जाये तो भी इनसे ग़ैरुल्लाह से दुआ मांगने के जायज़ होने का प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि इससे केवल इतना प्रमाणित होता है कि कोई जीवित उपस्थित व्यक्ति किसी अन्य उपस्थित व्यक्ति को सहायता के लिये पुकार सकता है, चाहे वो फ़रिश्ते हों जिन्हें लोगों की सहायता करने का आदेश मिला हुआ है, अथवा मुसलमान जिन्न या कोई और हो जिसे अल्लाह तआला ने इस काम का आदेश दे रखा है, यहाँ पर उन्हें इसलिये पुकारा जा रहा है क्योंकि इस प्रकार के मामलों में सहायता करने में वो सक्षम हैं, न कि उन्हें ऐसे मामलों में पुकारा जा रहा है जिन्हें पूरा करने पर केवल अल्लाह तआला ही सक्षम है, इन उलेमा ने उपरोक्त दोनों ह़दीसों की व्याख्या इसी प्रकार से की है।

मेरा अर्थात लेखक का कहना है -अल्लाह उसे क्षमा करे- किः इस प्रकार की पुकार को सुन कर फरिश्तों अथवा मुसलमान जिन्नातों का किसी की सहायता करने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगती है क्योंकि फ़रिश्ते लोगों के आदेश से किसी का कार्य अंजाम नहीं देते हैं बल्कि वो केवल अल्लाह के आदेश का अनुपालन करते हैं, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (ये फ़रिश्ते अल्लाह के आदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें जो आदेश मिलता है वो उसका अनुपालन करते हैं)। इससे स्पष्ट होता है कि फ़रिश्तों को केवल अल्लाह की ओर से ही किसी कार्य के अंजाम देने का आदेश मिलता है। क़ुरआन व ह़दीस़ में उन कार्यों का वर्णन मौजूद है जिन्हें अंजाम देने के लिये फ़रिश्तों को नियुक्त किया गया है, और क़ुरआन व ह़दीस़ से इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई मानव जब किसी फ़रिश्ते को सहायता के लिये पुकारता है तो फरिश्ता उसकी सहायता करने पहूँच जाता है, क़ुरआन व ह़दीस़ में फरिश्तों के जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है उनमें मानव के प्राण हरना, बंदा के जीविका, जन्म-मरण तथा मानव के कर्मों का लेखा जोखा रखना है कि वह भाग्यवान है अथवा अभागा, फरिश्तों के द्वारा किसी भी बंदा के कर्मों का लेखन उसी समय से आरंभ हो जाता है जब वह अपनी माता के गृभ में चार मास की मुद्दत पूरी कर लेता है, इनके

---

[1] "अल-सिलसिला अल-ज़ईफ़ा" (२/ ११०) से नकल किया गया है।

अतिरिक्त भी फ़रिश्तों के जिम्मे और बहुतेरे कार्य हैं जिनको विस्तार से बयान करना यहाँ उचित नहीं है।

इसी प्रकार से जिन्नातों से सहायता माँगने की भी कोई दलील शरीअत -ए- इस्लाम में मौजूद नहीं है, चाहे वह जिन्न उसको पूरा करने में सक्षम हों अथवा उस कार्य को करना केवल अल्लाह के ही वश में हो।

यदि किसी ऐसे कार्य के लिये जिन्न की सहायता माँगी जाये जिस के करने में केवल अल्लाह तआला ही समर्थ है अथवा उनसे सहायता माँगी जाये जिनके बारे में मालूम है कि वह अनुपस्थित हैं, तो इस प्रकार के कृत्य का शिर्क होना स्पष्ट है। और यदि ऐसे कार्य के लिये उनसे सहायता माँगी जाये जिसके करने में वे सक्षम हों, जैसे सटीक मार्ग की ओर नेतृत्व करने के लिये कहना, तो इस प्रकार का कृत्य वर्जित है, क्योंकि यद्यपि यह कृत्य शिर्क नहीं है किंतु शिर्क तक ले जाने का साधन अवश्य है।

इसके वर्जित होने के तीन कारण हैं:

पहला कारण: सहायता के लिये पुकारने वाले के आस-पास जिन्न का उपस्थित होना कोई प्रमाणित बात नहीं है, यह बस कोरी कल्पना तथा लोगों का भ्रम है, और इस प्रकार की चीज़ों से भ्रांतियां तथा संशय जन्म लेते हैं।

दूसरा कारण: जिन्नातों में कौन नेक है और कौन बुरा इसे जानने का कोई सटीक माध्यम नहीं है, कितने ऐसे नेक लोग हैं जिन्हें बुरे जिन्नातों ने बिगाड़ दिया, आरंभ में वह जिन्न उसके समक्ष नेक बन कर जाहिर हुआ, जब्कि अंत होते होते उसे जादू इत्यादि में डाल कर विनाश के पथ पर चलने को विवश कर दिया।

तीसरा कारण: यदि फ़रिश्ते तथा जिन्न मानव जाति के कहने पर सहायता करने पहूँच जाते तो इसका उल्लेख क़ुरआन व ह़दीस़ में अवश्य होता, विशेष रूप से तब जब इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ऐसा होना संभव है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ज़वात (धर्मयुद्धों) में फ़रिश्तों से सहायता क्यों नहीं माँगी[1]?

---

[1] ग़ज़वा -ए- बद्र में फ़रिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मिल कर मक्का के काफ़िरों से जो युद्ध लड़ा था तो उसके लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रत्यक्ष रूप से फ़रिश्तों से सहायता नहीं माँगी थी, बल्कि फ़रिश्तों द्वारा यह सहायता अल्लाह तआला की ओर से मुसलमानों के

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहरा में जासूसी के लिये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को क्यों भेजा करते थे? आपने इस कार्य के लिये जिन्नातों से सहायता क्यों नहीं ली?

यदि जिन्नातों से सहायता माँगना जायज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे अवश्य सहायता ली होती, क्योंकि वो किसी की दृष्टि में आये बिना बड़ी तेज़ी के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने तथा लम्बी दूरी को कम समय में तय करने में, मानव की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस समय जिन्नातों की सहायता क्यों नहीं ली जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समेत समस्त मुसलमान परेशान थे?

इस प्रकार के बहुतेरे संयोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के जीवन में आये जहाँ जिन्नातों से सहायता माँगी जा सकती थी, किंतु कहीं पर यह उल्लेख नहीं मिलता है कि उन्होंने जिन्नातों से सहायता ली हो, एक बार भी जिन्नातों से सहायता लेने का प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के लिये अत्यंत कृपालु तथा दयावान थे और यदि ऐसा करना जायज़ होता आप अवश्य इस अदृश्य जीव से महत्वपूर्ण अवसरों पर मदद लेते, इससे यह ज्ञात हुआ कि जिन्नातों से सहायता लेना मशरूअ (जायज़, तर्कसंगत) अमल नहीं है बल्कि शरीअत के अनुसार यह वर्जित है।

यदि यह कहा जाये कि करामत के तौर पर कुछ लोगों की सहायता जिन्नातों तथा फ़रिश्तों ने की है?

लिये करामत के तौर पर था, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ۚ﴾ (उस समय को याद करो जब आपका रब फ़रिश्तों को आदेश देता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अतः तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ)। इस आयत में फ़रिश्तों को वह्य करने या आदेश देने की बात अल्लाह तआला ने कही है, इससे तात्पर्य यह दर्शाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तलब करने पर फ़रिश्तों ने जंग में मुलमानों की हिम्मत नहीं बढ़ाई थी, बल्कि वो अल्लाह तआला के आदेश से जंग में शामिल हुये थे।

इसका उत्तर यह है कि, हाँ, ऐसा है, किंतु उनके माँगने पर फ़रिश्तों या जिन्नातों ने उनकी सहायता नहीं की थी, बल्कि उनके माँगे बिना अल्लाह तआला ने करामत के तौर उनकी सहायता फ़रिश्तों या जिन्नातों के द्वारा करवा दी थी, जब्कि बात यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मानव का फ़रिश्तों अथवा जिन्नातों से सहायता माँगने की चल रही है, अतः इस अंतर को समझना अति आवश्यक है(1)।

निष्कर्ष यह निकला कि यदि किसी को ऐसी सहायता की आवश्यकता हो जो मानव क्षमता के अंदर हो, तो उसे अपने आस-पास के जीवित तथा उपस्थित लोग जो ऐसा करने में समर्थ हों उनसे सहायता लेनी चाहिए, साथ ही उसे चाहिए कि अल्लाह पर पूर्णरूपेण भरोसा रखे तथा अल्लाह से मामला को सरल कर देने की प्रार्थना भी करता रहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यही शिक्षा दी है, इस मामले में इसके इतर और कोई दुसरी गुंजाईश नहीं है। वल्लाहु आलम।

7- मुर्दों से अपनी जरूरत पूरी करवाने के लिये दुआ करने को जायज़ करार देने वाली जिन ह़दीस़ों को ये लोग दलील बनाते हैं उनमें से एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वह ह़दीस़ भी है जिसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया है। वह कहते हैं: हमसे मूसा बिन इस्ह़ाक़ ने बयान किया, उनसे मिन्जाब बिन ह़ारिस़ ने, उनसे ह़ातिम बिन इस्माईल ने बयान किया, वह उसामा बिन ज़ैद से, वह अबान बिन सालेह से, वह मुजाहिद से तथा वह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “रक्षा करने वाले फ़रिश्तों के अतिरिक्त भी अल्लाह के अन्य फ़रिश्तें इस धरती पर मौजूद हैं जो वृक्ष से गिरने वाले पत्तों को लिखने के लिए तैनात हैं, तुम में से जब कोई बयाबान तथा सुंसान स्थान में दिगभ्रमित हो जाए तो वह इस प्रकार से आवाज़ लगाएः अल्लाह के बंदो! मेरी सहायता करो”(2)।

बज़्ज़ार ने इस ह़दीस़ को रिवायत करने के पश्चात इसे मअलूल (कमजोर) करार दिया है, चुनाँचे वह लिखते हैं: मुझे नहीं मालूम कि यह बात इन शब्दों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस सनद के अलावा किसी दूसरी सनद से भी रिवायत की गई है।

(1) पूर्वोल्लेखित संदर्भ।

(2) “कश्फुल अस्तार” (३१२८)।

इसे बैहिक़ी ने "शुअबुलईमान" में दो सनदों से, रौह़ व जाफ़र बिन औन से, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद तथा उन्होंने इब्ने अब्बास की सनद से, मौक़ूफ़ नकल किया है, इन दोनों सनदों से उपरोक्त रिवायत के समान रिवायत नकल की गई है[1]।

इसे इब्ने अबू शैबा ने "अल-मुसन्नफ़" में अबू ख़ालिद अल-अह़मर और उन्होंने उसामा की सनद से पूर्वोक्त रिवायत के समान रिवायत किया है[2]।

इस ह़दीस़ का उत्तर यह है किः इसकी सनद में उसामा बिन ज़ैद लैस़ी है, जिसके बारे में जब अब्दुल्लाह बिन इमाम अह़मद ने अपने पिता अह़मद बिन ह़म्बल से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया था किः जब तुम इस रावी की रिवायतों को ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर तुम्हें स्पष्ट रूप से नकारत अर्थात अजनबीयत व अपरिचितता का अनुभव होगा[3]।

उसामा बिन ज़ैद लैस़ी के विषय में इमाम अह़मद रह़िमहुल्लाह का ही यह कथन भी हैः यह़्या बिन सईद ने अपनी आयु के अंतिम समय में, उसामा की ह़दीस़ को रिवायत करना छोड़ दिया था[4]।

अल्लामा अलबानी रह़िमहुल्लाह ने मौक़ूफ़ रिवायत को अधिक बेहतर माना है, वह लिखते हैं किः जाफर बिन औन, हातिम बिन इस्माईल से अधिक स़िक़ा (मजबूत स्मरण शक्ति के स्वामी तथा दीनदार) रावी हैं, ये दोनों ही यद्यपि बुख़ारी व मुस्लिम के रावी हैं, किंतु उनमें जाफर बिन औन किसी भी रूप से मजरूह़ नहीं हैं, अर्थात उनकी स्मरण शक्ति अथवा दीनदारी में किसी प्रकार को कोई दोषारोपण नहीं किया गया है, जब्कि ह़ातिम बिन इस्माईल के बारे में नसई ने कहा है किः वह क़वी (मजबूत) नहीं हैं, अर्थात उनकी स्मरण शक्ति उच्च कोटी की नहीं है। दूसरे मुह़द्दीस़ों ने कहा है कि उनमें ग़फ़लत थी, इसीलिए ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने उनके विषय में ये राय दी है किः उनकी किताब सही थी अर्थात उनके पास उपलब्ध ह़दीस़ की पुस्तक में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वह स़दूक़ (सच्चे) हैं किंतु वहम का शिकार हो जाते हैं। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने जाफ़र के बारे में कहा है कि वह स़दूक़ हैं।

---

(1) "शुअबुलईमान" (६/ १२८)।

(2) "अल-मुसन्नफ़" (६/ ९२)।

(3) "किताबुल इलल व मअरिफ़तिर्रिजाल" (१४२८)।

(4) "किताबुल इलल व मअरिफ़तिर्रिजाल" (८७४)।

इसी कारणवश मेरे निकट यह रिवायत दूसरी रिवायत के विरुद्ध होने के कारण मअलूल (कमतर) है[1], इस सिलसिले में राजे़ह व उचित यही है कि यह रिवायत मौक़ूफ़ है, तथा ये उन ह़दीसों में से नहीं है जिनके विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहा जा सके कि यह मरफ़ूअ के हुक्म में है, क्योंकि इस बात की संभावना मौजूद है कि इस रिवायत को अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन अहले किताब से सुना हो जा बाद में इस्लाम में दाख़िल हुए। वल्लाहु आलम[2]।

मेरा कहना है किः बनू इस्राईल से सही सनद से हासिल होने वाली ख़बर का उस समय तक कोई फायदा नहीं जब तक इस्लामी शरीअत से उसकी सत्यता प्रमाणित न हो जाए, और ऐसा होना असंभव है क्योंकि मरफ़ूअ व मौक़ूफ़ दोनों रिवायतों का आधार उसामा बिन ज़ैद लैसी पर टिका हुआ है, और ह़दीस के प्रकांड विद्वोनों के कथन से यह प्रमाणित हो चुका कि उनकी ह़दीसों में नकारत व अजनबीयत होती है।

ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को जायज़ करार देने वाली ह़दीसों से संबंधित बातों का निष्कर्ष

वो समस्त ह़दीसें जो ग़ैरुल्लाह से दुआ करने का जायज़ करार देती हैं, सभी की सभी झूठी एवं मनगढ़ंत हैं। सुयूती ने "तदरीबुर्रावी" में इब्नुल जौज़ी का यह कथन नकल किया हैः "किसी ने कितनी अच्छी बात कही हैः जब तुम कोई ऐसी ह़दीस देखो जो अक़्ल व बुद्धि से टकराती हो, अथवा नक़ल (क़ुरआन व ह़दीस) के विपरीत हो या उसूल (इस्लाम धर्म के मूल नियमों) के विरुद्ध हो तो समझ जाओ कि वह झूठी तथा गढ़ी हुई ह़दीस है, सुयूती कहते हैं: उसूल के विरुद्ध होने से तात्पर्य यह है कि वह ह़दीस इस्लामी अह़काम के संग्रह व मजमूआ, अर्थात मुसनदों एवं ह़दीस की प्रसिद्ध किताबों में मौजूद न हो"[3]।

(1) अर्थात मरफ़ूअ ह़दीस के विरुद्ध होने के कारण।

(2) "अल-सिलसिला अल-ज़ईफ़ा" (२/ ११२)।

(3) "तदरीबुर्रावी", इक्कीसवां अध्याय (मौज़ूअ अह़ादीस का बयान) (१/ २७७)। अन्वेषकः अब्दुल वह्हाब अब्दुल लतीफ़, प्रकाशकः दारुलकुतुब अल-इलमीय्या – बैरूत- द्वितीय संस्करण।

शैख़ ह़मद बिन नास़िर बिन मअमर[1] रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "क़ुरआन मजीद की वो दलीलें जिनसे ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने की मुमानिअत व वर्जना मालूम होती है, बिल्कुल स्पष्ट हैं, उदाहरणस्वरूप अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ (ये मस्जिदें केवल अल्लाह के लिए आरक्षित हैं, अतः अल्लाह के संग किसी और को न पुकारो)। सूरह जिन्नः १८। दूसरे स्थान पर फ़रमायाः ﴿لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ﴾ (उसी को पुकारना ह़क़ है, जो लोग उसके सिवा अन्य को पुकारते हैं वह उन (की पुकार) का कुछ भी जवाब नहीं देते), एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का इर्शाद हैः ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ (और अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझ को न कोई लाभ पहूँचा सके और न कोई हानि पहूँचा सके, फिर यदि तुमने ऐसा किया तो ऐसी दशा में तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे), इनके अतिरिक्त भी बहुतेरी ऐसी आयतें मौजूद हैं जो स्पष्ट रूप से ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को वर्जित करार देती हैं। जिसने इन तमाम आयतों से विमुखता प्रकट की, तौह़ीद को साबित करने वाली, शिर्क को बातिल व मिथ्या करार देने वाली एवं शिर्क के सभी चोर दरवाज़ों को बंद करने वाली सह़ीह़ ह़दीस़ों से मुँह मोड़ कर, ज़ईफ़ (कमजोर व निराधार) ह़दीस़ों से संबंध जोड़ा, तथा उनके अनुसार कर्म किया तो इसका कारण उसके दिल के अंदर पाया जाने वाला वह टेढ़ापन व कुटिलता है जिसे क़ुरआन में अल्लाह तआला ने इन शब्दों में उल्लेखित

---

[1] शैख़ ह़मद बिन नास़िर बिन मअमर का जन्म ११६० हिज्री में उयैना में हुआ, एक ऐसे घराने में आपका लालन पालन हुआ जिसके हाथ में हुकूमत व शासन था, उनके पूर्वज ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी में नज्द के अमीर (शासक) थे। उन्होंने उलेमा की एक बड़ी संख्या से शिक्षा ग्रहण किया जिनमें से एक सुप्रसिद्ध दाई, प्रचारक व उपदेशक शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब भी हैं। शिक्षा अर्जित करने के पश्चात उयैना ही में आपने पठन-पाठन का कार्य आरंभ किया। आपके शिष्यों में प्रकांड विद्वान लोग शामिल हैं जैसे शैख़ सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब, शैख़ अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन तथा शैख़ अब्दुल्लाह अबा बुत़ैन रह़िमहुमुल्लाह।

१२२२ हिज्री में मक्का के क़ाज़ी नियुक्त किए गए, एवं मक्का ही में सन १२२५ हिज्री में उनका देहांत हुआ। रह़िमहुल्लाह रह़मत वासिअः।

उनकी यह जीवनी शैख़ डॉक्टर अब्दुस्सलाम बिन बरजीस आले अब्दुल करीम रह़िमहुल्लाह की पुस्तक "अन्नुबज़ा अश्शरीफ़ा फ़िर्रद्दे अलल क़ुबूरीय्यीन" से थोड़े संशोधन के साथ लिया गया है।

किया हैः ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ﴾ (अतः जिनके दिलों में कुटिलता है तो वह उसकी मुतशाबह (भ्रम में डालने वाली, संदिग्ध, अस्पष्ट) आयतों के पीछे लग जाते हैं फित्ना (उपद्रव) की खोज में)। और स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम[1] में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह ह़दीस़ वर्णित है किः जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुतशाबह चीज़ों के पीछे लग जाते हैं तो समझ लो कि अल्लाह तआला ने आयत में ऐसे ही लोगों की ओर इशारा किया है, तुम उनसे बचना"[2]।

(1) बुख़ारी (४५४७), मुस्लिम (२६६५)।

(2) यह बात शैख़ ह़मद बिन नास़िर आले मअमर ने अपनी पुस्तक "अन्नुबज़ा अश्शरीफ़ा फ़िर्रद्दे अलल क़ुबूरीय्यीन" (७५-७६) में कही है। जिसका उल्लेख थोड़े संशोधन के साथ यहाँ किया गया है।

अध्यायः शुबुहात (भ्रांतियों) में पड़ने से बचने हेतु ताकीद व चेतावनी

नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को, बिल्कुल स्पष्ट, रौशन एवं प्रकाशमान पथ पर छोड़ा है जिसकी रात्रि भी दिन के समान जगमग है। अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए दीन (धर्म) को सम्पूर्ण कर दिया है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾ (आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दिया, और तुम्हारे लिये इस्लाम के धर्म होने पर प्रसन्न हो गया)।

अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने संसार से विदा लेने से पूर्व हमें इस स्थिति में छोड़ा कि कोई पक्षी यदि फज़ा में अपने पंखों को हिलाता था तो आपने हमें उसके विषय में भी ज्ञान दे दिया था[1]।

त़बरानी की एक रिवायत में यह वृद्धि है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो भी चीज़ जन्नत से करीब करने वाली तथा जहन्नुम से दूर करने वाली हो सकती है, सभी तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है"[2]।

किंतु कुछ लोगों के दिल इस स्पष्ट धर्म को इसके साफ़ व सरल रूप में अपनाने से तंग एवं सँकरे हो गए हैं। उन्हें जब यह विश्वास हो गया कि वो इस धर्म को, लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकते हैं, तो वह इस धर्म में भ्रम फैलाने में लग गए, तथा इस दीन की वास्तविकता एवं मूल नियमों के विरुद्ध भ्रांतियों का प्रचार प्रसार करने लगे ताकि मुसलमान अपने दीन के बारे में संशय में पड़ जाएं, और केवल बाहरी रूप से ही दीन उनके जीवन में बचे जो मात्र कुछ दिखावटी इबादतों तक सीमित हो कर रह जाए। अब रही बात उस अक़ीदा व आस्था की जिसका संबंध हृदय से है, तो इस मामले में दीन के ये शत्रु, मुसलमानों को इस्लाम के पूर्व वाले जाहिली (अंधकारमय) युग वाली आस्था की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जैसे ग़ैरुल्लाह

---

[1] इस ह़दीस़ को अह़मद (५/ १५३) एवं इब्ने ह़िब्बान (६५) ने रिवायत किया है तथा अलबानी ने इसे अत्तालीक़ात अलह़िसान अला सह़ीह़ इब्ने ह़िब्बान (१९२) में सह़ीह़ कहा है। प्रकाशकः दार बा वज़ीर – जेद्दा।

[2] देखें: अल-मोअजम अल-कबीर (१६४७)। शैख़ अलबानी ने इस वृद्धि को अल-सहीहा (१८०३) में सह़ीह़ कहा है।

की पूजा करना, फलसफी एवं साइबा (अधर्मी) का अक़ीदा जिसमें अल्लाह तआला के सिफ़त -ए- कमाल (सम्पूर्ण विशेषण) का इंकार किया जाता है, अथवा ईसाइयों वाली आस्था जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के शरीर में अल्लाह का वास है। मुसलमानों को इन ख़ुराफ़ात, पाखंडों तथा मिथ्या बातों की ओर ले जाने का प्रयास प्रत्येक युग में होता रहा है। अल्लाह तआला की ज़ात (अस्तित्व) इन ख़ुराफ़ात से अत्यंत उच्च है। इस्लाम के आधार को कमज़ोर करने वाले अन्य आस्था भी इसी में आते हैं।

इस्लाम विरोधी लोग, जाहिल मुसलमानों के बीच इस प्रकार की मिथ्या आस्था फैलाने में एक हद तक सफल भी हुए हैं। दीन से अंजान मुसलमानों ने अच्छी या बुरी नीयत से इसे स्वीकार कर लिया तथा इसे दीन का अभिन्न अंग समझ लिया, तत्पश्चात लोगों के मध्य इसका प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। जो लोग धार्मिक, शैक्षणिक तथा बौद्धिक रूप से कमजोर थे उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, तथा जिसके भाग्य में अल्लाह तआला ने निजात व मोक्ष लिख दिया था उसने इसे ठुकरा दिया।

चूँकि यह आलेख दुआ करने से संबंधित महत्वपूर्ण भ्रांतियों का जवाब देने से संबंधित है, अतः मैंने उचित समझा कि इसी के साथ-साथ उन नियमों का भी उल्लेख कर दिया जाए जिनके द्वारा उन शुबुहात (भ्रांतियों) की वास्तविकता को समझना तथा उनसे बचना सहज हो जाए, ताकि यह बुद्धिजीवियों के लिये सही मार्ग पर चलने में सहायक हो, तथा जाहिलों (अज्ञानियों) के लिये तज़कीर (प्रचार व उपदेश) का कार्य करे। इस्लामी आस्था के संबंध में पैदा की जाने वाली शुबुहात एवं भ्रांतियों की कोई हद नहीं है। प्रत्येक युग में मुसलमानों के बीच इस प्रकार के भ्रम व भ्रांतियां फैलाने वाले लोग रहे हैं ताकि मुसलमानों के लिए उनके दीन का हुलिया बिगाड़ दें, जैसाकि इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: "अल्लाह तआला ने जिस प्रकार से हक़ (सत्य) के लिए उसके ध्वजवाहक पैदा किए, उसी प्रकार से उसने बातिल, मिथ्या तथा ख़ुराफ़ात के प्रचारक भी पैदा किए हैं"[1]। किंतु एक मुसलमान जब उन इल्मी उसूल व ज़वाबित़ (वैधानिक नियम व कानून) से परिचित हो जाता है जो शुबुहात (भ्रांतियों) को समझने में सहायक एवं इनसे रक्षा का माध्यम हैं, तो वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी व तौफ़ीक़ से इस प्रकार के शुबुहात में पड़ने से बच जाता है।

---

[1] देखियेः इग़ासा अल-लहफ़ान (११२८)। प्रकाशकः दार आलम अल-फ़वायद – मक्का।

निम्न में उन नियमों एवं कानूनों का उल्लेख किया जा रह है।

● शुब्हा (भ्रांति, भ्रम) की परिभाषा

इमाम इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह लिखते हैं: "शुब्हाः दिल में खटकने वाली ऐसी बात है जो सत्य के दृष्टिगोचर होने के पथ में रुकावट बन जाती है, जिस दिल में पहले से ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उस पर यह शुब्हा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, बल्कि शिक्षा से प्रकाशमान हृदय में इस प्रकार की भ्रांतियों के आने के कारण, उसका ज्ञान और अधिक परिपक्व तथा यक़ीन (ईमान) और ठोस हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए इन भ्रांतियों को ठुकराना तथा उसे मिथ्या समझना सरल हो जाता है। किंतु यदि दिल में ज्ञान का दीप न जल रहा हो तो प्रथम दृष्ट्या ही में यह संशय दिल को प्रभावित कर देता है। यदि आरंभ में ही इसका उपचार कर दिया गया तो ठीक अन्यथा दिल पर हमला करने वाले इस प्रकार की भ्रांतियों का तांता बंध जाता है यहाँ तक कि इंसान पूर्ण रूप से इन भ्रांतियों का शिकार हो कर रह जाता है"[1]।

दिल के ऊपर बातिल का हमला जारी रहता है जिसमें कुटिलता अपनाने की अभिलाषा तथा बातिल शुबुहात शामिल होते हैं, जो दिल इन बातों पर कान धरता है और उसका सहारा लेने का प्रयास करता है उसमें ये चीज़ें भर जाती हैं और वह उनका आदी हो जाता है, फिर उसकी ज़ुबान व शरीर के अंग उन्हीं के अनुसार इस्तेमान होने लगते हैं। यदि बातिल आधारित यह शुबुहात (भ्रांतियां) दिल में भर जाएं तो ज़ुबान से भी शक व शुब्हा का इजहार होने लगता है, जाहिल ये समझता है कि ऐसा ज्ञान की गहराई के कारण है जब्कि इल्म व यक़ीन से महरूमी व वंचित होना इसका कारण होता है[2]।

● हर शुब्हा (भ्रांति) का उत्तर है

आप यह जान लें (अल्लाह आप पर रहम करे) कि मुश्रिकीन और अहले बिद्अत की शुबुहात और दलीलें बहुत हैं, जिनका सहारा ले कर वह बातिल को ह़क़ तथा ह़क़ को बातिल करार देने का प्रयास करते रहते हैं, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ﴾ (और जो काफ़िर हैं असत्य (अनृत) के सहारे विवाद करते हैं, ताकि

---

[1] देखें: इग़ास़तुल लहफ़ान (११२८)। प्रकाशः दार आलम अल-फ़वायद – मक्का।

[2] देखें: मिफ़्ताह़ दारिस्सआदा (१/ ४४२)।

उसके द्वारा वह सत्य को नीचा दिखायें)। सूरह कह्फ़ः ५६ । अर्थात ह़क़ को बातिल करार दें, किंतु यह बात मालूम होनी चाहिए कि हर शुब्हा बातिल है और हर शुब्हा का उत्तर मौजूद है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا﴾ (वह आपके पास कोई उदाहरण लायें तो हम आप के पास सत्य ला दें और उत्तम व्याख्या)। सूरह अल-फ़ुर्क़ानः ३३ ।[1]

क़ुरआन मजीद में इस प्रकार की भ्रांतियों के निवारण का ठोस प्रबंध किया गया है। उनमें से एक यहूदियों द्वारा सृजित वह शुब्हा है जिसे उन्होंने क़िब्ला की तब्दीली के समय फैलाया था, जब मुसलमानों को बैतुल मक़्दिस के स्थान पर काबा की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश मिला था तो ऐसे मौका पर यहूदियों ने कहा थाः ﴿مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ﴾ (जिस क़िब्ला पर ये थे उससे उन्हें किस चीज़ ने हटाया?) अल्लाह तआला ने उनके इस एतराज़ व आपत्ति का उत्तर दिया, और स्पष्ट किया कि क़िब्ला की इस तब्दीली के पीछे आश्य यह बताना है कि पूरब तथा पश्चिम सब अल्लाह ही के लिए है, वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बंदों को जिस सिम्त (दिशा) की ओर चाहता है उधर रुख़ करने का आदेश जारी कर देता है, यहूदियों के इस एतराज़ पर अल्लाह तआला ने उन्हें ﴿ٱلسُّفَهَآءُ﴾ (सुफ़ुहा, अर्थात बेवक़ूफ़ व मंदबुद्धि) होने का नाम दिया। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ﴾ (शीघ्र ही ये मंदबुद्धि लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ला पर ये थे उससे उन्हें किस चीज़ ने हटाया? आप कह दीजिए कि पूरब तथा पश्चिम का स्वामी तो अल्लाह ही है, वह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है)।

इस क़ुरआनी उत्तर का एक रोचक पहलू यह भी है कि, जब शरीअत पर यहूदियों तथा उन जैसे लोगों के एतराज़ करने व आपत्ति जताने पर, अल्लाह तआला ने उन्हें ﴿ٱلسُّفَهَآءُ﴾ (सुफ़ुहा, मंदबुद्धि) कहा है, तो जो लोग दुआ और इबादत को केवल एक अल्लाह का ह़क़ होने

[1] देखियेः इमाम फ़ैसल बिन तुर्की रह़िमहुल्लाह का कथन, जैसाकि अल-दुरर अल-सनीय्या (२/ २८८) में है।

पर एतराज़ करते हैं, उस पर आपत्ति जताते हैं, उनको किस प्रकार के विशेषण से नवाज़ा जा सकता है इसका सहज अंदाज़ा लगया जा सकता है।

- **नये नये शुबुहात जन्म लेते रहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है**

इस हकीकत को समझना अति आवश्यक है कि शुब्हा की कोई हद नहीं है, अतः समस्त शुब्हा को महत्वपूर्ण मान कर उसका उत्तर देना कतई जरूरी नहीं है, इसलिए कि जब ह़क़ बात यक़ीनी दलीलों के साथ प्रमाणित हो जाए तो फिर उस पर होने वाली आपत्तियों का उत्तर देना ज़रूरी नहीं रह जाता है, बल्कि इस प्रकार के शुब्हा को सुनने तथा उसे स्वीकार करने से ही बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के शुब्हा का बातिल व मिथ्या होना दीन -ए- इस्लाम में जगजाहिर है, क्योंकि ह़क़ के विपरीत जो कुछ भी होगा वह बातिल ही होगा, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ﴾ (ह़क़ के बाद गुमराही के सिवा और क्या बचता है?!)। इस आधार पर हर शुब्हा को महत्वपूर्ण समझ कर उसका उत्तर देना उसको फैलाने में सहायक बनना है[1]।

इस वास्तविकता को समझना भी अति आवश्यक है कि कुछ ख़ास मानसिकता के लोग शुब्हा को फैलाने में बड़े आगे रहते हैं, जब भी किसी बातिल शुब्हा का नामो निशान मिटने लगता है तो वो लोग फिर से उसे हवा देने लगते हैं, जब भी इसके संबंध में वाद-विवाद सर्द पड़ने लगता है तो कुछ लोग उसे पुनः जीवित कर देते हैं ताकि इसके द्वारा अल्लाह के बंदों को गुमराह कर सकें तथा उन्हें अल्लाह तआला की इबादत और उसके सम्मान से मोड़ कर बातिल परस्ती की ओर मोड़ दिया जाए। यह बात इन लोगों के लिए कोई नयी भी नहीं है, इसलिए कि एक पुरानी कहावत हैः हर समुदाय का एक उत्तराधिकारी होता है।

रसूलों की दावत के विरोधियों की ओर से शक व शुब्हा पैदा करना, तथा उनके प्रति मन में द्वेष रखना कोई ढ़की छुपी बात नहीं है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ﴾ (और –हे नबी! इसी प्रकार हम ने मनुष्यों तथा जिन्नों में से प्रत्येक नबी का शत्रु बना दिया जो धोखा देने के लिए एक दूसरे को शोभनीय बात सुझाते रहते हैं, और यदि आप का रब चाहता

[1] यह बात इब्ने सादी रह़िमहुल्लाह ने सूरह बक़रा की आयत (१४५) की तफ़्सीर में कही है।

तो ऐसा नहीं करते, तो आप उन्हें छोड़ दें, और उनकी घड़ी हुई बातों को)। सूरह अल-अनआमः ११२।

- **शुब्हा सामने आने पर मोमिनों की आज़माइश व परिक्षा की हिकमत सामने आती है और दीन को प्रभुत्व प्राप्त होता है**

रसूलों और उनके अनुयायियों की दावत के विरोधी पैदा होने तथा उनके द्वारा संदेह व भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के पीछे हिकमत (तत्वदर्शिता) यह है कि इसके द्वारा मोमिनों की ईमानी शक्ति का परिक्षण किया जाता है, और उनके सब्र व दृढ़ता को जाँचा जाता है, इसके द्वारा काफ़िरों पर हुज्जत मुकम्मल होती है, और उनके छल-प्रपंच का पर्दाफाश होता है, फिर मोमिन से किया गया अल्लाह तआला का वादा पूरा करने का समय आता है कि वह उनके विरोधियों के विरुद्ध उनकी सहायता अवश्य करेगा, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ (और पहले ही हमारा वचन हो चुका है अपने भेजे हुए रसूलों के लिए। कि निश्चय ही उन्हीं की सहायता की जाएगी। तथा वास्तव में हमारी सेना ही प्रभावशाली (विजयी) होने वाली है)। सूरह साफ़्फ़ातः१७१-१७२।

रसूलों की दावत के विरोधियों का प्रकट होना वास्तव में दीन व ईमान के प्रभुत्व की सूचना हुआ करती है, इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "दीन व ईमान के प्रभुत्व तथा रसूलों के द्वारा दी हुई सूचनाओं की वास्तविकता परखने का एक माध्यम यह भी है कि उनके विरोधी उनके विरुद्ध खुल कर दोषारोपण करते हैं। जब ह़क़ का इंकार किया जाता है और शुबुहात के द्वारा उनका विरोध किया जाता है तो अल्लाह तआला उसके लिए कोई ऐसी चीज़ पैदा कर देता है जिसके द्वारा ह़क़ का सत्यापन व प्रमाणीकरण हो जाता है तथा बातिल का खंडन हो जाता है, और ये अल्लाह तआला की स्पष्ट निशानियां हैं, अल्लाह तआला ह़क़ (सत्य) की स्पष्ट दलीलों को प्रभुत्व देता है, तथा जिन निराधार दलीलों के द्वारा ह़क़ का विरोध किया जाता है उसका अंतर्विरोधि तथा मिथ्या होना सामने आ जाता है"[1]।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह एक स्थान पर लिखते हैं किः "यह अल्लाह तआला का तरीका है कि जब वह अपने दीन को प्रभुत्व देने का इरादा कर लेता है तो उसके

---

(1) अल-जवाब अल-स़ह़ीह़ लि मन बद्दला अल-दीन अल-मसीह़ (१/ ८५-८६)। थोड़े से संशोधन के साथ।

विरोधियों को खड़ा कर देता है, फिर अल्लाह तआला अपने कलेमा के द्वारा ह़क़ का सत्यापन कर देता है, और ह़क़ के द्वारा बातिल को पराजित कर उसका सत्यानाश कर देता है"[1]।

यह ठीक ऐसे ही है जैसे किसी अरबी कवि ने कहा हैः

والضد يُظهر حسنه الضد   وبضده تتميز الأشياء

(किसी चीज़ का विरोध ही उसकी सुंदरता को प्रकट करता है, चीज़ों की अति उत्कृष्टता उसके विरोधियों के कारण ही सामने आती है)।

- **शुबुहात (भ्रांतियों) को फैलाने वालों के प्रकारः**

मुसलमानों के दरमियान शुबुहात को फैलाने वाले लोग साधारणतया तीन प्रकार के होते हैं:

पहलाः वो लोग हैं जो शरई नुसूस़ (क़ुरआन व ह़दीस़ के श्लोकों) के अर्थों को शरीअत अवतरित करने वाले की मंशा के अनुसार न समझ कर, अपने मन के अनुसार जो अर्थ उनकी समझ में आया वो उसे ही सही मान लेते हैं, इस प्रकार से वो शरई नुसूस़ को मूल अर्थ के विपरीत समझ लेते हैं, कवि कहता हैः

وكم من عائب قولا صحيحا   وآفته من الفهم السقيم

(कितने ही लोग हैं जो एक सही बात को गलत समझ लेते हैं, उनकी मुसीबत यह है कि वो बीमारू समझ के स्वामी होते हैं)।

इब्नुल क़ैयिम रह़िमहुल्लाह, अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आशय के विपरीत किसी चीज़ को समझ लेने की, हानियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं: "इस पहलू को नजरअंदाज करने से तथा उससे विमुख हो कर गुमराही में पड़ने एवं मूल व सही आशय के विरुद्ध किसी बात को समझने का जो नुकसान है उसका सही अंदाजा केवल अल्लाह तआला को ही है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के आशय के विपरीत किसी चीज़ को समझना ही इस्लाम में पनपने वाली सभी समस्याओं की जड़ है, बल्कि यह उसूल व फ़ुरूअ (मूल तथा शाखाएं) के संबंध में होने वाली सभी गलती की भी जड़ है, विशेष रूप से तब जब्कि

---

[1] मज्मूअ अल-फ़तावा (२८/ ५७)।

इस गलतफहमी में बदनीयती भी शामिल हो जाए, अनुसरण करने वालों की ओर से यह गलतफहमी अच्छी नीयत से होती है किंतु जिनका अनुसरण किया जा रहा है उनकी तरफ से इसमें बदनीयती भी शामिल हो जाती है, दीन तथा अहले दीन के लिए यह बड़ी आज़माइश है, इसके लिए केवल अल्लाह तआला से ही मदद तलब की जाती है"[1]।

दूसरा: वो लोग जो अपने शुबुहात को साबित करने के लिए, ज़ईफ़ या बातिल ह़दीसों अथवा सपनों या हिकायात (किस्सा, कहानी) इत्यादि से दलील पकड़ते हैं, जिनसे दीन के फ़ुरूई (अमूल) शरई अह़काम भी साबित नहीं होते हैं जब्कि दीन के अति महत्वपूर्ण ऊसूल व मूल नियमों को तो छोड़ ही दीजिए। जो लोग हिकायात, स्वप्न, क़्यास तथा अक़्ल (बुद्धि)[2] व ज़ौक (रुचि) के द्वारा इबादतों को प्रमाणित करते हैं, वो ईसाइयों तथा यहूदियों का गिरोह है, उनके यहाँ इस प्रकार की बहुतेरी चीज़ें पाई जाती हैं।

जो लोग शुबुहात के पीछे पड़े रहते हैं वो आम तौर पर अपनी पुस्तकों को कविताओं, हिकायात तथा स्वप्नों के उल्लेख से भरे रहते हैं, क्योंकि शरई दलीलों के द्वारा वो अपनी इन मिथ्या बातों को प्रमाणित कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि शरई दलीलें तो उनकी इस मिथ्यावादिता की नींव हिला कर रख देती हैं, इसी कारणवश वो कविताएं, हिकायात तथा स्वप्न का सहारा लेते हैं। ये सभी बे सिर पैर की चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह के पूर्ण दीन के समक्ष टिक ही नहीं सकती हैं, ये मृग-मरीचिका के समान होती हैं जिसे प्यासा पानी समझ लेता है, लेकिन जब उसके निकट पहूँचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह लिखते हैं: "वो गुमराह लोग जो शिर्क करने वाले ईसाइयों के समान हैं, तो उनका भरोसा या तो ज़ईफ़ व मौज़ूअ एवं मनगढ़ंत ह़दीसों पर होता है, या उन लोगों के कथनों पर होता है जिनकी बातें अप्रमाणिक होती हैं, ये कथन भी या तो झूठ-मूठ का ही उनसे समबद्ध कर दिया जाता है या उनके द्वारा गलत तौर पर सामने आए होते हैं, इसलिए कि वह कथन उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है जिसकी पुष्टि स्वयं उस व्यक्ति ने नहीं की होती है। और ये लोग यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित

---

[1] अल-रूह़ (१७९)। प्रकाशकः दार इब्ने कसीर, दमिश्क़।

[2] यह ध्यान रहे कि सही अक़्ल व समझ क़ुरआन व सही ह़दीस़ के विरुद्ध नहीं होती है। इस मसले को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें: "दरउ तआरुज़िल अक़्ल वन्नक़्ल" लेखकः शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह।

किसी कथन को अपनाते भी हैं तो उसके मूल अर्थ में हेर-फेर कर देते हैं, तथा मुतशाबह (दिगभ्रमित करने वाले) अर्थ ले कर बैठ जाते हैं, एवं उसके मुहकम (ठोस) अर्थ को छोड़ देते हैं, इस मामले में ये लोग ठीक ईसाइयों के समान हैं"[1]।

उन्हीं का यह कथन भी हैः "यदा-कदा ये मिथ्यावादी लोग कुछ आंशिक उदाहरणों को दलील बना कर किसी मसले को पूर्णरुपेण साबित करने का प्रयास करते हैं, चुनाँचे ये व्यापक रूप में ग़ैरुल्लाह से ऐसी चीज़ में फ़रियाद करने को जिसे अंजाम देने में अल्लाह के सिवाय सभी असमर्थ होते हैं, जायज़ करार देने के लिए इसे प्रमाण बनाते हैं कि कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ करने की विनती की थी, तथा यह बात विदित है कि ऐसा ह़दीस़ से साबित है जिसके सत्य होने में कोई संशय नहीं, किंतु इससे उनके सभी आम दावों का प्रमाणित होना तथा उसके विपरीत जो ह़क़ है उसका खंडन साबित नहीं होता है, क्योंकि एक आंशिक दलील को व्यापक रूप से हर जगह फिट नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब दोनों में परस्पर अंतर्विरोध हो। यह ऐसे ही है कि कोई हरेक प्रकार के खेल कूद तथा नाच गाना को जायज़ करार देने एवं इसे अल्लाह तआला का सामीप्य प्राप्त करने का साधन बताते हुए, इससे दलील पकड़े कि ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दो लड़कियों ने कुछ गा कर सुनाया था जब्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रुख दीवार की ओर था, उन लड़कियों की ओर नहीं था, या कोई हरेक प्रकार के अच्छी बुरी बात सुनने के लिए अल्लाह तआला के इस फ़रमान को दलील बनाएः ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝١٧ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۝١٨﴾ मेरे बंदों को शुभ-सूचना दे दीजिए जो क़ौल (बात) को कान लगा कर सुनते हैं, फिर जो बेहतरीन बात हो उसका अनुसरण करते हैं)। सूरह ज़ुमरः १७-१८। उसे यह मालूम ही नहीं है कि इस आयत में "क़ौल" से आशय क़ुरआन है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٦٨﴾ (क्या उन्होंने उस "क़ौल, बात" में सोच-विचार ही नहीं किया? बल्कि उनके पास वह आया जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आया था)। सूरह मोमिनूनः ६८। इससे प्रमाणित होता है कि हरेक प्रकार की बात को सुनने को जायज़ करार देने के लिए क़ुरआन की इस आयत से दलील लेना सही नहीं है"[2]।

---

[1] अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (२/ ५८२-५८७)। थोड़े से संशोधन के साथ।

[2] अल-इस्तेग़ास़ा फ़ी अल-रद्द अला अल-बकरी (२/ ५८८-५८९)।

तीसराः वो लोग जो मुह़कम (ठोस, असंदिग्ध) को छोड़ कर मुतशाबेह (भ्रमित करने वाली, संदिग्ध) का अनुसरण करते हैं, यह मिथ्यावादियों का तरीका है जो मुह़कम आयतों को मुतशाबेह आयतों के परिप्रक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं, मुतशाबेह आयतों से तात्पर्य वो आयतें हैं जिनका बाह्य व प्रत्यक्ष अर्थ आम लोगों के समक्ष अस्पष्ट होता है, केवल प्रकांड विद्वा तथा धर्मशास्त्री ही उनके वास्तविक अर्थ को जान पाते हैं, यदि कोई ऐसा करता है तो वह गलत करता है, मुतशाबेह आयतों को मुह़कम आयतों के परिप्रेक्ष्य में समझना अति आवश्यक है न कि इसके विपरीत। अलह़म्दुलिल्लाह शरई नुसूस़ (श्लोक) अंतर्विरोध से पाक हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जिससे एक दूसरे का अर्थ स्पष्ट होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुह़कम को छोड़ कर मुतशाबेह के पीछे भागने से रोका है। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाईः ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝٧﴾ (उसी ने आप पर यह पुस्तक (क़ुरआन) उतारी है जिस में कुछ आयतें मुह़कम (सुदृढ़) हैं जो पुस्तक का मूल आधार हैं, तथा कुछ दूसरी मुतशाबेह (संदिग्ध) हैं तो जिन के दिलों में कुटिलता है वह उपद्रव की खोज तथा मनमानी अर्थ निकालने के लिए संदिग्ध के पीछे पड़ जाते हैं। जब्कि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, तथा जो ज्ञान के पक्के हैं वह कहते हैं कि सब हमारे रब के पास से है, और बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं)। सूरह आले इमरानः ७। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इसके पश्चात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः जब तुम देखो कि कुछ लोग मुतशाबेह आयतों के पीछे लगे हुए हैं तो समझ लो यही वो लोग हैं जिनका अल्लाह तआला ने आयत में नाम लिया है, अतः उनसे बचो)[1]।

- **अक़ीदा से संबंधित शुब्हा सबसे संगीन है**

वैसे तो दीन से संबंधित सभी भ्रांतियां खतरनाक हैं, किंतु उनमें सबसे संगीन वह शुब्हा है जिसके कारण इंसान मिल्लते इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, उदाहरणस्वरूप ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को साबित करने वाला शुब्हा, इसी प्रकार से वह शुब्हा जिसके कारण अल्लाह

[1] इस ह़दीस़ की तख़रीज पीछे गुज़र चुकी है।

तआला की उन सिफ़ात (विशेषताओं) को नकारा जाता है जिनसे अल्लाह तआला ने अपने आपको विशेषित किया है, अथवा वह शुब्हा जिसकी वजह से क़ुरआन व ह़दीस़ के स्रोतों पर आपत्ति जताई जाती है, या वह शुब्हा जिसके द्वारा अल्लाह के ह़राम किए हुए को ह़लाल तथा ह़लाल को ह़राम करने का प्रयास किया जाता है, जैसे सूद को ह़लाल करार देने का प्रयास करना, तथा इससे मिलती जुलती अन्य चीज़ें।

- **शुबुहात से बचना तथा स्वयं को उससे अलग-थलग रखना वाजिब है**

वह मुसलमान जो अपने दीन धर्म की रक्षा करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह शुबुहात में पड़ने से बचे तथा उसकी खोजबीन में न लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब सहाबा -ए- किराम के समक्ष दज्जाल के फ़ित्ना का उल्लेख किया तो आपने उन्हें दज्जाल से दूर रहने तथा उसका सामना न करने का आदेश दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब तुम किसी स्थान पर दज्जाल के प्रकट होने का सुनो तो उससे दूर ही रहो"। अर्थात उससे दूर रहने का प्रयास करो तथा जान बूझ कर उसका सामने करने की कोशिश न करो।

दीनदारी तथा इल्म की गहराई के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह ताकीद की थी, तो जो उनसे कमतर हैं उनके लिए आदर्श स्थिति क्या हो सकती है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

शैख़ अब्दुल्लत़ीफ़ बिन अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन रह़िमहुल्लाह कहते हैं किः "कभी-कभी इंसान उस शुब्हा के कारण इस्लाम से खारिज हो जाता है जो उसके तथा अल्लाह की ख़ालिस व निश्छल तौह़ीद और शिर्क व मूर्तिपूजन से दूरी व बराअत के मध्य आ जाता है"[1]।

- **शुब्हा फैलाने वालों के संबंध में उलेमा तथा शासकों का दायित्व**

शुब्हा फैलाने वालों को इस कृत्य से रोकना शासकों की जिम्मेवारी है, यदि कोई इस कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो उसको सजा देना आवश्यक है अब चाहे वह कैद करने के रूप में हो अथवा किसी प्रकार की शारीरिक यातना हो अथवा तड़ीपार करने के द्वारा हो। ऐसे उपद्रवियों को शुबुहात फैलाने के द्वारा मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार की बुराईयों को कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, तो कभी एक दूसरे के साथ संवाद के नाम पर, कभी लोकतंत्र की आड़ में तो कभी इसी प्रकार के

---

[1] मिन्हाजुत्तासीस वत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ शुबुहात दाऊद बिन जरजीस (१३)।

अन्य आकर्षक नारों का सहारा ले कर अंजाम दिया जाता है, जोकि विशुद्ध काफ़िर पश्चमी देशों का तरीका है।

उलेमा तथा शरई विद्या में दक्ष एवं विशेषज्ञों का यह भी दायित्व है कि वो दीन पर होने वाली आपत्तियों का अपने ज्ञान के अनुसार ठोस जवाब दें, ताकि इस प्रकार के मुंकर व गलत बातों के प्रचार प्रसार को रोका जा सके, क्योंकि शक व शुब्हा (भ्रम एवं भ्रांति) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले उस रोग के समान है जिसे यदि छोड़ दिया जाए तो वह फैलता ही चला जाता है तथा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाता है।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह उन लोगों का उल्लेख करते हुए जिन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना एवं उसका खंडन करना आवश्यक है, लिखते हैं: "बिद्अत को रिवाज देने वाले लोग जो क़ुरआन व ह़दीस़ के विरुद्ध बातें करते हैं अथवा कितब व सुन्नत के विपरीत इबादत का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे उपद्रवियों एवं विकृत मानसिकता वाले लोगों की वास्तविकता से लोगों को अवगत कराना, तथा उसकी इस मानसिकता से मुसलानों की रक्षा करने पर सभी उलेमा एकमत हैं। इमाम अह़मद बिन ह़म्बल रह़िमहुल्लाह से प्रश्न किया गयाः एक व्यक्ति नमाज़, रोज़ा एवं एतकाफ़ इत्यादि इबादतों में व्यस्त रहता है, अब आपको ऐसा व्यक्ति प्रिय है अथवा वह जो अहले बिद्अत की खुराफ़ात के बारे में लोगों को सचेत करता है?

उन्होंने कहाः किसी का नमाज़ पढ़ना तथा एतकाफ़ करना उसकी अपनी ज़ात के लिए है, जब्कि वह व्यक्ति जो अहले बिद्अत के बारे में लोगों को सचेत करता है तो वह मुसलमानों का सच्चा हितैषी एवं शुभचिंतक है, यह उत्तम कार्य है"।

उन्होंने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों के दीन की रक्षा करने का लाभ आम व व्यापक है, अतः यह अल्लाह की मार्ग में जिहाद करने के समान है, क्योंकि अल्लाह के दीन, उसके तरीका, उसकी शरीअत की सुरक्षा एवं फ़सादियों तथा विकृत मानसिकता वाले लोगों के फ़साद तथा विकृतता को रोकना वाजिब -ए- किफ़ाया है, इस मामले में मुसलमानों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यदि फ़सादियों के इस उपद्रव एवं फ़साद को रोकने का अल्लाह की ओर से प्रबंध न हो तो दीन का हुलिया बिगड़ जायेगा, तथा यह बिगाड़ एवं फ़साद किसी ह़रबी काफ़िर का मुसलमानों की रियासत पर कब्जा कर लेने से अधिक हानिकारक है, क्योंकि कोई काफ़िर यदि मुसलमानों के किसी इलाका पर कब्जा करता है तो यह उनके दीन व ईमान पर प्रत्यक्ष हमला नहीं होगा, किंतु शक ब शुब्हा के द्वारा बदअक़ीदगी (अनास्था) फैलाने वाले लोग मुसलमानों के दिलों में मौजूद ईमान व अक़ीदा पर हमला करते हैं एवं उसे विकृत कर देते

हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान हैः “अल्लाह तआला तुम्हारे रूप तथा धन को नहीं देखता है, बल्कि वह तुम्हारे दिलों एवं कर्मों को देखता है”[1]। क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ﴾ (निःसंदेह हमने भेजा है अपने रसूलों को खुले प्रमाणों के साथ, तथा उतारी है उनके साथ पुस्तक, तथा तुला (न्याय का नियम), ताकि लोग स्थित रहें न्याय पर। तथा हमने उतारा है लोहा जिसमें बड़ा बल है तथा लोगों के लिए बहुत से लाभ। और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी सहायता करता है तथा उसके रसूलों की बिना देखे)। सूरह अल-ह़दीदः २५।

इस आयत में अल्लाह तआला ने यह सूचना दी है कि उसने किताब अर्थात क़ुरआन तथा मीज़ान (तुला, तराज़ू) इसलिए उतारा है ताकि लोग न्यायप्रिय बनें, अल्लाह तआला ने यह बताया है कि उसने लोहा भी उतारा है, अतः दीन का निचोड़ व सार एवं उसके अस्तित्व मे रहने का माध्यम क़ुरआन तथा सहायता करने वाली तलवार है। ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا﴾ (और आपका रब मार्गदर्शन देने तथा सहायता करने को काफी है)। सूरह अल-फ़ुर्क़ानः ३१।

यदि मुनाफ़िक़ीन (पाखंडियों) का एक समूह क़ुरआन के आदेशों के विरुद्ध बिद्अत गढ़ कर आम लोगों को मूल धर्म के विषय में भ्रमित करता हो, तो ऐसे समय में यदि लोगों के समक्ष उसकी वास्तविकता को बयान न किया जाए तो क़ुरआन का मूल रूप ही बिगड़ जाएगा तथा धर्म का असल स्वरूप बदल जाएगा, जैसाकि हमसे पूर्व के अहले किताब का धर्म में परिवर्तन करने के कारण उसका मूल रूप बिगड़ गया, क्योंकि उसमें तब्दीली की गई तथा ऐसा करने वालों को इससे रोका नहीं गया।

यदि लोगों के अंदर निफ़ाक़ (पाखंड) न हो, किंतु यदि वो मुनाफ़िक़ों की बातों को सुनने में रुचि रखते हों, तो यदि ऐसे लोगों के समक्ष सत्य को उजागर न किया गया, तो संभव है कि वह मुनाफ़िक़ों की बातों को, जो क़ुरआन की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत हो, सच मान लेंगे और इसी पर बस नहीं बल्कि लोगों को इसकी दावत भी देने लगेंगे, अतः इस प्रकार के लोगों की सच्चाई को अवाम के सामने उजागर करना जरूरी है, बल्कि इन लोगों के द्वारा भड़काया

[1] स़ह़ीह़ मुस्लिम (२५६४)।

गया फ़ित्ना तो और संगीन है, क्योंकि उन लोगों के अंदर ईमान विद्यमान होता है जो उनसे प्रेम व ख़ैरख्वाही का तकाजा करती है, किंतु वो लोग मुनाफ़िक़ों के द्वारा फैलाई गई बिद्अत में फंस गए हैं, जो दीन का मूल रूप विकृत कर देती है, ऐसी स्थिति में लोगों को इस प्रकार की बिद्अत से बचाना अति आवश्यक है, और इसके लिए यदि ऐसे लोगों का नाम लेकर लोगों को उससे सुरक्षित करने का कार्य अंजाम देना पड़े तो ऐसा भी किया जा सकता है। और यदि अहले ईमान ने इस बिद्अत को किसी मुनाफ़िक़ से प्राप्त नहीं किया है किंतु वह इसके पक्षधर हैं तथा इसे हिदायत का मार्ग समझ बैठे हैं और इसी को भलाई तथा दीन समझ बैठे हैं, हालांकि वह दीन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसके समक्ष वास्तविकता को उजागर करना वाजिब होगा।

इसी कारणवश उस रावी (वाचक) की स्थिति को बयान करना भी वाजिब है जो ज़ुह्द व इबादत के मामले में गलती करता है, यद्यपि गलती करने वाले मुज्तहिद की गलती माफ है और अपने गलत इज्तेहाद पर भी वह एक अज्र का अधिकारी होता है। चुनाँचे क़ुरआन व ह़दीस़ से प्रमाणित क़ौल व अमल (कथनी व करनी) को बयान करना वाजिब है, यद्यपि यह किसी के क़ौल व अमल के विरुद्ध ही क्यों न हो[1]। इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

इसको नकल करने वाले (लेखक) का कहना है किः नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों के मध्य शुबुहात (भ्रांतियां) फैलाने वाले को दज्जाल कहा है, चुनाँचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अंतिम युग में दज्जाल व महा झूठे लोग पैदा होंगे, वो तुम्हारे पास ऐसी ह़दीसें ले कर आएंगे जो तुमने या तुम्हारे पूर्वोजों ने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसे लोग तुमसे दूर रहें तथा तुम उनसे दूर रहना, वो तुम्हें गुमराह (पथभ्रष्ट) न करें और तुम्हें फ़त्वे न दें"[2]।

इसके अतिरिक्त जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुनाः "क़यामत के निकट महा झूठे लोग पैदा होंगे, तुम लोग उनसे बचना"[3]।

---

(1) मज्मूअ अल-फ़तावा (२८/ २३१-२३४)।

(2) इस ह़दीस़ को इमाम मुस्लिम (७) ने रिवायत किया है।

(3) इस ह़दीस़ को इमाम मुस्लिम (१८२२) ने रिवायत किया है।

● शुबुहात (भ्रम एवं भ्रांतियों) का उपचार यह है कि सलफ़ व सालेह़ीन की समझ के अनुसार क़ुरआन व ह़दीस़ का अनुसरण करने वाले उलेमा -ए- रब्बानीयीन की तरफ़ पलटा जाए

ऊपर में उलेमा के कथनों से यह बात स्पष्ट हो गई कि अल्लाह तआला की किताब क़ुरआन मजीद एवं अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत ही हिदायत व मार्गदर्शन का असल स्रोत है। इसमें धार्मिक मामलों से संबंधित सभी दुविधाओं का समाधान मौजूद है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को बिल्कुल स्पष्ट मार्ग पर ला कर छोड़ा है जिसमें भ्रम एवं भ्रांतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि किसी के समक्ष धर्म संबंधित कोई दुविधा पैदा हो जाए अथवा कोई प्रश्न मन में उत्पन्न हो तो उसे उसका उत्तर क़ुरआन व ह़दीस़ के अंदर खोजना चाहिए, इसके लिए उन उलेमा -ए- किराम से भी मार्गदर्शन लिया जाएगा, जो ज्ञान, अमानतदारी एवं दीनदारी के एतबार से विश्वसनीय हैं, अब यह मार्गदर्शन चाहे उन उलेमा की पुस्तकों से ली जाए अथवा उनकी कैसेटों से अथवा व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने के द्वारा।

अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो ज्ञानियों से पूछ लो)। दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (और जब उनके पास शांति या भय की कोई सूचना आती है तो उसे फैला देते हैं, और यदि वो उसे अल्लाह के रसूल तथा अपने अधिकारियों की ओर फेर देते तो जो बात की तह तक पहूँचने की क्षमता रखते हैं वे उसकी वास्तविकता जान लेते)। सूरह निसाः ८३। और ज्ञात हो कि बात की तह तक पहूँचने की क्षमता रखने वाले उलेमा ही हैं।

मैं कहता हूँ (लेखक): कोई भी युग ऐसे रब्बानी उलेमा से ख़ाली नहीं रहा है जो मिथ्यावादियों (बातिल परस्तों) के शुबुहात (भ्रांतियों) का अस्तित्व मिटा देते हैं एवं उनका ठोस इल्मी जवाब देते हैं जैसाकि इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "अलह़्मदुलिल्लाह इस उम्मत में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो मिथ्यावादियों की बातों में मिथ्या एवं निराधार बातों को भाँप लेते हैं एवं उसका खंडन करते हैं। इस प्रकार के ह़क़ परस्त (सत्यवादी) उलेमा हरेक युग में अल्लाह

के विशेष अनुग्रह व कृपा के कारण सत्य को स्वीकार करने तथा बातिल को रद्द करने में, राय एवं रिवायत दोनों आधार पर बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, और ऐसा बिना किसी पूर्व आपसी सहमति एवं सम्पर्क के होता है"[1]।

साहित्यकार शैख़ सुलैमान बिन सह़मान रह़िमहुल्लाह ने निम्नांकित दो पंक्तियों के द्वारा अपनी बात कही हैः

من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعتي أتى بالمصائب

ولو لا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله من كل جانب

(हरेक झूठे एवं दीन में मुसीबत बनने वाले प्रत्येक बिद्अती के ऐब को खोलना धार्मिक फ़र्ज़ है। यदि मुसलमानों में दूरदर्शीता रखने वाले अहले ईमान ने हों तो अल्लाह के दीन के किले चहूँ ओर से ध्वस्त कर दिए जाएं)।

- **इल्म में रुसूख़ (ठोस ज्ञान) रखने वाले लोगों पर भ्रांतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है**

इमाम इब्ने क़ैयिम रह़िमहुल्लाह दीन के मामला में मामूली दूरदर्शीता (बस़ीरत) रखने वाले मुक़ल्लिदों (अंध-अनुसरण करने वालों) की स्थिति बयान करते हुए लिखते हैं: उसके दिल पर मामूली शुब्हा (भ्रम) का भी गुजर होता है तो वह उसके दिल में शक के बीज बो देता है, परंतु इल्म में रुसूख़ (ठोस ज्ञान) रखने वाले लोगों का मामला इसके उलट है, यदि उनके पास से समुद्र की लहरों के समान भी भ्रांतियों का गुजर होता है तो वह उसके यक़ीन व विश्वास को हिला नहीं पाते और न ही उनके दिल में शक पनपनता है, क्योंकि उसे धार्मिक विद्याओं में रुसूख़ व परिपक्वता प्राप्त है, अतः इस प्रकार की भ्रांतिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं, बल्कि ये भ्रांतियां जब उनके पास फटकती हैं तो उनके ज्ञान का पहरेदार एवं उसके इल्म का लश्कर उन्हें पराजित कर के वापस लौटने पर विवश कर देता है[2]।

- **बातिल परस्त (मिथ्यावादी) अपने शुबुहात (भ्रांतियों) में सच्चाई का मिश्रण कर देते हैं ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें**

---

[1] मज्मूअ अल-फ़तावा (९/ २३३)।

[2] मिफ़्ताह़ दारिस्सआदत (१/ ४४२)। अन्वेषणकर्ताः अली ह़सन अब्दुल ह़मीद। प्रकाशकः दार इब्न अफ़्फ़ान – अल-ख़ुबर।

शैख़ सालेह बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान कहते हैं: "अल्लाह तआला का फ़रमान है: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (धोखा देने के लिए एक दूसरे को शोभनीय बातें सुझाते रहते हैं) सूरह अल-अनआमः ११२। अरबी भाषा में ﴿زُخْرُفَ﴾ (ज़ुख़रुफ़) वास्तव में सोना को कहते हैं, एवं ﴿زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ﴾ "ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल" का अर्थ हुआ ऐसी बात जो अपने मूल रूप में न बची हो अपितु उसमें झूठ का मिश्रण कर दिया गया हो ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। यहाँ "ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल" से अभिप्राय वह बातिल व मिथ्या है जिस पर मामूली सच्चाई का आवरण चढ़ा दिया गया हो। यह बड़े फ़ित्नों में से एक है, इसलिए कि बातिल यदि आकर्षक मिथ्यावरण के बिना लोगों के समक्ष आयेगा तो कोई भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा, परंतु जब उसमें थोड़ी सी सच्चाई का तड़का लगा दिया जाए तो बहुत से लोग उसे स्वीकार कर लेंगे तथा बातिल के ऊपर सच्चाई के इस मुलम्मा से धोखा खा जायेंगे, परंतु वह ह़क़ (सच्चाई) के रूप में बातिल (मिथ्या) ही कहलायेगा"[1]।

इब्ने तैमीय्या रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "विशुद्ध बातिल एवं मिथ्या लोगों को भ्रम में नहीं डाल पाता है, किंतु जब उसमें सच्चाई का थोड़ा सा मिश्रण कर दिया जाता है तब लोग उससे धोखा खा जाते हैं"[2]।

उन्हीं का कथन यह भी है किः "संसार में बातिल को पाँव पसारने का मौका तभी मिलता है जब उसमें थोड़ी सी सच्चाई मिला दी गई हो जैसाकि अहले किताब ने ह़क़ (सच्चाई) को बातिल (मिथ्या) से मिला दिया, क्योंकि उनके पास ह़क़ बहुत थोड़ा था"[3]।

एक स्थान पर वह लिखते हैं किः "मिथ्या आधारित बातें कहने वाले की बातों में सच्चाई का थोड़ा सा अंश अवश्य होता है, यदि ऐसा न हो तो यह मिथ्या लोगों के बीच प्रचलित नहीं होगा तथा लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे"[4]।

---

[1] देखिएः शर्ह कश्फ अल-शुबुहात। लेखकः शैख़ सालेह बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान, पृष्ठः (५६)। प्रकाशकः मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत।

[2] देखिएः मज्मूअ अल-फ़तावा (८/ ३७)।

[3] देखिएः मज्मूअ अल-फ़तावा (३५/ १९०)।

[4] देखिएः क़ाइदतुन फ़िल मह़ब्बत (२८९)। अन्वेषीः मुह़म्मद रशाद सालिम। प्रकाशकः मकतबा अत्तुरास़ अल-इस्लामी – क़ाहिरा।

इब्नुल कैयिम रह़िमहुल्लाह कहते हैं: “हर मिथ्यावादी अपने मिथ को लोगों के मध्य फैलाने में तभी सफल होता है जब वह उसे सच्चाई के रूप में पेश करता है”[1]।

- **बातिल परस्तों (मिथ्यावादियों) के शुबुहात (भ्रांतियों) के खंडन में प्राचीन एवं नवीन उलेमा का किरदार**

हरेक युग में उलेमा -ए- इस्लाम ने मिथ्यावादियों की भ्रांतियों का रद्द किया है, चाहे वह भ्रांति तौह़ीद -ए- इबादत से संबंधित हो अथवा तौह़ीद -ए- अस्मा व सिफात से, या फिर अक़ीदा के अन्य मसले से उसका संबंध हो, इसलिए कि यह अल्लाह के मार्ग में जिहाद के समान तथा दीन की ओर से दिफा करना है। यदि बातिल को समाप्त करने के लिए उलेमा ने उनके खंडन का बीड़ा न उठाया होता तो इसे और अधिक पनपने के मौका मिलता एवं वह और शक्तिशाली हो कर सामने आता जिससे ह़क़ (सच्चाई) कमज़ोर व निर्बल हो जाता।

निम्न में उन पुस्तकों की सूची दी जा रही है जो तौह़ीद -ए- इबादत के दिफा एवं उसके संबंध में पैदा किए जाने वाली भ्रांतियों को बेनकाब करने के लिए उलेमा -ए- इस्लाम ने लिखी हैं[2]:

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
कश्फुश्शुबुहात	मुह़म्मद बिन अब्दुल वह्हाब	
शर्ह किताब कश्फुश्शुबुहात	मुह़म्मद बिन सालेह बिन उसैमीन	दारुस्सुरैया – रियाज़
शर्ह किताब कश्फुश्शुबुहात	सालेह बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान	दारुन्नजाह़ – रियाज़
कश्फ मा अलक़ाहु इब्लीस मिनल बहरज वत्तलबीस अला क़ल्बे दाऊद बिन जरजीस	अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन आले शैख़	दारुल आसिमा – रियाज़

[1] देखिएः इग़ासतुल्लहफ़ान फ़ी मसाइदिश्शैतान (२/ २६७)। अन्वेषीः अली बिन ह़सन। प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

[2] पाठकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि अल्लाह तआला ने मुझे इल्मी पुस्तकों की एक विस्तारित सूची तैयार करने की तौफ़ीक़ दी है, ये पुस्तकें अक़ीदा, शरीअत तथा सुलूक के विषय में अहले सुन्नत के लिए स्रोत की हैसियत रखती हैं। इन में बहुतेरे उन पुस्तकों के नाम शामिल हैं जो अक़ीदा के बहुत से मसले में अहले सुन्नत वल जमात के मन्हज (ढ़ंग, तरीका, पंथ, मत) के विरोधियों के रद्द में लिखी गई हैं। मैंने इसे “الدليل لمراجع أهل السنة في العقيدة والشريعة والسلوك” का नाम दिया है। यह पुस्तक इंटरनेट पर इस वेबसाइट के अंतर्गतः www.saaid.net/kutob उपलब्ध है।

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फे तलबीस दाऊद बिन जरजीस	अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबा बुतैन	मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत
मिन्हाजुत्तासीस वत्तक़दीस फ़ी कश्फे शुबुहात दाऊद बिन जरजीस	अब्दुल्लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान आले शैख़	दारुल हिदाया – रियाज़
तुहफ़तुत्तालिब फ़ी कश्फ़े शुबुहि दाऊद बिन जरजीस	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
अल-ज़िया अल-शारिक़ फ़िर्रद्दि अला अलमारिक़ अलमाज़िक़	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
अस्सावइक़ अलमुर्सला अश्शहाबीय्या अला अश्शुबुहातिद्दाहिज़तिश्शामीय्या	सुलैमान बिन सहमान	दारुल आसिमा – रियाज़
सियानतुल इंसान अन वसवसति अश्शैख़ दहलान	मुहम्मद बशीर सहसवानी हिंदी	मकतबा अल-इल्म – जेद्दा
तायीदुल मलिक अल-मन्नान फ़ी नक़्ज़ ज़लालाति दहलान	सालेह बिन मुहम्मद शिसरी	दारुल हबीब – रियाज़
फ़तहुल मन्नान फ़ी नक़्ज़ शुबुह अल-हाज दहलान	ज़ैद बिन मुहम्मद आले सुलैमान	दारुत्तौहीद लिन्नश्र - रियाज़
अर्रद्दु अला शुबुहातिल मुस्तईनीन बि ग़ैरिल्लाह	अहमद बिन इब्राहीम बिन ईसा	दारुल आसिमा – रियाज़
मिस्बाहुज़्ज़लाम फ़िर्रद्द अला मन कज़बा अला अश्शैख़ अल-इमाम	अब्दुल्लतीफ़ बि अब्दुर्रहमान आले शैख़	दारुल हिदाया – रियाज़
अल-मौरिद अल-अज़्ब अल-ज़ुलाल फ़ी नक़्ज़े शुबुहि अहलिज़्ज़लाल	अब्दुर्रहमान बिन हसन आले शैख़	दारुल हिदाया – रियाज़

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-बयान वल-इश्हार लि कश्फ़ ज़ैग़ अल-मुल्हिद अल-ह़ाज मुख़्तार	फौज़ान अस्साबिक़	
ग़ायतुल अमानी फिर्रद्द अला अल-नबहानी	मह़मदू शुकरी आलूसी	मकतबा अर्रुश्द – रियाज़
कश्फ़ुश्शुबहतैन	सुलैमान बिन सह़मान	दारुल आसि़मा – रियाज़
हाज़िही मफ़ाहीमुना – रद्दु अला किताब मफ़ाहीम यजिबु अंयुस़ह्ह़, लेखकः मुह़म्मद बिन अलवी मालिकी-	स़ालेह़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आले शैख़	
दह़्ज़ु शबुहात अलत्तौह़ीद मिन सूइल फह्म लिस़्सलासति अह़ादीस़	अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रह़मान अबा बुत़ैन	दारुल आसि़मा – रियाज़
कश्फु ग़याहिबिज़्ज़लाम अन औहामि जिलाइल अफ़्हाम	सुलैमान बिन सह़मान	मकतबा अज़्वाउस्सलफ – रियाज़
अल-असिन्ना अल-ह़द्दाद फ़ी रद्दे शुबुहात अलवी अल-ह़द्दाद	सुलैमान बिन सह़मान	मकतबा अज़्वाउस्सलफ – रियाज़
फ़त्हुल मलिक अल-वह्हाब फ़ी रद्दे शुबुहिल मुर्ताब (रद्दु अला शुबुहात फ़ी ऐराबि कलिमतित्तौह़ीद)	अब्दुल लत़ीफ़ बिन अबदुर्रह़मान आले शैख़	
अल-इब्ताल वर्रफ़्ज़ लिउदवानि मन तजर्रआ अला	अब्दुलकरीम बिन स़ालेह़ अल-ह़ुमैयिद	दारुस्सफ़वा – मिस्र

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
कश्फ़िश्शुबुहात, इसके संलग्न हैः मलामिह़ा जहमीय्या		
अल-अह़ादीस़ अल-मौज़ूआ अल्लती तुनाफ़ी तौह़ीदल इबादा	उसामा बिन अत़ाया अल-उतैबी	मकतबा अर्रुश्द – रियाज़
अल-इख़नाईय्या अथवा अर्रद्दु अललइख़्नाई	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	दारुल ख़र्राज़ – जेद्दा
अल-लुम्आ फ़िल अज्विबा अस्सबआ	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	दारुस़्सुमैई – रियाज़
शफाउस्सुदूर फ़िर्रद्द अला अल-जवाब अल-मश्कूर	मुह़म्मद बिन इब्राहीम आले शैख़	मदारुल वतन – रियाज़
हुक्मुल्लाहिल वाह़िदिस्समद फ़ी हुक्मित्तालिब मिनल मैयति अल-मदद	मुह़म्मद बिन सुलता ह़नफ़ी	दारुल आस़िमा – रियाज़
अल-मुशाहिदात अल-मास़ूमीय्या इंद क़ब्रि ख़ैरिल बरीय्या	मुह़म्मद बिन सुलता ह़नफ़ी	दारुल आस़िमा – रियाज़
अल-फ़ुर्क़ान बैन तौह़ीद अहलिस्सुन्नति व तौह़ीदलि क़ुबूरीय्यीन	मज्दी बिन ह़मदी बिन अह़मद	
ज़ियारतुल क़ुबूरिशरईय्या वल बिद्ईय्या	मुह़युद्दीन बरकवी ह़नफ़ी	दारुल आस़िमा – रियाज़
अल-मजालिसुल अरबआ फ़ी मजालिसिल अबरार	अह़मद रूमी ह़नफ़ी	दारुल आस़िमा – रियाज़
जुहूद उलेमाइल ह़नफ़ीय्यति फ़ी इब्त़ाल अक़ादइदिल क़ुबूरिय्या	शमसुद्दीन सलफ़ी अफ़ग़ानी	दारुस्सुमैई – रियाज़

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-आयात अल-बैयिनात फ़ी अदमि समाइल अमवात इंदल ह़नफिय्या अल-सादात	नोमान बिन मह़मूद आलूसी	अल-मकतब अल-इसलामी – बैरूत
तत़हीरुल एतक़ाद अन अदरानिल इल्ह़ाद, लेखकः स़नआनी, इसी के साथ संलग्न हैः शर्हुस़्सुदूर फ़ी तह़रीम रफ़्इल कुबूर, लेखकः शौकानी	मुह़म्मद बिन इसमाईल स़नआनी / मुह़म्मद बिन अली शौकानी	दारुल मुग़नी – रियाज़
मसअलतु फिज्जबाइहि अल्लाह तआला का फ़रमान है क़ुबूर वगैरिहा	मुह़म्मद बिन इसमाईल स़नआनी	दार इब्ने ह़ज़्म – बैरूत
शिफ़ाउस़्सुदूर फ़ी ज़ियारतिल मशाहिद वल क़ुबूर	ज़ैनुद्दीन मरई बिन यूसुफ अल-करमी	मकतबा नज़ार अल-बाज़ – मक्का
अल-मज्मूअ अल-मुफ़ीद फ़ी नक़्ज़िल क़ुबूरिय्याति व नुस़रित्तौह़ीद	मुह़म्मद बिन अब्दुर्रह़मान अल-ख़मीस	दार अत़लस अल-ख़ज़रा – रियाज़
अन्नुबज़ा अश्शरीफ़ा अन्नफ़ीसा फिर्रद्द अलल क़ुबूरिय्यीन	मुह़म्मद बिन नास़िर आले मअमर	दारुल आस़िमा – रियाज़
मआरिजुल अलबाब फ़ी मनाहिजल ह़क्क वस्सवाब	हुसैन बिन महदी नअमी	दारुल मुग़नी – रियाज़
मिम बिदइल क़ुबूर	ह़मद बिन अब्दुल्लाह अल-ह़मीदी	दारुल मुतअल्लिम – ज़ुलफ़ी
तह़ज़ीरुस्साजिद मि इत्तेख़ाज़िल क़ुबूर मसाजिद	मुह़म्मद नास़िरुद्दीन अलबानी	अल-मकतब अल-इस्लामी – बैरूत
अस्सारिम अल-मुन्की फिर्रद्द अला अस्सुबकी	मुह़म्मद बिन अह़मद बिन अबदुल हादी	मुअस्सतुर्रय्यान – बैरूत

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
अल-कश्फ अल-मुब्दी लितमवीह अबिल ह़सन अस्सुबकी (तकमिला अस्सारिम अल-मुन्की)	मुह़म्मद बिन ह़ुसैन अल-फ़क़ीह	दारुल फ़ज़ीला – रियाज़
हदमुल मनारा लिमन स़ह़्ह़ा अह़ीदीसित्तवस्सुल वज़्ज़ियारत	अम्र अब्दुल मुनइम सलीम	दारूज़्ज़िया – त़नत़ा
रिसातुन फि अत्तबर्रुक वत्तवस्सुल वलक़ुबूर	अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़	मदारुल वतन – रियाज़
अर्रद्दु अला फ़ैस़ल मुराद अली रज़ा फ़ी मा कतबहु अन शानिल अमवात व अह़वालिहिम	सालेह बिन फ़ौज़ान अल-फ़ौज़ान	दारुल आस़िमा – रियाज़
अल-इजाबा अल-जलीय्या अला अल-असइला अल-कुवैतीय्या	ह़मूद बिन अब्दुल्लाह अत्तुवैजिरी	मकतबा अलमआरिफ़ – रियाज़
औज़हुल इशारा फिर्रद्द अला मन अजाज़ा अल-ममनूअ मिनज़्ज़ियारा	अह़मद बिन यह़्या अन्नजमी	मकतबा अल-ग़ुरबा अल-अस़रीय्या – मदीना
अल-इस्तेग़ास़ा फिर्रद्द अला अल-बकरी	शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या	मकतबा दारुल मिन्हाज – रियाज़
तम्बीह ज़ाइरिल मदीना अला अल-ममनूअ व अल-मशरूअ मिनज़्ज़ियारा	स़ालेह़ बिन ग़ानिम अस्सदलान	दार बलनसिय्या – रियाज़
अल-इंतेस़ार लि हिज्बिल्लाहिल मुवह्हिदीन व अल-रद्द अला अल-मुजादिलीन अल-मुश्रिकीन	अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रह़मान अबा बुत़ैन	दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक
शुबुहातिल मुब्तदिआ फ़ी तौहि़दिल इबादा	डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रह़मान अल-हुज़य्यिल	मकतबा अर्रुश्द – रियाज़
मुजानबति अहलिस़्स़बूर अल-मुस़ल्लीन फ़िल मशाहिद इंदल क़ुबूर (रद्द अला मन अजाज़ा अस्सलात फ़िल मकाबिर व इंदल क़ुबूर)	अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़ैस़ल अल-राजह़ी	मकतबा अर्रुश्द – रियाज़
ज़ियारतुल क़ुबूर इंदल मुस्लिमीन	सालिम बिन क़ुतवान अल-ईदान	दारु ग़िरास – कुवैत
बिदउल क़ुबूर, अनवाउहा व अह़कामुहा	स़ालेह़ बिन मुक़बिल अल-उस़ैमी	दारुल फ़ज़ीला – रियाज़
अत्तह़ज़ीर मिन ताज़ीमिल आस़ार ग़ैरिल मशरूआ	अब्दुल मुह़सिन बिन ह़मद अल-अब्बाद	दारुल मुग़नी – रियाज़
अल-बयान अल-मुब्दी लि शनाअतिल क़ौल अल-मज्दी। इसी के साथ संलग्न हैः रज्मु अहलित्तह़क़ीक़ वल ईमान	सुलैमान बिन सह़मान	दारु अज़्वाउस्सलफ – रियाज़
अल-क़ुबूरिय्या, नशअतुहा व आस़ारुहा	अह़मद बिन ह़सन अल-मुअल्लिम	दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम
अल-बिनाउ अला अल-क़ुबूर	अब्दुर्रह़मान बिन यह़्या अल-मुअल्लिमी	दार अत़लस अल-ख़ज़रा – रियाज़

पुस्तक का सार व निष्कर्ष

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

इस पुस्तक का सार व निष्कर्ष यह है कि केवल अल्लाह तआला से ही दुआ माँगना, एक अकेले अल्लाह तआला का प्रमाणित अधिकार है। यह क़ुरआन, ह़दीस़ एवं मुसलमानों के इजमाअ (सर्वसहमति) से साबित है। किसी बौद्धिक भ्रांति, ज़ईफ़ (कमज़ोर) ह़दीस़ अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर मन्सूब (संबंद्ध) झूठी व मनगढ़ंत (आधारहीन) बातों को आधार बना कर, अल्लाह तआला के उस अधिकार पर एतराज़ व आपत्ति नहीं जताई जा सकती है। दुआ के अतिरिक्त अन्य इबादात (पूजा) उदाहरणस्वरूप नमाज़, ज़कात, त़वाफ़, ज़ब्ह़ (बलि) एवं नज़्र (मन्नत) इत्यादि का भी यही हुक्म है। ये समस्त इबादात केवल अल्लाह तआला के लिए आरक्षित हैं, अतः इसे किसी ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम देना किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। जिसने इनमें से किसी इबादत (पूजा) को ग़ैरुल्लाह के लिए अंजाम दिया तो उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तथा वह मिल्लत -ए- इस्लाम से ख़ारिज व निष्कासित हो गया। अल-इयाज़ु बिल्लाह (हम इससे अल्लाह की शरण चाहते हैं)।

इन्हीं शब्दों के साथ इस पुस्तक का समापन हुआ। अल्लाह तआला इसके लेखक, अनुवादक, पाठक एवं प्रकाशक के लिए इसे लाभदायक बनाए।

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

लेखकः

माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी

शनिवार २४ जुमादा अल-आख़र १४३४ हिजरी

महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत

1- अल-किताब अल-मुसन्नफ़ फ़िल अहादीस़ वल आस़ार, लेखकः अब्दुल्लाह बिन अबू शैबा, अन्वेषीः मुहम्मद बिन अब्दुस्सलाम शाहीन, प्रकाशकः मकतबा दार अल-बाज़ – मक्का।

2- अल-मुंतख़ब मिन मुस्नद अब्द बिन हुमैद, अन्वेषीः मुस्तफ़ा अल-अदवी, प्रकाशकः दार बलनसिय्या – रियाज़।

3- शुअबुल ईमान, लेखकः अबू बक्र अल-बैहिक़ी, अन्वेषीः मुहम्मद सईद बिन बिसयूनी ज़ग़लूल, प्रथम संस्करणः दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।

4- अल-मदख़ल इला अस्सुनन अल-कुब्रा, लेखकः अबू बक्र अल-बैहिक़ी, अन्वेषीः डॉक्टर मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी, प्रकाशकः मकतबा अज़वाउस्सलफ़ – रियाज़।

5- जामिउ बयानिल इल्म व फ़ज़्लिही, लेखकः इब्नु अब्दिल बर्र, अबू बक्र अल-बैहिक़ी, अन्वेषीः अबुल अशाबत ज़ुहैरी, प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी, दम्माम।

6- अख़बार मक्का, लेखकः मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अज़रक़ी, अन्वेषीः डॉक्टर अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह बिन दुहैश।

7- अल-अस़नाम, लेखकः हिशाम बिन मुहम्मद कलबी, प्रकाशकः अल-मुजम्मा अल-स़क़ाफ़ी – एमारात।

8- अल-उलूव्व, लेखकः शमसुद्दीन ज़हबी, अन्वेषीः अशरफ़ अब्दुल मक़सूद, प्रकाशकः मकतबा अज़वाउस्सलफ़ – रियाज़।

9- इक़्तेज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़ीम लि मुख़ालिफ़ति अस़हाबिल जहीम, लेखकः शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या, अन्वेषीः डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल-अक़्ल, पंचम संस्करण, प्रकाशकः मकतबा अर्रुश्द – रियाज़।

10- क़ाइदतुन जलीला फ़ित्तवस्सुल वल वसीला, लेखकः शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या, अन्वेषीः डॉक्टर रबी बिन हादी, प्रथम संस्करणः प्रकाशकः मकतबा लैनता – मिस्र।

11- अल-इस्तेग़ास़ा फिर्रद्द अला अल-बकरी, लेखकः शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमीय्या, अन्वेषीः अब्दुल्लाह अस्सहली, प्रथम संस्करण, प्रकाशकः मदार अल-वतन – रियाज़।

12-अल-दा व अल-दवा, लेखकः इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषीः अली ह़सन अब्दुल ह़मीद, प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

13-इग़ास़तुल्लहफ़ान, लेखकः इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषीः अली ह़सन अब्दुल ह़मीद, प्रकाशकः दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम।

14-मदारिजुस्सालिकीन, लेखकः इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषीः अब्दुल अज़ीज़ बिन नास़िर अल-जलील, प्रकाशकः दार तैबा – रियाज़।

15-मिफ़्ताह़ दारुस्सआदा व मंशूर विलायत अहलिल इल्म वर्रियादा, लेखकः इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषीः अली ह़सन अब्दुल ह़मीद, प्रकाशकः दार इब्ने अफ़्फ़ान, अल-ख़ुबर।

16-तह़क़ीक़ कलेमतुल इख़्लास़, लेखकः इब्ने रजब हम्बली, अन्वेषीः इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह ह़ाज़िमी, प्रकाशकः दार अश्शरीफ़ – रियाज़।

17-तजरीदुत्तौह़ीद अल-मुफ़ीद, लेखकः अह़मद बिन अली अल-मिक़रीज़ी मिस्री शाफ़ई, अन्वेषीः अली बिन मुह़म्मद अल-इमरान, प्रकाशकः दार आलम अल-फ़वायद – मक्का।

18-तासीसुत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ तलबीस दाऊद बिन जरजीस, लेखकः अब्दुल्लाह अबा बुत़ैन, प्रकाशकः मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत।

19-मिन्हाजुत्तासीस वत्तक़दीस फ़ी कश्फ़ शुबुहात दाऊद बिन जरजीस, लेखकः अब्दुल लत़ीफ़ बिन अब्दुर्रह़मान बिन ह़सन आले शैख़, प्रकाशकः मकतबा अल-हिदाया – रियाज़।

20-अन्नुबज़ा अश्शरीफ़ा अन्नफ़ीसा फिर्रद्द अलल क़ुबूरिय्यीन, लेखकः ह़मद बिन नास़िर आले मअमर, अन्वेषीः अब्दुस्सलाम बिन बरजिस, प्रकाशकः दारुल आस़िमा – रियाज़।

21-अल-मज्मूअ अल-मुफ़ीद फ़ी नक़्ज़िल क़ुबूरिय्याति व नुस़रित्तौह़ीद, लेखकः डॉक्टर मुह़म्मद बिन अब्दुर्रह़मान अल-ख़मीस, प्रकाशकः दार अत़लस अल-ख़ज़रा – रियाज़।

22-शिफ़ाउस़्सुदूर फ़ी ज़ियारतिल मशाहिद वल क़ुबूर, लेखकः ज़ैनुद्दीन मरई बिन यूसुफ अल-करमी, प्रकाशकः मकतबा नज़ार अल-बाज़ – मक्का।

23-अद्दुर्र अन्नज़ीद फ़ी इख़्लास़ कलेमतित्तौहीद, लेखकः मुहम्मद बिन अली शौकानी, अन्वेषकः मुहम्मद अलही हलबी, प्रकाशकः दार इब्ने ख़ुज़ैमा – रियाज़।

24-फ़स्लुल मक़ाल फ़ी तवस्सुलिल जुह्हाल, लेखकः मुहम्मद आरिफ़ ख़ूक़ीर कतबी मक्की, प्रकाशकः दारुल मुस्लिम – रियाज़।

25-अल-दुरर अल-सनीय्या फ़ी अल-अजविबा अल-नज्दीय्या, संकलनः अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन क़ासिम, प्रकाशकः दारुल क़ासिम – रियाज़।

26-दुमअतुन अलत्तौहीद (हक़ीक़तुल क़ुबूरीय्या व असरुहा फ़ी वाक़इल उम्मत), प्रकाशकः अल-मुंतदा अल-इस्लामी – लंदन।

27-तुहफ़तुज़्ज़ाकिरीन, लेखकः मुहम्मद बिन अली शौकानी, प्रकाशकः मकतबा दारुत्तुरास़ – क़ाहिरा।

28-उजालतुर्राग़िब अल-मुतमन्नी फ़ी तख़रीज़ किताब "अमलिल यौम वल लैलति" लिब्निस्सुन्नी, अन्वेषीः सलीम हिलाली, प्रकाशकः दार इब्ने हज़्म – बैरूत।

29-स़हीह़ अल-कलिम अल-तैयिब, लेखकः इब्ने तैमीय्या, अन्वेषीः मुहम्मद नास़िरुद्दीन अलबानी, तृतीय संस्करण, प्रकाशकः अल-मकतब अल-इसलामी – बैरूत।

30-अल-असरार अल-मरफूआ फी अखबार अल-मौज़ूआ (अल-मौज़ूआत अल-कुब्रा), लेखकः मुल्ला अली क़ारी, अन्वेषीः डॉक्टर मुहम्मद बिन लुत़्फ़ी स़ब्बाग़, प्रकाशकः अल-मकतब अल-इसलामी – बैरूत।

31-नक्दुल मन्कूल वल मुहिक्क अल-मुमय्यिज़ बैनल मरदूद वल मक़बूल, लेखकः इब्नुल क़ैयिम, अन्वेषीः अब्दुर्रहमान बिन यह्या अल-मुअल्लिमी यमानी, प्रकाशकः दारुल आस़िमा – रियाज़।

32-किताबुल मजरूहीन मिनल मुहद्दिसीन, लेखकः इब्ने हिब्बान, अन्वेषीः हमदी बिन अब्दुल मजीद सलफ़ी, प्रकाशकः दारुस़्सुमैई – रियाज़।

33-अल-कामिल फ़ी ज़ुआफ़ाईर्रिजाल, लेखकः इब्ने अदी, अन्वेषीः आदिल अब्दुल मौजूद व अली मुअव्विज़, प्रकाशकः दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।

34-मौसूअतु अक़वाल अबिल हसन दारकुतनी फ़ी रिजालिल हदीस़ व इललिहि, संकलनः शोध कर्ता समूह, प्रकाशकः आलमुल कुतुबा – लेबनान।

35-अल-इलल मुतनाहिया फ़िल अह़ादीस़ अल-वाहिया, लेखकः इब्नुल जौज़ी, सएहतमाम (सव्यवस्था): ख़लील मसीस, प्रकाशकः दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।

36-किताबुल इलल व मअरिफ़तिर्रिजाल, लेखकः अह़मद बिन हम्बल, अन्वेषीः वस़ीयुल्लाह अब्बास, प्रकाशकः दारुल ख़ानी – बैरूत।

37-किताबुल जर्ह़ वत्तादील, लेखकः अब्दुर्रह़मान बिन अबू ह़ातिम अल-राज़ी, प्रकाशकः दारुल कुतुब अल-इल्मीय्या – लेबनान।

38-कश्फुल ख़फा व मुज़ीलुल इलबास अम्मा इश्तहरा मिनल अह़ादीस़ अला अल-सिनतिन्नास, लेखकः इसमाईल बिन मुह़म्मद अजलूनी, सएहतमाम (सव्यवस्था): अह़मद अल-क़ल्लाश, प्रकाशकः मुअस्सतुर्रिसाला – बैरूत

विस्तारित विषय सूची

- भूमिका
- पुस्तक की आम विषय सूची
- इस बुनियादी ज्ञान एवं नियम का उल्लेख कि दुआ (प्रार्थना) इबादत (पूजा) है
- समस्त इबादतों के मध्य दुआ का महत्व
- शफ़ाअत (सिफ़ारिश) से संबंधित नियम
- अध्यायः क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत के प्रकार

1- **पहली शफ़ाअतः** हिसाब आरंभ करने के लिए आपका शफ़ाअत करना

2- **दूसरी शफ़ाअतः** मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना

3- **तीसरी शफ़ाअतः** ऐसे लोगों को जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए सिफ़ारिश करना जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा,

4- **चौथी शफ़ाअतः** अपने चाचा अबू तालिब की यातना में कमी के लिए आपका सिफ़ारिश करना

5- **पाँचवीं शफ़ाअतः** गुनाह -ए- कबीरा के अपराधी मोमिनों को अपने गुनाहों के समान यातना भोग लेने के पश्चात उन्हें जन्नत में प्रवेश दिलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सिफ़ारिश करना

- ▪ तीन चेतावनियां
- ▪ एक दुविधा एवं उसका समाधान
- ▪ महत्वपूर्ण टिप्पणी

पहली भ्रांतिः इस संसार में मध्यस्थता और सिफ़ारिश के तरीके से तुलना करते हुए अल्लाह से की जाने वाली सिफ़ारिश का अनुमान लगाना

1- पहलाः अल्लाह तआला ने हमें यह आदेश दिया है कि हम बिना किसी वास्ता के प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से दुआ करें

2- दूसराः ग़ैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क -ए- अकबर है चाहे वह जिस ज़रिये व माध्यम से भी दुआ करे, चाहे किसी को वास्ता बनाये अथवा किसी और माध्यम से। चारों मज़हब के सभी उलेमा का यही मत हैः
a) ह़नफ़ी उलेमा के कथन
b) शाफ़ई उलेमा के कथन
c) ह़म्बली उलेमा के कथन
d) मालिकी उलेमा के कथन
e) वो उलेमा जिन्होंने स्वयं को किसी विशेष मज़हब (पंथ) में सीमित नहीं किया है
3- तीसरा उत्तर: यह है कि बंदा का अपने रब तथा ख़ुद के दरम्यान किसी को वास्ता बनाना, बिल्कुल मक्का के मुश्रिकीन जैसा कृत्य है जिनके साथ-साथ सारे संसार की हिदायत व पथप्रदर्शन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अवतरित किया गया था,
4- चौथा उत्तरः यदि अल्लाह तआला को अपने तथा बंदों के बीच वास्ता व माध्यम बनाना पसंद होता तो इसका विस्तारित आदेश क़ुरआन व ह़दीस़ में तफ्सील के साथ मौजूद होता
5- पाँचवां कारणः अल्लाह तआला तथा उसके बंदों के मध्य यदि वास्ता व माध्यम बनाना जायज़ होता तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा अवश्य किया होता
6- छठा कारणः ये लोग जिसे वास्ता बनाते हैं उससे केवल समृद्धि की स्थिति में ही दुआ करते तथा उसे पुकारते हैं, और जब किसी विपदा एवं संकट में फंसते हैं तो इन वास्तों एवं माध्यमों को भूल जाते हैं
7- सातवां कारणः भाषाई एवं शरई दोनों आधार पर सिफ़ारिश तलब करना तथा वास्ता बनाना इसको कहा जाता है किः कोई व्यक्ति किसी से यह निवेदन करे कि वह उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी तीसरे के पास वास्ता व माध्यम बन जाए, लेकिन आज के क़ब्र पूजक जो कर रहे हैं वह इसके विरुद्ध है
8- आठवां कारणः किसी मुर्दा के नेक व महात्मा होने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि उसे वास्ता बना लिया जाए।

9- नौवां कारणः अल्लाह तआला को सांसारिक बादशाहों के समान समझना (जैसाकि शुब्हा अर्थात भ्रांति का उल्लेख करते समय इसका बयान हुआ है), छः कारणों से बातिल व मिथ्या है, वो छः कारण हैं: इल्म (ज्ञान), तदबीर (प्रबंधन), ग़िना (बेनियाज़ी, निस्पृहता), मिलकीयत (स्वामित्व), रहमत (कृपा) एवं क़ुदरत (ईश्वरीय शक्ति; सामर्थ्य)।
10- दसवां कारणः अल्लाह तआला ने यह सूचना दे दी है कि वह बंदों की दुआ को क़बूल करता है यद्यपि वह गुनहगार ही क्यों न हो, बल्कि वह तो काफ़िर की दुआ को भी स्वीकार करता है, क्योंकि उसकी कृपा के आम एवं व्यापक होने का अर्थ ही यही है कि यह आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी दोनों को प्राप्त हो, तो फिर बंदा एवं रब के मध्य वास्ता बनाने की क्या आवश्यकता है?!
11- ग्यारहवां कारणः बंदा और रब के मध्य वास्ता बनाने के कारण, बंदा और रब का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वह समाप्त हो जाता है, और इसके कारण बंदा एवं रब का रिश्ता टूट जाता है
12- बारहवां कारणः बंदा तथा रब के बीच वास्ता बनाने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुतेरी भलाईयों से वंचित कर लेता है
13- तोरहवां कारणः जिन्हें ये लोग वास्ता बनाते हैं वो अल्लाह से दुआ करने की स्थिति में हैं ही नहीं, इसलिए कि वो या तो निर्जीव हैं या फिर मृत हैं
14- चौदहवां कारणः अल्लाह तआला ने क़ुरआन में यह स्पष्ट कर दिया है कि लोग संसार में जिन्हें अपना सिफ़ारिशी बना रहे हैं वह क़यामत के दिन उनकी सिफ़ारिश हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन सिफ़ारिशी बनाने वाले तथा जिन्हें सिफ़ारिशी बनाया गया है, दोनों के बीच सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे
15- पंद्रहवां कारणः जिन अम्बिया व सालेहीन को वास्ता बना कर पुकार जाता है, वो स्वयं जीवित लोगों की दुआ तथा इस्तिग़फार के मोहताज हैं
16- सोलहवां कारणः बंदा तथा रब के मध्य वास्ता बनाने के लिए क़यास के नियमों को आधार बनाना, दो कारणों से बातिल व निराधार है
● निष्कर्ष
● **दूसरी भ्रांतिः** आख़िरत (परलोक) में नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के लिए सिफ़ारिश से संबंधित एक शुब्हा (भ्रांति) तथा दस तरीकों से इसका जवाब

1- पहला कारणः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आख़िरत में लोगों की सिफ़ारिश करेंगे, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि, आपकी सिफ़ारिश के योग्य बनने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ माँगी जाए
2- दूसरा कारणः यह है कि मूल रूप से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिफ़ारिश के मालिक नहीं हैं, कि आप से इसे तलब करना दुरुस्त होगा, सिफ़ारिश का मालिक केवल अल्लाह तआला है अतः इसे अल्लाह से ही तलब किया जाएगा
3- तीसरा कारणः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अन्य लोग अपने मन से जिसकी चाहेंगे सिफ़ारिश नहीं करेंगे, बल्कि ये केवल उन्ही लोगों की सिफ़ारिश करेंगे जिनके अदंर सिफ़ारिश की तय शर्तें पाई जायेंगी
● अध्यायः आख़िरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ारिश हासिल करने के शरई माध्यम
4- चौथा कारणः ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना शिर्क -ए- अकबर है, चाहे जिस माध्यम व वसीला से दुआ किया जाए
5- पाँचवां कारणः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अथवा किसी और से सिफ़ारिश तलब करने वाले से कहा जायेगा कि, क़ुरआन, स़ह़ीह़ ह़दीस़ या उम्मत के इज्माअ (किसी मसले पर सभी उलेमा का एकमत होना) से इसकी एक भी दलील मौजूद नहीं है, जिससे पता चलता हो कि मख़लूक़ (जीव, रचना) से सिफ़ारिश तलब करना जायज़ है
6- छठा कारणः क़यामत के दिन मोमिनों को जन्नत में प्रवेश दिलाने अथवा जहन्नुम से नजात दिलाने के लिए बहुतेरे लोग सिफ़ारिश करेंगे, केवल अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही सिफ़ारिश नहीं करेंगे, उदाहरणस्वरूप फ़रिश्ते सिफ़ारिश करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले के अम्बिया सिफ़ारिश करेंगे, शहीद सिफ़ारिश करेंगे, जन्नत में प्रवेश पा चुके मोमिन सिफ़ारिश करेंगे, (मोमिनों के) बच्चे सिफ़ारिश करेंगे, क़ुरआन मजीद सिफ़ारिश करेगा, रोज़ा सिफ़ारिश करेगा। अतः तुम इन सब से दुआ क्यों नहीं माँगते, एवं इन सभी से सिफ़ारिश क्यों नहीं तलब करते हो?!
7- सातवां कारणः जो लोग संसार से जा चुके हैं, सांसारिक जीवन से उनका संबंध पूर्णरूपेण समाप्त हो चुका है, अब उन पर सांसारिक नियम जैसे, सुनना, देखना, बात करना, हिलना डुलना एवं किसी मामला में कुछ करने का अधिकार रखना इत्यादि को लागू करना सही नहीं है।

8- आठवां कारणः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह आदेश दिया है कि हम लोग आप पर दुरूद भेजें तथा आपके लिए दुआ करें, आपके जीवित रहते हुए भी तथा मरणोपरांत भी, अब जिनकी यह स्थिति हो उनसे अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए कहना कैसे सही हो सकता है?!
9- नौवां कारणः वो सब लोग जिनकी अल्लाह को छोड़ कर पूजा की जाती है, क़्यामत के दिन अपने पूजकों को बेसहारा छोड़ देंगे एवं स्वयं को उनसे अलग-थलग कर लेंगे, ऐसा करने वाले नबी भी होंगे तथा नबी के अलावा और लोग भी
10- दसवां कारणः अहले सुन्नत का इस बात पर इजमाअ (सर्वसहमति) है कि नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कई प्रकार की सिफ़ारिशों का अधिकार प्राप्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन सिफ़ारिशों का प्रयोग अपनी उम्मत के पापियों को क्षमा दिलवाने के लिए करेंगे, किंतु उलेमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ब्र के अंदर सिफ़ारिश माँगने की बात नहीं कही है, अपितु ये समस्त सिफ़ारिशें क़्यामत के दिन के लिए हैं
• निष्कर्ष
• चेतावनीः • क़सीदा ''बुर्दा शरीफ़'' में उल्लेखित शिर्क का बयान
• **तीसरी भ्रांतिः** वसीला (माध्यम) से संबंधित भ्रांति एवं तीन कारणों से उसका उत्तर
1- पहला कारणः नेक लोगों को पुकारना अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे दुआ माँगना शरई वसीला व माध्यम नहीं है
2- दूसरा कारणः इस आयत से यह नहीं मालूम होता है कि नेक लोगों से दुआ माँगना दुआ के स्वीकार्य होने का माध्यम एवं वसीला है।
3- तीसरा कारणः अल्लाह तआला को ही वास्तविक कर्ता-धर्ता, प्रभावी एवं ब्रह्माण्ड का प्रबंधन करने वाला मानने का, उस समय तक कोई लाभ नहीं है जब तक बंदा दुआ इत्यादि के के लिए ग़ैरुल्लाह का रुख करता हो
• अध्यायः चीज़ों के मूल रूप एवं उसकी वास्तविकता का एतबार किया जाता है, न कि उसके नाम का, इस संबंध में कुछ और इल्मी साक्ष्य

● **चौथी भ्रांतिः** यह दावा करना कि क़ब्रों को पूजने वाले लोग काफ़िर नहीं हैं, क्योंकि ये लोग कलेमा -ए- तौह़ीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही देते हैं, एवं तीन कारणों से उसका उत्तर
1- पहला कारणः कलेमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का केवल ज़ुबान से इकरार कर लेने का उस समय तक कोई लाभ नहीं है, जब तक उसकी शर्तों को पूरा न किया जाए।
2- दूसरा कारणः अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त (शासनकाल) में जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था, वो लोग भी ज़ुबानी तौर पर इसको पढ़ते थे, इसके बावजूद ज़कात देने से इंकार करने वाले इन लोगों से युद्ध करने पर सभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एकमत थे,
3- तीसरा कारणः सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका मक्का के मुश्रिकों ने इंकार किया था, जिसके विरुद्ध वो खड़े हो गए थे, जिसके लिए इन लोगों ने नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से युद्ध छेड़ा था तथा जिसके कारण आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूव्वत को झुठला दिया था, वह मसला यह था कि केवल एक अकेले अल्लाह तआला ही इबादत व आराधना के योग्य है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं की जायेगी
● निष्कर्ष
● **पाँचवीं भ्रांतिः** यह दावा करना कि शिर्क केवल मूर्तिपूजन को ही कहा जायेगा, एवं पाँच कारणों से इसका उत्तर
1- पहला कारणः भाषाई आधार से शिर्क यह है कि किसी चीज़ में दो को शरीक कर दिया जाए।
2- दूसरा कारणः अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में यह स्पष्ट कर दिया है कि ग़ैरुल्लाह को पुकारना तथा उससे दुआ माँगना शिर्क, कुफ्र एवं गुमराही है
3- तीसरा कारणः जो केवल एक अल्लाह से दुआ करते है उसके तथा जो ग़ैरुल्लाह से दुआ करता है उसके, दोनों के मध्य अंतर जगजाहिर है
4- चौथा कारणः उनका यह कृत्य जाहिलियत युग में अरब द्वारा अंजाम दिये जाने वाले कृत्य के समान है
5- पाँचवां कारणः नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिन लोगों के मध्य भेजे गए थे वो सभी मूर्तिपूजक नहीं थे, अपितु उनमें से कुछ लोग नबियों की पूजा करते थे, कुछ लोग सालेहीन (साधु-संतों) की पूजा करते थे,

कुछ लोग फ़रिश्तों को पूजते थे और उनमें कुछ लोग जिन्नात, सूर्य, चंद्रमा, सितारों, वृक्षों तथा पत्थड़ों के पुजारी थे।
• **छठी भ्रांतिः** लोगों के अनुभव व तजुर्बा को आधार बनाना कि नेक लोगों से माँगने से दुआ स्वीकार की जाती है, एवं छः तरीकों से इसका जवाब
1- पहला कारणः क़ुरआन व ह़दीस़ में इस प्रकार की अन्य दूसरी बहुतेरी असबाब व माध्यम का वर्णन आया है जिन्हें अपनाने से बंदों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, किंतु सालेहीन (साधु-संतु) से दुआ मांगने का उल्लेख कहीं नहीं आया है कि यह दुआ के स्वीकार्य होने का कारण है।
2- दूसरा कारणः अल्लाह तआला ने क़ुरआन में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक अल्लाह तआला की ज़ात ही दुआओं को सुनती है तथा उसे स्वीकार करती है।
3- तीसरा कारणः दुआ एक इबादत व पूजा है, तथा इबादत तजुर्बा से साबित नहीं होता, किसी काम के इबादत होने के लिए अल्लाह तआला की किताब या अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से दलील होनी चाहिए
4- चौथा कारणः कुछ लोग ऐसी दुआएं माँगते हैं जो सामूहिक रूप से मुसलमानों के नज्दीक ह़राम हैं, किंतु उनका उद्देश पूरा हो जाता है
5- पाँचवां कारणः यदा-कदा मानसिक वहम के कारण इंसान को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है
6- छठा कारणः क़ब्र से दुआ माँगने वाले को शैतान अपने सबसे बड़े मकड़ जाल में फँसा लेता है, और वह इस तरह कि उस दुआ करने वाले को उसकी खोई हुई चीज़ के असल स्थान के बारे में बता देता है
• शैतान की वास्तविकता जानने संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय
• **सातवीं भ्रांतिः** उलेमा की तक़लीद (अंध-अनुसरण) की भ्रांति
• **अध्यायः** उलेमा -ए- सू (कपटी विद्वानों) से बचाव हेतु चेतावनी
• **आठवीं भ्रांतिः** ज़ईफ़ व कमज़ोर (आधाराहीन) ह़दीस़ों की भ्रांति, इनमें से प्रसिद्ध ह़दीस़ें सात हैं:
1- यदि कोई पत्थर से भी अच्छा गुमान रखे तो वह उसको लाभ पहूँचायेगा।
2- यदि किसी मामले में तुम भ्रम में हो तो क़ब्र वालों से सहायता माँगो

3- हम लोग इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठे हुये थे कि उनका पैर सुन्न हो गया, तो एक व्यक्ति ने उनसे कहाः अपने निकट सबसे प्रिय व्यक्ति का स्मरण कीजिये, तो उन्होंने कहाः हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, रावी (वाचक) कहते हैं कि, इतना कहते ही वह खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी बंधन से आज़ादी मिल गई हो
4- इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास एक आदमी का पैर सुन्न हो गया, तो इब्ने अब्बास ने उससे कहाः अपने निकट सबसे प्रिय व्यक्ति का स्मरण करो, तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का स्मरण किया, जिसके कारण उसका पैर ठीक हो गया
5- यदि तुम में से किसी का पशु जंगल या सहरा में भाग जाये, तो वह इस प्रकार से कहेः (हे अल्लाह के बंदों इसे पकड़ो, हे अल्लाह के बंदों इसे पकड़ो), क्योंकि अल्लाह की ओर से कुछ लोग इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं, जो उसे रोक लेंगे
6- तुम में से किसी की जब कोई वस्तु गुम हो जाये अथवा वह किसी प्रकार की सहायता चाहता हो और वह ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई मानव न हो तो वह इस प्रकार कहेः (हे अल्लाह के बंदों! मेरी सहायता करो, हे अल्लाह के बंदों! मेरी सहायता करो), क्योंकि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं
7- रक्षा करने वाले फ़रिश्तों के अतिरिक्त भी अल्लाह के अन्य फ़रिश्तें इस धरती पर मौजूद हैं जो वृक्ष से गिरने वाले पत्तों को लिखने के लिए तैनात हैं, तुम में से जब कोई बयाबान तथा सुंसान स्थान में दिगभ्रमित हो जाए तो वह इस प्रकार से आवाज़ लगाएः अल्लाह के बंदो! मेरी सहायता करो
● ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगने को जायज़ करार देने वाली ह़दीस़ों से संबंधित बातों का निष्कर्ष
● **अध्यायः** शुबुहात (भ्रांतियों) में पड़ने से बचने हेतु ताकीद व चेतावनी
■ शुब्हा (भ्रांति, भ्रम) की परिभाषा
■ हर शुब्हा (भ्रांति) का उत्तर है
■ नये नये शुबुहात जन्म लेते रहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है

▪ शुब्हा सामने आने पर मोमिनों की आज़माइश व परिक्षा की हिकमत सामने आती है और दीन को प्रभुत्व प्राप्त होता है
▪ शुबुहात (भ्रांतियों) को फैलाने वालों के प्रकारः
▪ अक़ीदा से संबंधित शुब्हा सबसे संगीन है ▪ शुबुहात से बचना तथा स्वयं को उससे अलग-थलग रखना वाजिब है
▪ शुब्हा फैलाने वालों के संबंध में उलेमा तथा शासकों का दायित्व
▪ शुबुहात (भ्रम एवं भ्रांतियों) का उपचार यह है कि सलफ़ व सालेहीन की समझ के अनुसार क़ुरआन व ह़दीस़ का अनुसरण करने वाले उलेमा -ए-रब्बानीयीन की तरफ़ पलटा जाए
▪ बातिल परस्त (मिथ्यावादी) अपने शुबुहात (भ्रांतियों) में सच्चाई का मिश्रण कर देते हैं ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें
▪ बातिल परस्तों (मिथ्यावादियों) के शुबुहात (भ्रांतियों) के खंडन में प्राचीन एवं नवीन उलेमा का किरदार
● पुस्तक का सार व निष्कर्ष
● महत्वपूर्ण संदर्भ स्त्रोत
● विस्तारित विषय सूची